खण्ड-372, अंक-4
शनिवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1907
(17 अगस्त, 1985 ई0)

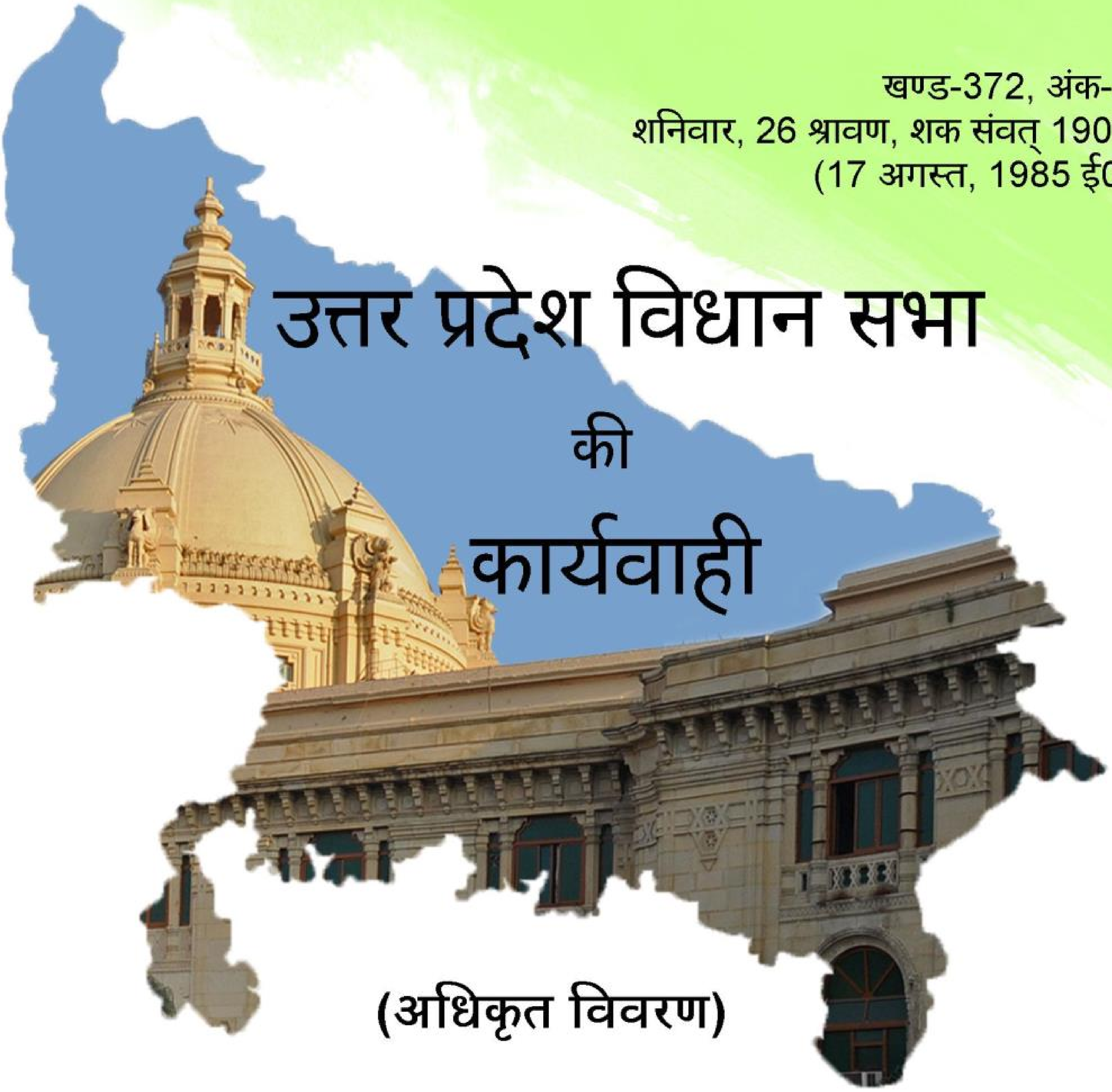

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 10 बजकर 3 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री मियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अरविन्द तिवारी, श्री — जालौन
अशरफ इमाम, श्रीमती — मिर्जापुर
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री — बुलन्दशहर
ओमवती, श्रीमती — बिजनौर
ओसान सिंह, श्री — इटावा
कनक सिंह, श्री — गाजियाबाद
कमलेश कुमार पाठक, श्री — इटावा
कल्यान सिंह, श्री — अलीगढ़
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
कुदेसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री — सीतापुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गौरी शंकर, श्री — इटावा
जफर अली नकवी, श्री — लखनऊ
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जय नरायण शर्मा, श्री — मेरठ
जयराम वर्मा, श्री — फैजाबाद
जागन सिंह, श्री — रामपुर
तिलक सिंह, श्री — अलीगढ़
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
नरेन्द्र सिंह, कुंवर — सहारनपुर
नरेश पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
पशुपतिनाथ मेहरोत्रा, श्री — कानपुर
पुरुषोत्तम लाल, श्री — इलाहाबाद
पुष्कर सिंह, श्री — गढ़वाल
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती — बदायूं
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
बसन्त सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
बुधपाल सिंह, खुर्जावाले, श्री — बुलन्दशहर
भगवती प्रसाद, चौधरी, श्री — मिर्जापुर
भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
भोला सिंह, श्री — इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री — गोण्डा
महरम सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
महाबीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मुस्तमन्द अली खां, श्री — मथुरा
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद असलम खां, श्री — सहारनपुर
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री — मुरादाबाद
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रजनीकान्त, श्री — वाराणसी
रमाकान्त मिश्र, श्री — इलाहाबाद
राज बहादुर, श्री — जौनपुर

राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
रामनरेश, श्री	मैनपुरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
रामसागर राव, श्री	बहराइच
राय लक्ष्मी नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हर नारायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हाफिज मो0 उमर, श्री	कानपुर
हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर

नोट :—1—श्री अजीत प्रताप सिंह, आबकारी मंत्री,
2:—श्री सिब्ते रज़ी, शिक्षा मंत्री

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के गठन के संकल्प की सूचना

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद लूंगा।

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के गठन के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1985 को पारित संकल्प, जिसकी सूचना इस सचिवालय में 14 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुई थी, की सूचना सदन को देता हूं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत आज तीन सूचनायें प्राप्त, हुई हैं, एक तो माननीय यदुनाथ सिंह की जो रामनगर, वाराणसी में पुल बनवाने के बारे में है। दूसरी सूचना माननीय किरनपाल सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री रामसरन, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री त्रिलोक चन्द्र, कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री कौशिक रमाशंकर जी की है। जहां तक सूचना नम्बर तीन का सवाल है मैं इसको सोमवार को लूंगा क्यों कि आज ही आपने दिया है तो मुझे भी जानकारी हो जाय कि यह किस व्यक्ति का नाम है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, हम लोगों को सुन लें तो आप को जानकारी करने में आसानी हो जायेगी। अभी कम लोग आये हैं सभी लोग सहकारिता में विशेष रुचि रखते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मुझे भी देखना होगा कि यह कौन व्यक्ति है ?

श्री राजेन्द्र गुप्त--

यह ताजी घटी घटना है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह सदन की कार्यवाही में मामला आ चुका है।

श्री अध्यक्ष--

सोमवार को होगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है एक मन्त्री के खिलाफ कदाचार का मामला साबित हो चुका है, इसे शासन ने खुद स्वीकार कर लिया है। इसको टालना उचित नहींहोगा।

श्री अध्यक्ष--

मुझे नहीं मालूम है कि वही नियाज हैं या कौन हैं इतना तो मौका मालूम करने का मुझे दें।

माननीय यदुनाथ सिंह जी की सूचना को मैंने अस्वीकार किया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं जो सूचना दे रहा हूं यह बहुत जनहित का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

उसको भी सोमवार को लूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

पहले वाला भी आपने सोमवार को रखने का फैसला ले लिया। मेरी गुजारिश है।

श्री अध्यक्ष--

सुन लूंगा। अभी आपने दिया है अभी कैसे मैं सुन लूं।

(व्यवधान)

सोमवार को ले लूंगा कह रहा हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक मिनट क्या दो मिनट सुन लूंगा।

हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षाफल शीघ्र घोषित करने के शासन के आश्वासन का क्रियान्वयन न होने तथा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, सदन के अन्दर यह मामला कार्य स्थगन के रूप में आया था जिसमें माननीय नेता विरोधी दल ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रुके हुये परीक्षाफलों के संबंध में बात कही थी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की थी कि जल्दी से जल्दी रुके हुये परीक्षाफल घोषित कर देंगे। उसके बाद अखबार में छपा कि 15 अगस्त को परीक्षाफल घोषित कर दिया जायेगा। लेकिन आज तक घोषित नहीं हुआ है। मुझे निश्चित रूप से जानकारी मिली है फर्जी रूप से बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट द्वारा परीक्षाफल घोषित किये जा रहे हैं। मेरे पास एक प्रमाण-पत्र है श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्य मंत्री जो नेता सदन हैं उनके नाम से हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट का परीक्षाफल, 1982 घोषित हुआ है। इसमें नाम लिखा है नारायण दत्त तिवारी, आत्मज श्री पूर्णानन्द तिवारी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने परीक्षा हिन्दी, इंगलिश, सायकोलोजी, सिविक्स, सोशियोलोजी में उत्तीर्ण किया है। इसमें तारीख 14 जून, 1982 दी हुई है। सचिव श्री चन्द्र सेन अग्रवाल, इलाहाबाद दिया है। क्रमांक आपका था 1,05,653। मान्यवर, इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है। जो सदन के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हों और 1982 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, यह लिखा है। इसकी जांच करा लें कि इंटरमीडिएट में इस तरह के नतीजे निकल रहे हैं। इस तरह लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा। यह गंभीर बात है। शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, संयुक्त जिम्मेदारी है, मुख्य मंत्री जी 1982 में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं और उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसकी फोटोस्टेट कापी और ओरिजिनल मेरे पास है, आप चाहें तो मैं पहुंचा दूं। यह आश्चर्य हो गया है जबकि इन्होंने पहले यह परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं, मैं नहीं सुनूंगा।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है लेकिन बोर्ड का अपना अलग रवैया है। परिणाम आज भी घोषित न होने के कारण गांव के लड़के अच्छे जगह एडमीशन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं क्योंकि परिणाम रुक गया है। जैसा कि श्री शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि बोर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जी सार्टिफिकेट दिये जाते हैं। यह क्यों होता है। नैपाल के लड़के यहां के हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाते हैं और वहां नैपाल सरकार उनको उसके आधार पर नौकरी दे देती है चूंकि हमारा सर्टिफिकेट वहां पवित्र माना जाता है, विदेशों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण-पत्र की मर्यादा है किन्तु इस तरह से वह मर्यादा गिर रही है। इसलिये यह महत्वपूर्ण मामला है। अभी तक फर्जी प्रमाण-पत्र एक-दो हजार रुपये ले लेकर देते रहे और जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया वह सर्टिफिकेट पा जाते हैं और जिन्होंने परीक्षा दिया उनको कोई न कोई कारण बताकर रोक देते हैं। इसलिये उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो मर्यादा है वह देश और विदेशों में गिर रही है, इसलिये उस पर आंच आ रही है। सरकार उस भ्रष्टाचार को न रोक पाने के कारण इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिये यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया गया है जिस पर चर्चा करायें।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं। आप बैठ जायं।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य वाराणसी, कैंट श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने जिस तथ्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैंने भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो "माया" पत्रिका (पाक्षिक) अगस्त 31, 1985 का अंक है उसमें लिखा है कि जिस तथाकथित प्रमाण-पत्र का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, तो पत्रिका के किसी कार्यकर्ता ने या प्रतिनिधि ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर का प्रमाण-पत्र शिक्षा परिषद् के किसी दलाल से खरीदा है। प्रतिनिधि ने यह भी लिखा है कि हमने यह सोचा कि यह प्रमाण-पत्र मुख्य मंत्री को उपहार स्वरूप दिया जाये जिससे सरकार का ध्यान इस ओर जाये कि कैसा खिलवाड़ विद्यार्थियों के साथ हो रहा है इसलिये यह ध्यान आकर्षित करने के लिये लिखा है।

श्रीमन्, मुझे इस बात का दुख है कि इस तरह के दलाल के जरिए यह कार्य हो रहा है, इस पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। 'माया' के प्रतिनिधि से मालूम किया जायेगा और सख्ती से कोई भी रैकेट जो हो रहा है उसका भंडाफोड़ किया जायेगा और सजा दी जायेगी।

इसमें शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था, यह बिलकुल उचित नहीं है किसी प्रकार से भी और मैं इसमें यह भी अपेक्षा करूंगा कि जब सख्ती हो तो उनका इसमें पूरा सहयोग होना चाहिये। यह नहीं कि यूनियन आदि के जरिये शासन पर कोई दबाव डाला जाए। यह बहुत बड़ी अनैतिकता है। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहूंगा, मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

नेता सदन ने अभी हम लोगों से सहयोग मांगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन बातों में आप हमारा सहयोग चाहते हैं। कहां-कहां हमारे सहयोग से आपकी प्रतिभा निखर सकती है। आज स्थिति यहां यह है कि एजूकेशन मिनिस्टर और उनकी ही कौन कहे, दो-तीन मिनिस्टरों को छोड़कर प्रायः सभी मिनिस्टर्स जवाब तो देना ही नहीं चाहते हैं, इस बारे में मैं सामान्य चर्चा पर विवाद के समय विस्तार से बताऊंगा। इस सवाल से न तो राजनीति का कोई संबंध है, न किसी दल का कोई मामला है। हम लोग दो महीने से चिंतित हैं लगातार और उधर के लोग भी चिंतित हैं। रिजल्ट न प्रकाशित होने की वजह से हजारों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है और जो एक अक्षर नहीं पढ़ा है वह फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर फर्स्ट क्लास हुआ जा रहा है और जो फर्स्ट क्लास है वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर यह रिजल्ट पहले निकल जाता, जो अब भी निकल सकता है, न निकलने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है। जब अबतक रिजल्ट नहीं निकाला गया तो अब तक सजा क्यों नहीं दी गई। महीना डेढ़महीना का डिले तो मैं मान सकता हूं कि कहीं कापियां वगरह खो गई हैं या और कुछ हो गया। लेकिन दो-दो साल तक रिजल्ट न निकलने की बात कतई हमारी समझ में नहीं आती है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि साढ़े चार विषय में वह पास हो रहा है और आधा विषय गम हो, उस पर भी वह फर्स्ट क्लास है, इस तरह के हमारे पास उदाहरण हैं तो फिर उसका नतीजा रोकने का क्या औचित्य है। इस साल का रुका ही है, लेकिन जब पिछले वर्ष 83-84 का रुका है तो उसकी सजा क्यों नहीं दी गई? इसलिये मैं सहयोग देने के लिये तैयार हूं, पूरा विपक्ष देने को तैयार है, लेकिन जिन्होंने गलत काम किया है, अकर्मण्यता दिखायी है, भ्रष्टाचार को पनपाया है, उनको आप सजा क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि एक आदमी को भी आप सजा दे दें, किसी बड़े अधिकारी को सजा दे दें, तो सब ठीक हो जायेंगे। आप क्या इसके लिये तैयार हैं? जो रिजल्ट दो साल से रुका है, उसका जो जिम्मेदार है, उसको क्या आप सजा देने के लिये तैयार हैं और नहीं तैयार हैं तो क्यों नहीं तैयार हैं। यदि बेईमानों को सजा नहीं देंगे तो बेईमानी नहीं रुक सकेगी।

हम भ्रष्टाचार रोकने में पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं। आपका यह बोर्ड इतना बड़ा है, इसको आप जिलेवार या कमिश्नरीवाईज कर दीजिए और परिषद् को समाप्त कर दीजिये। इसमें हमारे प्रदेश का, लाखों छात्रों का भला होगा और आपकी इमेज जो खराब हुई है, खराब नहीं होगी। आप उनको सजा दीजिए और आज ही घोषणा कर दीजिए कि दो साल से जिन्होंने रिजल्ट रोक रखा है उनको सजा दी जाएगी। या आपने कोई जवाब मांगा हो

[श्री मुलायम सिंह यादव]—

तो उसी को बता दीजिए जिन्होंने गरीबी में रहकर अपमानित होकर और अपनी बेटी की अच्छी शादी रोक कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा ह, उनका नतीजा नहीं आ रहा ह, इससे ज्यादा दुखदायी बात उनके लिए और क्या हो सकती है। आप सोचें कि उनको कितनी मानसिक पीड़ा हो रही है और हम लोग सवाल उठाते हैं तो उनका एकका जवाब नहीं आया कि उन्हें सजा देंगे। मुख्यमंत्री भी कितने मजबूर हैं जानबूझकर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये मुख्यमंत्री जी ऐसा किया गया है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि फर्जी प्रमाण-पत्र बांटे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को 1982 में पास का नतीजा दिया गया है इसका आप पता लगाएं। बेईमानों को आप सजा देंगे, गुण्डों को सजा देंगे तो हर वक्त हम आपको साथ देने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र प्रकाश ने जो सूचना दी वह सदन की कार्यवाही से ताल्लुक नहीं रखती और न कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है। मैं इसको अस्वीकार करता हूं और इसके साथ ही साथ शासन से और विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और देखें कि किया मामला है और क्या घोटाला इस में है।

चुनार, मिर्जापुर में शासन के आश्वासन के बावजूद भी गंगा नदी पर पक्का पुल न बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है, 5 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आपको मैंने पुकारा था। लेकिन आप तो गैर हाजिर थे।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं 5 दिन तक गंगा नदी में बहता रहा और पटना जाकर लगा। मेरे साथ अब्दुल सत्तार थे जो बी0 एच0 यू0 के एम0 ए0 के छात्र हैं। मैं 5 दिन तक के वांच खा कर रहा। मुझे ठेकेदार ने ढकेल दिया। मैं मरने से बचा।

श्री अध्यक्ष—

आप तो खुद ही मौजूद हैं, कौन कह रहा है कि मर गये। आप पुल के सिलसिले में कहेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सूचना मंत्री जी भी मौजूद हैं। यह बड़े शर्म और खेद की बात है कि रामनगर में गंगा नदी पर पीपे का पुल है जिस पर पथकर माफ है। वहां के एक दरबारी आदमी पंडित लोकपति त्रिपाठी और पंडित कमला पति त्रिपाठी, जब गंगा नदी पर पक्का पुल नहीं बना तो उन्होंने आश्वासन दिया था। सदन में कहा गया कि नवम्बर में पक्का पुल बनाने जा रहे हैं लेकिन फिर भी पुल नहीं बना। वहां पर पीपे का पुल है। गोरखनाथ उपाध्याय जैसा बदमाश ठेकेदार वहां पर है। 11 अगस्त को मैं गया साढ़े 9 बजे। स्टीमर वहां चल रहा था। मैंने कहा कि रात के टाइम स्टीमर नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही स्टीमर चलते हैं तो आपका स्टीमर भी उसी टाइम चलना चाहिये। इस टाइम कैसे चल रहा है। वहां पर काशी नरेश के किले से 2 कि0मी0 पूरब और 2 कि0मी0 पश्चिम पथकर फ्री है। वहां पर दरोगा को मिलाकर स्टीमर चलाया जाता है जबकि रात को स्टीमर नहीं चलना चाहिये। जब मैं स्टीमर पर बैठा तो 50 आदमी थे। साइकिल वाले थे। मेरे पास मेरा बैग था, अटैची थी।

जब मैं उतरा तो मैंने कहा कि यह क्या सिस्टम है जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद नाव वाले मल्लाह नाव से पार उतारते हैं। राम चन्द्र जी के जमाने से यह चला रहा है। उसमें पी0 डब्लू0 डी0 का वार्ज भी नहीं चल सकता है। मोटर बोट तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2 सिलेंडर पावर की है तो काम कैसे चलेगा। तो मेरे कहने के बाद अन्त में हुआ क्या कि रामनगर थाने का दरोगा आया ओमप्रकाश शाही वह अपने को वीरेन्द्र शाही, एम0एल0 ए0 का रिश्तेदार बताता है। उसने कहा कि मैं एम0 एल0 ए0 को [**] के बराबर समझता हूं और स्टीमर को धक्का दे दिया। हम लोगों ने पुकार लगायी बचाओ-बचाओ की आवाजें पूरे घाट वालों ने सुनी। हम लोग बहते रहे। गोरखनाथ उपाध्याय ने भी धक्का दिया था। हम राजघाट, वाराणसी पहुंचे, फिर सैदपुर, गाजीपुर जिले में जो है वहां पहुंचे। उसके बाद त्रिमुहानी सोहरा जिला आरा बिहार में लगे। रास्ते में कई पुल पड़े। राजघाट का पुल पड़ा, गाजीपुर का पुल पड़ा। राजघाट के पुल से तो हम टकराते-टकराते बचे। उसके बाद राजेन्द्र घाट, सदाकत आश्रम किसी प्रकार पहुंचे। 11-12-13-14-15 अगस्त को नदी में बहते रहे। कई बार भंवरों में डूबने से बचे। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे जब बचने की आशा नहीं रही, मैंने उनसे कहा कि तुम अपने पैगम्बर का नाम लो मैं भी अपने इष्ट का नाम लेता हूं। कहीं कुछ था नहीं जिसको हम खाते। किसी प्रकार केंवाच खाते थे। रास्ते में जब हम दियरा में पहुंचे तो वहां पर गंगा नदी बिल्कुल समुद्र लग रही थीं। हमको ऐसा लगा कि कहीं हम बंगाल की खाड़ी में तो नहीं आ गये। बड़ी विचित्र स्थिति यह है। पटना जाकर हम सब लोग बिन्देश्वरी दुबे चीफ मिनिस्टर से मिले और उन्होंने हमारी सहायता की। वहां से हम तिनसुखिया मेल द्वारा इलाहाबाद आये जहां से मैं गोमती एक्सप्रेस द्वारा यहां आया। यहां आकर के मैंने इस घटना के बारे में सूचना मंत्री जी को बताया। यहां पर कृषि विभाग का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बात को बनारस के कमिश्नर के सामने रखा जाय और उन्हें आप निर्देशित करें कि मामला क्या है और जो दरोगा है उसे दण्डित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

श्री यदुनाथ सिंह जी की बात सुनने के बाद दुख जरूर हुआ। सौभाग्य से वह हमारे बीच में मौजूद हैं। नियमों के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती है इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, श्री यदुनाथ सिंह जी ने जो बनारस से लेकर पटना तक यात्रा की है इसके रोचक संस्मरण हम उनके साथ कभी बैठकर सुनेंगे। इस यात्रा में उनके सामने जो-जो घटनायें आई हैं वह हमारे लिए भी मार्ग दर्शन का काम करेंगी। माननीय यदुनाथ सिंह जी जब यहां आये तो सबसे पहले मेरी ही बात उनसे हुई। इस घटना की जांच की जायेगी।

श्री राम सरन--

मान्यवर, जांच करने के बाद उस रिपोर्ट से सदन को भी अवगत कराया जाय।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, अभी माननीय यदुनाथ सिंह जी से मेरी बात नहीं हुई। फिर भी दरोगा के जो स्टेटमेन्ट उन्होंने यहां पर दिये और जिन शब्दों का जिक्र किया, जिन्हें हाऊस में नहीं करना चाहिये। इस घटना की जांच के अलावा, इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। क्योंकि माननीय सदस्य जब यहां पर एसेम्बली में भाग लेने आ रहे थे, तो उस समय दरोगा ने उन्हें रोका और धकेला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से ले लिया। बड़ी मुश्किल से वह आज हमारे बीच में हैं।

इस घटना की जांच की जाय और जांच के बाद जो रिपोर्ट आये उसे सदन में प्रस्तुत किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस घटना की जांच की जाय। माननीय सदस्य को पहले सुन लिया जाय कि उनके साथ क्या घटना पेश आई।

नोट:--[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, पहले आपने जांच के आदेश नहीं दिये थे ।

श्री अध्यक्ष--

दे दिये थे ।

काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के समक्ष मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जाने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 19 मार्च, 1985 को श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना दी है । माननीय सदस्यों का कहना है कि चूंकि 17 मार्च, 1985 को काशीपुर में कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने निकायों के चुनाव कराये जाने की घोषणा की है । चूंकि उपरोक्त घोषणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान दी गई थी, चूंकि निकायों के चुनाव से संबंधित अध्यादेश की प्रतियां 16 मार्च, 1985 को वितरित की गई थी और उसे दिनांक 18 मार्च, 1985 को सदन में पेश किया जाने वाला था ।

अतः शिकायतकर्ता माननीय सदस्यों के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री सदन की अवमानना के दोषी हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

इस सिलसिले में सुनने का प्रश्न नहीं है ।

* श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह सूचना पिछले सत्र में दी थी । परम्परा यह है कि शिकायतकर्त्ता सदस्य को सुन लिया जाता है, वह अपनी राय रखता है और जो सम्बन्धित मंत्री होता है उसको सुनने के बाद फैसला दिया जाता है या विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाता है । आज सुनना चाहे आज सुन लें नहीं तो सोमवार को सुन लें । जिसके बारे में यह है वह भी मौजूद नहीं है । बेहतर यह होगा कि सोमवार को रखें ।

श्री अध्यक्ष--

आज ऐसा दिन था, जो खाली था ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं तैयारी करके नहीं आया हूं ।

श्री अध्यक्ष--

तैयारी की आवश्यकता को न समझें, मैं सहयोग चाहूंगा । नेता सदन हों या न हों ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मुख्यमंत्री से पत्र भेजकर उसकी जानकारी प्राप्त की । माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 14 जून, 1985 द्वारा यह सूचित किया है कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी, बल्कि अपनी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्त्ताओं से विचार विमर्श करते हुए स्थानीय निकायों में चुनाव कराने की आवश्यकता पर बल दिया था और प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं उठता ।

मैंने इस मामले पर गौर से विचार किया है और पुरानी नजीरों को भी देखा है । अध्यक्षपीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1952-67) के पृष्ठ...

श्री शतरुद्र प्रकाश--

व्यवस्था देने के पहले सुन लें । पिछले सत्र में जब सत्र चल रहा था तो माननीय मुख्य मंत्री जी काशीपुर गये थे, जैसा उनके उत्तर से स्पष्ट है । वह काशीपुर गये थे और अपनी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित किया था । 7-20 का जो प्रादेशिक समाचार प्रसारित होता है, उस बुलेटिन को मैंने सुना, वह सरकारी बुलेटिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, किसी प्राईवेट संस्था या किसी व्यक्ति की नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की स्वयं की शीघ्रातिशीघ्र स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव करायेंगे। जैसा मैंने अपने विशेषाधिकार के प्रश्न में लिखा है 16 तारीख को सदन के पटल पर विधेयक उपस्थिति किया और 18 तारीख को विचार करना था पारित करने के लिये। मैं अपनी निजी जानकारी दे रहा हूं। सूचना विभाग में वह बुलेटिन सुरक्षित होगी, उसको सुनने के बाद आप फैसला दें। माननीय मुख्यमंत्री काशीपुर गये थे और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित किया था यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जो समाचार प्रसारित होता है, उसका बुलेटिन रखा जाता है, अभी बहुत दिन नहीं हुए, 3–4 महीने की बात है। उसको आप सुन लें तब फैसला दें।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय––

मुझे यह कहना है कि यह परम्परा हो गई है कि मंत्री लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं और नई-नई घोषणा कर देते हैं। जब घोषणा को घेरे में लिया जाता है तो मंत्री लोग उसको दूसरी तरह से कह देते हैं। कानून और कायदे के घेरे में नहीं आता है, तो आप विशेषाधिकार नहीं मानते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इतने जंजाली हैं। इतना वाक्य का जाल उनके पास है। उसको इधर से उधर घुमाकर कह देते हैं तो मान्यवर, जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा, ये गये, इन्होंने उद्घोषणा की होगी और जब विशेषाधिकार का सवाल आया तो शब्दों का जाल बिछाकर उन्होंने सूचना दे दी तो मेरा भी यह आग्रह है कि जैसा कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि आप बुलेटिन को मंगा लें और उसको देखकर तब निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष––

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, माननीय पाण्डेय जी, जो मेरा निर्णय आ रहा है वह तो अब आ रहा है।

मैंने इस मामले पर गौर से विचार किया है और पुरानी नजीरों को भी देखा है। अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1952–67) के पृष्ठ 520 पर यह कहा गया है कि किसी दल की बैठक में जो आन्तरिक परामर्श होता है उससे सदन का कोई सम्बन्ध नहीं होता और इसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इसी प्रकार वर्ष 1969–78 के संकलन के पृष्ठ 123 पर उल्लिखित दृष्टांतों के अनुसार कई बार यह निर्णय दिया जा चुका है कि यदि सदन चलते समय नीति संबंधी घोषणायें की जाती हैं, तो वे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनती। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना की सूचना का कोई औचित्य नहीं है, और मैं इसे सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।

श्री त्रिलोक चन्द्र––

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्णय के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन कार्यकर्त्ताओं के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वह तो अलग चीज हुई और आल इण्डिया रेडियो से कोई चीज एनाउन्स हुई, वह एक अलग बात हुई। यदि आप उस बुलेटिन को देखकर निर्णय देते तो ज्यादा उचित होता।

श्री अध्यक्ष––

आपने कल देखा होगा कि माननीय अध्यक्ष, लोक सभा का भी कल इसी सिलसिले में वी0 पी0 सिंह की घोषणा के बारे में निर्णय आया है और आपने वह निर्णय देखा होगा तो माननीय त्रिलोक चन्द्र जी इससे आगे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा।

मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री श्री गौरी शंकर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष––

श्री मैनेजर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय राज्य मंत्री श्री गौरी शंकर के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि विधान सभा में दिनांक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

19–3–85 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर में माननीय मंत्रियों ने गलत बयानी करके सदन की अवमानना की है । मैंने मुख्य मंत्री जी तथा राज्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया था और उन्होंने गलत बयानी के आरोप से इंकार किया है ।

अल्पसूचित प्रश्न वर्ष 1980–81 में धान खरीद के घोटाले के संबंध में था । दिनांक 19–3–85 को प्रश्नोत्तर के दौरान माननीय राज्य मंत्री ने बताया था कि इस मामले को सचिवों की समिति तथा मंत्रि-परिषद् की उपसमिति ने विचार किया था तथा जो घाटा हुआ था, उसमें किसी व्यक्ति का मैलाफाइडी नहीं पाया गया था ।

श्री मैनेजर सिंह ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उनके तर्क को बल मिलता हो । अतः, माननीय सदस्य की सूचना को अस्वीकार करते हुए मैं इस मामले को सदन में उठाने की इजाजत नहीं देता हूं ।

विधान भवन के कक्ष संख्या 12 एवं 13 में अनधिकृत प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष––

दिनांक 12–7–85 को श्री मैनेजर सिंह तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय सूचना एवं संसदीय कार्य, राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है । इस सूचना में माननीय सदस्यों का कहना है कि दिनांक 11–7–1985 को लगभग 10 बजे दिन में सूचना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह जी माननीय उपाध्यक्ष के कक्ष संख्या 12 में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर बैठे गये तथा कक्ष संख्या 13 में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बैठा दिया, जिससे माननीय उपाध्यक्ष के विशेषाधिकार का हनन एवं उनकी पीठ की गरिमा के प्रति कुठाराघात हुआ है । माननीय सदस्यगण का आगे कहना है कि माननीय राज्य मंत्री के इस कृत्य से माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा––

मान्यवर, यह कमरा माननीय उपाध्यक्ष के नाम आपके यहां से एलाट है और उस तारीख को आपके यहां से बिना आवंटन कराए और बिना आपको सूचना दिये माननीय सूचना राज्य मंत्री ने इस कक्ष में जबरन कब्जा कर लिया और उस पीठ पर बैठ गये जो माननीय उपाध्यक्ष के नाम थी । इस प्रकार माननीय सूचना राज्य मंत्री ने ऐसा कार्य किया है जिससे माननीय उपाध्यक्ष का जो कमरा और पीठ है और जो सदन की मर्यादा है, उसके विपरीत काम करके यह एक ऐसा काम किया है जिससे एक अलोकतांत्रिक कार्य और आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों की खुली अवमानना और अवज्ञा हुई है । आपने यह कक्ष माननीय उपाध्यक्ष के नाम एलाट किया था । इस विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष के कक्ष में कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य बिना आपकी अनुमति के कब्जा नहीं कर सकता है । यह कार्य राज्य मंत्री जी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके ऐसा किया है जिससे माननीय उपाध्यक्ष की गरिमा घटी है और उनके विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है । आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अनियमितता का द्योतक है, जबकि ये नियमों के ज्ञाता हैं । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आप सूचना राज्य मंत्री जी के खिलाफ कार्यवाही करें और उन्हें दण्डित करें ।

श्री अध्यक्ष––

यह सही है कि उपरोक्त कक्ष विधान सभा के अध्यक्ष के नियन्त्रण में है और पहले माननीय उपाध्यक्ष अपने स्टाफ सहित इनमें बठते रहे हैं । फिलहाल माननीय उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और यह कक्ष अभी तक किसी को आवंटित नहीं है । ऐसी स्थिति में चूंकि राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह का कार्यालय कक्ष

मुख्य विधान भवन में स्थित नहीं है तथा सत्रकाल में उन्हें उक्त कक्ष में बैठने की मौखिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी गयी है कि जब माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव हो जायेगा तो उन्हें उसे खाली करना होगा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वे अनधिकृत रूप से उसमें बैठ रहे हैं। मुख्य विधान भवन के कक्ष सं0 12 और 13 श्री उपाध्यक्ष के लिये आवंटित होने से पूर्व वे अन्य कक्षों में बैठते रहे हैं। इतना ही नहीं सितम्बर, 1983 के पूर्व सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सभापति भी तत्कालीन माननीय अध्यक्ष की अनुमति से उक्त कक्ष सं0 12–13 में बैठ चुके हैं। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन की अवमानना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 66 सहकारिता विभाग

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66 सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,10,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 10 बज कर 45 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सहकारिता आन्दोलन की न केवल इस देश में, बल्कि दुनिया के परिपेक्ष्य में, अपनी अहम भूमिका रही है। हमारे देश को मान्यवर, वर्तमान सदी की दो अपूर्व अनुभूति है। एक स्वतंत्रता की और दूसरी सहकारिता की। मान्यवर, स्वतंत्रता के माध्यम से जहां पर हम राजनीतिक मूल्यों की प्राप्ति कर राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर हुए हैं, वहीं सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास की गति में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिये अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि आज देश और प्रदेश की विकास की गति में इस विकास की महायात्रा में सहकारिता प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। सहकारिता निर्बल, असहाय लोगों को सहारा देकर एक नयी शृंखला के माध्यम से उनके दुख दर्द की कहानी में अपना अहम योगदान देने की परिभाषा को दोहराता है।

मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो सहकारिता का स्वरूप जगमगाता रहा इस देश में केवल चन्द पूंजीपतियों या साहूकारों से ऋण के स्वरूप की बदलाव की स्थिति थी। लेकिन, अब सहकारिता विभाग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज की आवश्यकताओं के प्रत्येक क्षेत्र में, अपनी अनुभूति को दोहरा रहा है। अपने योगदान से प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहा है। न केवल मान्यवर, कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में ही बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी, आवास निर्माण के क्षेत्र में भी सहकारिता विभाग अपनी भूमिका निभा रहा है।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को जो सहकारिता विभाग की तरफ से साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसमें इसका विवरण होगा। मैं तो मान्यवर, आपकी अनुमति से चन्द मुद्दे ही सम्मानित सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

आज मान्यवर, 10 करोड़ 40 लाख प्लान आउट ले जो है, बजट के तहत सहकारिता विभाग अपना कार्यक्रम शुरू करता है। उसके अलावा हम करीब लगभग 14 सौ करोड़ रुपये सहकारी समितियों के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाया करते हैं। मान्यवर, आज जहां सहकारिता उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वहीं मान्यवर, कृषि उत्पादन में कृषि-निवेशों की आपूर्ति कर रहा है। मान्यवर, दूसरी तरफ कृषि उत्पादन की उपज को देखते हुए विपणन की कार्यवाही में भी अग्रसर हैं। दूसरी तरफ मैं यह भी निवेदन करना

[सहकारिता मन्त्री श्री अरुण कुमार सिंह]

चाहता हूं कि क्रय-विक्रय संस्थाओं के माध्यम से सही ढंग से, संतुलित रूप से और किसानों के मूल्य को देखते हुए और उपभोक्ताओं के माध्यम से जीवनोपयोगी वस्तुयें इस प्रदेश के जन-जीवन को पहुंचाने का कार्य बड़ी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ सहकारिता विभाग कर रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादों से लेकर उद्योग उत्पादकों और आवासीय प्रगति का भी सहकारिता द्वारा मूल्यांकन किया गया है। सम्मानित जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सहकारिता विभाग में जो गड़बड़ियां थी और जो अनियमिततायें थी, उनको भी दूर करने का प्रयास सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे सम्मानित जन प्रतिनिधियों का सहयोग, स्नेह मिलता रहेगा जिससे सहकारिता विभाग को एक नयी सुबह और एक नई जिन्दगी मिलेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सहकारिता विभाग के पूरे स्वरूप को मूल रूप में रखना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले सहकारिता विभाग की संख्या का अगर आकलन किया जाय और उसकी सदस्य संख्या को देखा जाय तो आज के मुकाबले में पूर्व संख्या बहुत कम थी। आज सहकारिता में सदस्य संख्या लगभग 1 करोड़ 8 लाख है। मैं साहस के साथ कहना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की संख्या 60 से 62 प्रतिशत है। निर्बल वर्ग के लोगों की संख्या 60 से 62 प्रतिशत है जो हमारे इस विभाग की नीति को दिग्दर्शित करता है। सारे लोग इस विभाग की उन्नति करने में जुट हुए हैं। एक नई आशा के साथ और एक नई रोशनी के साथ और एक नई कल्पना के साथ इस विभाग के साथ लोग बंधना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियां द्वारा वर्ष 1984-85 के अन्त तक 321 करोड़ पूंजी निवेश सदस्यों में वितरित किया गया था। उसका लक्ष्य इस वर्ष 500 करोड़ के करीब रखा गया है। सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह लक्ष्य 840 करोड़ रुपये तक हो जायेगा। इस विभाग की यह पूरी मंशा है और यह मेरा विश्वास है।

फसली ऋण की व्यवस्था भी सहकारिता विभाग के माध्यम से समुचित ढंग से की गई है। वैसे तो अन्य बैंकों द्वारा और व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है, लकिन मैं इस साहस के साथ कहना चाहता हूं कि आज सहकारिता विभाग और सहकारी बैंक व सहकारी समितियों के माध्यम से 75 प्रतिशत से भी ज्यादा पैसा किसानों को दिया जा रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 58 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोग इससे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

मान्यवर, सहकारिता विभाग आज की बेला में और आज के परिप्रेक्ष्य में अपने योग दान से जन-जीवन के साथ इस प्रदेश के उत्तरोत्तर प्रगति के साथ, निर्माण के साथ अपने आप को जोड़ने की कल्पना लिये हुए है। मान्यवर, सहकारिता विभाग केवल सरकार का विभाग नहीं है बल्कि यह जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं का विभाग है। किन्हीं कारणोंवश चुनाव सम्भव नहीं हो पाये थे, सीधे जन प्रतिनिधियों की कमी रह गई थी और जो ऐसे आन्दोलन को गतिशील बनाने में कहीं न कहीं अवरोध कर रहे थे। मैं बड़े अदब के साथ सम्मानित सदन के सामने सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि चुनाव जिसकी घोषणायें पहले भी की जा चुकी हैं, 3 अक्तूबर से शुरू हो कर वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायगा। जनता की अदालत में खड़े होकर जन सेवी संस्था होने के नाम पर सहकारिता जनता के दुख दर्द को दूर करने तथा उनके विकास में लग जायगी। सिचाई, उर्वरक तथा और तमाम चीजों पर ही नहीं बल्कि सहकारिता विभाग के माध्यम से तमाम चीजों, पहलुओं को छूने का संकल्प किया जो चीजों जीवनोपयोगी हैं, समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिये जरूरी है।

जहां सिचाई की सुविधायें देते हैं वहीं उपज का मूल्य निर्धारित योजना के तहत

खरीदने का दावा भी रखते हैं और सहकारिता विभाग ने यह किया भी है ताकि मूल्य का नियंत्रण बना रहे। आज ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में सहकारिता विभाग अपने सदस्यों की सेवा में बढोत्तरी करेगा और 45 लाख की सदस्यता के साथ अपने को जोड़गा। पिछले साल में, 83-84 के अन्तर्गत 222 करोड़ का अल्पकालीन ऋण दिया गया था किसानों की प्रगति के लिये खाद बीज कीटनाशक दवाइयों के लिये 84-85 में 233 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। यह भी अपने आप में प्रगति है। मध्यकालीन ऋण 84-85 में 31 करोड़ का, 85-86 में 400 करोड़ का अल्पकालीन, 50 करोड़ मध्यकालीन ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल वितरित ऋण म 50 प्रतिशत निबल, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सुनिश्चित किया गया है। आई0 आर0 डी0 के तहत गरीब को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प भी सहकारिता विभाग ने किया है और इसके तहत 42. 66 करोड़ ऋण मध्यकालीन वितरित किया गया है और इस ऋण के तहत लाभान्वित परिवार 49 हजार हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं।

गत वर्ष फसली बीमा की योजना चलायी गयी थी। यह पूरे देश क परिपेक्ष्य में 38 करोड़ का इस योजना के तहत कार्य हुआ था और इसका श्रेय उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग को जाता है। पूरे देश के पैमाने पर जो स्थापित किया गया था फसली बीमा का 38 करोड़ का हुआ था वहीं केवल उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ रुपये का फसली बीमा हुआ था। इसलिए आप देखेंगे यह भी अपने आप में अद्वितीय है। प्रदेश में जहां ग्रामीण अंचलों को छू रहे हैं, जहां ग्रामीण इकाइयों में 8600 समितियों के माध्यम से ग्रामीण जनता का दुख दर्द दूर करने के लिये उनकी भलाई के लिय सतत प्रयत्नशील हैं, संघर्षरत हैं वहीं नगरीय व्यवस्था से भी अछूते नहीं रहे हैं। नगरीय बैंकों की व्यवस्था का भी संकल्प सहकारिता विभाग ने लिया है। वर्ष 85 के अन्त तक मुझे विश्वास है कि अगर स्वीकृति नावार्ड से आ गयी तो 50 नगरीय बैंकों की व्यवस्था सुनिश्चित हो जायगी।

अन्य कार्यक्रमों के तहत निवेदन करूंगा कि बैंकों के माध्यम से जो गत वर्ष लगभग 1. 50 करोड़ रु0 ऋण अधिक वितरित किया गया था, वह पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। आपने देखा होगा कि इस सहकारिता विभाग के प्रति आये दिन लोगों को पीड़ा होती है, फर्जी वसूली की बात चलती है और गलत ढंग से ऋण लेन-देन की बात दिमाग में आती है। इसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यालय पर भी एक मानिटरिंग "सेल" की व्यवस्था की गयी है, जिसके तहत उन सारी सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की हर महीने में कम से कम दो बार प्रगति की समीक्षा की जायगी और उसके माध्यम से कहीं कोई भी अनियमितता हो रही है उस पर नियंत्रण पाया जायगा। वसूली के वक्त कभी-कभी अनियमिततायें जन्म लेती हैं और गरीब किसान कहता है कि ज्यादती हो रही है, गलत वसूली हो रही है, हमने ऋण लिया नहीं, वसूली मांगी जा रही है। इसको देखते हुए एक अन्य व्यवस्था को भी जन्म दिया गया है, 30-6-85 तक की वसूली सदस्यों की पास बुकों रजिस्टर इन्दराज करायी जा रही है, जिससे दुबारा वसूली उनसे न की जा सके।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---

इसको स्पष्ट कीजिये।

श्री अरुण कुमार सिंह---

अभी तक 30-6-85 तक वसूली हो गयी है। कभी-कभी सचिव लोग वसूली करके धन अपने पास रख लेते हैं और उन किसानों के दस्तावेजों में उसका जिक्र नहीं होता है, जिससे दूसरी वसूली के कागज पहुंच जाते हैं। सही ढंग से उनकी इन्दराज 15 दिन के अन्दर हो जानी चाहिये, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। इसके देखने के लिये जिला मुख्यालय स्तर पर मीन मानीटरिंग हो रही है जिसके द्वारा हर 15 दिन बाद पुनरीक्षण किया जायगा समितियों के माध्यम से, सदस्यों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि जो भी देय धनराशि थी, जिसकी वसूली की गयी थी किसानों के खातों में चढ़ी है या नहीं।

[श्री अरुण कुमार सिंह]

आज जो बैंकों की स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के अन्दर सहकारिता का मन नहीं बन पाया। उससे जुड़े हुए लोग और लाभान्वित होने वाले लोगों ने भी सोचा कि जो सहकारिता विभाग का अनुदान है या जो धनराशि ऋण के रूप में दी जाती है, उसकी वसूली के बारे में भी उनका मन नहीं था। धीरे-धीरे वसूली म व्यतिक्रम हो गया। अगर बैंकों की वसूली नहीं होगी, देय धनराशि को किसान देगा नहीं, तो दूसरे रूप में कैसे वापस किया जा सकता है? अगर बैंकों की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहेगी, बैंक स्वावलम्बी नहीं रहेंगे, सशक्त नहीं रहेंगे तो जिस मन्शा से इस विभाग की रचना हुई है, वह पूरी हो नहीं सकती है इसको देखते हुए मान्यवर, पूरे साल भर वसूली का कार्यक्रम रखा गया है जिससे कि किसी भी देने वाले को यह न लगे कि जब शादी-ब्याह का समय होता है तभी उसी वक्त उसे परेशान किया जाता है। हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु कुछ ऐसी है कि दैवी आपदाओं का कोई भरोसा नहीं रहता है। निर्धन किसानों से जितनी प्राप्ति होती है उसे साल भर में उनकी सुविधानुसार वसूली करके उसे प्राप्त किया जायगा कि जितनी वसूली व आसानी से दे सकते हैं उसे वसूल करने के लिये हर जिले में निर्देश दे दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त 650 साधन सहकारी समितियों का चयन किया जा रहा है जिसके द्वारा ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जहां कृषि उपनिवेशों के अन्तर्गत ऋण दिया जा रहा है वहीं अन्य जीवनोपयोगी सुविधाओं के तहत भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 100 ऐसी समितियों का चयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत मिनी बैंकों की भी व्यवस्था की जा रही है जिससे कि सीधे किसान वहां से ऋण प्राप्त कर सकता है। समितियों के मुख्यालय पर जहां बैंक की व्यवस्था है वहां चेक बुक के सहारे ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अलावा सहकारिता के तहत हथकरघा और अन्य औद्योगिक संस्थाओं को 25 करोड़ रु0 की धनराशि इस वर्ष के अन्त तक वितरित की जायगी जिसके अन्तर्गत हस्तकला, दस्तकारी के नमूनें हैं, इन सब उद्योगों की परिकल्पना इसके अन्तर्गत रखी गयी है। सहकारिता विभाग बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भी अपने को जोड़ हुए हैं। निर्धन गरीब, पिछड़े वर्ग इन सब लोगों को 40 से लेकर 100 रुपये प्रति सदस्य की दर से ऋण देने की व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान होगा। इसके लिये 10 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से निर्बल लोगों को ऊपर उठाने के लिये सहकारिता विभाग सतत प्रयत्नशील है। दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था जो कि भूमि विकास बैंकों के द्वारा की जा रही है इसमें बीस वर्षों के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक ने 13,27,491 रु0 का कृषकों को, 698 करोड़ रु0 का ऋण वितरित किया है।

देश में यह एक नया कीर्तिमान है कि प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अब 49 लाख हेक्टयर भूमि पर सिंचित क्षमता को बढ़ाने में हमारा योगदान रहा है। इस भूमि विकास बैंक के सहयोग से मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन इस तरह की तमाम योजनाओं को, जिससे कृषक को राहत मिल सके, चलाया जा रहा है। हमारे श्री राम सरन दास खुश हो रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है इसमें जमीन को बन्धक नहीं लगाया गया है। मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक द्वारा पवन चक्की, गोबर गैस प्लान्ट के अन्तर्गत भी सुख सुविधा और ऋण वितरण की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, 3 वर्ष के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक के द्वारा 47 हजार 184 लाभार्थियों को 32 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 84-85 में भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण की वसूली की गयी है, वह 73.4 प्रतिशत रही है यह एक नया कीर्तिमान है। और इसमें विभाग ने सीधे ढंग से 5.28 करोड़ रुपये का लाभ भी अर्जित किया है। मान्यवर, इस सप्तम पंचवर्षीय

योजना में भूमि विकास बैंक द्वारा 538 करोड़ रुपये के ऋण की वितरण का लक्ष्य रखा गया है इसके अन्तर्गत 4 लाख 95 हजार कृषकों को ऋण वितरण करेंगे। 15 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर पुरानी सिंचन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भूमि विकास बैंक की 254 शाखाओं के माध्यम से एक-एक गांव को आदर्श गांव के रूप में या विकास के सोपान के रूप में एक-एक गांव को लाने की, एडाप्ट करने की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत उसके गांव के सर्वांगीण विकास की कल्पना को पूरा किया जायेगा। चूंकि किसान को इस ऋण के तहत विकास के प्रति हम विचार कर रहे हैं। वहां मान्यवर, हमारी दूसरी तमाम सुख सुविधायें हैं। पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से गत वर्ष 211. 18 करोड़ रुपये का उर्वरक वितरित किया गया था। गतवर्ष 234. 97 करोड़ की लेवी चीनी का वितरण किया गया था।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय लेंगे माननीय मंत्री जी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय, जो यह पढ़ रहे हैं।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं माननीय सदन के माननीय सदस्य मैं आपकी विद्वता कर्मठता और ईमानदारी के प्रति दाद देता हूं, सहकारिता विभाग के प्रति जरूर आपकी जिज्ञासा होगी। आप इस प्रतिलिपि और सहकारिता विभाग की प्रचुर सामग्री को आप अवश्य देखेंगे। लेकिन मैं कुछ बिन्दुओं की तरफ जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आपने बताया कि हम प्रोटीन को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। उन पहाड़ी कृषकों को सोयाबीन की फैक्ट्री, जो इस विभाग की एक अलग देन है, इस प्रदेश के लिये उसका भी विकास किया गया है,उस विकास से वहां के किसानों का उत्थान होगा, उन गरीब किसानों का उत्थान होगा।

(लाल बत्ती जलने पर)

आप भी कह रहे हैं, इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जो खड़े हुए हैं अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सहकारिता विभाग कृषि तक ही सीमित नहीं रहा है। जनोपयोगी सुख सुविधा दिलाने के लिये सुदूर सहकारिता उपभोक्ता भंडारण के माध्यम से उनको मान्यवर, 7,996 समितियों को और 9,442 राशन की दुकानें संचित की गयी है जिससे वहां के क्षेत्रीय विकास की सुख सुविधाओं और उनको उपयोगी वस्तुओं को पहुंचाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में जिसके तहत इस अग्रिम वर्ष में 50 करोड़ रुपये का व्यवसाय सुनिश्चित किया गया है, जिसके माध्यम से सहकारी उपभोक्ता भंडार और जिला सहकारी संघों को जोड़ा जायगा।

मान्यवर, शीतगृहों की कल्पना 1963 और 1964 में की गयी थी इसकी तहत आने वाले वर्षों में इनकी संख्या को बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जायगा। भंडारण क्षमता को मान्यवर, बढ़ाया गया है, जिससे किसानों का जो आलू सड़ जाता था, उसको बचाया जा सके और उसको नुकसान होता है उससे उसको बचाया जा सके, इसको सुनिश्चित करने के लिये यह व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, विडम्बना है, कुछ कमियां हैं, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उनका निवारण किया जायगा और ग्रामीण गोदामों की व्यवस्था की जायेगी और उनको सही ढंग से सुनिश्चित किया जायेगा। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है और हमारी कल्पना है कि आने वाले वर्षों में इनकी स्थापना सुनिश्चित की जायगी। मान्यवर, 23 नेशनल ग्रेड के गोदाम बनाने का प्रस्ताव है जो 200 मैट्रिक टन की क्षमता

[श्री अरुण कुमार सिंह]—

के होंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अन्तर्गत 46 गोदामों की स्थापना का प्रस्ताव है और उनकी भंडारण क्षमता 1 लाख 58 हजार टन होगी।

मान्यवर, भण्डागार निगम के माध्यम से हम प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं और मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि कोआपरेटिव इन्सटीट्यूट की भी व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, जब तक सहकारिता का सही रूप नहीं सुनिश्चित किया जायेगा, तबतक उसमें प्रगति नहीं हो सकती है। मैं तो सहकारिता का अबोध शिशु हूं और इस विभाग को चला रहा हूं आज लोग सहकारिता पर शंका और संशय की दृष्टि रखते हैं और लोगों का अभी तक सहकारिता का मन नहीं बन पाया है, जिसके लिये हम सारे प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। अभी आप भाषण करेंगे कि सहकारिता में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हैं, उसमें भ्रष्टाचार है, इस प्रकार के शब्दों का आप अभी प्रयोग करेंगे। आपको यह कहने का अधिकार है। आप आलोचना कर सकते हैं, नहीं तो जनतंत्र के मूल्यों का स्वरूप नष्ट हो जायेगा, लेकिन जब आप आलोचना करें तो इस बात को भी देखें कि आप की वाणी को और आपकी भावना को उत्तर प्रदेश का जनजीवन देख रहा है। इसलिये आप निराशमय वक्तव्य न दें जिससे प्रदेश की जनता की आस्था जनतंत्र एवं सहकारिता के प्रति टूट न जाये। और प्रदेश की जनता हमसे अलग हो जायेगी और फिर न हमारा वजूद रहेगा और न आपका वजूद रहेगा, इन शब्दों के साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्य और निष्ठा से सहकारिता को अपनाने का संकल्प लें। और सहकारिता के साथ एक नये चरण की शुरूआत करें और नये सिरे से अपने को जोड़ने की बात करें।

आज मैं मानता हूं, मुझे समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला था कि इस विभाग के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये के गबन और भ्रष्टाचार की बात कही गई है। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग ने कम से कम 20 हजार करोड़ रुपये का बिजनेस अब तक किया है। इस 20 हजार करोड़ के बिजनेस के तहत 43476 स्पेशल आडिट रिपोर्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में आयी हैं और उसके अन्तर्गत वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। जो वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट आई हैं उनके अन्तर्गत 36 हजार रिपोर्टस् की त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है और उसका जवाब आडिट को दिया जा चुका है और 7 हजार का रिप्लाई दिया गया है। सन् 53 से लेकर सन् 84 तक वित्तीय अनियमिततायें जो हैं वे 107 करोड़ 74 लाख की हैं।

यदि हम इन सारी अनियमितताओं को मान भी लें और आप अपने भाषण में इनका जिक्र भी करेंगे, तो यह आधे परसेन्ट भी हमारे पूरे बिजनेस का भाग नही हुआ।... (व्यवधान)। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। हमारे माननीय नेता विरोधी दल जो हैं वे सहकारिता विभाग के प्रखर प्रहरी रहे हैं। संयोग से मुझे भी अवसर मिला था उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग को चलाने में। सहकारिता विभाग का आंकलन मैंने माननीय नेता विरोधी दल से सीखा था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हूं कि वे वित्तीय अनियमिततायें हैं, घपला और भ्रष्टाचार नहीं है, अनियमिततायें हैं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि हमारे पत्रकार बन्धु भी इसको छापने के लिये लालायित थे। इसलिये मैंने जिक्र किया। मान्यवर, यदि सारे देश और प्रदेश के बैंकों का अनुसरण किया जाय तो उनमें भी घपला और वित्तीय अनियमिततायें मिलेंगी। सन् 53 से लेकर अब तक 107 करोड़ 74 लाख की अनियमिततायें हुई हैं और उस हिसाब से हमारे बिजनेस को देखा जाय तो यह उसका आधा प्रतिशत भी नहीं है। मैं इसलिये यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसी अनियमितताओं को पनाह दी जाय लेकिन उन पर नियंत्रण होना चाहिये और उन पर प्रखररूप से आपके स्नेह और सहयोग से, सम्मानित जन प्रतिनिधियों के प्यार, इच्छा तथा आकांक्षाओं के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हुए उन पर नियंत्रण पाने का काम हमने शुरू किया है।

मान्यवर, सहकारिता विभाग की जो विशेष अनुसंधान शाखा है उसमें 7296 मामलों में रिपोर्ट दर्ज करायी गई है । जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं, चाहे वे भ्रष्टाचार के हों, चाहे वह किसी भी अधिकारी के ऊपर क्यों न हों उसका प्रभाव अनुकूल रहा है उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको दण्डित किया गया है । उनको इस बात का एहसास कराया जायगा कि सहकारिता विभाग जनता का प्रहरी है, इसके धन का उपयोग उचित रूप से करना होगा । इन शब्दों के साथ मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी आलोचनाओं के तहत हमें अपने बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव से पहले मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं और आपकी इजाजत चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

पहले कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य रख दें । उसके बाद आपको समय मिलेगा ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66 सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी का दम्भ और उपदेशात्मक भाषण सुना । मैंने उनका पूरा भाषण गौर से और ध्यान से सुना । इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहकारिता जन आन्दोलन है इसके माध्यम से हम गरीब, पिछड़े और बेसहारा एवं लाचार लोगों को ऊपर उठा सकते हैं । चाहे कोई देश पूंजीपति हो या समाजवादी सभी ने सहकारिता को समान अपनाया है रूस, चीन, अमेरिका, जापान और हिन्दुस्तान सभी ने सहकारिता को पिछड़े और छोटे लोगों को ऊपर उठाने के लिये तथा आर्थिक उन्नति के लिये समान रूप से अपनाया है । हमारे देश में भी संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 43 में सहकारिता का जिक्र किया है और कहा है कि हम अपने छोटे और निर्बल लोगों को सहकारिता के माध्यम से ऊपर उठायेंगे । ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण कमेटी 1954 में बैठाई गयी थी उसकी अनुशंसा से सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ और उसने संस्तुति की थी कि सहकारिता आन्दोलन जन आन्दोलन होना चाहिये लेकिन इसमें सरकारी दखल अंदाजी भी होनी चाहिये, ताकि सहकारी समितियों में कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता का काम न कर सके । लेकिन धीरे-धीरे यह आन्दोलन पीछे रह गया और सरकारी तंत्र इसके ऊपर छा गया ।

मैं आपकी आज्ञा से पं0 जवाहरलाल नेहरू ने जो सहकारिता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें से पढ़ना चाहता हूं । उन्होंने कहा है --"मैंने अक्सर कहा है और यहां फिर दोहराना चाहूंगा कि भारत की इमारत की नींव में तीन खंभे होने चाहिये । 1--ग्राम पंचायत, 2--ग्राम सहकारिता और 3--ग्राम स्कूल इन तीन खम्भों पर राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भारत की इमारत खड़ी होनी चाहिये । आदतन हम ऊपर भी बड़ी चीजों की बात सोचते हैं । ऊपर हमारी सर्व प्रभुत्ता संपन्न संसद है, जो कानून बनाती है और दूसरे तरीकों से देश की किस्मत का फैसला करती है लेकिन संसद का तभी तक महत्व है जब वह बुनियाद मजबूत हो जिससे वह ताकत हासिल करती है ।" माननीय मंत्री जी पंडित जी ने स्वीकार किया है कि जब तक हम ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को सहकारिता से मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है । मान्यवर, उन्होंने अफसोस जाहिर किया है और ग्राम सर्वेक्षण ऋण समिति ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस सहकारिता को सरकारी अधिकारियों से और सरकार से अलग रखा जाय । इस संबंध में उन्होंने कहा है कि सहकारिता को दलगत राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिये । मैं उनका लिखा हुआ वाक्य पढ़ कर सुनाना चाहूंगा । इसको कांग्रेस दल

[श्री सरदार सिंह]

को नीति निर्धारित करते समय अमल में लाना चाहिये। उन्होंने लिखा है--कांग्रेस द्वारा निर्धारित कृषि नीति को अमल में लाने में कोई समूह, दल या व्यक्ति सहयोग दे तो उसका स्वागत है। हम नीतियों पर चलते हैं इंसानों या समूहों के आधार पर नहीं। इसलिये इसी नीति पर अमल खासतौर से गांवों या और भी निचली सतह पर करना होगा और वहां हम दलगत राजनीति का प्रवेश नहीं चाहते। इससे गरीब ग्रामीण उलझन में पड़ जायेगा। हमारा मौजूदा कार्यक्रम मोटे तौर पर यह है कि जमीन की मालिकी को अधिकतम सीमा तय की जाय ग्राम सहकारी समितियां और सेवा सहकारी समितियां कायम की जायं और आगे जाकर हम गांव की सतह पर सहकारी खेती शुरू करना चाहते हैं इसमें हम सभी तरह के सहयोग का स्वागत करेंगे।

गांव में कौन से संगठन काम करते हैं वहां ग्राम पंचायत हैं ग्राम सहकारी समिति हैं या होनी चाहिये। सामुदायिक विकास खंड हैं। गांव की सतह पर ये खास संगठन हैं। हम नहीं चाहते कि इन संगठनों में कोई दल दलों की हैसियत से भाग लें। वहां पूरे सहयोग के लिये दरवाजा खुला है। उसके ऊपर भी सामुदायिक विकास खंड सलाहकार समितियां है जो विकास खंड के ऊपर भी हैं।"

मान्यवर, कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित जी ने माना कि सहकारिता को दलगत नीति सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप से ऊपर रखा जाये। लेकिन सरकार ने दलगत राजनीति से ही नहीं बल्कि इसका सरकारीकरण किया और जितने भी अपराधी तत्व थे प्रशासक के रूप में मैनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में इन समितियों में भर दिये। मान्यवर, इतने-इतने जघन्य अपराधियों को रखा कि जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जब मैनपुरी से इटावा के लिये आ रहे थे तो उन पर घातक हमला हुआ और पता चला है कि जिन्होंने यह हमला किया वह भी सघन सहकारी समिति के प्रशासक मनोनीत कर दिये गये। मान्यवर, सवालों के माध्यम से आप देखते हैं कि फैजाबाद में, बिजनौर में, मथुरा में, बुलन्दशहर आदि जिलों में एक से एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस विभाग में प्रशासक मनोनीत किये गये है।

मान्यवर, छोटे आदमियों जैसे बुनकरों हरिजनों, गिरिजनों, निर्बल वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिये, छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से निर्बल वर्ग के लोगों को उठाने के लिये जो हमारे कोआपरेटिव की मंशा थी, राजनीति से दूर रह कर। एक जन आन्दोलन के जरिये जैसे जापान ने तरक्की की है वहां जितना भी कृषि का उत्पादन बढ़ा है वह सहकारिता के माध्यम से बढ़ा है, जापान में बच्चों व बेरोजगारों को पढ़ने, रोजगार का प्रबन्ध और यहां तक कि युवक एवं युवतियों की शादियां भी कोआपरेटिव हाल में होती हैं, वहां पुरोहित तक इन समितियों ने नियुक्त कर रखे हैं। तो इसी प्रकार यहां भी होना चाहिये। मान्यवर, यही हाल नार्वे का है, वहां शत प्रतिशत दूध का व्यापार सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। हालैण्ड, चीन, रूस आदि देशों में सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को ऋण और अन्य सुविधायें दी जाती हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में हमसे अच्छे हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और तामिलनाडु हैं जहां की कोआपरेटिव डेरीज व अन्य सहकारी समितियां बहुत अच्छी हैं। गन्ने के मामले में महाराष्ट्र का मुकाबला नहीं गुजरात की दुग्ध डेरी जो कि आनन्द डेरी के नाम से प्रसिद्ध है का मुकाबला नहीं। जब कि हमारे प्रदेश में डेरीज घाटे में चल रही हैं और अधिकारी इन दुग्धशालाओं को खाये जा रहे हैं खा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अधिकारी तो नौकर हैं, हमारे बड़े बड़े नेता खा रहे हैं। आपके पूर्व राज्य मंत्री, श्री काशीनाथ मिश्र के वक्तव्यों को आप देखें, अखबारों की कटिंग्स मेरे पास है, जिनके आप उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि साढ़े 4 हजार निदेशकों को एक माह में हटा दिया जायेगा, "ऐसा कहा था, तो वह महसूस करते थे कि वह लोग क्रिमिनल है। जो लोग सोसाइटीज के मेम्बर तक नहीं रहे जिन्हें प्रशासक बना दिया गया। श्री मिश्र ने अपने कार्यकाल में महसूस किया कि विभाग द्वारा चल रहे नये बाजारों में करोड़ों का घाटा है अतः उन्हें बन्द किया जायेगा।

"दुर्दशा ग्रस्त सहकारिता" पी0 सी0 एफ0 शीतगृहों में एक वर्ष में 40 लाख का घाटा

रहा, यह रुद्र प्रताप जी का वक्तव्य है। "175 सहकारी समितियों में 9 लाख का गबन" यह बलिया का है। यह बच्चा पाठक के यहां का है और उनके जमाने का भी है। फिर है, "भ्रष्टाचार के लिये आई0ए0एस0 चौकड़ी जिम्मेदार", यह हमारे काशीनाथ जी कहते हैं और साथ ही इसमें वह यह कहते है कि यह आई0ए0एस0 व पी0सी0 एस0 अधिकारी इन संस्थाओं के चारों ओर कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटते रहते हैं और सारा पैसा खाये जा रहे है और इनका कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जाता है। गरीबों को इस विभाग को प्रदेश के कुछ आई0ए0एस0 अधिकारी खा गये। यह इनके पूर्व मंत्री का कहना है। 40 करोड़ का पी0सी0एफ0 के कोल्ड स्टोरेज में लास है। मान्यवर, जो कोआपरेटिव का सिद्धान्त है एक सबके के लिये और सब एक के लिये है, उसे इन्होंने अपने स्वार्थ में बदल कर "सब सरकार के लिये और सरकार कांग्रेस के लिये" कर दिया है। कांग्रेसीकरण इन्होंने कोआपरेटिव का कर दिया है और जो इनकी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में काशीनाथ मिश्रा जी ने स्वीकार किया है और जो पी0सी0एफ0 के चेयरमैन हैं उन्होंने भी सत्य को स्वीकार किया है। तो इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, यह देखने की बात है।

हमारे प्रदेश का गरीब किसान किस तरह से कठोर परिश्रम कर, अपना खून-पसीना बहा कर पैसा पैदा करता है, उस पैसे में से इतने पैसे मा0 मंत्री जी को दिये जायं। क्या यह उचित होगा? पैसा पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। जहां घोटाले पर घोटाले हैं वहां पैसा कैसे दे दिया जाये। सहकारिता के बारे में नवभारत टाइम्स में श्री ज्ञानेन्द्रनाथ शर्मा के लेख बराबर निकल रहे हैं, जो मेरे पास है, लेकिन उन्हें पढ़ने में समय लगेगा, मैं उनको मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा। मात्र शीर्षक पढ़ रहा हूं हर माल की दलाली में हाथ काले, एजेन्टों ने महासंघ की जड़ खोद दी, यह कोयले के विषय में है। गरीब के कपड़े से अमीर बन गये, गरीबों के कपड़े बड़े-बड़े लोग ले गये और उसे ब्लैक में बेच दिया। कपड़े के ट्रक के ट्रक आये और पता नहीं वह कहां चले गये, लेकिन उनकी कोई शिकायत या एफ0आई0आर0 कहीं नहीं लिखाई गई। पूंजी डकार गये और धन्धे के लिये पैसा नहीं। मान्यवर, चीनी वितरण का इन्होंने जिम्मा लिया था। जनता को शहर और देहात में चीनी देने की खाद्य मंत्री ने जिम्मेदारी ली थी। पर माह मई-जून में चीनी पड़ी है, उनके पास में पैसा ही नहीं था पूरा पैसा खा गये, पी0सी0एफ0 में पैसा नहीं और इनकी यू0पी0 सहकारी बैंक में पैसा नहीं था। इसलिये मई व जून माह में यह चीनी नहीं उठा सके और सारी जनता बिना चीनी के चिल्लाती रही। इसी प्रकार आगे है—"सड़ा गला गले लगाया" उपभोक्ता सहकारी संघ ने बर्बाद माल को, सड़े गले पदार्थों को जिन्हें बाजार में कोई खरीद नहीं सकता है, उसको इन्होंने खरीदा और अपने केन्द्रों से बंटवाया और उसको जिलों में किसी ने नहीं खरीदा। इसी तरह से शीतगृहों में इनका आलू सड़ गया, उसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं कराया। चुनाव इन्होंने कराया और नामित लोगों में सहकारी विभाग को चला रहे हैं। इस विभाग में सहकारी संस्थाओं के लेखाओं का निरीक्षण करने के लिये व धन के गबन व अनियमितताओं को रोकने के लिये लेखा परीक्षा संगठन है।

खेद है कि गबन, अनियमिततायें अथवा धन के अपहरण के सम्बन्ध में उसकी रिपोर्ट आती है, उन्हें कागज के ढेरों में दबा दिया जाता है और कोई कार्यवाही भ्रष्टों के खिलाफ नहीं होती है। एक अरब से ज्यादा के गबन की स्पेशल रिपोर्टस आ गयी है कार्यवाही करने के लिये लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी है। माननीय मंत्री जी से हम उम्मीद करते थे कि वह कुछ कार्यवाही करेंगे। लेकिन आपके लोग इसमें इन्वाल्व है और मिलबांटकर यह पैसा खाया गया है इसलिये उम्मीद नहीं है कि आप कोई कार्यवाही करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो लेखा परीक्षा संगठन है इसको तोड़ दें इससे फायदा ही क्या है जब इसकी रिपोर्टस पर कार्यवाही ही नहीं की जाती है तो इसकी आवश्यकता ही क्या? उनके संगठन के जो सेक्रेटरी श्री मिश्रा जी है, मान्यवर, आपने भी लेखा

[श्री सरदार सिंह]

परीक्षा संघ को आगरा अधिवेशन को संबोधित किया था, आगरा में। उस अधिवेशन में स्पष्ट आरोप लगाये गये थे कि कोआपरेटिव विभाग में गबन, अनियमिततायें, भाई भतीजावाद, धन का अपहरण इतना ज्यादा घर कर गया है कि लेखा परीक्षा अपने को असमर्थ पा रहा है।

ये लोग बड़ी मेहनत से गबन, अपहरण आदि को निकाल कर लाते हैं, लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं क्योंकि यह दोहराना ठीक नहीं होगा कि कोआपरेटिव में किस तरह के आदमी हैं तो इसके बावजूद वह बहादुरी के साथ एक अरब से ज्यादा के गबन आदि के मामले प्रकाश में लाये और स्पेशल रिपोर्ट भेजी लेकिन आज तक माननीय मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की और न अपने भाषण में कहा कि हमने किसी उच्चाधिकारी को बर्खास्त किया या निलम्बित किया है या ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं। कोई हिम्मत आपकी नहीं है ऐसा करने की। छोटे-छोटे कर्मचारियों की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह का विश्वास रहा है कि जो करप्शन है वह बराबर ऊपर से चलता है नीचे से नहीं। कोआपरेटिव के सचिव या ए0 आर0 या किसी कर्मचारी को निलम्बित करने की कार्यवाही से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उच्चाधिकारी अपने चरित्र को ठीक न करें। मैं इसमें माननीय बच्चा पाठक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह सदन में नहीं रहे लेकिन जो भी कुकर्म उन्होंने किये रहे हैं वह आपसे छिपे नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य इस सदन की परम्परा है कि जो सदन के सदस्य नहीं है कृपया उनका नाम न लें।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, पूर्वजों का नाम तो ले सकते हैं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, यह विभाग छोटे लोगों की सहायता के लिये स्थापित किया गया है लेकिन सहकारिता विभाग भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के लिये स्वर्णिम घाटी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, मैं चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन हिन्दुस्तानी जनता के मन में रच-बस जाय। लेकिन आज क्या हो रहा है। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का यह कथन हिन्दुस्तान के जन साधारण के लिये सही तो नहीं हुआ लेकिन भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के मन में सहकारिता विभाग की लूट-खसोट रच बस गयी है। मान्यवर, उनकी आत्मा स्वर्ग में रो रही होगी।

श्री राम औतार दीक्षित--

आत्मा तो चौधरी साहब की भी रो रही है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, पी0 सी0 एफ0 ने ढाई करोड़ रुपये की कीट नाशक दवायें कृषि के लिये खरीदी थी। एक किलो का मूल्य 400 रु0 था। उन दवाओं को समय से किसानों को बांट देना चाहिये था लेकिन वह दवाये गोदाम में पड़ी रहीं और खराब हो गयीं। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है और इसकी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मंत्री जी अपने उत्तर में बतायें। मान्यवर, इसी प्रकार 10 हजार बोरी चीनी जो पहले मंत्री काशीनाथ मिश्र जी थे उन्होंने वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में अपने निरीक्षण के समय में सील की थी, उस पर क्या कार्यवाही हुई, कृपया मंत्री जी बतायें। बाराणसी के तो एक ही गोदाम में खाद और चीनी के बोरे साथ-साथ पाये गये। इसके लिये वहां के मैनेजर को दंडित करने का आदेश भूतपूर्व सहकारिता मंत्री श्री काशीनाथ मिश्र ने दिया था, खेद है कि जो भ्रष्ट उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शांति से बैठें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री सरदार सिंह--

इतनी बड़ी गलतियों के लिये गोदाम कीपर को मात्र स्थानान्तरित किया गया। इसी प्रकार पी0 सी0 एफ0 के गोदामों से चीनी उठाई नहीं, जो भीग कर पीली पड़ गयी थी। जिलाधिकारी और सप्लाई अफसर मिल कर नाट मेन्ट फार ह्यूमन कंजम्पशन का मोहर लगा कर कानपुर के करोड़पति गिड़वानी के यहां कमीशन खाकर नीलाम कर दी। इनके नीलाम का ऐसा सिलसिला है कि 3-4 सालों से वही एक करोड़पति श्री गिड़वानी ही नीलामी बोली सबसे ऊंची बोलता है। दूसरा नीलामदार आता नहीं है। इसमें सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से वे चीनी खा गये। वैसे ही सुलतानपुर, वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर के शहरों के उपभोक्ता भंडारों के गोदामों में लाखों रुपये के कपड़े और अन्य सामान बिक्री के अयोग्य घोषित करके सड़ाया जा रहा है। उस स्टाक में गरीबों के इस्तेमाल के लिये ऐसी साड़ियां हजारों में है, जो गरीबों में आधे दामों में बेची जा सकती है लेकिन सबका दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सरदार सिंह, अभी कितना समय और लेंगे ?

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, 10 मिनट।

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि ऐसी साड़ियां हजारों में है,जो गरीबों में आधे दामों में बेची जा सकती है या नीलाम की जा सकती हैं यह तो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बताया। माननीय मंत्री जी ने अक्टूबर माह में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। जब तक आप कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंचायेंगे और भ्रष्ट लोगों को बाहर नहीं करेंगे, तब तक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट पनप नहीं सकता है। मान्यवर, मैं लोकदल के कार्यालय में इस विभाग में हुए क्रान्तिकारी परिवर्तनों का जिक्र करना चाहूंगा। तत्कालीन सहकारिता मंत्री जो इस समय हमारे नेता विरोधी दल है, श्री मुलायम सिंह यादव, ने प्राथमिक संस्थाओं से लेकर शीर्षस्थ संस्थाओं के चुनाव करा दिये थे और सर्व प्रथम विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के के लिये कोटा आरक्षित किया था इससे पूर्व इस विभाग में आरक्षण नहीं था। इन्होंने नियम प्रतिपादित किये थे कि निर्बल वर्ग के लोगों को ब्याज किन्हीं भी हालतों में मूलधन से अधिक नहीं होगी। वैसे यह सरकार निर्बल वर्ग के लोगों की पक्षधर होने की दोहाई देती है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अन्तर है। हमारे नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह ने हरिजनों का कोटा 18 प्रतिशत कर दिया था। प्रत्येक बोर्ड आफ डायरेक्टर नामित करते समय हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को भी मनोनीत किया था। श्री यादव सहकारिता ऐक्ट की धारा 34-35, जिनके कि द्वारा इस विभाग का सरकारीकरण हुआ, में संशोधन भी करना चाहते थे कि तब तक सरकार गिर गयी।

मेरा भरोसा है कि माननीय मंत्री जी ने जिस दम्भ भरी आवाज में आज इसे जन आन्दोलन करने का ऐलान किया है, अवश्य ही ये धाराओं में संशोधन करने का कष्ट करेंगे अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की भावनाओं को देखते हुए और हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा को ध्यान में रखते हुए इस सहकारी आन्दोलन को सजीव और जानदार रूप देंगे। सहकारी क्षेत्र में जनता के धन के दुरुपयोग का एक ताजा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। सहकारी प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् का यहां मौसमबाग में सहकारी महाविद्यालय है। परन्तु सरकार ने परिषद् के विरोध के बावजूद भी प्रदेश के कुछ सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिये लखनऊ में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग प्रारम्भ कर दिया है। इसमें मोटे-मोटे वेतन पर डायरेक्टर, प्रशासकीय अधिकारी, दो प्रोफेसर एक रीडर और चार सहायक प्रोफेसर नियुक्त किये हैं। इनके पास कोई

[श्री सरदार सिंह]

कार्य नहीं है और अब ये अधिकारी विभिन्न परीक्षाओं को संचालित करने में लगे हैं। इसी प्रकार भूमि विकास बैंक ने अपना अलग ट्रेनिंग केन्द्र खोल रखा है, जहां प्राचार्य के अतिरिक्त पांच प्रोफेसर कार्यरत हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक ने भी अपना एक एग्रीकल्चर बैंकिंग इंस्टीट्यूट खोला है और उसमें प्राचार्य के अतिरिक्त चार सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की है। जब हमारी लोकदल की सरकार थी तो यह सुझाव था कि इनको एक जगह रखा जाय। इससे बड़ा खर्च आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जब मंत्री जी जबाव दे तो इन केन्द्रों का जो दुरुपयोग हो रहा है और आगे को क्या नीति है इसके बारे में अवश्य बतायें।

श्री अधिष्ठाता--

आपको दुबारा समय मिलेगा।

श्री सरदार सिंह--

मैं यह कहूंगा कि सहकारिता को जन आन्दोलन बनाया जाय। जो भावना हमारे बड़े नेताओं की थी, संविधान की थी, उसके तहत इसको चलाया जाय। जो सहकारी समितियों के सचिव है जो सदस्य नहीं है और कोआपरेटिव से कोई लेना देना नहीं है, और जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनको तुरन्त हटाया जाय और जैसा आपने अन्त में कहा और घोषणा की है, उसके तहत काम करें, तो मैं समझूंगा कि हिन्दुस्तान में सहकारिता का आन्दोलन आगे बढ़ पायेगा। जो गुण गान आपने अपने विभाग का किया। हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। एल0 डी0 बी0 ने 13 लाख लोगों को लोन दिया है, आपकी सदस्य संख्या 175 लाख है। मैं निवेदन करूंगा कि जो आपका कैश एण्ड कैरी प्रोग्राम है। इसमें परिवर्तन करें। हमारे जो पूर्व मंत्री लक्ष्मी शंकर यादव जी ने कार्यक्रम चलाया था। सचिव को आपने पावरफुल बना दिया है, वह पैसा मंजूर करता है। कागजी लेनदेन को रोकने के लिये चेक प्रणाली लागू की थी जिसके अनुसार किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिये साधन सहकरी समितियों से चेक दिया जाता था। किसान को उर्वरक प्राप्त करने हेतु चेक तथा पास बुक (फोटो सहित) लेकर सहकारी संघ पर स्वयं जाना पड़ता था। इस प्रकार उधार उर्वरक समिति के सदस्य को ठीक ढंग से वितरित हो जाता था।

इस बीच शासन ने सहकारी संघों से उर्वरक वितरण करने के बजाय नई कैश एण्ड कैरी योजना के अन्तर्गत समितियों के माध्यम से ही उर्वरक वितरण कार्य प्रारम्भ करा दिया। समिति के सचिव/अध्यक्ष, प्रशासक के हस्ताक्षर से चेक काट कर समिति द्वारा उर्वरक वितरण कार्य किया जा रहा है। समिति ही चेकों को बैंक में प्रस्तुत करके पी0 सी0 एफ0 के खाते में समायोजन करा देती है।

इस कैश एण्ड कैरी योजना का दुष्परिणाम यह निकला कि समिति का सचिव सदस्यों से सादे कागजात पर और चेक पर हस्ताक्षर कराकर उर्वरक दे देता है। कागजात में हेरफेर करके एक एकड़ है तो 10 एकड़ दिखा देता है। उसके अनुसार तीन साल की लिमिट करके पैसा लेता है, वास्तव में किसान को नहीं मिल पाता है। वह प्रशासक के हस्ताक्षर भी पहले चेक पर करा लेता है और उस धन का दुरुपयोग करता रहता है। तीन साल तक करता रहता है और जब सचिव का तीन साल बाद ट्रांसफर हो जाता है तो रिकवरी उसके पास में आती है और झंझट खड़ा होता है इसलिये जो पुरानी पद्धति थी उसको ही आप लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय विधायकों को स्वस्थ आलोचना हेतु आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार और सुझाव रखें। मैं चाहता हूं कि समाज के छोटे वर्ग को उठाने के लिये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल आज नहीं होना चाहिये। आप एक स्वतंत्र सही एवं स्वस्थ आलोचना करें। इसमें सरकार को बचाने से कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

[11 बजकर 54 मिनट]

श्री शैलेन्द्र कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्व प्रथम आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है,

उसके लिये मैं आपका आभारी हूं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये सहकारिता बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि इस पर सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि केवल 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार---

मान्यवर, सहकारिता विभाग में जो प्रशासकों की नियुक्ति होती है वह आरक्षण के आधार पर होना चाहिये। जिस तरह से अन्य विभागों में अनुसूचित जाति का आरक्षण होता है उसी प्रकार से इसमें भी आरक्षण रखा जाय। इसके साथ ही साथ ऋण वसूली प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ी होती है जिस कारण कभी-कभी देनदारों को जेल भी जाना पड़ता है। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ब्लाक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर वितरण हेतु उपभोक्ता सामग्री भी रखी जानी चाहिये। जैसे घी, तेल, कपड़ा, साबुन आदि। इसके साथ ही साथ सहकारिता विभाग का चुनाव जल्द ही करावें क्योंकि चुनाव न होने से बहुत से अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं और अन्य प्रकार की भी बहुत सी बातें है जिस में जन प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर विधायकों की बैठक हर महीने बुलाने की व्यवस्था करें जिससे सब विधायकों को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना। मान्यवर, मंत्री जी ने बड़े अच्छे शब्दों में इस बात को कहा है कि केवल आलोचना यदि होगी तो सरकार के काम के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होगा और भविष्य के प्रति आशा नहीं उत्पन्न हो पायेगी मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि जहां तक लोगों में विश्वास सरकार के काम के प्रति होना चाहिये, भविष्य के प्रति इससे आशा उत्पन्न होगी वहीं साथ ही साथ सरकार की कमियां भी सरकार तक पंहुच पाये इसके लिये उन्हें सुगम मार्ग देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे इस कथन को भी स्वीकार करेंगे।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में विपक्ष कहेगा। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको समझते हैं कि भ्रष्टाचार है लेकिन उनके पास जो भ्रष्टाचार के लिखित रूप में घपले आये हैं। वे कुछ हजारों में है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, 31 हजार, 51 हजार, 61 हजार घपले लिखित रूप में आये हैं। मैं पूरे सदन में इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अकेले बस्ती में मंत्री जी चले आएं, जो 31 हजार, 51 हजार का रिकर्ड लाये हैं, अकेले बस्ती में इतने हजार घपले माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करवा दूंगा। इसलिये करोड़ों रुपयों का घपला है, लेकिन आइटम जो घपले के हैं, मैं बस्ती में प्रमाण सहित मंत्री जी को प्रस्तुत करवा दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि एक एक किसान इसमें परेशान है। एक-एक आदमी के साथ घपला है, जो कागज में नहीं आया है। मैं नाम से प्रमाण दे दूंगा। बस्ती जिले में कुछ घपले बताना चाहता हूं। वहां पर एक सहायक निबंधक सहकारी समितियां श्री यादव जी थे। उनसे मैं मिला था। अब भी वहां सहायक निबन्धक एक यादव जी ही है, पहले भी यादव जी थे। उन्होंने कहा कि हरीश जी जितना बड़ा सहकारिता विभाग है और उसके कर्मचारी और अधिकारी बस्ती में हैं, इतना ही बड़ा स्टाफ जांच के लिये आप लगा दीजिये तो भी घपलों पर नियंत्रण करके उनको साफ नहीं किया जा सकता है। थोड़े दिन के बाद पता नहीं क्यों उनका ट्रांसफर हो गया। मैं कहना चाहूंगा कि बस्ती जिले में बांसी ब्लाक में कंबुआ उर्फ भतिंगवापुर गांव है। वहां लोगों के नाम जाली और बेनामी कर्जे दर्ज है। मेरी बड़ी कोशिश के बावजूद सचिव तो नेपाल भाग गये, लेकिन अधिकारियों ने वसूली के लिये पुलिस भेजी। मंत्री जी को इस सम्बन्ध में लिखा था पता नहीं

[श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी]

इन्होंने रोका या नहीं। पूरा गांव इससे तबाह है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं समय बहुत कम है। यहां इसी सचिवालय में एक सचिव हैं। इसी सचिवालय में बैठते हैं। एक दिन उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हरीश जी, अगर मैं सहकारिता विभाग का सचिव हो गया होता तो अधिक अच्छा होता। इसी सचिवालय के और अधिकारी ह उन्होंने भी कहा कि सहकारिता विभाग का सचिव हो गया होता तो अच्छा होता। मैंने उनकी भावना को समझा। यह नहीं है कि वे पैसा कमाना चाहते हैं। मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि सम्पत्ति रजिस्टर बनाने का काम सचिव को देखना है। चेक बुक पर हस्ताक्षर का काम सचिव एवं अध्यक्ष करते हैं, खाद वितरण भी सचिव के पास है। आपने सचिव को ब्रह्मा बना दिया है। सम्पत्ति रजिस्टर लेखपाल के हाथ से प्रमाणित होता है, मैं कहता हूं कि प्रति हस्ताक्षरित करने का काम तहसीलदार को दे दीजिये, फिर देखिये नियंत्रण हो जायेगा। प्रशासक की नियुक्ति के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा। मान्यवर, मंत्री जी ने आज कहा कि सहकारिता आन्दोलन में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं। मैं मंत्री जी को केवल दो कागज, जो ओरिजिनल की फोटोस्टेट कापी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत करूंगा और आशा करता हूं कि मंत्री जी को दे दिया जायगा। बस्ती में सहकारी समितियों के प्रशासकों की नियुक्ति के समय सहायक निबन्धक मेरे पास आये और कहा कि प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है, आप नामों की सूची देना चाहेंगे। मैंने उनको दे दिया। और उन्हें 8-4-85 को मिठवल और बांसी ब्लाक के 12-12 प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश भेज दिये। पता नहीं क्या कारण था अभी नियुक्त प्रशासकों ने कुछ काम किया भी नहीं था, उनकी योग्यता सामने नहीं आयी और 16-4-85 को 7 दिन के अन्दर दूसरे प्रशासक नियुक्त करके भेज दिये।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच करायेंगे। जिन लोगों की नियुक्ति की, मुझसे संस्तुति मांगी थी, 7 दिन के अन्दर कौन सी कमी पायी कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। 7 दिन के अन्दर दूसरी सूची दे दी गयी। राजनीति कैसे नहीं सहकारिता में घुसी हुई है। बांसी, मिठवल ब्लाक के लिये दिये गये नामों की सूची को कैंसिल करके दूसरी नियुक्ति इस बात की साक्षी है कि राजनीति सहकारिता विभाग में पूरी तरह से घुस गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं अपनी बात के अन्त में यह सुझाव देना चाहता हूं कि सचिव चेक बुक पर प्रशासक से ब्लैंक दस्तखत करवाये रखते है और जो मन में आता है वह भर लेते हैं। खाद वितरण भी उन्हीं के हाथ में है। खाद वितरण का काम सहकारी संघ को दे दीजिये सम्पत्ति रजिस्टर की बाबत भी यही स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को ब्रह्मा बना कर मत रखिये। सम्पत्ति रजिस्टर तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था करा दीजिये नियंत्रण हो जायेगा आपके अकेक्षक कहां चले गये बैंक द्वारा भी जांच होती थी, वह प्रक्रिया कहां चली गयी। सारी व्यवस्था लागू कराइये, तब व्यवस्था ठीक हो पायेगी। कहा गया कि सहकारी समितियां क्रय का भी कार्य करती हैं। गेहूं का क्रय हुआ। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 157 रु0 किस भाग्यवान किसान को मिला। 145 रु0 कुन्तल लेकर घर लौटना पड़ा। कहा गया है कि बिचौलिये नहीं आये। मैं शासनादेश लेकर आया हूं। इस शासनादेश में बिचौलिये की जो परिभाषा लिखी है, मैं माननीय मंत्री जी का इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें बताया गया कि गांव का वह व्यापारी जो व्यापार करता आ रहा है, खरीद-फरोख्त का कार्य करता रहा है, वह बिचौलिया नहीं माना जायेगा। गांव के उस व्यापारी ने किसान का गेहूं 140-145 रु0 में खरीद कर उसे 157 रु0 में गेहूं क्रय केन्द्र को दिया है। बताया गया है कि 22 लाख टन

गेहूं सरकार द्वारा खरीदा गया है। मैं कहूंगा कि वह गेहूं किसान से नहीं उस बिचौलिये व्यापारी से लिया गया। शासनादेश में विचौलिये पर रोक लगाने की बात कही जानी चाहिये थी। इसमें आप सुधार करायें। आपने लाल बत्ती मान्यवर, जला दी है इसलिये अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

लखनऊ स्थित कोआपरेटिव मिल्क यूनियन में वर्ष 81–82 में 50 लाख 30 हजार की हानि आडिट द्वारा प्रकाश में आ चुकी है क्या इसका माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया? निश्चय ही सहकारिता आन्दोलन राजनीति से परे होना चाहिये। लेकिन, जो व्यवस्था है सहकारिता विभाग की उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के माथे पर सहकारिता विभाग ने कलंक लगाया है। माननीय मंत्री जी जवान है, मेहनती है, आप गुजरात और महाराष्ट्र के सहकारी कार्यों को देखिये। मैं यह कहता हूं कि इस आन्दोलन के प्रति किसी की अनास्था होने की बात नहीं है, लेकिन अपेक्षा है सही कार्यान्वयन की, सहज दिशा की।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं। कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्री शिव नारायण मिश्र––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, सहकारिता विभाग का जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है उसमें जनता की राहत के लिये, नयी-नयी योजनायें तथा नये-नये कार्यक्रम का प्रारूप दिया है, इसलिये इस बजट का मैं स्वागत करता हूं तथा माननीय श्री सरदार सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिये 57 जनपदों में जिला सहकारी बैंक के माध्यम से 1127 शाखायें खोलकर अल्पकालीन और मध्यकालील ऋण वितरण की व्यवस्था करके किसानों को एक नया रूप दे रहे हैं। इसलिये मैं सहकारिता मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आम जनता के राहत के लिये उन्होंने जो कार्य क्रम बनाये हैं, वे जन हित में है और समाज हित में है।

माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र चांदा सुल्तानपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। कृषि यहां का मुख्य धन्धा है। 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है। आलू की बुआई अच्छी तरह से यहां पर की जाती है। यह औद्योगिक क्षेत्र न होने के कारण वे लोग आलू बाहर ले जाने के लिये बाध्य हो जाते हैं। आलू का समुचित रख-रखाव की यहां पर व्यवस्था नहीं है। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यहां पर एक सहकारी शीत-गृह की व्यवस्था करा दें ताकि किसान अपना जो आलू पैदा करता है, उसका उसे बराबर लाभ मिल सके।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ माननीय सहकारिता मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खाद की व्यवस्था और कीट-नाशक दवाइयों की व्यवस्था भी वहां पर समुचित मात्रा में की जाय। क्योंकि धान की फसल और आलू की फसल के लिये खाद और कीटनाशक दवाइयों की काफी जरूरत होती है। इसी के साथ ही आपने मुझे सहकारिता बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो भी बजट यहां पर आज रखा गया है वह छोटे वर्ग से लेकर बड़े लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट है। इसी के साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सहकारिता जन आन्दोलन है सही है लेकिन वर्तमान समय में सहकारिता जन आन्दोलन न होकर सहकारिता विभाग लूट आन्दोलन का एक भाग हो गया है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा कि केवल लूट

[श्री राम गोविन्द चौधरी]

और घोटाले के बारे में आप लोग अपनी बात कहेंगे। यह सही है कि जिन उद्देश्यों और भावनाओं को लेकर सहकारिता का निर्माण हुआ था आज ठीक उसके विपरीत हो गया है। एक छोटी सी बात जीवनोपयोगी। बड़े सोच-समझ करके, देश और प्रदेश की स्थिति का गहन अध्ययन करके यह निर्णय लिया गया था कि जीवनोपयोगी वस्तुओं का सही वितरण सहकारिता विभाग से ही हो सकता है लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सूची जीवनोपयोगी वस्तुओं की रखी गई है, वह तमाम सूची पूर्णतया किसी भी साधन सहकारी समिति में है या उसका 10 प्रतिशत भी है। यदि 10 प्रतिशत भी है तो क्या उसका सही वितरण ग्रामीण अंचलों में हो रहा है? तीन चीजें मुख्य होती हैं। चीनी, किरासिन का तेल और मोटा कपड़ा। 4-4 और 5-5 महीने तक गांवों में किसानों को चीनी नहीं मिलती है। मैं अपने ही जनपद की बात कहता हूं शादी-ब्याह का जब-जब समय था उस समय चीनी की बहुत परेशानी थी। मेरे जिले में यह प्रचार कर दिया गया कि यहां से विरोध पक्ष के लोग जीते हैं इसलिये यहां पर चीनी नहीं दी जायेगी। मान्यवर, कारण तो यह था कि चीनी ही उपलब्ध नहीं थी। बलिया या पूरब के अधिकांश जिले में शादी-ब्याह के अवसर पर चीनी लोगों को नहीं मिल पाई, जिससे लोगों को मजबूरन चीनी ब्लैक से खरीदनी पड़ी। किरासिन के तेल की भी यही हालत है। जिनके घर में बिजली जलती है वह तो सही लेकिन जहां बिजली नहीं है, अंधेरे में खाना बनाते हैं और अंधेरे में ही खाते हैं। जो लूट के अड्डे हैं, वह हैं आपके प्रशासक। उस में भी अगर आप अपने ही पार्टी के लोगों को नियुक्त किये होते तो बात समझ में आती लेकिन जो लोग रात में राहजनी और सेंध मारने का काम करते थे उनको प्रशासक बना दिया और वह लूट रहे हैं।

बाम्बे में पी0सी0एफ0 का ही एक विभाग खुला है, वहां जो मैनेजर है, हाईस्कूल फेल है या पास, वही जानता है। करोड़ों-करोड़ों का बिजनेस हो सकता है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। अगर आप जांच करावें तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। शीत गृह का निर्माण हो रहा है लेकिन आज तक दसवां भाग भी नहीं बन पाया है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं जन आन्दोलन बनाना, तो हम लोगों को प्रसन्नता है। जब आप मंत्री हुए, नौजवान हैं, आपके भी मन में कुछ करने का ध्यान है, तो निश्चित रूप से जो पहले मंत्री रहे हैं, उन लोगों के किये हुए कारनामों को भी देखिये और सख्ती से पेश आइये, भ्रष्ट प्रशासक और सचिव, दो-चार ही लोग हैं जो करोड़ों में करते हैं, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, हम लोगों का सीधा सम्बन्ध सचिव और प्रशासक से है, उन को हटा कर चुनाव कराइये लेकिन उसके पहले प्रशासक और बैंकों के मैनेजर हैं, उनको हटाइये तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकेंगे। एक सचिव, जिसने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, थाने में रिपोर्ट हो गयी बैंक के मैनेजर ने किया थानेदार ने जांच की, चार्जशीट कोर्ट में भेज दी, विभाग के लोगों ने निलम्बित किया, मंत्री जी ने बहाल कर दिया। मैंने दो-तीन बार कहा कि निश्चित रूप से जिस पर भ्रष्टाचार का मामला लग गया वह बहाल कर दिया। तो इस तरह की आपकी नीति रहेगी तो यह कतई जन आन्दोलन नहीं होगा, लूट आन्दोलन होगा। अगर आप लूट आन्दोलन को बन्द करना चाहते हैं तो सख्ती के साथ पेश आइये, भ्रष्ट कर्मचारियों को निलम्बित कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे सहकारिता पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं इसका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। और जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटौती की बात विरोध पक्ष के भाई ने रखी है, मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, जो सुविधायें सहकारिता के आधार पर बड़े किसानों को और छोटे किसानों को प्राप्त होती हैं, वह अपने आप में बहुत ही अद्वितीय हैं। इसके साथ-साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती है जिनसे छोटे किसानों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है यद्यपि सहकारिता के आधार पर जो हमको सहूलियतें दी जाती हैं, उन सहूलियतों में हम यह कह सकते है कि कुछ बिचौलिये जो हैं उसका सही लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने देते हैं यद्यपि अधिकारीगण जो सहकारिता विभाग के हैं, उनकी कार्य प्रणाली ऐसी है, जिनसे यह साफ जाहिर होता है कि हम इस आन्दोलन को जन-जन में फैला कर उनको लाभान्वित करेंगे, लेकिन जहां तक सहूलियतों की बात है, उन पर भी दृष्टिपात करना चाहिये। आपने सहकारी समितियों के माध्यम से जो समितियां बनायी गयी हैं उनके माध्यम से जो सामान वितरित किया जाता है या किसानों को औजार खरीदने के लिये, पम्पसैट खरीदने के लिये, सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिये जो इन्स्ट्रूमेंट्स खरीदने की बात की जाती है, उनमें भारी भ्रष्टाचार की झलक नजर आती है।

हमने देखा कि जानवरों की खरीद के संबंध में किसानों का ऋण तो पास कर दिया जाता है, लेकिन उनके हाथों में वह ऋण नहीं पहुंचने पाता, अधिकारी उनको साथ ले जाकर खरीद-फरोख्त स्वयं कराते है, मैं समझता हूं कि यह एक अनुचित व्यवस्था है। मैं यह चाहता हूं कि किसानों को ऐसे ऋणों को सीधे उन्हीं के हाथों में प्रदान करना चाहिये ताकि वे अपने मन के माफिक अच्छे जानवरों की खरीद कर सकें। अच्छे जानवरों की खरीद करने से उनको स्वयं खेती की उपयोगिता में लाभ होगा। दुधारू पशुओं को खरीदने में उनको आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया को सुलभ और आसान बनाने के लिये सीधे ऋण किसानों को दिया जाना चाहिये। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो बैंकों की तरफ से ऋण दिया जाता है उसकी वसूलयाबी में कुछ ज्यादतियां हमारे सामने आती हैं। छोटे किसान तो उन ज्यादतियों को बरदाश्त करते है और उनके साथ जो सख्ती की जाती हैं, मैं समझता हूं कि अनुचित है। बड़े किसानों से ऋण की वसूलयाबी में उनके साथ अधिकारीगण रियायत करते हैं और छोटे किसानों के साथ ज्यादती होती है। मेरा निवेदन है कि बड़े किसानों के साथ ऋण की वसूलयाबी में सख्ती होनी चाहिये और छोटे किसानों से वसूलयाबी में उनके लिये सहूलियत प्रदान की जानी चाहिये।

जैसा माननीय सदस्य ने कहा बहुत सी सहकारी समितियां है, जिनके माध्यम से चीनी और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद की जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सी समितियां है, जिनमें यह झलक मिलती है और ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे किसानों को चीनी या मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है तो उनके यहां इस प्रकार का कोई स्टोर या साधन नहीं होता है नतीजा यह होता है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों को न तो चीनी मिल पाती है और न मिट्टी का तेल और न अन्य सहूलियतें मिलती हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये, वैसे ही हमने आपको बहुत समय दे दिया है।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, समाज के निर्बलतम व्यक्ति को शोषण से मुक्ति दिलाने और समस्याओं का मिल जुल कर उसका समाधान करने और सामाजिक न्याय के लिये सहकारिता विभाग एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे प्रदेश में इस बात को कांग्रेस के दृष्टि के संस्कृति के चलते खाओं और खिलाओं यही सबसे बड़ी नीति रह गयी है।

हमारे सहकारिता मंत्री एक युवा मंत्री हैं प्रदेश को उनसे बहुत अपेक्षायें हैं लेकिन इन्होंने भी आज तक कोई काम नहीं किया है। हमारे प्रदेश में 8,00,806 सहकारी समितियां हैं जिसमें 1,07,00,000 सदस्य हैं। पूरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा]

प्रदेश में सहकारी समितियों का जाल फैला हुआ है। इस विभाग को यदि आप दलगत राजनीति से ऊपर रखने का प्रयास करें तो प्रदेश के लिये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपने अभी तक इसमें कोई काम नहीं किया हां, चुनाव की घोषणा की है लेकिन आपके पूर्ववर्ती जो लोग थे उन्होंने भी चुनाव की घोषणा की थी, नामिनेशन तक फाइल हो गये थे, उसके बाद चुनाव टाल दिये गये। इससे बड़ी मिसाल जन प्रतिनिधियों को हटाने की आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो हिस्ट्रीशीटर समितियों में बैठाये गये हैं उनको आप बरखास्त करें तब मैं समझूंगा कि आपके शरीर में नौजवान का खून है अन्यथा मैं तो यही समझूंगा कि आप कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी के समय के कुछ अफसरों को आप दुबारा फिर इस विभाग में वापस लाये हैं, यह काम जरूर आपने किया है। यह जो सहकारिता में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है, यदि इसको समाप्त करने का आप कोई कदम उठायेंगे तब तो समझ में आयेगा कि हां आपने कोई अच्छा काम प्रदेश के लिये किया है और जो भ्रष्टाचार पनप रहा था, उसको दूर करने का प्रयास किया है।

इसमें पी0 सी0 एफ0 बहुत बड़ी संस्था है, के माध्यम से चीनी का और खाद का वितरण होता है। एफ0 सी0 आई0 इनको चीनी देती है नियमानुसार चीनी का ट्रक 90 किलो मीटर तक ढो सकती है लेकिन इसमें ट्रान्सपोर्ट्स कमीशन ले कर 400, 500 किली मीटर तक चीनी ढोते हैं और कर्मचारी रुपये कमीशन के तौर पर ले लेते हैं। अभी एफ0 सी0 आई0 ने इनका बिल वापस कर दिया है। जब आप भ्रष्टाचारी अधिकारी को जिले में डाले रहेंगे और उसे सजा नहीं देंगे तो और क्या होगा?

सहकारी समितियां प्रशासकों के माध्यम से चल रही हैं। उसका सचिव न सरकार का नौकर है और न सहकारिता विभाग का नौकर है, वह किसका नौकर है यह समझ में ही नहीं आता है। आपने आदेश दे दिया कि तीन साल में इनके ट्रान्सफर हो जायेंगे लेकिन एक-एक सचिव 10-10 सालों से उसी समितियों में बने हुए हैं, वहीं बैठे हुए हैं, उनके ट्रान्सफर नहीं हो रहे हैं। चीनी लोगों को मिलती नहीं है एफ0 सी0 आई0 से जब चीनी निकलती है वह दुकान तक नहीं पहुंच पाती है। चीनी और मिट्टी का तेल दुकानों पर मिलता ही नहीं है, पता चलता है कि दुकान बन्द है। जब सामान ही वहां तक नहीं पहुंचेगा तो कहां से दुकान खुलेगी? मिट्टी के तेल देने की दुकानें जो सहकारी समितियों में हैं, खुलती ही नहीं हैं, तो जब खुलेगी ही नहीं तो जनता को मिलेगा ही नहीं। तो सहकारिता आन्दोलन एक तरह से खावो खिलावो आन्दोलन, ऐसी तमाम बातें एक तरह से आन्दोलन के रूप में चल रही है, आप इसको खतम कीजिए। अगर आप खतम नहीं करते हैं तो इससे फायदा हुआ ही क्या है। आपने लाखों लोगों को कर्जा बांटा है, अगर आप देखें तो उनको, उन गरीबों को कुछ भी नहीं मिला है। सामन्तों ने कर्जा गरीबों के नाम पर ले लिया और वसूली उनसे हो रही है, गरीबों से हो रही है। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि 3 महीने तक वसूली जो चलती थी उसको आप बढ़ाकर अब 12 महीने चलायेंगे। आपकी पार्टी के सामन्त है जो भ्रष्ट है, गुण्डे है, वह गरीबों के नाम पर कर्जा लिये हैं और आप 3 महीने से बढ़ाकर यह वसूली 12 महीने तक चलायेंगे तो यह आप उन गरीबों पर जुर्म कर रहे है। श्रीमन, यह भूमि विकास बैंक में भी कम घपला नहीं है। 1983-84 की रिपोर्ट आप देखें। 3 करोड़ 37 लाख रुपये की खरीद का मामला है, उनके खिलाफ रिपोर्ट आ गयी लेकिन आपके विभाग नें कोई कार्यवाही नहीं की, तो मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं अब तो आप इस पर कार्यवाही करें कि 3 करोड़ 37 लाख रुपये की खरीद क्यों की गयी। एफ0 सी0 आई0 के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 8 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्चे का बिल भेजा जिसका बिल एफ0 सी0 आई0 से पास नहीं किया गया है।

आप कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं, 25 कोल्ड स्टोरेज है, कोई भी फायदे में नहीं है।

शाहगंज कोल्ड स्टोरेज में 20हजार रुपये का आलू सड़ गया, डुमरियागंज के कोल्ड स्टोरेज में पानी भर गया। आपने कोई जांच करवाई इसकी कि क्यों आलू सड़ गया? आपने अब तक सजा दी? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप चाहे जितने ईमानदार हो, आपके सूबे के लोग समझेंगे कि आपकी भी भ्रष्ट हैं। इसलिये मैं अपने नौजवान मंत्री से कहना चाहता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपने कहा कि 9,296 मामलों में कार्यवाही की जा रही है। मामले कितने हैं? हर जिले में भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं। हमारी जानकारी में कम से कम 15 हजार से ज्यादा मामले भ्रष्टाचार के हैं। 5,786 में अभियोग पत्र दाखिल हुए हैं और 1,367 में फैसले हुए हैं, 7,633 मामलों में जो कि आपकी विशेष अनुसंधान शाखा के पास है और वह जांच कर रहे हैं। यह तो बड़े मामले हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कैपर रोड पर एफ0सी0आई0 की एक बिल्डिंग है, अधिकारियों ने एक प्लान बना लिया है कि उसको बिजनेस काम्पलेक्स जायेगा, 60 साल की लीज पर दिया जायेगा दुकानों को। करोड़ों की योजना आपके विभाग के अधिकारियों ने इसमें लेने की बनायी है। यह बहुत अच्छी जगह है। इसमें तमाम आपके विभाग के दफ्तर आ सकते हैं। अभी कुछ और मामले भ्रष्टाचार के है, 2-3 मामले हैं। जैन कोल एजेन्ट को गलत तरीके से 1 लाख 67 हजार रुपये का फर्जी भुगतान किया गया। नियंत्रित कपड़े के व्यवसाय में 33 हजार रुपया एक पार्टी को एडवांस दिया गया इसमें आपके विभाग का घाटा हुआ। मान्यवर, पी0सी0एफ0में, जो कलेक्टर हैं त्रिवेदी जी बरेली में, उनके कार्यकाल को अगर आप देखें तो अरबों रुपये का घाटा है। मैं चाहूंगा कि आप एक क्रान्तिकारी हैं, युवा हैं और क्रान्तिकारी होने का दावा भी करते हैं, जो आपके अधिकारी हैं और भ्रष्ट हैं उनको आप सजा दें और जेलों को भेज दें जिसमे सुधार हो, वरना मैं यह समझूंगा कि आप भी उसी सामंती प्रथा में फंस गये हैं।

*श्री फजले मसूद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मा0 मंत्री जी ने जो सहकारिता के बजट को प्रस्तुत किया है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है विरोधी पक्ष की ओर से उसका विरोध किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष को केवल विरोध के लिये ही नही बल्कि उसे बुनियादी सुझाव देने चाहिये, जिससे कि शासन को कार्य करने में सहायता मिले। सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह निश्चय ही, जनता की समस्याओं को दूर करने वाला है और एकबहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। मैं मा0 मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह यहां पर भी उसी प्रकार का, प्रयास करें जिस प्रकार का प्रयास गुजरात और महाराष्ट्र में किया गया है और सहकारिता में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको समाप्त करने का प्रयास करें। इस विभाग को शुद्ध करें। मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी इस विभाग को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी साफ करने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट समर्थन का करता हूं।

डा0 अच्युतानन्द तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। (इस समय 12 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।) मान्यवर मैं, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब सहकारिता की कल्पना की गयी थी तो वह अमृत दायिनी योजना के रूप में प्रस्तुत की गयी थी, लेकिन कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि शासन ने आज इस अमृतदायिनी योजना को विषदायिनी योजना बना डाला है और जब हम आज सहकारिता का नाम लेते हैं तो

घृणा से मन भर जाता है क्योंकि यहां पर भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रह गया है।अभी मा0 मंत्री जी ने कहा, लेकिन मुझे आशा थी कि वह एक नवयुवक हैं शब्दों का जाल नहीं बनायेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का मिस अप्रोप्रियेशन है,इम्बेजिलमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार 87 करोड़ का इम्बेजिलमेंट है और बाकी की वित्तीय अनियमितता है। तो जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं वह सरकारी हैं और आप गांव में जाकर पता लगावें कि सचिवों ने कर्जा असंख्य व्यक्तियों के नाम ले रखा है और जब वसूली उन पर आवेगी तो पता चलेगा कि उन्होंने ऋण ही नहीं लिया है। ऐसे जो केसेज हैं वह भी इम्बेजिलमेंट हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, आपके कागजातों में वह नहीं आयेगा क्योंकि आपके पास उसके आंकड़े नहीं हैं और न आप उसकी जांच करायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि सचिवों को एक जगह पर अधिक वर्षों तक न रखें। हर साल उनका ट्रांसफर किया जाय। मुझे मालूम हुआ है कि 10–10 वर्ष तक एक सचिव एक ही जगह पर रखा गया है, और वे करोड़ों रुपये का गबन करके बैठे हुये हैं। तो माननीय मंत्री जी, जैसा कि माननीय हरीश जी ने बताया कि उनके यहां के ए0 आर0 ने पूछा कि किसको प्रशासक बनाया जाय। मैं भी एक क्षेत्र का विधायक हूं। मेरे यहां तो मुझसे पूछा भी नहीं गया है। मेरे क्षेत्र में बुरी तरह से हारे हुये प्रत्याशी ने पांच-पांच सौ रुपया वसूल करके ए0 आर0 को दिया और नियुक्ति के पहले ही यह प्रचारित हो गया कि अमुक-अमुक लोग प्रशासक नियुक्त हो रहे हैं। जब लिस्ट आई तो यह देखा गया कि उन्हीं लोगों का नाम उसमें था। इससे लगता है कि घूस लेकर वे लोग प्रशासक बनाये गये हैं। आज भी वे प्रशासक बने बैठे हैं। हमारे यहां गोला बाजार टाउन एरिया में दो प्रशासक ऐसे ही नियुक्त किये गये हैं। उनमें एक के ऊपर 10 हजार रुपये का और दूसरे के ऊपर पांच सौ रूपये का बकाया है। आज भी वे प्रशासक बने बैठे है पिछले जून के महीने में कोआपरेटिव की चीनी 135 बोरे मिली। उसमें इन प्रशासकों ने जिन पर बकाया है, सेल्समैन से कहा कि चीनी को ब्लैक में बेचकर बकाया जमा कर दो। इसके विरुद्ध सेल्समैन ने एस0 डी0 एम0 को लिखित रिपोर्ट की। और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एस0 डी0 एम0 ने इस कोआपरेटिव सोसाइटी की जांच के आदेश दिये। जांच अभी बाकी है किन्तु फिर भी जुलाई और अगस्त में उस कोआपरेटिव सोसाइटी को चीनी का एलाटमेंट किया गया। मैंने भी स्वयं ए0 आर0 को इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट की है किन्तु अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह से आप सोचें कि कैसे भ्रष्टाचार आप दूर कर सकते हैं। आज भी वे प्रशासक बने बैठे हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। आपने यह भी कहा कि इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिये। गोरखपुर में अखबार में स्पष्ट रूप से यह बात छपी कि प्रशासकों की नियुक्ति केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को की जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसे निर्देश तो आपने नहीं दिये हैं कि इन में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही बनाया जायेगा। हो सकता है यह गुप्त निर्देश हों। आप किसी भी विरोध पक्ष के माननीय सदस्य से पूछ लें उनके यहां का एक भी कार्यकर्ता प्रशासक नियुक्त हुआ है या नहीं। यह स्थिति है आपके कोआपरेटिव विभाग की। आज कोआपरेटिव विभाग सिर्फ आपकी पार्टी के लोगों का चारागाह बनकर रह गई है। इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अन्त में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सन्तन बड़थ्वाल—

मान्यवर, सर्व प्रथम में सहकारिता मंत्री जी को इस साहसी घोषणा के लिये बधाई देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अक्तूबर में सहकारिता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का चुनाव कराने की घोषणा की है इससे सहकारी जनतंत्र को काफी बल मिलेगा। यह आय-व्ययक जो 1985-86 के लिये रखा गया है यह बड़ी सूझ-बूझ और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये वैज्ञानिक आधार पर एक क्रांतिकारी बजट है। इसको मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इससे प्रदेश के सहकारिता विभाग की कार्य कुशलता बढ़ेगी और जो 30 प्रतिशत समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिये मदद मिलेगी। एक हजार करोड़ रुपये के आर्थिक विनियोजन का जो प्राविधान इसमें किया गया है उससे प्रदेश के गरीब वर्ग, निर्बल वर्ग को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये एक मजबूत आधार प्रदान होगा। इस एक हजार करोड़ रुपये के विनियोजन के प्राविधान से 5 हजार करोड़ के आर्थिक संसाधन प्रदेश को उपलब्ध हो जायेंगे। मान्यवर, इतने, बड़े प्रदेश में यदि आपको शोषण, बेरोजगारी का निवारण यहां से करना है तो आपको सहकारिता के माध्यम से ही प्रदेश को ले जाना होगा, यही उसका एक विकल्प हो सकता है। आज प्रदेश का सौभाग्य है कि इस माननीय सदन के नेता, विरोध पक्ष के नेता सहकारिता आन्दोलन के बिल स्तम्भों में से हैं।

मैं समझता हूं कि आज प्रदेश को देश के सहकारिता आन्दोलन में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मुकाबले में आगे बढ़ना है। यह प्रशंसा की बात है कि हमारी सहकारिता ने कृषि उत्पादन और वितरण में प्रमुख भूमिका निभाई है और सहकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी प्रशंसा हमारे देश की जब सर्वेटीम यहां आई थी उसने किया है। आज गरीब वर्ग को ऊपर उठाने में और बेरोजगारी दूर करने में सहकारिता ने सहयोग दिया है। रिक्शा चालकों को, दूध उत्पादकों को, भेड़ पालन करने वालों को सहकारिता के माध्यम से काफी सहायता मिली है और आज बहुत से रिक्शा और टैम्पो चालक उसके मालिक बने हुए हैं। हमारा प्रदेश पूरे देश में गेहूं की खरीद के अभियान में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर रहा है यह हमारे लिए गौरव और प्रशंसा की बात है।

उपभोक्ताओं को आवश्यक चीजों के वितरण में अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे प्रदेश की सहकारी एजेंसियों ने अच्छा काम किया है। इसकी प्रशंसा भारत की सर्वे-टीम जो यहां भ्रमण पर आई थी ने किया है। ग्रामीण गोदामों के निर्माण में भी सहकारिता विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी सराहना वर्ल्ड बैंक की टीम ने और एन0 सी0 डी0 सी0 ने भी की है।

मान्यवर, सहकारी आन्दोलन जन आंदोलन है। इसमें किसी भी राजनीतिक विचार धारा के होते हुए भी एक प्लेटफार्म पर काम करने का अवसर मिलता है। मैं चाहूंगा कि सहकारी परिषदों का पुनर्गठन किया जाय, जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग सम्मिलित हो कर अपनी राय दे सकें।

भ्रष्टाचार की यहां पर बात की गयी। इसके संबंध में साफ बात है कि सहकारिता इतना बड़ा आन्दोलन है कि इसमें कभी-कभी भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों में अनुभव की कमी के कारण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी खराब ही हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं और कुछ खराब भी हो सकते हैं। मैं सहकारिता मंत्री जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाया है। सहकारिता को तेजी से चलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन तभी अच्छा चल पायेगा जब सभी लोगों की आस्था उसमें होगी। जहां भ्रष्टाचार की कठोरता से दबाने की बात है वहीं भ्रष्टाचार के नाम पर इसकी छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए। कुछ वर्ग के लोग, कुछ व्यापारी लोग सहकारिता को धूमिल करना चाहते हैं ताकि उनको फायदे का इसमें मौका मिले और वे ऐसा वातावरण बनाते हैं कि जिससे अच्छे अधिकारी और कार्यकर्ता इस आन्दोलन में आने से घबरायें। यह सौभाग्य की बात है कि आज दोनों पक्षों में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका सहकारिता में विश्वास रहा है। इन शब्दों के साथ मैं सहकारिता मंत्री जी ने जो 6 महीने के अंदर इस विभाग को दिशा दी है और जो एक अच्छा वातावरण पैदा किया है जिससे यह राष्ट्रीय हित में काम करेगा उसके लिये

उनको बधाई देता हूं और इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का मुझे अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अभी कहा कि बिचोलियों को हटाने के लिये कोआपरेटिव की तरफ से ऋण वितरित किया जाता है। यह बात सही है। लेकिन जिस प्रकार से ऋण वितरण हो रहा है और जिस प्रकार से किसानों को ऋण प्राप्त हो रहा है उससे माननीय मंत्री जी अपरिचित नहीं हैं। वे गांव के रहने वाले हैं वहां की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से किसानों की दुर्दशा की जा रही है। जिसने 3 सौ रुपये का ऋण लिया उसके ऊपर आज 13 सौ का ऋण चढ़ गया है मैं कहना चहता हूं कि आप इस विभाग से पूर्व परिचित है और इसके बड़े ज्ञाता है और आपके पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं मैं जानता हूं कि आप ऐसी परिस्थितियों में मूक बन कर जकड़े हुए हैं। आप उन बातों को कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके यहां भ्रष्टाचार का गढ बना हुआ है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है लेकिन उनके ऊपर भी 6-6 हजार रुपये ऋण फर्जी दिया हुआ दिखाया गया है जिससे गरीबों, हरिजनों को तबाह किया जा रहा है और जेलों में बंद किया जा रहा है। आप कहते हैं कि सत्यापन किया जा रहा है, मैं आपका आभारी हूं, यदि ईमानदारी से सत्यापन करा दें। यदि आपके अधिकारी उन गरीबों को जिन्होंने ऋण नहीं लिया है और आज उनके नाम 10 से 15 हजार रुपये लिखा है जिसकी वसूली आ रही है,मैं चाहूंगा इसमें ईमानादारी से सत्यापन किया जाये। लेकिन सत्यापन में भी उनको राहत मिलेगी जो गलत तरीके से ऋण का पैसा पा गये हैं, उनका सत्यापन हो जायेगा परन्तु उनका सत्यापन नहीं करेंगे जिहोंने ऋण वास्तव में नहीं लिया है और उनके खिलाफ वसूली का चक्र चल रहा है। इसलिये इस ओर मंत्री जी बिशेष ध्यान दें।

मान्यवर, सचिवों का एक नया वर्ग आपने पैदा कर दिया है, अच्छा किया है। आपका कोआपरेटिव है, कोआपरेटिव का विकेन्द्रीकरण हो जिसके माध्यम से हर जगह छोटी-छोटी जगहों में यह पहुंच जाय। कोआपरेटिव में आपने सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, सचिव आदि रखे हैं जिन्होंने किसानों को खूब लूटा है और उन्ही को फिर चेक काटने की पावर दे दिया है। प्रशासक नियुक्ति करता है, उनसे उसने हस्ताक्षर करवा लिया, पास बुक पर चढ़ा नहीं लेकिन कर्जदार गरीब किसान हो जाता है। इस संबंध में मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा है; आप जांच करा रहे है लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। जांच में सिद्ध हो गया है कि सचिव ने पेमेन्ट और गबन किया है लेकिन मुकदमा उसके खिलाफ नहीं दर्ज किया गया और किसानों से वसूली करने की योजना बनाई जा रही है। इस लिये मैं चाहता हूं कि हमारे यहां एक सुपरवाइजर बभनान, में था वह मर गये, उनके नाम से जब समितियों में पैसा नहीं था तो 25 हजार रुपये एडवांस दिखा दिया, इस प्रकार सचिवों ने घपला किया है, उसके लिये आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें अकेले आपका दोष नहीं है हमारा भी है। मान्यवर, आप के माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका भूमि विकास बैंक है, हरैया में 8 लाख रुपये का गबन है, मैनेजर को आप हिला नहीं सके, वह पैसे और जीप का दुरुपयोग करता है और अपने दुश्मनों को बदमाशों से कत्ल कराने के लिये ढूंढ़ता रहता है।

मान्यवर, चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती है कि लालबाग, लखनऊ में आपकी नया बाजार में दुकानें हैं. . ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जांय।

श्री सुखपाल पांडेय- -

एक बात और कहना चाहता हूं कि नयाबाजार में लाखों रुपये का घपला हो रहा है। इस लूट का कौन जिम्मेदार है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं। मैंने श्री बंशीधर को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्रशासकों को जो नियुक्त किया है वह कर्जदारों को नियुक्त किया है। उनको दलगत नीति के आधार पर नियुक्त किया है। हमारे जिले में जो प्रशासकों को नियुक्त किया है वह कर्जदार थे और कर्जदारों को ही बैंक में नामिनेशन किया गया, यह आपका नमूना और आदर्श है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं। माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री बंशीधर राज--

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। आज जिस तरह से सहकारिता मंत्री न बजट प्रस्तुत करते समय कई अच्छी-अच्छी योजनाओं की नई घोषणाएं की हैं, उससे निश्चित रूप से इस सहकारी अन्दोलन में पवित्रता और सुदृढ़ता आएगी। जनप्रतिनिधियों का समावेश कराने हेतु चुनाव कराने की घोषणा की है, वह बहुत अच्छा कदम है, इसके द्वारा जिनकी सहकारिता आन्दोलन में आस्था है और लगन है तथा जिनकी साख है वह निश्चित रूप से चुनकर आयेंगे और वह सहकारिता आन्दोलन को सफल बनायेंगे। जो 100 मिनी बैंकों की स्थापना करने का निश्चय किया गया है, उसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि सहकारिता का जन्म कब हुआ, लेकिन मैं निश्चित रूपसे कह सकता हूं कि इसका जन्म पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है और सन् 1844 में इंग्लैण्ड में राघवेल नामक स्थानपर, एक पूंजीपति कम्पनी के शोषण के विरुद्ध 28 बुनकरों ने संघर्ष किया था। उन लोगों ने एक सहकारी समिति का गठन किया था और इसी प्रकार से 1901 में भारत में पंजाब के हीरासिंह नामक व्यक्ति ने एक सहकारी समिति का सर्वप्रथम गठन किया था, उस समय पूरे भारत में 200 सहकारी समिति का गठन हुआ और दो सौ करोड़ रुपयों की पूंजी से इस सहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ।

जब तक ब्रिटिश काल रहा, उस काल में शासकों ने यह जानकर कि यह एक कल्याणकारी कदम है और इससे लोगों में एक जागरुकता पैदा हो जाती है, सामाजिक कल्याण की भावना पैदा हो जाती है, सहकारिता को कुंठित करने का प्रयास किया। 1947 में देश की आजादी के बाद सहकारिता का विकास जिस तेजी से होना चाहिये, निश्चित रूप से हुआ और हमारे पूज्य नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में बहुत अच्छे-अच्छे कदम उठाये और इसे आगे बढ़ाया। सन् 1904 के बाद 1965 में जब सकहारी अधिनियम संशोधित होकर बना था, उस समय विरोधी दल के लोगों ने उसके विरुद्ध एक व्यापक आन्दोलन छेड़ा था सहकारिता को समाप्त करने के लिये। आज मैं पूज्य नेहरू जी के दृढ़ निश्चय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसका परिणाम यह हुआ कि सहकारिता आज जन-जन में, गांव-गांव में व्याप्त हो गयी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जिनका यह निश्चित मत था, कहा था, उन्हीं के शब्दों में मैं उनकी बात को कहना चाहता हूं उन्होंने कहा था सहकारी आन्दोलन गरीबों और निर्बल व्यक्तियों को उठाने का एकमात्र साधन है और इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे निर्बल और गरीब लोगों को उठाया जा सकता है।

आज हम खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर हो गये हैं, उसका कारण यह है कि सहकारिता आन्दोलन ने कृषि में भी एक नई दिशा का सूत्रपात किया है, उसने कृषि कार्य-क्रमों में में अपना पूरा सहयोग दिया है। उससे फसल बोने के लिये खाद व बीज हेतु तथा सिंचाई के साधनों हेतु ऋण दिया जा रहा है, भूमिविकास बैंक की ओर यदि आप देखें तो आज गांव-गांव में जो बोरिंग की व्यवस्था हुई है, उसमें निश्चित रूप से सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सहकारिता आज एक

जन आन्दोलन हो गया है और प्रत्येक दुखी, गरीब व किसान आज उससे लाभान्वित हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसको ऊपर उठाने के लिये कोआपरेटिव ने ऋण न दिया हो, उठाने की कोई व्यवस्था न की हो।

मान्यवर, मैं कहना चहता हूं कि प्रशासनिक कमेटी का गठन किया गया है। प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष होता था और सचिव सेक्रेटरी होता था। थोड़े दिन बाद उसमें चेंज किया गया और कहा गया कि सहायकनिबंधक प्रशासनिक कमेटी का अध्यक्ष होगा और सचिव सेक्रेटरी होगा। मान्यवर, जल्दी जल्दी चेंज किया गया इससे उथल-पुथल मच गयी। इससे असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है पूर्वत: कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री बंशीधर राज--

मान्यवर, दो तीन सुझाव देने रह गये थे।

श्री अधिष्ठाता--

अब नहीं, अब आप कृपया बैठिये।

श्री बंशीधर राज--

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती विजय लक्ष्मी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि सहकारिता के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान बलिया जिले के एक उपेक्षित बांसडीह विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जोकि पहले, भूतपूर्व सहकारिता मंत्री जी का क्षेत्र एवं उनका घर रहा है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में साधन सहकारी समितियां प्राय: मृत हो गयी हैं या कागज पर चल रही हैं। इस विभाग में भारी घपलों का समय-समयपर संकेत मिलता रहा है। विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा राशन बितरण का जिम्मा लिया गया है लेकिन बासडीहकस्बे की समितियां दीवालिया बन चुकी है और चीनी, राशन तथा मिट्टी के तेल के लिये गत 6 माह से हाहाकार मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ही क्षेत्र के प्रतिनिधि पहले इस विभाग के मंत्री रहे हैं, उनके कुछ चहेते लोग साधन सहकारी समितियों में प्रशासक एवं सचिव है जो केवल समितियों को लूटने का कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय यह मेरी प्रार्थना है तथा बेईमान प्रशासकों को अविलंब हटाने की मांग भी मैं करती हूं। इन्हीं लोगों के कारण सारे क्षेत्र की जनता अंधेरे में रहने के लिये बाध्य हो रही है। मान्यवर, मुस्लिम त्योहार ईद पर चीनी की व्यवस्था नहीं हो पायी थी तो मैं खुद बलिया के कलेक्टर के पास गयी थी इसलिये सहकारिता की जो आपकी रूपरेखा है यह मेरी समझ में ही नहीं आती।

साधन सहकारी समितियों द्वारा ही जनता को आवश्यक सामानों का वितरण करने का प्राविधान है परन्तु भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कर्मचारियों से जनता बहुत ही त्रस्त है। जैसे सस्ती दर के मोटे कपड़ों का वितरण न करके उसको थोक में बेच दिया जाता है। ग्रामीण गोदामों की बात आपने कही है। इसका उदाहरण मेरे ही गांव के घर के सामने आपका यह गोदाम बना है जिसमें न चीनी रहती है और न कर्मचारी रहता है। उसमें ताला लटका हुआ है। रह गयी छोटे-मोटे रोजगार की बात, अगर गांव का नागरिक यह सोचता भी है कि वह अनुदान लेकर कोई काम कर सके तो सहकारिता विभाग के पास पहुंच ने, पैसा निकालने और इधर-उधर देने के बाद इतना पैसा नहीं बच पाता कि वह एक भैंस खरीद कर अपनी गुजर कर सके।

इसलिये वह हिम्मत हार कर घर वापस चला जाता है मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वह इन सभी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुये बांसडीह विधान सभा क्षेत्र की जनता में सुलभ सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती शशि शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री महोदय, द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। सहकारिता जन आन्दोलन है मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें कर्त्तव्यनिष्ठ और ईमानदार लोगों को लेकर आगे बढ़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लगन, धैर्य और निष्ठा से वह इस विभाग को चला रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। साथ ही मैं कुछ अनियमितताओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं मंत्री जी को यह खोखला विभाग मिला है। पी0 सी0 एफ0 में 70 करोड़ का घाटा है। यह एक गम्भीर मामला है। मई में पी0 सी0एफ0पूरी चीनी नहीं उठा पाया, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी रही। इससे उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत रही। मैं अनुरोध करूंगी कि जो भी अनियमिततायें हैं, उसकी जांच करा कर तत्काल कार्यवाही करेंगे। बिना कार्यवाही किये हुए हम इस सहकारिता आन्दोलन को जनता तक नहीं ले जा सकते। हमारी सरकार एक के लिए सबनेहरू जी की भावना को लेकर चल रही है। गुजरात और महाराष्ट्र ने सहकारिता आन्दोलन के द्वारा बहुत उन्नति की है। मुझे अफसोस इस बात का है कि कपड़ा, कोयला, गेहूं, चावल आदि के बिजनेस घाटे में जा रहे हैं। 57 में 40 सहकारी बैंक घाटे में हैं। कोआपरेटिव बैंक एक्ट में आर्बिट्रेशन क्लाज है,वसूली में ये कोहेंसिव प्रोसीजर्स यूज करते हैं, जबकि ए0 आर0 की सब बात सुन कर फैसला देना चाहिए मान्यवर, सहकारिता ऋण की वसूली जून के महीने में होती है, यह पूरे साल होनी चाहिये।

कुछ लोग जो कर्जा नहीं लेते हैं, उनके पास भी वसूली के आदेश पहुंच जाते हैं। इस आन्दोलन से मिडिल क्लास को फायदा हो रहा है। सहकारिता विभाग में ऋण की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसे सुलभ कराया जाय। महिलाओं और नवजवानों को इस आन्दोलन में लेकर चलना होगा। मुझे विश्वास है कि इस सहकारिता आन्दोलन से जनता को फायदा होगा। हमारे सहकारी बैंक जो हैं, वह आत्म निर्भर न होकर सरकार के ऋण पर आधारित है। जो सरकारी पैसा है वह जनता को मिलना चाहिये। मान्यवर, इस भावना को लेकर आगे बढ़ें ताकि सहकारिता को गांव तक पहुंचा सकें और अपने देश को समृद्धि की ओर आगे बढ़ा सकें।

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, मैं जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के वक्त एक आरोप लगाया कि ये लोग तो भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार पर बिलकुल नहीं बोलूंगा और न बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमें तो सहकारी आन्दोलन का अनुभव है कि सहकारी आन्दोलन क्या चीज है। भ्रष्टाचार के आन्दोलन का तो आपको अनुभव होगा। मान्यवर, यह विभाग सहकारिता आन्दोलन के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन अब सहकारिता विभाग हो गया। अब ये सहकारिता आन्दोलन के मंत्री नहीं हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। अगर ये सहकारिता आन्दोलन के मंत्री होते, तो महाराष्ट्र और गुजरात की तरह से होते। यह अब अन्दोलन नहीं रह गया है। धीरे-2 बडे राजनीतिक लोग जो चुनाव में असफल हो जाते थे, उनको स्थान मिलता था, वह कुछ काम करते थे और अपने अनुभव का फायदा सहकारिता आन्दोलन को देते थे। धीरे-धीरे अब यह हो गया है कि निकृष्ट लोगों, असामाजिक तत्वों और भ्रष्ट लोगों का यह चरागाह बन गया है। यह सहकारी आन्दोलन नाम की चीज नहीं है। जैसा मंत्री जी ने कहा, यह आन्दोलन रहा होता तो 12 करोड़ आबादी का सूबा है, 12 करोड़ में से सरकारी आंकड़े के अनुसार एक करोड़ 38 लाख सदस्य है और आपने अगले साल 4 लाख का लक्ष्य रखा है। 12 करोड़ के सूबे में अगर यह जन आन्दोलन रहा होता तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबादी का तीन चौथाई यानी 9 करोड़ लोग सदस्य होते। इसका सरकारीकरण कर दिया। इससे भले लोग अलग हो गये और अवांछनीय तत्व हावी हो गये। यह आन्दोलन नाम की चीज न होकर, सहकारी विभाग है जिसको मंत्री जी चला रहे हैं। हमारे उधर के दोस्त बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट पेश किया है। दुनिया में कहीं भी सहकारी विभाग नाम की चीज नहीं है, हिन्दुस्तान में सहकारी विभाग चलता है। आन्दोलन था तो छोटी, बड़ी समितियां अपना काम करती थीं। मान्यवर आज यह हो गया है कि प्राइमरी सोसाइटी का भी नामांकन मंत्री स्तर से होगा। यह सरकारी आन्दोलन है।

मंत्री जी ने कहा हरिजनों को बहुत सुविधा दी गई है। हरिजनों की दुहाई दी। हमको जानकारी है सन् 1978 के पहले हम मेम्बर जरूर थे प्राइमरी सोसाइटी के, लेकिन हमको अधिकार कोई नहीं था। हमको पता नहीं कर्जा ले आये 2-4 बीघे जो जमीन थी वह चली गई। सन् 1978 के बाद मुलायम सिंह न उस ऐक्ट को संशोधित किया, जिसके द्वारा हरिजनों को प्रतिनिधित्व मिला। हर छोटी बड़ी सोसाइटी में एक डायरेक्टर अनुसूचित जाति का होगा। आज जो सहकारिता विभाग है, इससे आगे एक बात कहना चाहता हूं। गुस्ताखी माफ हो। आज सहकारिता विभाग न सहकारिता विभाग है न सहकारी आन्दोलन है बल्कि दो वर्ग दो जाति-बिरादरी का हो गया है। दो लोगों की युद्ध-स्थली बन कर रह गया है एक तरफ मंत्री जी है और दूसरी तरफ भूतपूर्व मंत्री है। अब कोई विभाग नाम की चीज नहीं है। हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कहना चाहते हैं। आप खुद सक्षम है, विभाग सक्षम है, आप देख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जन आन्दोलन करना है तो सहकारी ऐक्ट जो 1954 का था, उसको बरकरार रखे। सन् 1965-66 में जो परिवर्तन हुआ उससे जन-आन्दोलन खत्म हुआ। अब आपकी जो दफा 34 है, उस दफा को आप निकाल दीजिये। इससे सरकारीकरण हो गया है। 51 प्रतिशत शेयर कर्ज के रूप में हो जाय तो संस्था को सरकारीकरण में कर लिया जायेगा। उसे दफा 34 के माध्यम से वह जब चाहें तब चला सकते हैं। जन आन्दोलन तब तक नहीं चल सकता जब तक कि दफा 34 रहे। मान्यवर, ढाई करोड़, तीन करोड़ आदमी एक साल में बढ़ते हैं। मान्यवर, आपकी 4-5 सीड संस्थायें हैं आपकी एल0डी0बी0, है पी0सी0एफ0 है, उपभोक्ता भंडार है जिनके ऊपर आपका बहुत काम होता है। एल0डी0बी0 में आपने ऋण दिया और बहुत लोगों को ऋण दिया। मान्यवर, इस समय 2200 क इंजन की कीमत 8 हजार हो गई। पहली मुश्किल तो यह है कि बीज नहीं मिलता है और अब कमीशन तो मिलता ही है उसके बाद भी रिश्वत लेते हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जयनारायण तिवारी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि धरती पर एक जानवर पाया जाता है इसको ऊंट कहते हैं और ऊंट का स्वभाव कांटा खाना है हमारे आदरणीय विरोध पक्ष के साथियों का काम है विरोध करना और अच्छी बात को बुरी बात साबित करना है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सहकारिता का बजट प्रस्तुत किया गया है वह एक जन आन्दोलन का प्रतीक है। राष्ट्रनायक पंडित नेहरू ने एक निर्णय लिया था कि हम सहकारिता को जन आन्दोलन का रूप देकर इस देश और प्रदेश का विकास करेंगे जिससे जो हमारे प्रदेश की आबादी है 12 करोड़ और इसमें से 30 प्रतिशत निर्बल वर्ग के लोगों का है। उसमें 50 प्रतिशत की आबादी अनुसूचित जाति की है और अनुसूचित जन जाति की है मैं बधाई दूंगा अपने सहकारिता मंत्री को

जिन्होंने सहकारिता का बजट लाकर जहां 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के लोग साधन सम्पन्न नहीं हैं वहां संसाधनों के विकास को बढ़ावा दिया । मान्यवर, यह विकास के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी सराहना सत्ता पक्ष के लोगों और विपक्ष के लोगों को करनी चाहिये । मान्यवर, ऋण की जो प्रक्रिया सहकारिता विभाग द्वारा प्रतिपादित की गयी है वह बहुत सरल प्रक्रिया है ।

मान्यवर, इस विभाग की जो ऋण वितरण की प्रक्रिया है, वह त्रिस्तरीय है । ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर । ग्राम स्तर पर मान्यवर, सहकारी समितियां ऋण का वितरण करती हैं । जिला स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से जिला सहकारी बैंक और कोआपरेटिव बैंक ऋण का वितरण करते हैं और प्रदेश स्तर पर कोआपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक वितरण करते हैं । इतनी सरल प्रक्रिया के माध्यम से गरीब और निर्बल, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास साधन उपलब्ध हैं इसके लिये मंत्री जी बहुत ही सराहना और बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, राणाजी के बारे में बात कहना चाहता हूं कि इनकी प्रवृत्ति बन गयी है कि लांग हैबिट बिकम्स ए सेकेन्ड नेचर । यह इनकी प्रवृत्ति बन गयी है । यह बीच में कहते कहते विषयांतर हो जाते हैं । यह जहां से आये हैं, वहां का स्वभाव है यह विषयांतर स्वयं भी हो जाते हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग की जो मंशा है, सहकारिता की जो मंशा है, स्पष्ट रूप से वह मंशा सबके लिये स्वागत योग्य है । इन शब्दों के साथ जो ग्रामीण गोदामों का निर्माण कार्य प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उसके सन्दर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि उस विधान सभा क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनता, जो गरीब जनता है और खेती के ऊपर निर्भर रहती है । मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से कहना चाहता हूं इनकी सहकारिता की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां हैं ऋण वितरण की जो सरल प्रक्रिया है उसके बारे में आज ट्रान्सफर इंट्री के माध्यम से सचिव और सुपरवाइजर मनमानी कर रहे हैं, इसको खतम कर दीजिये । और सहकारिता के विकास को नया कदम दीजिये । इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, निंदा करता हूं । धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं । मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन बहुत ही अच्छा आन्दोलन है और यह प्रदेश के विकास में अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकता है, यदि ईमानदारी और प्रजातांत्रिक तरीके से चलाया जाय । अभी हमारे माननीय मंत्रीजी ने इलाहाबाद में भाषण दिया कि सहकारिता आन्दोलन में बड़ी गन्दगी है, बड़ा भ्रष्टाचार है और उसकी सफाई का हम प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, भाषण सुनकर हम लोगों को प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी शायद सफाई करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई । हमारे नौजवान मंत्रियों को हमारे मुख्य मंत्री जी ने दलदल में डाल दिया है और पता नहीं वे इसे पार भी कर सकेंगे के कि नहीं । मान्यवर, हमारे मंत्रीजी एक दो करोड़ के घपले को घपला नहीं मानते हैं तो उस पर विचार क्या किया जाय ? मैं आपका ध्यान मथुरा की ओर ले जाना चाहता हूं । यह नगरी तीन लोक से न्यारी है । यहां कोआपरेटिव विभाग भी तीन लोक से न्यारा काम कर रहा है । मान्यवर, जबसे कोआपरेटिव संस्थाओं का प्रशासकीकरण किया गया है, उसमें कूट कूट कर भ्रष्टाचार आ गया है । अच्छे प्रशासक चुन चुन कर शासन ने भेजे हैं । उनका उदाहरण मैं सदन के सामने देना चाहता हूं । ऐसे लोग प्रशासक बनाये गये हैं जिन पर गुण्डा ऐक्ट का केस चला है । चोरी, डकैती, और राहजनी के केस चले हैं । यही नहीं वे रिवाल्वर लेकर कोआपरेटिव आन्दोलन के अधिकारियों पर हमला करते

हैं। मैंने प्रश्न पूछा तो कह दिया कि यह कोई अपराध नहीं है। ऐसे व्यक्ति को प्रशासक बना दिया है, तो सहकारिता आन्दोलन कहां जायगा। जहां तक कोआपरेटिव बैंक का सवाल है, जितनी भी कार्यवाही हो रही है, वहां भी बड़ी अनियमिततायें हैं। एक मुरारी लाल नाम के कर्मचारी को 5 कर्मचारियों को सुपरसीड करके प्रमोशन दिया गया। यही नहीं उसका एप्वाइंटमेंट डेट 2 साल पीछे करके दिखायी गयी जिस वजह से उसे हजारों रुपये का भुगतान किया गया। मैंने इस पर सवाल भी किया था, उस पर निर्देश भी दिया गया, उस पर क्या कार्यवाही हुई। माननीय मंत्री 1 करोड़ रुपये के घपले को घोटाला नहीं मानते।

मान्यवर, मथुरा कोआपरेटिव संस्थान पहले से ही मशहूर है। माननीय मंत्री जी के सिपाही वहां के प्रशासक ने यह घोषणा की है कि 50 लाख रुपये ऋण समितियों का माफ करायेंगे। यह हो रहा है मथुरा में। उनके प्रशासक कहते हैं कि जो 5-5 हजार समिति वाले देंगे, उन सबका सत्यापन करके कर्ज माफ कर देंगे। वहां, 5-5 हजार रुपये वसूल किया जा रहा है। और कई अधिकारियों से मालूम करने पर पता चला कि ऐसा हो रहा है जो किसी की हिम्मत नहीं है कि उन शासकों की कोई शिकायत करे। ए0आर0डी0 आर0 जाकर उनके कार्यों को देखें। मान्यवर, जो सहकारिता आन्दोलन चल रहा है, उसमें बड़ी अनियमितता हैं। हजारों लोगों के नाम फर्जी कर्ज दे दिये गये हैं। भजन लाल नाम का एक आदमी मेरे पास आया था, वह अन्धा है, वह कहता है कि न कभी मेरे पिता ने कर्जा लिया, न दादा ने कर्जा लिया, लेकिन कर्जा चढ़ा हुआ है। जो वितरण प्रणाली है, वह भी दोषपूर्ण है। कोआपटिव के जो शीतगृह है, उसमें पिछले साल हजारों किसानों का आलू खराब हो गया, उनसे किराया वसूल किया गया, आलू खराब होने की दशा में उनको मुआवजा नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता --

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कुशलपाल सिंह--

कोआपरेटिव संस्थाओं को जो गाड़ियां दी गयी हैं उनमें, चोरों को बिठाकर घुमाते हैं। पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं कि जिस गाड़ी पर जिला कोआपरेटिव बैंक या जिला सहकारी संघ लिखा है उसको चेक कर सकें, उसका चालान कर सकें। हालत यह है कि लोगों को मिट्टी का तेल, चीनी और अन्य खाद्य सामग्री पूरी मात्रा में इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो पाती। लोग 10-15 कि0 मी0 से आते हैं और 250 ग्राम चीनी लेकर चले जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कुशलपाल सिंह--

मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपने समय नहीं दिया, मुझे दो-चार बातें सुझाव के तौर पर और कहनी थी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य लोग 5 मिनट में अपनी बात सुझाव के रूप में कहें, तो कह सकते हैं।

श्री राम सकल तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय श्री सरदार सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से मान्यवर, केवल दो शब्द यह कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से इस सहकारिता आन्दोलन का संचालन किया गया, उस लक्ष्य की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। इसमें कुछ खामियां जरूर आयीं। लेकिन, तमाम खामियों के बावजूद यह एक ऐसी संस्था है जो गरीबों, खेतिहर मजदूरों, किसानों और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, बैंकों के माध्यम से समितियों के माध्यम से सेवा करती चली आ रही है और निरंतर इसमें प्रगति हो रही है। मुझे इस बात

की खुशी है कि यह विभाग एक ऐसे नौजवान आदमी के हाथ में सौपा गया है, जिसमें उत्साह है, लगन है और यह कुछ करने का इरादा रखते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि सरकार द्वारा निर्धारित जो नीतियां है, उनके अनुरूप कार्य करने का बीड़ा उठाया है। इरादा उनका पक्का है। मुझे विश्वास है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हम आपके सहयोग से।

मान्यवर, भ्रष्टाचार तो जीवन के हर क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि समाज का एक अंग बनता जा रहा है। इसी सन्दर्भ में चर्चायें भी बहुत सी होती है लेकिन मैं इसी आदरणीय सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन में प्रत्येक व्यक्ति का जब तक सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सकता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके विभाग में अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपके विभाग में एक छोटा सा जो सचिव होता है, खासकर मैं अपने जनपद के बारे में जानता हूं जब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, तब तक ये लोग भटकते रहते हैं लेकिन जब इनको नौकरी मिल जाती है तो दो ही साल के अन्दर इनकी अट्टालिका खड़ी हो जाती है। गरीब काश्तकार का पैसा लेकर उसे रसीद नहीं देते हैं। वह बेचारा मजबूरी में इनके पास जाता है, क्योंकि दुबारा काम कराने के लिए इनके ही पास जाना है। इस तरह लाखों रुपये मेरे ही जनपद में गरीब काश्तकारों से लिया गया है। मेरा सुझाव है कि यदि थोड़ा सा भी इनके ऊपर आप ध्यान दें और 10-20 के ऊपर अंकुश रखें और उन्हें उनकी हैसियत में पहुंचा दें तो मैं समझता हूं कि देहातों में, समितियों में जो यह भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह बहुत हद तक समाप्त हो सकता है।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह गरीबी के लिये मशहूर है। बाढ़ के लिये भी मशहूर है। मेरा सेवरही निर्वाचन क्षेत्र है जो प्रति वर्ष बाढ़ के प्रकोप से तबाह हो जाता है और लोगों को काफी परेशानी होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव के रूप में बताना चाहता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोआपरेटिव सेक्टर में डेरी फार्म होते हैं, उसी तरह से आप यहां पर भी व्यवस्था कर दें। यहां पर मवेशियों की संख्या काफी है, दुधारू मवेशियों की संख्या काफी है, आप वहां पर मार्केटिंग की व्यस्वथा कर दें ताकि इन गरीब लोगों को रोजी रोटी मिल सके। । मैं समझता हूं कि आपके सेक्टर में यह एक नई योजना होगी। मान्यवर, आपने लाल बत्ती कर दी। मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। मैं इस प्रदेश के बहुत दूर के छोर से आता हूं।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं बहुत दूर से आता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि ये दूसरे प्रदेश से आते हैं।

श्री राम सकल तिवारी--

आप समझे नहीं। मैंने कहा कि मैं अंतिम छोर से आता हूं। हमरे यहां तरिया सुजान केन यूनियन से काफी मात्रा में गन्ना बाहर को सप्लाई होता है, करीब-करीब 50 लाख क्विटल गन्ना बाहर जाता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल लगाने की व्यवस्था करें ताकि वहां का गन्ना जो बाहर जाता है, उसे रोका जा सके और वहां के लोगों की आमदनी बढ़े और लोगों को रोजी-रोटी मिल सके। मैं पुन: मंत्री जी को बधाई देता हूं। जयहिन्द।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोध करता हूं। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को गौर से सुना। उसमें माननीय मंत्री जी ने कई बार कहा कि मैं दम्भ और साहस के साथ यह कहता हूं और दम्भ और साहस के साथ वह कहत हूं। अपने में माननीय लम्बे-चौड़े भाषण मंत्री जी ने दम्भ और साहस का ही नाम लिया। तो मान्यवर, जहां तक मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार दम्भ का मतलब घमण्ड समझता हूं, तो इस विभाग में और माननीय मंत्री जी के भाषण में इस दम्भ और घमण्ड के अलावा कुछ बचा नहीं है। सहकारिता आन्दोलन जिसके साथ प्रगति की कल्पना की गयी थी, वह पूरे तौर से दम्भ और भ्रष्टाचार में डूब चुका है। मैं आप का ध्यान ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं, मैं बांदा जनपद से आया हूं और पूरे प्रदेश में ऐसी खामियां हैं, सहकारी समितियों से फायदा केवल गिने-चुने लोगों का ही होता है, इससे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि जो भी ऋण और सब कुछ लिया जाता है तो छोटे लोगों के नाम फर्जी उनके ऊपर पासबुक में चढ़ा लिया जाता है और वसूली भी उसी तरह से जबरदस्ती होती है। मैं करीब 25–30 मामले ऐसे जानता हूं किसानों ने लोन नहीं लिया और फर्जी वसूली आयी। इसके अलावा पासबुक किसानों को नहीं दी जाती है और पासबुक सचिव अपने पास रखता है जिससे वह मनमानी करता है। ऊपर से नीचे तक जो प्रशासक बैठा दिये है, वह घोर भ्रष्टाचार की जड़ है।

बाराबंकी का एक उदाहरण देना चाहता हूं—केन्द्रीय मंत्री जी के श्वसुर बाराबंकी में प्रशासक हैं और एक करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला है और जाने कब से वह प्रशासक हैं, अभी तक इस संबंध में मंत्री जी को कई बार वहां के लोगों के कहने के बावजूद कोई उधर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि विकास बैंक में जो आप किसानों को कर्ज देते हैं उससे जो आप बैंक ड्राफ्ट, चेक रुपयों को दुकानदार के एजेण्ट को देते हैं उससे बैंक विभाग के लोग बड़ा भारी कमीशन लेते हैं। तो मेरा आप से अनुरोध है कि किसान कर्ज लेता है वही ब्याज देता है तो सीधे बैंक ड्राफ्ट किसानों को ही दिया जाय। सहकारी समितियों के सचिव, हैं, को-आपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं, यह गृह जनपद के रहने वालों को ज्यादातर नियुक्त कर रखे हैं और एक-एक समिति में 10–10 साल से हैं। इसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसलिये ऐसा नियम बनावें कि कोई भी सचिव ...

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी, अब आप बैठें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अमिताभ लवानियां—

मान्यवर, बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सहकारिता मंत्री के सानिध्य में मुझे सहकारिता का बजट सुनने का अवसर मिला, मैंने देखा कि उन्होंने अपने भाषण में बड़ी ही अनुभवशील बातें कहीं है। वह एक अनुभूति के आधार पर है कि किस तरह हमारे ग्रामीण अंचल के निरीह, असहाय और गरीब लोगों तक सहकारिता के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें और अपने किसान भाइयों को ऋणों के माध्यम से उनकी सहूलियतों को देखते हुए किस तरह सुख और सुविधा पहुंचा सकते हैं। मैं मा0 मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे गरीब तबके के लोग, जिन्हें अनुसूचित जाति के लोग कहते है, ऐसे 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं, जो सहकारी बैंकों से ऋण लेते है और गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का प्रयास करते है, उनके लिये आपने मार्ग प्रशस्त किया है।

मैं एक बात के लिये मा0 मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि 3 अक्टूबर से साल के अन्त तक चुनाव सम्पन्न कराकर सहकारिता के जो चुनाव के के पद है, उनको भर देंगे जिससे हमारे सहकारिता आन्दोलन में नयी अनुभूति, चेतना और जागृति आयेगी। मा0 मन्त्री जी का ध्यान जनपद आगरा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आगरा की दो तहसीलें फतेहाबाद और एतमादपुर है, जहां पर बड़े

पैमाने पर आलू की पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश का दूसरा फर्रुखाबाद माना जाता है। खंदौली, समसाबाद, फतेहाबाद में शीत-गृहों के निर्माण के लिये एक योजना बनायी गयी थी, उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। मा0 मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि अगर सहकारिता के माध्यम से शीतगृहों का निर्माण संबंधित विकास खंडों में कर दिया जाता है तो बड़े पैमाने पर जो आलू खेतों में सड़ जाता है या खराब हो जाता है और गरीब किसान आलू को ढो कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में असमर्थ होते है, उनके लिये यह एक बहुत बड़ी चीज होगी।

मा0 मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फिलहाल कुछ सचिवों का स्थानान्तरण किया गया है, जो काफी समय से एक ही साधन सहकारी समिति पर थे। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ सचिव स्थानान्तरण होने के बाद भी लखनऊ के चक्कर काट कर रहे है कि उनका स्थानान्तरण रुक जाय। आग्रह करूंगा कि ऐसे आदेश पारित करें कि कोई सचिव जो 8–9 साल से एक ही साधन सहकारी समिति पर कार्य कर रहा था, वह वहां रुक न पाये। मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। आपकी रैड लाइट का सम्मान करते हुए पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[1 बजकर 40 मिनट]

श्री वीरेन्द्र सिंह––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया और विशेष आभारी इस लिये हूं कि सदन में पहली बार मौका दिया बोलने का। सहकारिता और समाजवाद दोनों में चोली दामन का साथ होता है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य उत्पादन के स्रोतों और वितरण की एजेन्सियों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उनको व्यावहारिक रूप देने के लिये सहकारिता एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। यह समाजवाद के उद्देश्यों को पूरा कर ती है। अगर हम यह कहें कि सहकारिता समाजवाद के आन्दोलन को रीढ़ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। लेकिन दुख की बात है कि सहकारिता आजकल भ्रष्टाचार का केन्द्र बनी हुई है और भ्रष्टाचार में ही अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये उन्होंने हौसले की बात की है उसकी कुछ बानगी ऊपरी लेविल पर जो है वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। नियमानुसार कोआपरेटिव बैंक का मैनेजिंग डाइरेक्टर के अलावा कोई उनका अधीनस्थ अधिकारी हवाई जहाज से यात्रा करने का इनटाईटिल्ड नहीं है लेकिन जनरल मैनेजर रोहतगी और टण्डन दोनों ही ने हजारों रुपए बैंक के हवाई यात्रा पर खर्च किये हैं। वर्ड बैंक की स्कीम के अन्तर्गत 80 सहायक अभियन्ता आन डेपुटेशन पर बुलाये गये जिन पर अग्रिम धनराशि के रूप में कई लाख रुपये का भुगतान किया गया था। वे 80 अभियन्ता अपने विभाग में वापस जा चुके हैं एवं 16 लाख रुपया सहकारिता विभाग का बकाया है। लेकिन अभी तक वह रुपया बकाया पड़ा हुआ है और न उन पर विभाग का कोई जोर चल पाता है।

गत वर्ष 20 हजार डायरियों की छपाई करायी गयी और यह काम बहुत ही छोटी फर्म को दिया गया। जब उनकी छपाई का का काम हो गया तो उसे डेढ़ लाख रुपये भुगतान किया गया और आधी से भी कम डायरियों की सप्लाई कर दी गयी। प्रबन्धक निर्देशक शुल्क को पांच साल के बाद एक वर्ष पूर्व वह वहां से हटाया गया परन्तु सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की सतत सेवा के के कारण उनको पुनः स्थापित कर दिया गया है।

इस सहकारिता विभाग में आप देखे कि जनता की मेहनत का पैसा किस तरह से पानी की तरह बहाया गया है। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री राम सिंह एडवोकेट---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सहकारिता का अपने यहां विस्तार 1904 में हुआ परन्तु यह विभाग उदासीन रहा। 1965 में सहकारिता अधिनियम के अनुसार तब से आज तक जो कार्य प्रणाली उसकी अब तक कार्य कर रही है उसमें शक्ति का, पावर का सेन्ट्रलाइजेशन कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इस अधिकार को विकेन्द्रित कीजिये जिसके कारण गरीबों को राहत मिल सके और इसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सकें। मान्यवर, यह पावर एक सचिव के पास रहती है। और वह सचिव 20 लाख रुपये का आदान-प्रदान करता है, उसके ऊपर कोई भी अंकुश या प्रतिबन्ध नहीं रहता है जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा गलतियों का इन्हें मौका मिल जाता है। मान्यवर, सहकारिता एक ऐसा विभाग है जो जन्म से लेकर आखिर तक उसका सहयोग रहता है। मान्यवर, उसी के तहत एक सचिव के तहत ऋण का जो वितरण होता है वह अन्य बैंकों के अलावा हमारे सहकारी बैंकों के ऋण का वितरण बहुत ही सुचारु रूप से होता है। कुछ अन्य विभागों में सूद दर सूद लगाकर चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं लेकिन हमारी सहकारी बैंकों में असल को बराबर हो जाने पर ऋणी को मुक्त कर दिया जाता है ब्याज से। यह बहुत ही अच्छी बात है और एक क्रान्तिकारी कदम है। मान्यवर यह सहकारिता के लक्ष्य को बढ़ाने के लिये यह छोटी इकाइयों का उसमें सहयोग देना अति आवश्यक है। मान्यवर उसमें छोटी इकाई एक सचिव माना जाता है लेकिन सचिव के अधिकार में यह जनता से आदान प्रदान, सहयोग द्वारा हर एक मौके पर किस तरीके से जनता के साथ अपना व्यवहार करें, उससे यह सहकारिता कदम आगे बढ़ाने का लक्ष्य होता है। मान्यवर, यह उसके लिये ऐसा होता है कि कुछ सचिव उदासीन भी रहते हैं। जो सचिव अपने हाथों से 20 लाख रुपये का आदान प्रदान ऋणियों को करता है उसको वेतन 300-350 देते हैं, उसको डी0 ए0, टी0 ए0 नहीं देते हैं ऐसा किसी विभाग में मैं समझता हूं कि नहीं है तो सहकारिता को सफल बनाने के लिये उत्साहित करने के लिये आपको मत्ते का देना अति आवश्यक है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, 2 मिनट का समय और दे दीजिये।

जैसा कि हमारे बहुत से मित्रों ने कहा है कि उसमें बहुत सा गड़बड़ घोटाला है।

श्री अधिष्ठाता---

एक मिनट में खत्म कर दें।

श्री राम सिंह एडवोकेट---

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह सभी अभिलेख, सचिव के अभिलेख को आप देखें। आप एक ऐसा दिन निर्धारित करें ताकि जितनी शाखायें हैं सम्बन्धित बैंकों की उसके सभी अभिलेख जमा हो जायं और अभिलेखों का आडिट पूर्ण रूप से हो जाय। ऐसा होता है कि सचिव लापता हो जाते हैं। मंत्री जी एक समय निर्धारित कर दें। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक समय निर्धारित कर दें कि उसी के अन्दर स्थानान्तरण कर देंगे ऐसा अति आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि कृपया माननीय मंत्री जी नोट करना चाहते हो तो नोट करें।

माननीय मंत्री जी सहकारी साधन समितियों में खाद और बीज कभी तौल करके नहीं दिया जाता है। मान्यवर, यह खाद और बीज जनता को तुलवा कर दिया जाय और उनके बीज का जमाव तथा खाद की जांच करके उनको दिया जाय। दूसरा मान्यवर, जो स्थानीय व्यक्ति नियुक्त रहते हैं उसके कारण आपके विभाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हैं। अतः आपके यहां स्थानीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अन्य व्यक्तियों की नियुक्तियां न हों। तीसरे इन व्यक्तियों का ट्रांसफर, कम से कम 2 वर्षों में तुरन्त कर दिया जाय जिससे कि यह लोग जो वहां पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं और विभाग में गड़बड़ियां होती हैं, वह न हों। चौथी मान्यवर यह है कि इन सोसाइटियों में जो वितरण प्रणाली है वहां सोसाइटी स्थल पर एक ही दिन सभी गांवों को वितरण हेतु बुलाया जाता है ऐसा न करके हफ्ते में प्रत्येक दिन एक गांव ले लें और बुलाकर उनको वितरण किया जाय।

मान्यवर, साधन सहकारी समितियां जहां पर होती हैं, वहां पर उनका कोई अधिकारी नहीं रहता है, वह 20–20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, इसके कारण काश्तकारों को लेन देन में बड़ी असुविधा होती है। मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खाली प्रोनोटों पर काश्तकार के दस्तखत नहीं कराये जाने चाहिये क्योंकि वहां के कर्मचारी जो उनके मन में आता है, वह पैसा लिख देते हैं, जिससे किसानों को अनावश्यक पैसा देना पड़ता है। बकायेदारों पर बहुत अत्याचार होता है। मान्यवर, बकायादार किसानों पर अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये, अगर आपको कार्यवाही करनी है, तो कानूनी कार्यवाही करें। मान्यवर, कृषकों को हिस्सा एवं जमानत पर ब्याज मिलना चाहिये, जब आप अपने हिस्से पर ब्याज लेते हैं, तो आपको कृषकों को भी उनके हिस्से पर ब्याज देना चाहिये, तो कृषकों को आर्थिक सुविधा होगी।

मान्यवर, काश्तकारों की जमीन की मालियत बढ़ायी जानी चाहिये। अभी तक 300 रुपया प्रति एकत्र के हिसाब से वैल्यूएशन आंका गया है। इस समय को देखते हुए आप इसको बढ़ावें जिससे किसानों को अधिक ऋण मिल सके और उनको सहायता मिल सके। मान्यवर, किसी भी कृषक को पास बुक नहीं दी जाती है सचिव ही उसको अपने पास रखता है। वह उनमें कटिंग कर देता है। 1500 के स्थान पर 500 कर देता है या 1000 कर देता है। आप किसी भी कृषक की पासबुक को देख सकते हैं, यह किसी एक स्थान की समस्या नहीं है। मा0 मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करायें और जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी हैं, उनको दंडित किया जाये। मान्यवर, जिला स्तर पर जो सेल बनाने की घोषणा की है, उसको बनाकर आप तुरन्त कार्यान्वित करें। मान्यवर, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिये जो ऋणों में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है, उसको बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाये इससे वह लोग ऋण अधिक लेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। मान्यवर, सहकारी विकास बैंक से लिये गये ऋण को समय से अदा करने पर प्रतिशत की छूट दी जाती है, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको बढ़ा कर एक प्रतिशत कर दिया जाये। मान्यवर, ललितपुर जिले में एक भी शीतगृह नहीं है, जिससे कि वहां पर आलू को रखा जा सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप शीघ्र ही वहां पर शीतगृह का निर्माण कराने का कष्ट करें। 11 मैं वर्ष, ललितपुर को जिला बने हुये हो गये हैं परन्तु अभी तक जिला सहकारी बैंक का भवन नहीं है और यह भवन बनाकर इसको झांसी कोआपरेटिव बैंक से अलग किया जाय। मान्यवर, जो आपने बोलने का अवसर, प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री नैक चन्द पान्डेय––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

एक सदस्य––

मैं यह जानना चाहता हूं कि पार्टी ने जो नाम दिया है, उसमें मेरा नाम है या नहीं, मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता––

यह कोई रूल में नहीं है, आपको नहीं बताया जा सकता है।

श्री नेकचन्द्र पांडेय—

साथ ही साथ जो उन्होंने आज सहकारिता के क्षेत्र में चुनाव की घोषणा की है, मैं उस चुनाव की घोषणा का जोरदार शब्दों में स्वागत करता हूं। दूसरी ओर जहां हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर अपना विरोध जाहिर किया मैं माननीय मंत्री महोदय और हमारी सरकार ने जो प्रशासकों की लिये युक्ति की है, उसका भी स्वागत करता हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि प्रशासकों की नियुक्तियों से जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार सचिव करते थे, निश्चित रूप से उन पर अंकुश लगा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जो पद रिक्त हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाता वहां प्रशासक नियुक्त किये जायें जिससे जन प्रतिनिधियों की देखरेख में, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की देख-रेख में सही ढंग से उनका संचालन हो सके।

मान्यवर, हमारे गांवों के छोटे-छोटे किसानों के लिये छोटे-छोटे लोगों के लिये पिछले समय में जो शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहकारिता के अन्तर्गत चलाई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यह मानता हूं कि उसमें कुछ गड़गड़ियां हुई हैं, कुछ खामियां उसमें हैं। इनको दूर करने का प्रयास हमारे मंत्री महोदय कर रहे हैं। जैसे इस वितरण प्रणाली में निश्चित रूप से सरकारी कपड़ा और रेप सीड आयल आदि में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह कपड़ा बजाय साधन सहकारी समितियों के यहां पहुंचने के बाजार में चला जाता है और सचिव लोग इसको बेच लेते हैं। मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाय। सहकारी संस्थाओं में जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिनमें घोटाला होता है ऐसी संस्थाओं को यह सार्वजनिक वितरण की जिम्मेदारी न सौंपी जाय। मेरे क्षेत्र बौबेपुर कानपुर में जो कि एक देहाती क्षेत्र है उसमें हमारे सहकारिता मंत्री महोदय ने हमारे यहां पी0सी0एफ0 के तहत एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की है। पिछले वर्ष उसको शुरू हो जाना चाहिये था। मैं स्वयं भी उसके उद्घाटन में गया था लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इससे हमारे किसानों को और सरकार को दोनों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वे बतायें कि क्यों नहीं इसका संचालन जब पिछले वर्ष ही हो जाना चाहिये था, अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया। उसमें अब तक किसानों के आलू का भंडारण किया जा सकता था। इसके लिये जो लोग, जो अधिकारी जिन्होंने इसके संचालन में गड़बड़ी पैदा की है उनके खिलाफ भी मैं कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

मान्यवर, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में एक मैथा ब्लाक है जहां पर धान की काफी पैदावार होती है। लेकिन वहां पर चावल की कोई मिल नहीं है। मैं अपने प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि वे वहां पर सहकारिता के अन्तर्गत एक सहकारी चावल मिल लगाने का प्रयास करें।

बेरोजगारी दूर करने के लिये जो प्रयास हो रहे हैं उसके तहत सहकारिता विभाग में काफी आगे बढ़ाकर काम किया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के लिये 5 हजार से 10 हजार रुपये तक लोगों को देने का प्राविधान किया गया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन हमारे सामने मुन्ना बैठा है इसलिये बोलना पड़ेगा। मान्यवर, मैं मुन्ना से बहुत प्यार करता हूं। यह मेरे साथ परिषद् में भी थे सहकारिता जन आन्दोलन तो है ही लेकिन यह हमारे जीवन का अंग भी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो अपनी परम्परा के विरोध में बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह एक जीवन का अंग है। यह एक जन आन्दोलन है। अगर किसी आन्दोलन में जनता की आस्था न हो तो कोई आन्दोलन चला नहीं करता। चाहें कोई भी आन्दोलन हो, अगर हमारी आस्था ही उससे टूट जाय तो वह आन्दोलन फेल हो जाता है। पिछले कई सालों से सहकारिता को इतना बदनाम किया गया है जिससे लोगों में इसके प्रति आहिस्ता आहिस्ता आस्था टूटती जा रही है और सहकारिता का नाम लेना भी लोग देहात में गुनाह समझने लगे हैं। उसका कारण हमारे अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं है उसका कारण हम स्वयं भी हैं। कभी कभी अधिकारियों और कर्मचारियों के जिम्मे सारी खराबियों को मढ़ दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है अगर हम ठीक होंगे तो हमारे अधिकारी भी ठीक रहेंगे। जैसा हमारे एक साथी ने कहा भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है और नीचे को जाता है। भ्रष्टाचार शुरु से उत्तर प्रदेश में ऊपर से चला है। कितने ही मंत्री आये और आखिर किस तरह से उनकी चादरों के ऊपर धब्बे लगे। यह सब जानते हैं कि प्रदेश की जनता और आम आदमी जानता है। मैं मुन्ना से निवेदन करूंगा वह नौजवान हैं कहीं बहक न जांय क्योंकि जवान आदमी जल्दी बहकता है। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, बड़े भाई के नाते सलाह दे रहा हूं कि बहक न जाना। अगर बहक गये तो यह अधिकारी भी रहेंगे, कर्मचारी भी रहेंगे लेकिन आप नहीं रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बदनाम न हों (व्यवधान) मैं मुन्ना को प्यार करता हूं बहुत अच्छा लड़का है इसलिए कह रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि बीसियों सालों से फर्जी लोन ले लिये और आज भी गरीबों के सर पर लटक रहे हैं। आज बहुत से लोगों के पास देहातों में अदायगी की रसीदें भी हैं, फिर भी वसूली उनके पास जा रही है उसका कारण यह रहा कि सेक्रेटरी ने इंदराज नहीं किया जिसकी वजह से उसे नोटिस जा रही है। हमारे सहारनपुर में पूरे के पूरे गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने पैसा दे दिया। लोग हमारे पास आते हैं और रसीद दिखाते हैं। बीसियों साल पुराने मामले हैं जिनमें अधिकारी और कर्मचारी सब हटा दिये गये, कुछ सस्पेंड हुए हैं। इसलिये ऐसे मामलों का सत्यापन तुरन्त कर दिया जाय। लेकिन वह सत्यापन भी ठीक से हो ऐसा न हो कि जो गरीब आदमी हैं उनका तो ज्यों का त्यों रह जायें और जो चालाक आदमी है उसका सत्यापन हो गया। इसलिये जिस प्रकार ऐसे मामलों में जैसा जनता सरकार ने किया था उसी तरह से आप भी सब का सत्यापन कर दें जिससे गरीब लोगों की जान छूट जाय। मेरा सहकारिता से बहुत ताल्लुक रहा है छोटी और बड़ी संस्थाओं में मैं रहा हूं। यहां की एक एपैक्स बाडी का चेयरमैन भी रहा हूं। मैंने एक सवाल मुलायम सिंह जी से भी और फिर प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी से भी कहा था कि यह जो आपके सचिव क्रेडिट का काम करते हैं उन्हीं से उस वक्त उपभोक्ता सामग्री के वितरण का काम भी कराया गया। उन्होंने कोई सामग्री बेची ही नहीं उसे ब्लैक कर गये क्योंकि वह ट्रांसफर इन्ट्री वाला आदमी है। मुझे याद है 3—3 हजार रुपये उपभोक्ता सामग्री के लिये उस क्रेडिट सचिव को दिये गये थे इसलिये कि वह दुकान चलाये जिसके लिये सरकार की तरफ से 3—3 हजार रुपये दिये गये। उसने बजाय सस्ती धोती और सस्ता कपड़ा बेचने के वह सारा सामान ब्लैक कर दिया। इस किस्म का कोई सामान देहात में गया ही नहीं। इसलिये सोच समझ करके इस क्रेडिट सचिव से उपभोक्ता सामग्री के वितरण का काम न लें इसके लिये अलग से स्टाफ रखिये आप 25 हजार आदमी और रख सकते हैं आप और रखने में होगा तो ऐसा ही करता।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपका यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है

इसको 20-सूत्री ही रहने दो क्योंकि इसे आप सब जगह घुसेड़ देते हो । इसे आप व्यापक न बनायें कि चार सौ बीसी हो जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि प्रस्तुत बजट पर कटौती का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में बोलने का मुझे समय दिया ।

श्री नारायण हरि शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करते हुए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने आज बजट भाषण में तीन बातों का उल्लेख किया है । एक तो उन्होंने ऋण पुस्तिकाओं की अनिवार्यता, दूसरे हर न्याय पंचायत में ग्रामीण गोदाम की स्थापना, भंडारण के लिये और तीसरी बात लैन्ड डेवलपमेंट बैंक द्वारा एक आदर्श गांव का चयनित किया जाना जिसका चतुर्दिक विकास किया जाये । मान्यवर, मंत्री जी ने यह जो तीन कदम उठाये हैं उसके लिये वह प्रशंसा के पात्र हैं । भारतीय संविधान की कल्पना के अनुसार आज समाजवादी समाज की रचना है । उसके लिये सहकारिता की भूमिका बहुत सराहनीय भूमिका है, आज उसके परिपेक्ष्य में अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं । आज सहकारिता का जो स्वरूप है गांवों में उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि साधन सहकारी समितियां और क्षेत्रीय सहकारी समितियां हैं, यह दोनों यूनिटें प्राशसनिक दृष्टि से बाइबिल यूनिटें नहीं हैं ।

वह कुछ आदमी के हाथ की दुकानें हैं और सहकारी क्षेत्र की समितियां हैं । 35-40 गांव इनका क्षेत्र है तो उनमें जो भ्रातृत्व और प्रेम भाव होना चाहिये, जो मूल सिद्धांत है सहकारिता का, तो वह नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि 5-6 या 7 ग्राम सभाओं को एक लार्ज स्केल सोसाइटीज की स्थापना प्रदेश में की जानी चाहिये जो वाइबिल और प्रशासनिक दृष्टि से न्यायोचित होगा । प्रयोग के तौर पर इस प्रदेश में ऐसा हुआ है और वह अच्छा साबित हुआ है । लार्ज स्केल सोसाइटीज का क्षेत्र 2-3 न्याय पंचायतों को मिलाकर है और दो ब्लाकों में है जो प्रशासनिक दृष्टि से सही नहीं है । आप इनके क्षेत्रों को न्याय पंचायत तक सीमित न कर सकें तो कम से कम ब्लाक तक सीमित करें और हर ब्लाक में अधिकारी मीटिंग करें नियंत्रण करने का काम करें । जो प्रशासनिक दृष्टि से सही होगा ।

मान्यवर, सहकारिता विभाग को जो वितरण प्रणाली का कार्य सौंपा गया और जो इसमें सफलता प्राप्त की है उसके लिये धन्यवाद देने में मुझे कोई संकोच नहीं है । मेरा अनुभव है कि जब तक प्राइवेट डीलरों के हाथ में चीनी, तेल का वितरण का दायित्व था तो जनता को ये चीजें कम मिलतीं थीं लेकिन सहकारिता के माध्यम से कम से कम 70-80 प्रतिशत चीजें जनता को मिल रही हैं । मैं चाहूंगा कि इसमें और सुधार और नियंत्रण किया जाये जिससे शत प्रतिशत लोगों को ये चीजें उपलब्ध हो सकें ।

मान्यवर, जो गल्ला वसूली के समय किसानों को कठिनाई उठानी पड़ती है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि आपका विभाग पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से संघ से खरीद करते हैं, उनकी भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसलिये पी0सी0एफ0 के माध्यम से भंडारण की व्यवस्था करें तभी किसानों को अपने खाद्यान्न का सही मूल्य मिल सकता है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फजलुलबारी--

मान्यवर, मंत्री जी ने एक बहुत कठोर लफ्ज बोल दिया था 'दम्भ' और मैंने पूछा था किसी से कि इसके मायने क्या होते हैं, तो मालूम हुआ कि 'गुरूर' । तो उर्दू शायरी में, उर्दू गजल के माशूक गुरूर करते हैं हमारे सहकारिता विभाग के मंत्री जी बड़े अच्छे हैं, गुरूर भी हैं और उन पर गजल का असर भी हो सकता है, लेकिन मैं उससे जरा हटकर इस विभाग के बारे में कहना चाहता

हूं, यह असलियत में कांग्रेसियों की चरागाह है। यह उसमें जब मौका पाते है, मुंह मारते हैं और माल चर-खा जाते हैं। और इन लोगों ने इस विभाग को ऐसा बना दिया है कि गांव के लोग इसका नाम सुनकर डरने लगे हैं, कोआपरेटिव का नाम सुना कि उनकी रूह निकली। सोचने लगते हैं पता नहीं किस ठाकुर साहब ने, किस पंडित जी ने खाद ली हो और भुगतान उन्हें करना पड़े, बैल बिक जायें और मकान नीलाम हो जाये। गरज यह है कि यह विभाग गरीब किसानों के साथ बलात्कार कर रहा है। तो मंत्री जी, जिन्होंने बड़े गुरूर के साथ इस बजट का आभास दिया है, अब जरा उन गरीब किसानों की ओर अपना ध्यान दें और उनका भला करें, जो दब रहे हैं, पिस रहे हैं, कुचले गये हैं भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों से। भ्रष्टाचार की एक बात हो तो आपको सुनाया जाय, यहां तो नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक सारा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। उसकी वजह है, इसपर चन्द मखसूस लोगों का कब्जा है प्रदेश से लेकर निचली इकाइयों तक। उस कब्जे को अगर खुद मंत्री जी खत्म करना चाहें तो मैं समझता हूं कि उन्हें काफी परेशानी होगी और शायद मंत्री पद भी उनसे छिन जाए। डायरेक्टर बनाना है तो किसी शरीफ आदमी को बना दें, किन्तु वह रह नहीं सकता है।

मान्यवर, एक बात और है, वह व्यक्ति जो यह धारा 420 और धारा 409 का मुल्जिम है, उसको आपने बहुत बड़ी संस्था का डायरेक्टर बना दिया है। तो मान्यवर, इस डिपार्टमेन्ट के बारे में मेरी राय यह है कि जहां पर आप एहसान करना चाहते हैं, यहां के गरीब किसानों को लाभान्वित करना चाहते हैं, तो बहुत साहस के साथ आप आज खड़े होकर यहां यह कह दें कि आज से यह डिपार्टमेन्ट खत्म किया जा रहा है, तो जनता सुख की सांस लेगी। इनके यहां असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट होते हैं, उनके बारे में शुरू से यह रहा है कि वह प्रमोट होकर एकाउन्टेन्ट बन जाते थे, लेकिन डिपार्टमेन्ट में एक कोई बड़े अधिकारी हो गये हैं उन्होंने सोचा कि जब सब चर रहे हैं तो मैं क्यों न चरूं। उन्होंने अपनी एक लड़की ब्याही, उस अपने दामाद को उन्होंने असिस्टेंट एकाउन्टेन्ट बनाया, वह फौरन एकाउन्टेन्ट बन न सका तो उन्होंने सर्विस रूल में ही तब्दीली करा दी और तब्दीली कराकर रोक लगा दी यानी जितने असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट हैं, जो 10/10, 15/15 साल से कलम घिस रहे हैं वह नौकरी के शुरू से पेंशन पाने तक उसी असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट पद पर रहेंगे। तो जब उनको मालूम होगा कि उन्हें सदा असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट ही बने रहना है तब तो वह भ्रष्टाचार ही करेंगे। हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं तो उनको यह मालूम होना चाहिये कि किस तरह से विभाग के बड़े अफसर छोटे लोगों का, कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, और वह उन्हें उनके चंगुल से मुक्त करायें। असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट, एकाउन्टेन्ट बनेंगे तो इनका विभाग अच्छी तरह से काम कर सकता है और तरक्की कर सकता है। इस विभाग में न्यायोचित होगा कि 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायक लेखाकारों को पदोन्नति देकर लेखाकारों की समस्त रिक्तियों को तत्काल भरा जाय।

इस विभाग में सब कुछ लेखा जोखा ही है। जिसको 10 साल की ट्रेनिंग मिल चुकी है, जिसको तजुर्बा है वह ज्यादा बेहतरी से काम कर सकता है। एम0 (काम) के नये लड़के के मुकाबले। चूंकि नये लोग एकाउन्टेन्ट रखे जायेंगे तो कल जैसा जीरो अवर में तजकिरा हो रहा था वही बात होगी यानी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कि कोआपरेटिव विभाग में हमारे गोंडा जिले में जो एक बहुत खराब आदमी था जिसको पुलिस ने एक चोरी के इल्जाम में पकड़ करके उसकी पिटाई की थी, एक राजा साहब के यहां चोरी हो गयी थी उस चोरी के इल्जाम में उसे पकड़ा गया था, उसने लाखों लाख की चोरी की थी, ब्लैक मनी था इसलिये मंजरे आम पर नहीं आया, उस आदमी को कोआपरेटिव बैंक का प्रशासक बना दिया। इसलिये सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं समझता हूं कि बेहतरीन बात उन्होंने कही है। मंत्री

जी को अगर कोई और पैसा दिया जायगा तो वह इस देश और प्रदेश के पिछड़े किसानों के साथ अन्याय होगा, यहां की गरीब जनता के साथ अन्याय होगा इसलिये इनको कुछ दिया न जाय।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं जो आपने मुझे सहकारिता विभाग के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। हमारे स्वर्गीय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद के साथ सहकारिता की नींव रखी थी कि हमारे गांव आगे बढ़ें, गांव के किसान आगे बढ़ें और उनकी उन्नति हो। और इसी के तहत सहकारिता आन्दोलन चला था और गांव-गांव में सहकारिता की छोटी इकाइयां काम करने लगीं और उन इकाइयों के द्वारा सहकारी समितियों के जरिये गांव के किसान को खाद, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा और जरूरी चीजें मुहैय्या करने की व्यवस्था की गयी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने दिनों के बाद भी, सहकारिता विभाग के लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी यह इकाइयां गांवों को आगे बढ़ाने में ज्यादा समर्थ नहीं हो पा रही हैं। हमारे माननीय मंत्री जी योग्य हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं इसलिये उनके ऊपर और ज्यादा दायित्व आता है और ज्यादा जिम्मेदारी है कि वह इस विभाग को आगे बढ़ायें और जो छोटी इकाइयां हैं उनको सुदृढ़ करें ताकि गांवों के लोगों को राहत मिल सके। एक ऐसे सचिव को मैं जानती हूं जिसने अपनी दो लड़कियों की शादी की और दोनों लड़कियों की शादी में एम्बेसडर कार दहेज में दिया। आई0 ए0 एस0 अफसर बैठे हैं इनके लिये भी एम्बेसडर कार देना मुश्किल होगा लेकिन एक सचिव दो-दो लड़कियों की शादी में कार देता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके नीचे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई भी सचिव लखपती से नीचे नहीं है।

हमारे यहां चिलिया सोसायटी के सचिव का ट्रांसफर हो गया, उसको वहां पर 12 साल हो गये थे। उसने प्रयास करके ट्रांसफर रुकवा लिया और जो व्यक्ति उसके स्थान पर आया था उससे बन्दूक की नोक पर चार्ज फिर ले लिया और आज वहीं कार्यरत है। मैंने शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि विभाग की नीयत बहुत अच्छी है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की है, गांव के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कर्ज देकर, खाद देकर उनकी उपज बढ़ाना चाहते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इतने अच्छे विभाग को जो देहात के लोगों में रच बस गया है उसको और ज्यादा उपयोगी बनायें ताकि देहात की स्थिति सुधर सके। लेकिन मान्यवर, दुख इस बात का हो रहा है कि आज भी गांव में तमाम लोगों के ऊपर फर्जी कर्जे लदे हैं। पैसा कोई और ले गया लेकिन अदा गरीब किसान को करना पड़ रहा है। मेरे पास ऐसे किसानों की अर्जियां पड़ी हुई हैं जिनके नाम फर्जी कर्जे लिये गये और वसूली आने पर पता चला। माननीय मंत्री जी कर्मठ हैं और योग्य हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसे फर्जी कर्जे चढ़ाने वाले सचिवों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। उन्हें सस्पेंड कर देना कोई सजा नहीं है। उनको ऐसी सजा दीजिये ताकि दूसरे लोग भी महसूस कर सकें कि अगर किसानों का शोषण करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। कृपया बैठें।

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिये मैं आभारी हूं और माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करती हूं।

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सहकारिता और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। सहकारिता भवन तो भ्रष्टाचार की जीती-जागती मीनार मालूम पड़ती है। मंत्री जी हमारे नवयुवक हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया कि भ्रष्टाचार कम करेंगे। अगर अगले पांच साल में 33 परसेंट भ्रष्टाचार कम कर दें, तो हम सिफारिश करेंगे कि इन्हें पद्म भूषण नहीं, तो कम से कम पद्म श्री अवश्य दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

पद्म श्री बड़ा है कि पद्म भूषण ?

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मेरी जनरल नालेज का इम्तहान न लें। बरेली जिले में सहकारिता विभाग की भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें हैं। अगर आप चाहें तो मैं 1001 तो अभी पेश कर सकता हूं। किसी भ्रष्ट अधिकारी का सदन में नाम लेने की मेरी आदत नहीं है। आप चाहें तो जांच करा लें। मुझे मालूम है कि बरेली में एक क्लर्क जिसकी पांच साल की नौकरी है, उसने फियट कार खरीद रखी है, जबकि मैं एक डाक्टर होने के नाते अपनी बीस साल की प्रेक्टिस में एक कार खरीद पाया हूं। बरेली में 700 करोड़ का खाद बनाने का कारखाना इफको द्वारा लगाया जा रहा है। हजारों नियुक्तियां हो रही हैं, जिसके एप्वाइंटमेन्ट्स में बहुत सी अनियमितताएं हो रही हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, लेकिन उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आज तक निमंत्रित नहीं किया गया कि वह आकर देख सके कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है और कैसे फैक्ट्री लग रही है। आज बजट पास कराने के लिए मुझे मालूम पड़ा है कि 80 हजार रुपया विभाग ने खर्च किया है, किन्तु आप हिसाब लगा लें, 53 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है, बाकी 27 हजार रुपया आपके विभाग के लोग खा गये। आजाद सहकारी सोसायटी, बरेली, जिसका मैं सदस्य हूं। मैंने सोचा था कि एक प्लाट 5 हजार रुपये में मिल भी जायगा, लेकिन वहां भी तीन लाख रुपये का घोटाला हो गया। मैं अपने जिले की नवाबगंज तहसील में किसान सहकारी चीनी मिल लगाने की मांग करता हूं।

(व्यवधान)

इस क्षेत्र में गन्ना बहुत होता है, किन्तु एक फैक्ट्री पीलीभीत में है, दूसरी तरफ बरेली नगर में है, तीसरी तरफ सेमीखेड़ा में है। ये सभी फैक्टरियां नवाबगंज से बहुत दूर पड़ती हैं, जिससे किसानों में बड़ी असुविधा रहती है। मान्यवर, मैं एक बार फिर मांग करूंगा कि आज ही आप घोषणा करें कि नवाबगंज में एक किसान सहकारी चीनी मिल यथाशीघ्र लगा दी जायगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी लाल--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, सहकारिता तो हमारे परिवार से आरम्भ होती है, सहकारिता परिवार का ही एक अंग है। इसे जन-आंदोलन बनाया गया है और वह जन-आंदोलन की तरह चलना भी चाहिये था। इसमें जैसा कि सभी साथियों ने दिक्कतें और भ्रष्टाचार की बात कही है, मैं समझता हूं कि आज हम सभी का नैतिक स्तर इतना गिरता जा रहा है कि जब परिवार से ही भ्रष्टाचार आरम्भ होता है, तो इतने बड़े व्यापक विभाग में कैसे उसे रोकना संभव होगा? इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि फर्जी कर्जे रोकने के लिये चेक प्रणाली आरम्भ की जाय।

मेरा निवेदन है कि कर्ज की बात बहुत लोगों ने कही है। चेक प्रणाली को प्रारंभ किया जाय तो मैं समझता हूं कि इस पर रोक लग सकती है। हैसियत रजिस्टर सचिव के पास होता है, उसके हिसाब से जितनी हैसियत हो, उसके अनुसार कर्ज निकालने का अधिकार कर्ज लेने वाले को हो वह चैक काट कर पैसा निकाल सके। इस प्रकार से जो फर्जी कर्जा लोगों के नाम चढ़ा दिया जाता है, उस पर रोक लगायी जा सकती है।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कृषकों की हैसियत पर सहकारी समिति निर्भर करती है। पन्त नगर से जो बीज किसानों को दिया जाता है, उसकी कीमत वही रखी जाय जिस कीमत पर किसान से खरीदते हैं। इस प्रकार की

व्यवस्था करें कि काश्तकार को उसी दर पर बीज मिले तो इससे लाभ हो सकता है। एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने प्रशासक नियुक्त करने की बात कही, बहुत सी जगहों पर आज भी प्रशासक नियुक्त नहीं है। जब तक चुनाव न हो, उन स्थानों पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय ताकि उनकी देख-रेख में चुनाव हो सके। जो अधिकारी बैठे हैं, उनसे मुक्ति मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं बजट का अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अचल सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान फतेहपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां की यह समस्या है कि एक कोल्ड स्टोरेज क्रय-विक्रय समिति का बिन्दकी रोड पर है, पिछले 2 साल से लाईसेन्स फीस जमा होने के बावजूद भी अनियमितताओं के कारण उनको देखते हुए हार्टिकल्चर विभाग ने लाईसेन्स नहीं दिया। पहली जुलाई, 84 से जनरेटर खराब पड़ा है। अबकी बार भी लाइसेन्स नहीं दिया गया लेकिन ए0 आर0 ने जबरदस्ती सचिव से कह कर आलू का भण्डारण करवाया। मार्च, अप्रैल में शीतगृह की मशीन नहीं चली। हार्टिकल्चर के अधिकारी ने जब कोल्ड स्टोरेज का मुआयना किया तो कोल्ड स्टोरेज का तापमान 65 से 75 सेन्टीग्रेड था जबकि आलू के लिये 32 से 35 तापमान होना चाहिये। ए0 आर0 को कई बार हार्टिकल्चर अधिकारी ने लिखा कि आलू न रखवायें, आलू किसानों का वापस कर दें। लेकिन ए0 आर0 ने जबरदस्ती सचिव से कह कर आलू रखवाया। आज एक भी आलू न खाने के काबिल है न बोने के काबिल है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। दूसरी समस्या एन0आर0पी0 के द्वारा जो गेहूं बंटता है। पहले पी0सी0एफ0 से सहकारी समिति में जाता था। लेकिन जब से यह ए0 आर0 आये हैं, पहले गेहूं क्रय-विक्रय समिति में उठवाकर रखते हैं उसके बाद जहां बंटता है, वहां बंटता है। 5 हजार बोरा गेहूं पी0 सी0 एफ0 से उठाया गया। जिसमें गेहूं की बोरी की तौल एक क्विंटल और 500 ग्राम थी लेकिन वही गेहूं जब क्रय-विक्रय के लिये सोसाइटियों के यहां बंटने के लिये गया तो उसकी तौल एक क्विंटल एक किलो दिखाई जाती है। इस तरह 250 बोरी गेहूं तयार हुआ जिसको ब्लैक कर दिया गया है। दूसरी बात सहकारी साधन में माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े बताये वह उसमें एक करोड़ आठ लाख सदस्य हैं और हर एक सदस्य से 2 रु0 प्रति सदस्य चन्दा दीगर के रूप में लिया जाता है। इस तरह से यह दो करोड़ अठारह लाख प्रति वर्ष उन सदस्यों से दीगर खर्च के रूप में लेकर केवल वहां के सचिव और अन्य अधिकारीगण खर्च करते हैं। मैं एक बात और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा वह है कलेक्शन चार्ज के रूप में जो पैसा लिया जाता है उसके संबंध में। जिस काश्तकार का बकाया 30 जून तक रह गया उससे 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज लिया जाता है इसमें जो अमीन स्वयं काश्तकार से वसूल करें वह तो ठीक है लेकिन जो काश्तकार स्वयं जाता है जमा करने उससे केवल ब्याज लिया जाय, कलेक्शन चार्ज न लिया जाय। इससे सदस्यों का समितियों के प्रति विश्वास उठता जायेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी फतेहपुर की तरफ जरूर ध्यान दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट---

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सहकारिता को जन आंदोलन का आह्वान किया है और आज यह सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचा है। आज उनके द्वारा गोदामों व शीतगृहों की व्यवस्था को भी विकसित किया जा रहा है। ऐतिहासिक रिकवरी की भी बात की गई। लेकिन हमारे सहकारिता विभाग में अधिकारियों को इतने अधिक अधिकार दे दिये गये हैं कि वे सहकारिता के इस जन-आंदोलन में रोड़े अटका रहे हैं। रजिस्ट्रार तथा डी0 आर0 को बहुत अधिक अधिकार दे दिये गये हैं जिससे निर्वाचित जिला सहकारी बैंकों के बोर्ड में भी डी0 आर0 का भारी हस्तक्षेप रहता है। इसीलिए जनहित में जन-प्रतिनिधियों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, ए0आर0 के पास 10–12 साल के आर्बिट्रेशन के केसेज पड़े हुए हैं। इसके लिए मंडल स्तर पर अलग से ए0 आर0 होना चाहिये। मान्यवर, सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण का प्राविधान है वह शासन से या सहकारी विभाग से इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। देहरादून की सहकारी दुग्ध डेरी की व्यवस्था पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से प्रदेश में सहकारिता पर आधारित एकमात्र रेशम उद्योग है, देहरादून में है। प्रदेश स्तर पर सभी जिला सहकारी बैंकों में समान कार्य के लिये समान वेतन का नियम लागू हो तथा कर्मचारियों का किया एक्स्ग्रेसिया उन्हें मिलना चाहिए। जहां पर गढ़वाल और कुमायूं व मेरठ मण्डल में कच्चे माल का रेशम भी प्राप्त होता है। मान्यवर, इसके लिये मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से अनुदान और संरक्षण की अपेक्षा करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ इन्क्वायरी लम्बित पड़ी है। मैं मांग करूंगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय, जिससे इस विभाग की छवि सुधर सके, जो मंत्री जी चाहते हैं कि इस समिति के माध्यम से ईमानदारी के साथ गरीबों को राहत पहुंचा सकें, प्रदेश के 30 प्रतिशत निर्धन लोगों को राहत जिनमें पचास प्रतिशत हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

तीन बजे समाप्त करना है, इसलिये समस्त सदस्यों को नहीं बुलाया जा सकता। सरदार सिंह जी, आप बोलें। आपके विपक्ष के नेता ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वे बोल रहे हैं, आपको कुछ कहना हो तो उनसे कह दें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह––

सहकारिता आन्दोलन जो हमारे देश में पनपा है। उसे तेलंगाना आन्दोलन और श्वेतकारी आंदोलन की भांति दबाया गया है।

श्री अधिष्ठाता––

अनुग्रह नारायण सिंह जी, आप बैठें।

(व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप बजट पर बोलने के लिये समय न मिलने पर सदन त्याग कर चले गये')

(2 बजकर 40 मिनट)

श्री सरदार सिंह––

मैं इस पक्ष और उस पक्ष के सभी विधायक, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, इसके लिये उन्हें और भी धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जीने अपने भाषण में यह माना है कि हमारे प्रदेश में यह आंदोलन लोकप्रिय नहीं हो पाया है। इसके कारणों पर हमारे माननीय सदस्य विचार कर चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि देश और प्रदेश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने के लिये इस आंदोलन को जनता के बीच और विशेष करके हमारे खेतिहर मजदूर, सीमान्त कृषक, निर्बल वर्ग के लोगों, हरिजन गिरिजन, रिक्शे वाले और तांगे वाले शहरी लोगों को ऊपर उठाने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस आन्दोलन को जन-आन्दोलन का रूप देंगे और जनता के बीच इसे अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें इतनी साख खोदी है सहकारिता विभाग ने कि सहकारी शब्द आया और लोगों के मन में भ्रष्टाचार अनियमितताएं जैसे विचार आने लगते हैं। तो यह चीज आम जनता के मन में घर कर गयी है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे दूर करें। कृषि के उत्पादन में, जापान ने, चीन ने, कोरिया गणराज्य व जनवादी गणराज्य कोरिया ने इतनी प्रगति की है कि किसानों को उर्वरक देने हरित क्रांति लाने में वहां की सरकारें प्रयत्नशील रहती हैं। जिस तरह से जापान और इन देशों ने वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये भरसक मदद की है उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी यह चीज अपनायी जा सकती है। लेकिन, उसके लिये बड़ी चीज जो है वह है इच्छा शक्ति, कर्मठता तथा ईमानदारी आप कितनी ही योजनायें बनायें लेकिन अगर नीयत साफ नहीं है और

लोगों की हालत को ऊंचा उठाने का पक्का इरादा नहीं है, तो जिस तरह से यह आंदोलन चलता आया है, वैसे ही चलता रहेगा।

नेहरू जी ने कहा था कि इसमें कोई पार्टी का मुद्दा नहीं होना चाहिये यह पार्टी का विषय नहीं है कोआपरेटिव में जो लोग आना चाहें, आने देना चाहिये। जो भी उन्होंने अपने जनतंत्र के लिये ग्राम, स्कूल, ग्राम सहकारिता और ग्राम पंचायत का विशेष बल दिया था, यह तीनों की तीनों चीजें जर्जर अवस्था में है। जनतंत्र को मजबूत करने के लिये नेहरू जी ने 3 चीजों पर बल दिया था माननीय मंत्री जी और यह सरकार उस पर तो कम से कम ध्यान जरूर देगी। 2–3 सुझाव देना चाहूंगा। कैश क्रेडिट योजना के संबंध में सहकारी ऋण समितियों की कैश क्रेडिट स्वीकृति करने के लिये सदस्य सम्पत्ति रजिस्टार लेखपाल द्वारा प्रमाणित कराया जाता है। मान्यवर, होता क्या है सचिव फर्जी सिग्नेचर लेखपाल के बना लेते हैं लेखपाल के या बढ़ा चढ़ाकर लिख देते हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें तहसीलदार द्वारा सदस्य सम्पत्ति रजिस्टर प्रमाणिकता के लिये प्रतिहस्ताक्षरित आवश्यक होना चाहिये। मान्यवर, मध्य प्रदेश की भांति सदस्य की सम्पत्ति की प्रमाणिकता व दोहरी लोनिंग से बचाव हेतु प्रत्येक किसान को पास बुक निर्गत की जाये जिससे हर वित्त पोषक संस्था द्वारा दिया जाने वाला ऋण दर्ज होता रहेगा। मान्यवर, इससे सचिव जो गड़बड़ी करता है, उसको रोका जा सकता है।

हमारी जो विभिन्न सहकारी समितियां हैं, आपने तमाम रजिस्ट्रार बना दिये हैं। मत्स्य संस्था है, आवासीय कोआपरेटिव संस्था है, गन्ने की है, सबको एक ही रजिस्ट्रार के अन्तर्गत आना चाहिये जिससे हमारी एफीशियेंसी ज्यादा अच्छी रहेगी। जनता की सेवा अच्छी हो सकेगी।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि जब तक आपकी व्यवस्था में सुधार न हो जाय तब तक इस कटौती के प्रस्ताव को मान लें आपके ही माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जब इसमें सुधार हो जाय और आप चुनाव करा दें तब आप जनता से अपने बजट की मांग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन तमाम माननीय सदस्यों का बड़ा अनुग्रहीत हूं जिन्होंने सहकारिता आन्दोलन को बल देने के लिये और मजबूत करने के लिए और उस पर नियंत्रण रखने व प्रशासनिक पकड़ के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था वह भी जनतांत्रिक मूल्यों में विचार-विनिमय की प्रक्रिया का एक उद्बोधन होता है, जिसका परिपालन हो चुका है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वे कृपाकर इसे वापस ले लें और सहकारिता विभाग में सहकारी आन्दोलन पर बल दें।

मान्यवर मुख्य, रूप से प्रशासकों की नियुक्ति के बारे में कहा गया। जिन प्रशासकों की गतिविधियों पर कोई शंका थी या किसी प्रकार की अनियमितता पकड़ी गई या फिर जो लोग डिफाल्टर लिस्ट में थे, ऐसे 1100 प्रशासकों को हटाया जा चुका है। दूसरा, माननीय श्री सरदार सिंह जी ने कहा कि चुनाव हुआ था श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जब वह सरकार में थे। चुनाव होना सहकारी आन्दोलन की स्वस्थ परम्परा है और उस दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया। उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं वे सारे लोग जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उनको ही दुबारा भी मौका मिला था इनके चुनाव कराने का, मगर किन्हीं कारणों से उनके लिये उस समय संभव नहीं हो पाया था। चुनाव न होने से सहकारी आन्दोलन की गति में अवरोध है, इसको मैं मुक्त रूप से स्वीकार करता हूं।

मान्यवर, एग्रो को आप के प्रशिक्षण के बारे में लखनऊ में इसके केन्द्र को स्थापित किया गया है। सहकारी विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें इसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे सहकारिता के मनोभावों को जान सकें और अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

मान्यवर, सरदार सिंह जी ने 3 वर्ष के लिए साख सीमा निर्धारित करने की बात कही थी। इसके अन्तर्गत किसानों को अल्पकालीन ऋण कृषि योग्य भूमि के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

आडिट के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके बारे में कार्यवाही हो रही है। बेनी प्रसाद जी ने कहा। शीत-गृहों के बारे में कहा। उनका कहना सही है। तमाम अन्य माननीय सदस्यों ने भी शीत-गृहों के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की कि शीत गृह की व्यवस्था की जाय। लेकिन मान्यवर, कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। किस्तों का जो निर्धारण किया जाता है और आल् रखने की जो व्यवस्था कम दर की है, जिसकी वजह से सीधे भार शीत गृहों पर आता है, इसके बारे में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बात चीत चल रही है कि इसका निस्तारण किस ढंग से किया जाय। हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री त्रिलोक चन्द्र जी ने कहा और जो उन्होंने आंकड़े दिये थे, उसको भी स्वीकार करते हुए यह प्रत्युत्तर दे रहा हूं कि पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख है।

मान्यवर, परिवार, जो कि कुछ परिवारों के 55 प्रतिशत आते हैं तब भी वह बात सही कही गयी है कि सहकारिता विभाग से प्रदेश के हर परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया में पहल करनी चाहिये।

भाई अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा कि समय हमारे बीच में कम रह गया है, नौजवानों और निर्बल वर्गों के लिये छात्रावास, भोजनालय हों, तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कायम है। हम उसके पक्षधर हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इसमें काम करेंगे।

फजलुल बारी साहब चले गये, उन्होंने कहा दम्भ और साहस की बात, तो यह हमारा दम्भ और साहस तो आपके भी दम्भ और साहस से है, सदन की भावनाओं के तहत है। यह तो मैंने आपकी शक्ति का आकलन करके कहा है। अनियमिततायें हैं, भ्रष्टाचार हैं, तो खुलेमन से उसको स्वीकार करना चाहिये, उससे मुंह मोड़ लेने से काम नहीं चलेगा। तो यह साहस और दम्भ, आपके ही साहस और दम्भ पर है। अगर आपका ही सहयोग नहीं होगा तो हमें किस बात का दम्भ है। नेता सदन और नेता विरोधी दल, दोनों महानुभावों का सहकारिता आन्दोलन से विशेष लगाव है और मैं अपने आपको बड़ा गौरवान्वित मानता हूं कि उनके साये में मझको भी सहकारिता विभाग में कुछ काम करने का मौका मिला है। यह बात सही है, मैं पुन: अपने वरिष्ठ साथी, जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं, सरदार सिंह जी की भावनाओं मेअपने को संबद्ध करते हुए यह निवेदन करूंगा कि सहकारिता विभाग की जो मनोभावना थी, जिसके तहत इसकी रचना हुई है उत्तर प्रदेश का सहकारिता आन्दोलन, जैसा कि परम आदरणीय स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की बात कही वैसा नहीं बन पाया है और उसके लिए दोष और प्रत्यादोष की बात नहीं है। उसके लिये हम जन प्रतिनिधि, नेता सामाजिक कार्यकर्ता जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के नेता होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी है कि इसको गति दी जाय।

हमारे मित्र डाक्टर साहब चले गये, आदमी में आस्था होनी चाहिए, आदमी को आस्थावान बनना चाहिए, निराशा जीवन को बडा संकुचित कर देती है। अगर मान्यवर, मुझे आस्था नहीं है, तो जैसा उन्होंने कहा कि 37 प्रतिशत कर लिया जायगा, अरे आपको तो कहना चाहिये 90 प्रतिशत कर लिया जायगा, मेरा सहयोग है।

तो मेरा निवेदन है कि अगर यह मान कर चला जाय कि अनियमिततायें हैं, गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, और फजलुलबारी साहब ने जैसा कहा, सम्मानित सदस्य ने कहा कि यह विभाग बन्द कर दिया जाय। तो अगर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की कल्पना कर लेंगे तो जनता किसके भरोसे है? गड़बड़ियों को दूर किया जायगा। अगर सदन की अनुज्ञा, सदन की आज्ञा रहेगी, इच्छा शक्ति है, सहयोग रहेगा तो उसमें गति आयेगी। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। महाराष्ट्र, गुजरात की कहानी दोहराते हैं, सहकारिता विभाग के परिप्रेक्ष्य में वहां जाने का मौका मिला है, मैंने भी देखा है, सही है, लेकिन वहां के सहकारिता आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं, उन सहकारी समितियों

को अपना परिवार अपना अंग मानते हैं। हमारे यहां, जैसा आपने कहा कि खाओ पिओ वाला विभाग है, मैं यह नहीं कहता कि आपने खाया होगा, लेकिन आपके संरक्षण में वह प्रक्रिया दोहराई गई होगी। मैं इसीलिये आपका अभिनन्दन कर रहा हूं कि जो छोटा सा बजट पेश किया है सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये, प्रदेश के निर्बल, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये, उसे आप पास करें। 20 सूत्रीय कार्यक्रम से भाई राम सरन दास जी को तकलीफ है, इस पर बल देने के लिये आप सबका सहयोग चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस पर बल देंगे जिससे सहकारिता आन्दोलन को बल मिलेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जैसाकि हमारे मा0 सदस्य वर्मा जी ने यह प्रश्न उठाया था कि लालबाग में जो पी0 सी0 एफ0 की बिल्डिंग है उसे 60 वर्ष की लीज पर देने जा रहे हैं। कोई पूनिया साहब आई0ए0एस0 अधिकारी हैं, उन्होंने प्रस्ताव किया है कि 60 वर्ष की लीज पर दे दिया जाय। इस प्रकार आप सहकारिता विभाग की पूंजी को समाप्त करने जा रहे हैं। इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया है। दूसरी बात, उपभोक्ता संघ में 50 लाख रु0 की दाल खरीदी, श्री आर0 बी0 त्रिपाठी ने खरीदी दलालों से खरीदी, बिचौलियों से खरीदी। इसका भी आपने कोई उत्तर नहीं दिया, यह दोनों बातें उठायी जा चुकी थीं।

श्री अरुण कुमार सिंह--

जो प्रशासक मण्डल है, उसकी संस्तुति पर यह निर्णय पी0सी0एफ0 की दशा को सुधारने के लिये लिया गया है। वह पी0सी0एफ0 की ही धरोहर रहेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह जो पी0सी0एफ0 की इमारत है और प्राइवेट लोगों को यह लीज पर दी जा रही है 60 साल के लिये। आप समझते हैं कि लीज पर दी हुई जमीन 60 साल बाद आपके पास वापस आयेगी? इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, सदन में मामला उठेगा। आप नौजवान साथी हैं, इसको देखें।

श्री मैनेजर सिंह--

मन्त्री जी कहते हैं संचालक मण्डल की आज्ञा है, चाहे पूनिया साहब हों या अमोनिया साहब हों, ऐसा नहीं कर सकते।

श्री अमर चन्द्र--

आगरा जनपद की बुनकर सहकारी समितियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले 2-3 वर्ष से बुनकर सहकारी समितियां हैं। उनको सहकारी बैंक ऋण नहीं दे रही हैं। मैं आपसे यह आश्वासन चाहूंगा कि स्पष्टीकरण दें कि उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या आगे दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अधिष्ठाता --

यह जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, माननीय मन्त्री जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हों तो कहें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, आप इस पर कुछ कहेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी बात रख दी है और उन्होंने उसे सुन लिया है।

श्री अरुण कुमार सिंह--

(बैठे-बैठे ही कहने पर) इसको दिखवा लेंगे।

श्री राम सरन--

बैठे-बैठे उत्तर नहीं देना चाहिये, आप खड़े होकर कहिये नहीं तो कोई बात कार्यवाही में नहीं आयेगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। माननीय नेताविरोधी दल ने अपनी बात को कह दिया है और उन्होंने उसे सुन लिया है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अक्तूबर में वे सहकारिता विभाग की प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के पहले जिन प्रशासकों को नियुक्त किया गया है क्या उनको आप हटा देंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, मैंने स्वत: निवेदन किया था कि अगर उनको हटाया तो आपकहेंगे कि सरकारीकरण हो रहा है इसलिये जहां-जहां गड़बड़ियां होंगी, वहां हटाया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि पूनिया साहेब ने जो बिल्डिंग के आदेश किये हैं उसके कागजात आप दुबारा दिखवा कर इस गम्भीर मामले को आप रोकेंगे। ऐसे ही सहकारिता में एल0डी0बी0 बैंक आता है जो कि किसानों का पैसा वसूल करता है, कुर्की कर लेता है, खेत नीलाम करता है, जमीन बेच देता है और चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। तो किसानों की कुर्की न हो,खेत न बिके, जमीन न नीलाम हो, उन पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाया जाय तो क्या आप इन सब बातों पर पुन: विचार करके इसको समाप्त कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, जो पी0सी0एफ0 की कैपर रोड पर बिल्डिंग है वह पुराना भवन था और उस पर एक नई बहुखंडीय इमारत पी0सी0एफ0 के ही द्वारा बनवाने का प्रस्ताव है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि पी0सी0एफ0 के द्वारा बिल्डिंग को बनवाने का प्रस्ताव है। मेरी बात का स्पष्ट उत्तर नहीं आया, मेरी जानकारी में सारा मामला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बिल्डिंग तो पी0सी0एफ0 के द्वारा बनेगी लेकिन इसे आप जो प्राईवेट लोगों को लीज पर देने जा रहे हैं,उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मैंने पहले ही कहा कि बहुखंडीय इमारत पी0सी0एफ0 के द्वारा बनवाई जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं यह स्पष्टीकरण देने का सिलसिला यहीं खतम करता हूं क्योंकि इसका समय हो गया है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारास्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,10,93 000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(3 बजकर 5 मिनट)

अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,22,89,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, पर्वतीय विकास का सृजन इस लिए हुआ था कि प्रदेश के 8 जिले जिनमें वहां के लोगों की गरीबी, बेरोजगारी क्षेत्रीय असन्तुलन, आर्थिक और सामाजिक असमानता के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसको दूर करने के लिये पर्वतीय विकास का गठन हुआ। इसके लिये सबसे पहले जो परिव्यय रखा गया

था पर्वतीय विकास के लिये वह बहुत कम था और हमारे विधायकों ने बार बार इस बात की मांग की कि 8 जिले जो पर्वतों के हैं, जिनकी जनसंख्या हिमांचल के बराबर है उसके लिए जो बजट रखा जाता है, वह हिमांचल प्रदेश की सरकार जितनी व्यवस्था करती है, हम भी करें। परन्तु उसके लिये प्रदेश के संसाधन कम थे। और केन्द्र सरकार से मान्यवर इस बात को कहा गया कि जिस प्रकार से हिमांचल प्रदेश को सहायता दी जाती है उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश के इन 8 जिलों को भी सहायता दी जाय और आप जानते हैं कि स्व0 श्रीमती इन्दिरा जी की कृपा से इन पर्वतों के 8 जिलों के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र से हिमांचल प्रदेश के बराबर हमको भी सहायता मिलने लगी।

मान्यवर, अगर आप देखें तो छठी पंच वर्षीय योजना में पर्वतीय विकास के लिये जो परिव्यय था वह 570 करोड़ रुपये का था और उसमें 350 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में हमें मिला है। 7वीं योजना जो प्रदेश की है, उसको ध्यान में रखते हुये जो पर्वतीय विकास की योजना है, उसका अगर आप कम्परीजन करें तो देखेंगे कि प्रदेश की जो 7वीं योजना है वह 6ठी योजना की तुलना में 77.4 प्रतिशत की उस में वृद्धि हुई है। पर्वतीय विकास के लिये मान्यवर इसकी धनराशि 1,75 करोड़ रुपये है, उसमें छठी योजना की तुलना में 88.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

मान्यवर, हमारी 7वीं योजना जैसा मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के बराबर होनी चाहिए इसमें आप देखेंगे कि उनकी 7वीं योजना है वह 1050 करोड़ रुपये की है। इस प्रकार से प्रदेश के आठ जिलों की जो योजना है, वह 25 करोड़ रुपये अधिक है। 1985-86 की मान्यवर, जो योजना है, वह पर्वतीय क्षेत्र के लिये 177करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है और इसमें से 108 करोड़ रुपया केन्द्र से मिला है। इसमें मान्यवर, हमारी जो योजना बनी है, वह पर्वतीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये है और जो वार्षिक योजना हैं, उनमें अधिक से अधिक उत्पादकता की मदों में खर्च करने का प्रयास किया गया हैऔर इसकोतुलनात्मक दृष्टि से देखे तो आप देखेंगे कि 6ठी योजना काल में जो खर्च हुआ वह 41.37 प्रतिशत है और उसमें जो हमनें प्रयास 7 वीं योजना में किया है वह 52 प्रतिशत है।

श्री कौशिक रमा शंकर--

अब आप कार्यक्रमों पर आवे।

श्री गुलाब सिंह--

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम यही हैं कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों को प्रदेश के दूसरे जिलों के समकक्ष लाने के लिये किस प्रकार से कार्य किया जाये, और इस सम्बन्ध में किस प्रकार से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आप यह जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के क्षेत्र की प्रगति उसके संसाधनों पर निर्भर करती है और आज मैं बताना चाहता हूं, माननीय कौशिक जी को बताना चाहता हूं कि जो अभी मैं विश्लेषण पढ़ रहा था। उसके द्वारा यह प्रयास कर रहा था कि प्रदेश की जो योजनायें हैं उसके मुकाबले मेंऔरपर्वतीय क्षेत्र की जोयोजनायें हैं उनमें बढ़ोत्तरी हुई है। और इसके लिये प्रदेश सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है क्योंकि यह बजट उन क्षेत्रों के लिये है जहां जैसा मैंने अभी कहा था बेकारी है, बेरोजगारी है और असमानता है और उन सब चीजों के लिये यह प्रयास किया जा रहा हैकि हम किस प्रकार इन पहाड़ी क्षेत्रों को आगे ले आयें ताकि हम लोग भी समाज के अन्य लोगों के साथ चल सकें यह हम प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, एक वर्ष पहले से जिला सेक्टर की योजना प्रदेश सरकार ने चलाई और पिछले वर्ष 1984-85 में जिला सेक्टर में हमने 88.10 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा था और इस वर्ष हम इसमें 92.03 करोड़ रुपये का प्राविधान रख रहे हैं। मान्यवर, पिछले साल 1984-85 में स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान में इन 8 जिलों के लिये 19 करोड़ की धनराशि रखी गयी थी और इस वर्ष इसको बढ़ाकर हमने 22 करोड़ रुपये रखा है। मान्यवर,

अनुसूचित जनजातियों केलिये पिछले 1984 85 में वर्ष 13.66 करोड़ की व्यवस्था की गई थी उसे इस वर्ष बढ़ाकर हमने 15.01 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि पहाड़ के लोग दो चीजों पर निर्भर करते थे—कृषि पर और सर्विस पर। कृषि और नौकरी पैसा—ये दो चीजें थीं जिन पर वहां की इकोनामी निर्भर करती थी। इसे अगर हम यों कहें कि यह वहां की मनीआर्डर इकोनामी थी। कृषि के बारे में आप जानते हैं कि जब तक कृषि सम्बन्धी उपकरण, संसाधन, उसकी बढ़ोतरी के उपाय नहीं किये जाय तो 6 महीने तक पहाड़ के लोगों को भूखे रहने की नौबत आ सकती है। इन्हीं कारणों से यह योजनायें बनायी जा रही हैं जिससे पहाड़ों के लोग आगे बढ़ सकें और उनका आर्थिक स्तर ऊंचा कर सकें। इसका प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है।

मान्यवर, आजकल हम लोग इकोलोजी और पर्यावरण के बारे में बहुत बात करते हैं। आज के युग में इसकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। इसके लिये भी हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इकोलोजी और पर्यावरण ठीक रहने के लिये भूमि एवं जल संरक्षण, जलागम को प्राथमिकता दी है। वनों का पहाड़ों में बहुत ज्यादा कटान हुआ है और इससे इतनी क्षति हुई है कि जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। इस क्षति को पूरा करने केलिये हमने नई नीति बनायी है और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं मान्यवर आप जानते हैं कि 1 हजार मीटर से ऊपर जो वन है उनका कटान पहाड़ों पर बन्द कर दिया है। जिससे वहां साइल इरोजन न हो सके और उसकी वजह से जो वहां क्षति होती थी उसको भी रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है इससे माननीय सदस्य सहमत होंगे।

मान्यवर, हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं इसलिये बहुत सी योजनाएं हमारी केन्द्र सरकार से पोषित है और उनको यूरोपीयन आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक की सहायता से पूरा करना चाहते हैं ताकि वहां के लोगों का स्तर ऊंचा कर सकें और वहां के पिछड़े लोग आगे बढ़ सकें इसके लिये एक ऐसी विकास रणनीति हमने अपनाई है जिससे हम वहां के लोगों का आर्थिक ढांचा ऊंचा कर सकेंगे। पर्यावरण और इकोलोजी को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे वहां के लोगों का उत्थान भी हो और हमारा पर्यावरण भी खराब न हो। इसके तहत जो रणनीति हमने तैयार की है वह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी सर्वश्री स्वामीनाथन और शिवरामन की अध्यक्षता में जिसने उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे जिसके तहत हमने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में रणनीति बनाई है। जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का जलागम/उप जलागम/सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के आधार पर कार्यान्वियन इस परिप्रेक्ष में 100 से अधिक सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में समन्वित कार्यक्रम विश्व बैंक व यूरोपीयन आर्थिक समुदाय की सहायता से चलाये जा रहे हैं, तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजनाओं द्वारा समन्वित जलागम प्रबंध द्वारा एकीकृत विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

दूसरा वनीकरण के बारे में मैं कहना चाहता हूं जैसा अभी कहा कि वहां वनों का बहुत कटान हुआ और उससे इतनी क्षति हुई है कि उसको पूरा करने के लिये फिर से वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसमें वनीकरण के विकास एवं क्षतिग्रस्त वनों के जीर्णोद्धार एवं सिविल तथा सोयम वनों के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण इस परिप्रेक्ष में करने के लिये उप जलागमों के लिये जो परियोजना समितियां बनाई गयी हैं उनमें सभी ग्राम प्रधानों और समन्वित विकास खण्डों के प्रमुखों को सदस्य बनाया गया है। हमारा लक्ष्य यह है कि वहां के लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो और जो इकोलोजी की समस्या है उसका भी हल हो।

सड़कों का भी पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाने में महत्वपूर्ण स्थान है इस बात को आप जानते हैं। मैं जब सन् 1957 में विधान सभा में चुन कर आया था तो सन् 57 से 64 तक मुझे अपने गांव से चकराता पैदल आने में दो दिन लग जाते थे और कहीं तब मैं यहां (लखनऊ) पहुंच पाता था इसलिये मुझे मालूम है कि वहां क्या कठिनाई होती है। जब आदमी पैदल चलता है तब उसे असलियत मालूम होती है। उस समय मैं जवान था लेकिन उम्र के साथ-साथ आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी। दो दिन पैदल रास्ते से चलकर अब हम लखनऊ पहुंचते थे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कठिनाई होती होगी।

मान्यवर, यदि सड़कें बनाते हैं तो वनों का कटान होता है, पर्यावरण और इकोलोजी की समस्या सामने आती है जिससे परेशानी होती है। इसलिये क्या सड़कों में रण नीति अपनायी जाये। प्लानिंग कमीशन कहता है कि आप अपनी रणनीति को बदलें तो उसके तहत प्रयास कर रहे हैं। कि मेन मोटर मार्ग न बनाये बल्कि लिंक रोड, अश्व मार्ग, झूले के पुल मार्ग बनाये जायं, इसका प्रयास और इस पर बल दिया जायेगा और इस बात का प्रयास किया जायेगा कि पहाड़ों में केदार नाथ और बद्रीनाथ जाने में बड़ी कठिनाई होती है। सौभाग्य से पिछले समय में राष्ट्रपति जी श्री केदार नाथ गये, मुझे भी सौभाग्य से वहां जाने को मिला इस वर्ष उप राष्ट्रपति जी वहां गये तो भी वहां जाने का मुझे सौभाग्य मिला, उनका कहना था कि केदारनाथ तक सड़क बननी चाहिये क्योंकि केदार नाथ तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसलिये जब हम प्रयास करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वहां जो सुन्दर वन है उनका जब कटान होगा तो सोचता हूं कि क्या किया जाये क्योंकि 15.20 लाख रुपये खर्च करने के बाद उसको छोड़ना पड़ा। तो यह सब चीजें ऐसी हैं जिसमें दोनों बातें विरोधाभास की हैं। आज रास्ते चाहिये लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, इसमें संघर्ष चल रहा है। माननीय सदस्य सुझाव देते हैं और कहते हैं कि अपनी नीति में परिवर्तन होना चाहिये जिससे सड़कें बनें, नहरें बनें, बिजली के तारें वहां तक जा सकें, तो कई चीजें ऐसी हैं जिसमें मा0 सदस्यों का कहना सही है। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में हम क्या करें यह एक विचारणीय विषय है उसको देखते हुये नीति के अनुसार कैसे काम करें, कैसे सड़कें बनायें कि क्षति न हो। इसलिये एक रणनीति का फार्मूला बनाया है जिसके अनुसार हम काम करेंगे।

मान्यवर, पर्वत के लोगों की आमदनी की बात कही गयी। एक तो नौकरी के माध्यम से दूसरे कृषि के माध्यम से। कृषि में फलोत्पादन वहां के लोगों को करना चाहिये और बहुत हद तक कर रहे हैं। कृषि में मैंने जैसा कि पहले कहा कि उतना लाभ नहीं होने वाला है लेकिन यदि फलों पर जोर दें तो तो उनकी इकोनामी अच्छी होगी।

मान्यवर, इसलिये फलों के विपणन के लिये उनकी प्रोसेसिंग के लिये कार्यक्रम हमने बनाया है जिसके तहत चाहते हैं कि लोगों का आर्थिक ढांचा ऊंचा हो। इस संबंध में दो मंडलीय निगम कुमायूं विकास निगम और गढ़वाल विकास निगम के अलावा फलों का विपणन व प्रोसेसिंग के लिये उपाय लिमिटेड की परियोजना विचाराधीन है। इसलिये मान्यवर, वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठायें और आर्थिक हालत उनकी ठीक हो तो इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है। फलों के विकास एवं प्रोसेसिंग हेतु एक समग्र परियोजना विश्व बैंक की सहायता से तैयार की गयी है। जिसे विश्व बैंक की स्वीकृति के लिये भारत सरकार के पास भेज दिया गया है और मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी ही जब यह परियोजना हमारी स्वीकार हो जायेगी तो हमारे लोगों को बहुत कुछ राहत मिलेगी। मान्यवर, वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा स्रोतों का विकास भी बहुत जरुरी है। जब हम वनों के कटान को रोकने की बात करते हैं कि यह नहीं होना चाहिये तो ईंधन का भी हमें प्रबन्ध करना होगा, उसके लिये कई चीजें

जैसे कूकिंग गैस, तेल और बिजली सप्लाई आदि जिससे कि वनों पर जो आज हम निर्भर कर रहे ह, ईंधन के लिये उन पर कम भार पड़े।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी संक्षेप में कहें, बाद में भी आपको मौका मिलेगा।

श्री गुलाब सिंह--

उच्च शिक्षा की सुविधा के दृष्टिकोण से आप जानते है अ वित क्षेत्रों में आज उच्च शिक्षा की सुविधा के लिये 10 किलोमीटर तक की दूरी पर विद्यार्थियों को स्कालरशिप दे रहे हैं तथा गुणात्मक शिक्षा के विकास के लिये वरीयता का प्राविधान कर रहे हैं, ताकि लोगों का शैक्षिक विकास हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो।

मान्यवर, आप जानते है कि पहाड़ों से बहुत ज्यादा लोग नीचे की ओर पलायन कर रहे हैं, तो लोग वहीं रहे इसके लिये भी हम सोच रहे हैं और इन्होंने (डाक्टर शिवानन्द नौटियाल) भी अपने समय में इस पर विचार किया होगा जब इनके पास पर्वतीय विकास विभाग था। इसलिये उनके लिये रोजगार के अवसर वहीं बढ़ाने के लिये हम प्रयास करेंगे। इसी प्रकार बच्चों और महिलाओं के लिये भी हम एक योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनका समुचित विकास हो सके। हमारे पर्वतीय विकास विभाग में कृषि भी आता है। और उसके सम्बन्ध में हमने एक लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा किया है। 84-85 में 13.8 लाख मी0टन का उत्पादन हमने किया है और 85-86 के लिये 14.50 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लये हम उन्नत-बीज, उर्वरक और रासायनिक उर्वरक देने और सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं जिससे हम यह लक्ष्य [illegible] प्राप्त कर सकें और इसके अलावा उर्वरक का एक कारखाना लगाने की भी बात हम सोच रहे है, उसमें 20 लाख रुपया उत्तर देश कृषि औद्योगिक विकास निगम को अंश पूंजी के रूप में दिया है ताकि कारखाना लग सके। इसके साथ-साथ सोयाबीन के द्वारा पहाड़ों की हम कायाकल्प कर सकते हैं। पहाड़ों के लिये यह जरूरी है। कृषकों का ध्यान इस ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। परम्परागत खेती पर पहाड़ के लोग अगर चलते रहेंगे तो वहां के लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिये कृषि में जलवायु के आधार पर नकदी फसलों पर कार्य कर वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है विशेष कर सोयाबीन से हम समझते हैं कि हमरा कायाकल्प हो सकता है और इस दृष्टि से हमने एक सोयाबीन परियोजना तैयार की है। जिसकी लागत करीब-करीब 46.31 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के माध्यम से इफाड की सहायता से इसको करना चाहते हैं। इससे हम कृषि में कुछ प्रगति करेंगे और पहाड़ों के पिछड़ेपन को दूर कर पायेंगे। मैं फिर से बागवानी पर आता हूं। पिछले साल 1984-85 में 6000 एकड़ में बाग लगे थे और 1 हजार हेक्टेयर में सब्जी लगी थी। इस साल 1985-86 में हमने 8192 हेक्टेयर में बाग का लक्ष्य रखा है और 2595 हेक्टेयर में सब्जी का लक्ष्य रखा है। इससे हमको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। मान्यवर, इसी तरह से 1984-85 में फलोद्यान कार्यक्रम में कुल खर्च 377 लाख रुपये था और इस वर्ष 1985-86 में 4 लाख 75 हजार रुपये खर्च के लिये रखे गये है। मान्यवर, फलों के भंडारण के लिये 57.04 करोड़ की एक व्यापक परियोजना विश्व बैंक की सहायता के लिये तैयार की गयी है, यह विश्व बैंक की सहायता वित्त पोषित होगी। इसको भारत सरकार के पास भेज दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह योजना बहुत जल्दी स्वीकृति हो जायगी, मान्यवर, इसी प्रकार से वानिकी, वन जन्तु संरक्षण, शिक्षा आदि में भी काफी प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी क्या बात आप लेंगे?

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री गुलाब सिंह---

मान्यवर, चूंकि आपकी आज्ञा है कि मैं अपनी बात खत्म करूं तो मैं चाहूंगा कि पहाड़ों के उत्थान के लिये, हमारे माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, वह अच्छे सुझाव देंगे जिससे पहाड़ों के उत्थान के लिये हम कार्य कर सकें। मैं आपके सुझावों का स्वागत करूंगा और प्रयास करूंगा कि जो अच्छे सुझाव होंगे उन पर त्वरित गति से कार्य किया जाय इन शब्दों के साथ मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह अपने सुझाव दें।

डा० शिन्दे

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या 33---पर्वतीय विकास विभाग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने सम्मानित मंत्री जी के भाषण को सुना और मान्यवर, आपने भी सुना। उन्होंने प्रारम्भ में ही कहा कि पर्वतीय विकास विभाग इसलिये बना दिया गया था कि उससे क्षेत्रीय असंतुलनता को दूर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम वहां की गरीबी और पिछड़े पन को दूर करेंगे माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि वहां की विलक्षण स्थिति को देखते हुए पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सीमांत की दृष्टि से, भारत सरकार ने सीमांत क्षेत्र को विशेष सहायता देने और उसकी गरिमा को बनाने के साथ-साथ वहां के लोगों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिये सहायता देने की बात की थी इसलिये पर्वतीय विकास विभाग का गठन हुआ था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आयी है तब से न वहां की क्षेत्रीय असंतुलनता समाप्त हुई है न वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है और न किसी तरह की प्रगति मालूम हुई है। बल्कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास की गति पूर्णतः रुक गयी है। मान्यवर, जैसा उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है कि कृषि और नौकरी के लिये हमने वहां पर काम किया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका परीक्षण करा लीजिये, पर्वतीय अंचल के लड़के दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। एक भी जगह उनको नहीं मिल पा रही है। जहां तक कृषि का संबंध है, हमारे यहां कृषि में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। भूमि के अनुसार आज तक वहां पर न तो कोई अन्वेषण किया गया है और न कोई खोज की गयी है। इस लिए उस प्रकार की खेती का कोई मूल्य नहीं है जो वहां की भूमि के अनुसार न हो। मान्यवर, अधिक रुपयों की बात कही गयी, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जो योजना आयोग है उसने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के बजट में जो भी संसाधन है उसका 15 प्रतिशत पर्वतीय अंचल को दिया जायगा। आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात कही। प्रदेश में 11 सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। अगर उस राशि का 15 प्रतिशत लिया जाय तो 825 करोड़ रुपया होता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का 17.4 प्रतिशत यानी लगभग 962 करोड़ रुपया, जो कुल मिला कर 1797 करोड़ रुपया आता है, जो पर्वतीय क्षेत्र के सप्तम पंचवर्षीय योजना के लिये किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्र उप प्लान के लिये केवल 1075 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, यानी 722 करोड़ रुपया आवंटित किया जाना शेष है वह भी आप खा गये।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, इस माननीय सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने हमेशा आक्षेप किया कि पर्वतीय क्षेत्र में धन जो है बुरी तरह से लुटाया जा रहा है या अधिक रुपया दिया जा रहा है। हमको जो योजना के अन्तर्गत मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि ऐसी विसंगति न कभी हुई है और न होगी और मंत्री जी कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र को बहुत रुपया दिया रहा है। जिन तथ्यों को आपने बताया, उन तथ्यों की

ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह पुस्तिका आपने देखी है। मान्यवर, तमाम विभाग के लिटरेचर वितरित किये जाते हैं, वे स्पष्ट और साफ छपते हैं, परन्तु यह पर्वतीय अंचल का लिटरेचर धूमिल लिटरेचर है, इसी तरह की वहां की स्थिति भी धूमिल है। मान्यवर, जब इस तरह से लिटरेचर होगा, तो वहां की काम करने की स्थिति ही क्या होगी? इस साहित्य से अनुमान कर लीजिये कि वहां क्या हो रहा है।

श्री लाल प्रताप सिंह---

प्रिंटिंग मिस्टेक है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होती तो कोई बात नहीं थी, यह तो अंधकार में बिलकुल भयंकर अंधकार का रूप है। अगर आपकी समझ में आ जाय, तो मैं आपके पास भेज देता हूं, आप पढ़ लीजिये। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हमने पर्यावरण की बातों पर बहुत ध्यान दिया है। यह पर्यावरण ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हर जगह पर कर दिया जाता है। संसार में जितनी चीजें प्रकृति ने पैदा की हैं, वह सब पर्यावरण में आ जाती हैं। पर्यावरण में तो वन कटना ही नहीं, मान्यवर और पेड़ हैं, तो उसके साथ जन्तु भी हैं जिन कीड़े-मकोड़ों को हम समझते हैं कि वे बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो वह भी पर्यावरण में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में यह कहा जाता है कि पर्यावरण के कारण अब हम सड़कें नहीं बनायेंगे। परन्तु बिना सड़कों के पहाड़में कोई काम नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, कि जहां सड़कों के लिये बहाना लिया जाता है, सड़क बनाने से रोकी जाती है, वहीं वन निगम तमाम पेड़ों की कटान करके अवैध रूप से हजारों रुपया लूट रहा है, वहां पर्यावरण का प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा रहा है। मान्यवर, पिछले वर्ष दीवारेज लैन्सडाउन क्षेत्र एक नहीं हजार नहीं लाखों पेड़ों का जंगल नष्ट हो गया। वहां पर इस पर्यावरण के स्वरूप को क्यों नहीं अपनाया गया। मान्यवर, एक पुल बदरी के दार क्षेत्र में पड़ता है। एक तरफ का तीन मीटर का अवेटमेंट बन गया, दूसरी तरफ का इसलिये नहीं बन रहा है कि वन विभाग के अन्तर्गत है। पेड़ नहीं है, केवल इसलिये कि वन विभाग की जमीन है। इस तरह इस सरकार द्वारा हमारी प्रगति को रोका जा रहा है। आपने कहा उपाय के द्वारा बहुत भारी कृषि के विपणन का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उपाय सन् 76 में बनाया गया था। तत्कालीन पर्वतीय सेक्रेटरी दिल्ली के कैलरीज होटल में रंगरेलियां मनाते थे और एक अखबार निकलता था। जब दिल्ली के अन्दर धरपकड़ हुई, तो उस दफ्तर को बन्द करना पड़ा और वह अखबार कहां गया भगवान जाने।

मान्यवर, दूसरे सचिव न केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में हर जगह घूमे और उन्होंने उपाय के रुपये का दुरुपयोग किया और उपाय जहां का तहां है। नये सचिव आ गये हैं, मुझे विश्वास है कि वह इस उपाय का उपाय कर लेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है, वरना यह उपाय पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को ले डूबेगा, भूतपूर्व सचिवों ने उस रुपये का दुरुपयोग किया है, पर्वतीय क्षेत्र की जनता की खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग करने के बाद जो स्वरूप वहां का बना वह देखने लायक है। माननीय मंत्री जी ने सड़कों के बारे में बहुत भारी नक्शा खींचा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सार्वजनिक निर्माण विभाग से ही शुरु करता हूं। इस समय हमारे पर्वतीय अंचल में 8 जिले हैं। 8 जिलों में दो चीफ इंजीनियर हैं और मान्यवर, काम एक सड़क पर भी नहीं हो रहा है। दो एक उदाहरण देकर सारी बात स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा। गढ़वाल में 8 डिवीजन हैं 15 ब्लाक हैं, चमोली में 6 डिवीजन 11 ब्लाक हैं। आपसे इसलिये कहना चाहता हूं कि एक और आधा डेढ़ ब्लाक के आधार पर एक डिवीजन है। इसी तरह सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण के डिवीजन हैं एक अधिशासी

अभियन्ता 4 सहायक अभियन्ता 16 जूनियर इंजीनियर एक डिवीजन में है। मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है इन डिवीजनों में कोई काम नहीं है तो इतने अधिकारियों की क्या आवश्यकता है। मान्यवर, जो सड़क बन गई है, उनका मुआवजा नहीं दिया। जहां सड़कें बनाने से नल टूट गये है, गांव के रास्ते टूट गये है उन्हें नहीं बनाया गया और न ही मुआवजा दिया गया वह नहीं बना। वन अधिनियम के कारण सड़कें वैसी पड़ी हैं। काम बिलकुल बन्द है। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, कि यह और कौन कर रहा है। मान्यवर, आज इस विभाग के द्वारा सड़क नहीं बन पाई है, पुल नहीं बन रहा है, स्कूलों की इमारतें नहीं बन रही है, अस्पतालों की बिल्डिंग नहीं बन रही है। जितना रुपया भी पर्वतीय विकास की ओर जा रहा है उसके संबंध में कहूंगा कि उसका निरीक्षण-परीक्षण कर दिया जाये। इन 5 वर्षों में 80–85 के बीच में जितने भी काम हुये हैं उनको देखा जाय और जो अपराधी और दोषी हों, वह चाहे अफसर हों, या ठेकेदार, उनको दंडित किया जाय। मान्यवर, मैं पौड़ी और श्रीनगर, कर्णप्रयाग, गौचर, थवाली, और थराली डिवीजनों में स्वयं गया हूं, इन डिवीजनों में सन् 76 से बनी हुई जो सड़कें है उनका मुआवजा आज तक भी नहीं दिया गया है वहां पर न सड़कें बनी हैं, न अस्पतालों के भवन बने हैं, न पुल बने हैं, न स्कूल के भवन बने हैं। मान्यवर, पर्वतीय विकास का रुपया न जाने कहां जा रहा है। इसका निराकरण आपके ही माध्यम से होना चाहिये। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अभी आपने देखा और सुना होगा कि भयंकर सूखा पड़ा था और हमारे साथ सब ने सहानुभूति भी की थी। सूखे के समय पर्वतीय क्षेत्र में गाड़ियों के द्वारा, खच्चरों के द्वारा पानी पहुंचाया गया।

गांव-गांव में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। 8 जिलों में पानी की जो योजना जलनिगम द्वारा बनाई गई थी वहां पर कहीं भी पानी नहीं पहुंचा। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, हिन्डोलाखाल की बात देख लें वहां आज भी पानी के लिये लोग तरस रहे हैं। कहा यह जाता है कि सारा पैसा पर्वतीय अंचल में चला गया। वह चला तो गया लेकिन वह सब लुट गया और लूटने वाले लोगों को ही उससे फायदा हुआ पर्वतीय क्षेत्र सारी सुविधाओं से वंचित है। मान्यवर, पौड़ी में 5, टिहरी में 8, चमोली में 5 डिवीजन जल निगम के हैं और एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, 4 असिस्टेन्ट इन्जीनियर और 10 जूनियर इन्जीनियर वहां पर थे। वे अगर एक-एक योजना पर भी बैठे रहते तो इन गर्मियों में हमारे पर्वतीय अंचल के लोगों को पानी के लिये तरसना नहीं पड़ता। आज जो योजना बनती है वह जलसंस्थान को दे दी जाती है। पिनाली पानी ब्लाक के गांव में मैंने स्वयं देखा वहां न डिग्गी है, न पानी के नल है और सारी की सारी योजनायें वैसे ही पड़ी हुई है। मान्यवर, पूरे जिले में जल संस्थान की यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह जल संस्थान को दी गई है। जल संस्थान के पास न अधिकारी है और न ही साधन है। एक एक्जीक्यूटिव होता है उसके पास न तो गाड़ी है और न इन कार्यों को पूर्ण करने के लिये कोई साधन है। इनको भी वही सुविधायें और साधन मिलने चाहिये जो जल निगम को मिलती है ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें। माननीय मंत्री जी ने 3 बार कहा कि हम कृषि और नौकरी के बारे में पर्वतीय अंचल की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा के लिये भी कहा गया लेकिन शिक्षा की जो स्थिति है उससे आंखों से आंसू ही नहीं बल्कि खून भी टपक जाता है। आप नौकरी की बात करते है। हमारे यहां प्राइमरी विद्यालय है इन प्राइमरी विद्यालयों में जितने भी नये अध्यापक आ रहे है वे देवरिया और गोरखपुर से आ रहे हैं। वे न तो पहाड़ों पर रह सकते है और न ही बच्चों को शिक्षा दे सकते है। मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बोली में वे अध्यापक "अ" "आ" पढ़ायेंगे तो उनसे बच्चे क्या सीख सकते हैं? बलिया का भोजपुरी बोलने वाला गढ़वाली और कुमाऊंनी में कैसे पढ़ा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं हमारे यहां इतने लड़के बेकार है, हमने बार-

बार मंत्री जी से कहा कि इन बेकार इन्टरमीडिएट लड़कों को, ग्रेजुएट, बी0एड0 लड़कों को प्राइमरी विद्यालय में ही कम से कम नौकरी दे दीजिये, लेकिन आपने उस बात को नहीं माना और बलिया और गोरखपुर के लोगों को भेज दिया। उनको भी कष्ट दिया। वह भी हमारी भाषा नहीं समझते। उनको हमारे यहां अनिवार्य रूप से एप्वाइंट कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि नौकरियों का इंतजाम कर दिया। यह पर्वतीय विकास तो आकाश में है यह विभाग धरती पर आ जाय तभी तो भगवान कल्याण करेंगे। हमारे यहां हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट में हिल कैडर के नाम पर स्टाफ नियुक्त कर दिया गया। होता यह है कि वह स्कूल पहुंचते ही छुट्टी लेकर घर आ जाते हैं।

आपके माध्यम से आग्रह है कि हमारे स्कूलों में माननीय मंत्री जी, ने शिक्षा मंत्री जी ने इसी हाउस में उत्तर दिया कि 119 इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य नहीं है और 60 प्रतिशत विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। यह उदाहरण था मान्यवर, मार्च के महीने का। हमारे लड़के पास नहीं होंगे, अध्यापक पहुंचेंगे नहीं, तो परीक्षा में फेल होंगे तो मैरिट नहीं बन पायेगी। अध्यापकों में हिल कैडर के नाम पर नौकरियां दी गई लेकिन जिनके लिये इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, हजारों हजार लड़के असफल होकर बेकार घूम रहे हैं। हमारे डिग्री और इंटरमीडिएट कालेजों में विषय नहीं हैं। सब्जेक्ट देने से आप कतराते हैं। गढ़वाल और कुमायूं यूनिवर्सिटी में प्राइवेट शिक्षा दी जा रही है। भला हो गाइड बनाने वालों का, गाइड पढ़-पढ़ करके लोग प्राइवेट इम्तहान दे रहे हैं। आप इन स्कूलों में विज्ञान नहीं दे सकते हैं। वहां आप कहते हैं कि विद्यालय चलेगा ही नहीं। यदि आधुनिक आवश्यकताओं के आधार पर सचमुच आप रोजी रोटी के साधन बनाने की चेष्टा करेंगे तो हमारे इन कालेजों में ऐसे विषय दिये जायें जिनसे उनका भविष्य निर्धारित हो सके। मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा की बात कहो। आई0टी0आई0 और पालीटेकनिक में भी मैरिट का सवाल आ जाता है। वहां पर पहाड़ के लड़कों को फिर स्थान नहीं मिलता है। क्या पालीटेकनिक और आई0टी0आई0 गोचर, कर्णप्रयाग और पिथौरागढ़ में खोल देने से पर्वतीय अंचल की समस्या हल हो गयी। नीचे के लोग ऊपर न जाय, यह हम नहीं कहते हैं। सब का प्रदेश है। सबको जाना चाहिये। लेकिन जिन परिस्थितियों को हम कहते हैं, वहां के पढ़ने वाले लड़कों को वहां स्थान नहीं मिलेगा तो वे कहां जायेंगे मैदान में तो उनके लिये स्थान है ही नहीं। इस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस दिशा में अवश्य ध्यान देंगे।

मान्यवर, यही बात नहीं है, हमारे यहां प्रान्तीयकृत विद्यालय हैं सरकारीकरण कर दिया गया। परन्तु प्रान्तीयकृत अध्यापकों की समस्या आज तक यों ही लटकी हुई है। कई स्कूलों के अध्यापक रिटायर हो गये परन्तु उनका हिसाब आज तक नहीं मिला। उनमें 2-3 मर भी गये हैं। शेष मरने के कगार पर हैं, तो क्या उनके मरने के बाद यह काम श्राद्ध के लिये करेंगे। क्या यही श्राद्ध होगा। श्राद्ध भी करेंगे तो पहाड़ों में पानी भी नहीं है, तर्पण कैसे दिया जायगा। आपने स्वयं कहा कि एक हजार फीट ऊपर से नीचे के सारे पेड़ों की कटान न करने के आदेश दे दिये हैं। जो उद्योग गढ़वाल और कुमाऊं में लगे थे वे सारे के सारे बन्दी हो गये। पहाड़ों में वनों पर आधारित उद्योग लगे नहीं। जिन्होंने चमरबड़ी के द्वारा उद्योग लगाये भी थे वे बंद हो गये। गरीब पहाड़ी वर्ग के कारण फिर दर-दर की ठोकरें खाने लगे। वन निगम हजारों ऐसे पेड़ों को अवैध रूप से कटवा कर पहाड़ के जंगलों को नष्ट कर रहा है परन्तु पहाड़ के लोग रोजी-रोटी के लिये भी दूसरों के ही मुहताज हो रहे हैं। ऐसी उद्योग संस्थाओं के उद्योगियों को आज जीवन जीना भी मुश्किल हो रहा है।

मान्यवर, जंगल काट काट कर वन निगम के द्वारा उसकी लूट करवा दी। आप पहाड़ में अब उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस कारखाने की बात कही जा रही लगने की, वह कारखाना कहां लगाया जा रहा है

एक सदस्य---

काशीपुर में होगा या गंगोत्री में।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

गंगोत्री में लगे तब भी ठीक है। आप गढ़वाल मण्डल के लोगों की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने भी उद्योग लग रहे है, उसमें गढ़वाल को छोड़ा जा रहा है। क्या देहरादून का मैदान क्षेत्र और नैनीताल का मैदानी क्षेत्र ही पहाड़ है। वास्तव में ये दोनों क्षेत्र बिल्कुल पहाड़ नहीं है। असली जो पहाड़ हैं वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वहां के लोग पानी के लिये भी तरस रहे हैं वहां के बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, मजबूर होकर घर-घर में बर्तन मांजने के लिये मजबूर हैं। वहां की स्थिति दयनीय है। जो वहां के उद्योग लगाने वाले लोग थे, वह सड़कों पर आ गये हैं। कभी इस मंत्री के दरवाजे पर जाते है तो कभी उस मंत्री के दरवाजे पर भटकते हैं। उनका कोई पूछने वाला नहीं है। फिर उन्हें बहुत भटकाया जाता है बाद में कह दिया जाता है कि यह उद्योग वहां नहीं लगेगा।

वन से आधारित उद्योग पहाड़ पर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? फलों की बात कही गयी। माननीय कृषि मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं। मान्यवर, बात हिमाचल की की जाती है परन्तु मार्केटिंग के सम्बन्ध में कोई बात नहीं की जाती। मान्यवर, हरमिल के सेब पिछले पांच वर्षों से एक नम्बर पर चले आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में हिमाचल के नाम से बिक रहे हैं।

एक सदस्य---

पहली तारीख से सेब की प्रदर्शनी लग रही है। उसमें स्थिति देख लीजियेगा।

डा0 शिवानन्द नौटियाल---

हम देखेंगे।

श्री गुलाब सिंह---

हरमिल के पास नौगांव अच्छा क्षेत्र है। वहां उद्यान पंडित की उपाधि मिली है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल---

मैं आपके घर की ही बात कह रहा हूं। आपके घर के पास हिमांचल है। वहां से कुछ सांठगांठ तो नहीं है।

श्री अधिष्ठता---

आप उनके घर की बात कह रहे हैं, वे आपके घर की बात कह रहे हैं। आप सदन की बात करें। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

डा0 शिवानन्द नौटियाल ---

मान्यवर, एक निवेदन करूंगा कि आज पर्वतीय विकास का बजट है। जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, वे बोलेंगे। मान्यवर, इस बजट पर पूरे चार घंटे का समय है। आप हमें पूरा अवसर दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बिल्कुल बोलिये लेकिन थोड़ा समय को भी देखिये।

डा0 शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, पशुपालन विभाग की बात है, वन विभाग की बात है। मैं फिर अपनी बात पर लौटकर आता हूं। यह वन लगाने का ऐसा मामला फंस गया कि हमारे यहां मान्यवर, इस वन के लगने के कारण कृषि विभाग के द्वारा भी यह काम किया जा रहा है। वन विभाग का तो काम है ही। कहीं-कहीं पी0 डब्लू0 डी0 भी इस दिशा में संलग्न है। मान्यवर, 1980 से लेकर अभी तक के माननीय मंत्री जी से आप आंकड़े मंगा लें मान्यवर, एक इंच पहाड़ की भूमि में कोई जगह छूटेगी नहीं, जहां पेड़ न हों। परन्तु आज भी सारे पहाड़ नंगे के नंगे खड़े हैं। इन सब विभाग के द्वारा जो वृक्षारोपण हो रहा है वह कहां हो रहा है यह भी देखने की बात है। 1980-85 के बीच जहां भी वृक्षारोपण हुआ है, उसका निरीक्षण और परीक्षण होना चाहिये। आज हर विभाग के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे चाहे आज पहाड़ के लिये 2 अरब का बजट रख दें, और इस

लूट की बाढ़ को नहीं रोकेंगे तो यह धीरे-धीरे नीचे खिसकते आयेगा और लूटने वाले लूटते चले जायेंगे ।

मान्यवर, आज जिस तरह से अध्यापकों की हालत पहाड़ों पर हो रही है, ठीक उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत भी डाक्टरों की हालत आज पहाड़ों पर हो रही है । जो डाक्टर वहां नियुक्त किये जाते हैं, वे कोटद्वार और ऋषिकेश में ही दस्तखत करते हैं, उसके ऊपर को नहीं देखते हैं । उनको न तो गंगा की पवित्रता और न ही बद्रीनाथ व केदारनाथ की महानता ही खींचती है । तमाम अस्पताल डाक्टरों के बगर हैं । 80 प्रतिशत अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और 90 प्रतिशत स्कूलों में अध्यापक नहीं है । यह जीता जागता पहाड़ का चित्रण । इसके बावजूद भी आप अपने को गौरन्वित महसूस करते हैं कि हमने इतनी प्रगति की है । लड़के फ़ेल होते जा रहे हैं और मरीज बिना दवाई के मरते जा रहे हैं । क्या आप ऐसे ही उनका फ़ेमली प्लानिंग करना चाहते हैं ? रुपया देने के बावजूद भी आपका पी0डब्लू0डी0 डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग भवन नहीं बना रहा है, तो फिर इसे कौन बनायेगा । इसके लिये दोषी कौन है ? आज पर्वतीय विभाग एक प्रकार से आकाश–कुसुम है । जो ऊपर से देखने में बहुत कुछ है लेकिन अन्दरसे कुछ नहीं है । यदि आप सही मायने में पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो इस विभाग को सशक्त बनाइये। यदि आप इसे सशक्त नहीं बनायेंगे तो लूटने वाले इसे लूटते चले जायेंगे और खेल खत्म हो जायेगा ।

मान्यवर, हमारे यहां ग्रामीण विकास की योजनायें चल रही हैं लेकिन इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है । एकीकृत ग्रामीण विकास, आई0 आर0 डी0, आर0 ई0पी0 और आर0 आई0 डी0 इन सारी योजनाओं पर नियंत्रण करनेकी आवश्यकता है । परसों ही मैंने इस सम्बन्ध में यहां पर एक सवाल उठाया था कि इन योजनाओं पर जितना खर्च किया जा रहा है, वह सही नहीं हो रहा है । बिर्स ब्लाक में तो नेपाल के डोट्यालों को भी इस योजना में कर्ज़ा दिया जा रहा है । जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे हुआ तो वे लोग कहते हैं कि ऐसे ही हुआ है ? क्या आपका विभाग ऐसा ही है। जो ऋण दिया जा रहा है, इस पर नियंत्रण किया जाय और इससे रुपये का दुरुपयोग न हो । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जिन योजनाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसलियेमैं आपसे यह सब सुझाव के रूप में कह रहा हूं।

ब्लाकों को भी जो पैसा दिया जा रहा है, इसका मैं स्वागत करता हूं । परन्तु वहां जो योजनायें बन रही हैं वे भी गड़बड़ी में चल रही हैं वहां भी धन का दुरुपयाग हो रहा है । मेरी व्यक्तिगत जानकारा है कि पावो ब्लाक के कई गांव हैं जहां पुल के लिये रुपया लिया गया लेकिन वह बना नहीं । पाबो ब्लाक के ताल नामक गांव में जो पुल बना है वह टूट गया । वहां जो नहर बन रही है, वह भी बनने से पहले ही टूट गयी । ब्लाकों में जो रुपया विकास पर खर्च हो रहा है उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है । जिस इलाके के लिए पैसा दिया जा रहा है वह वहीं खर्च होना चाहिये । अतः मेरा आग्रह है कि हर ब्लाक में भी जांच की जाय । लेकिन इस दिशा में शासन पूर्णतः सोया हुआ है । औषधालयों की बात कर रहे थे इसका दूसरा विभाग है जिस को आयुर्वेदिक, विभाग कहते हैं । एलोपैथिक में डाइरेक्टर, ज्वाइंट डाइरेक्टर हैं लेकिन आयुर्वेदिक में केवल चार अधिकारी हैं जो 8 जिलों में काम करते हैं । अधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिये । पर्वतीय अंचल में आयुर्वेदिक डाक्टर की भी नियुक्ति होनी चाहिये । क्षेत्रीय अधिकारियों को आने जाने के साधन दिये जाने चाहिये । पर्वतीय अंचल में मान्यवर, चरक से लेकर सुश्रुत तक ने औषधियों को ढूंढा है । वहीं औषधियों का निर्माण हुआ है, प्राचीन ऋषि औषधियों की खोज में हिमालय गये थे हमारे यहां से औषधियां, मान्यवर, आपकी जानकारी में हो या न हो, हमारी जानकारी में है और हमारे मित्र भी जानते हैं, किनगोड़ पौधा होता है, जिसका फल भी खाया जाता है, उसकी जड़ें जापान तक चली जा रही हैं लेकिन हमारे यहां इस पर कोई

काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी औषधियां हैं जिनका ठेका ले कर बाहर विदेशों को भेजा जा रहा है।

हमारे यहां एक पेड़ होता है बीज, इसका झुरमुरा निकाला जाता है, वह भी निकाला जा रहा है लेकिन हमारे यहां इसका कोई रिसर्च सेन्टर नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा स्थान, जहां सर्वत्र औषधियों का भंडार है, शासन की ओर से पर्वतीय विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये इसके लिये प्राविधान होना चाहिये एक रिसर्च सेन्टर खोलना चाहिये शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आप रुपया देते हैं सांस्कृतिक विभाग को लेकिन हमारे यहां पुरा तत्विक जो सामग्री है, कितनी असंख्य पड़ी हैं, उसके लिए अलग से काम होना चाहिए गढ़वाल और कुमायूं में इकाइयां खोली गई हैं लेकिन रुपया नहीं दिया गया है पूरे पर्वतीय अंचल मे मैं चाहता हूं कि पुरातत्व के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। देहरादून में लाखन मण्डल से रूप कुण्ड तक जितनी भी मूर्तियां हैं, उन पर शोध कार्य हो और जो जानकारी विलुप्त है वह सामने आये। सांस्कृतिक विभाग को दिये जाने वाल रुपये का दुरुपयोग होता है, नाच-गाने में लगता है उसका सदुपयोग होना चाहिये।

बिजली के सम्बन्ध में बात है, हमारे यहां, मंत्री जी बैठी हैं उनका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं इसलिये, हमारे यहां बिजली के डण्डे जरूर लगे हैं, बिजली गई नहीं, दिन में दिखाई देती है रात में नही, यह है बिजली की हालत। वेदीखाल; बीरो खाल के कई गांवों में डण्डे के लिये भी गांव वालों से रुपया लिया गया। मैंने तीन बार लिख कर दिया कि यह तो सरकारी काम है, सरकारी खर्च में खम्भे लगना चाहिये। गांव वालों से क्यों मांग रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिजली पहाड़ों में नहीं दी जा रही है। हमारी नदियों पर बांध बनाये जा रहे हैं लेकिन ये बांध हमको कहां बांध कर ले जायेंगे, भगवान ही मालिक है। पर्वतीय अंचल में तमाम कच्चे पहाड़ हैं जिनके लिये कहा गया है कि वे नीचे खिसक कर आ जायेंगे। सारे एक्सपर्टस ने कह दिया, मना कर दिया कि यह कच्ची धरती सिल्ट हो जायेगी और आप जिस टिहरी बांध की 40 वर्ष की बात कर रहे हैं यह 10 वर्ष में ही भर जायगा। तमाम इलाकों को बचाना होगा। ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्र प्रयाग में भी बांध बनाये जा रहे हैं। यह देखने की बात है और अभी भी सरकार नीति बदल सकती है। दूर-दूर के लोग आते हैं ऋषिकेश में, वहां पर भी बांध बनाये जा रहे हैं।

पर्यावरण की आप बात कह रहे हैं, क्या वहां पर पर्यावरण की कोई आवश्यकता नहीं है? इसके अलावा बिजली, पानी और पशुधन की भी बात है। भराड़ी सेण में चमोली जिले में एक पशु प्रजनन केन्द्र खोला गया है, जहां पर जरसी गाय मंगाई गयी है, कुछ हवाई जहाज में मर गयीं, कुछ ऋषिकेश में मर गयी और कुछ अब मर रही हैं। दूध की तो बात ही क्या है? माननीय मन्त्री जी को मालूम होगा कि नीचे से ही दूध का बहाव ऊपर है। गंगा का ऊपर से नीचे है और दूध का नीचे से ऊपर को बहाव है माननीय मन्त्री जी दूध की समस्या को हल यहीं कर दें तो यह भी बड़ा भारी काम होगा। इन तमाम बातों को देखते हुए, प्रदेश के विकास की बात को देखते हुए, उद्योग धन्धों की बात को देखते हुए कहना चाहता हूं कि गढ़वाल मण्डल में एक भी उद्योग धन्धा नहीं लगा। सुना जरूर है कि उद्योग हो सकता है। इसी प्रकार कुमायूं मण्डल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी नहीं लगा। कुछ कृपा कर दीजिये, पहाड़ों पर, हम भी सोचेंगे कि विकास के इस चरण में आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ रुपया दिया है, उसके लिये बधाई देता हूं, लेकिन खोज खबर तो कर लीजिये कि जिस विभाग को दिया है उसने कुछ काम किया है या नहीं?

माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि खोज-खबर नहीं की जायगी तो विभाग स्वतंत्र होकर काम करेगा और विकास का कोई काम नहीं होगा। पहाड़ के आदमी को कोई लाभ नहीं होगा। रुपया पानी की तरह से बह जायगा, जैसे बाढ़ ऊपर से आती है लेकिन पहाड़ नंगे के नंगे रह जाते हैं माननीय मंत्री जी के सामने इसीलिये कटौती का प्रस्ताव रखा है कि क्यों रुपया दें जब कि

सदुपयोग होना नहीं है ? इससे तो कटौती ही अच्छी है। जब कुछ होना ही नहीं है तो कटौती से नियंत्रण तो लगेगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस पर अपनी-अपनी राय देंगे।

(4 बजकर 20 मिनट)

श्री पूरन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपनेपर्वतीय क्षेत्र के इन दुर्गम इलाकों के पिछड़े लोगों के लिये प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने योग्य पर्वतीय विकास राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इस सदन के योग्यतम सदस्य डा० शिवानन्द नौटियाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि यह जो पर्वतीय विकास जिसके लिये इतना पैसा उपलब्ध कराया गया, मैं इस सदन के तमाम सदस्यों को और मुख्य मंत्री जी को और युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को पर्वतीय क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी असीम कृपा से उन पर्वतीय लोगों के लिये इतना रुपया उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर महान विभूति स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को भी स्मरण करना चाहता हूं, वे जब सन् 1971 में अल्मोड़ा पधारी थीं, एक विकास गोष्ठी में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम जब मैदान में काम करते हुए थक जाते हैं और यहां पहाड़ों पर आराम करने के लिये आते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग कई समस्यायें लेकर आ जाते हैं और आराम नहीं करने देते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ पहले से ही हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं। तो तुरन्त श्रीमती इन्दिरा गांधी उठी थीं और उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि पहाड़ हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं लेकिन मैं कहती हूं कि ये पहाड़ जहां से गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं जिनसे सारी मैदानी भूमि पर सिंचाई का काम होता है और लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध होता है, यह ऐसे पहाड़ हैं जहां के सूरमा सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते हैं और जिसके कारण हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश में राज्य कर रहे हैं और हम दिल्ली में राज्य कर रहे हैं, वे पहाड़ हम पर बोझ नहीं वरन् यह पहाड़ सदियों से हमारा बोझ उठाये हुए हैं। यह शब्द कहे थे स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने। इस घटना के बाद से ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पर्वतीय विकास के लिये अलग से विकास की व्यवस्था करायी थी।

अभी डाक्टर नौटियाल ने सुझाव दिये हैं वो आलोचनात्मक है परन्तु मैं सुझावात्मक उनसे अलग भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक वहां पर कार्यरत सभी विभागों के लोग एक निदेशालय के अन्तर्गत कार्य न करें। जब तक पर्वतीय क्षेत्र के लिये उपलब्ध धनराशि का नियंत्रण पर्वतीय विकास विभाग के हाथ में सीधे नहीं है। पर्वतीय विकास विभाग के द्वारा उसके विकास कार्यों के लिये धन संचालित नहीं होता है। इस पर नियंत्रण वित्त विभाग का रहता है मेरी गुजारिश है कि पर्वतीय विकास में वित्त में जो आपने अंकुश लगा रखा है उसको हटाना चाहिये और एक वित्त सेल अलग होना चाहिये। फिर चाहे आप वित्त विभाग द्वारा ही उसका आडिट करा लें।

आप कहते हैं कि पर्वतों के लिये विकास के काम किये गये हैं लेकिन मैं कहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है कि 65 परसेन्ट, 70 परसेन्ट भूमि पर तो वन ही खड़े हुए हैं इस कारण से विकास कार्यों के लिये सरकार जब तक छूट नहीं देती है। वहां वन अधिनियम को लागू किया हुआ है इससे विकास के कार्यों में बड़ी रुकावट आयी है। माननीय सदन ने जो भी विकास कार्यों के लिये पैसा दिया है या जो वहां के लिये विकास के कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं चाहे सड़क बनाने का काम हो, वन लगाने का काम हो, विद्युत विभाग से सम्बन्धित काम हो, विद्यालय चिकित्सालय अथवा पाइपलाइन बिछाने का-काम हो उन सब में वन अधिनियम का सरलीकरण होना चाहिये व उन कार्यों को इस अधिनियम से छूट दी जानी चाहिये। पर्वतीय क्षेत्र में जो उद्योग लगाये जा रहे हैं

वह केवल वहां के ही रामैटिरियल पर आधारित हैं । सारे पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी गयी है । एक तरफ तो उत्तर प्रदेश इस समय चाहता है कि अधिक से अधिक उद्योग लगें । पर्वतीय क्षेत्र में रुग्ण उद्योग पुन: जीवित किये जायें दूसरी तरफ दूसरे विभाग जैसे विद्युत, राजस्व आदि अपनी वसूली कर रहे हैं । तो फिर वहां के उद्योगों को पुनर्जीवित कैसे किया जावेगा ? इस वसूली को तुरन्त बन्द करवाया जाय ।

पहाड़ में न जल मार्ग हैं और न वायु मार्ग हैं । यातायात के लिये सड़कें हैं । सुना जा रहा है कि पी0 डब्लू0 डी0 के बजट में इस पर कटौती की जा रही है । मेरा निवेदन है कि पर्वत के किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिये कटौती न की जाय । वहां के लोगों का जीवन यापन निर्माण कार्यों से ही सम्भव है क्योंकि वहां पर फसल पूरे वर्ष भर को नहीं होती है ।

पर्वतीय क्षेत्र में उद्यान मुख्य चीज है । स्वनामधन्य पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त ने अलग से एक फल उद्यान निदेशक की व्यवस्था की थी । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे भी हो फलों का और जो दूसरी चीजों का वहां उत्पादन होता है उनके विपणन की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होती है इसलिये वहां की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है । विपणन की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है । वहां पर अविलम्ब मण्डी की व्यवस्था की जाय ।

इसी तरह से कर्मचारियों के लिये मैदानी क्षेत्रों में जैसे गृह जनपद में नौकरी की छूट नहीं होती है, वहां के लिये गृह जनपद बाधा की सीमा से मुक्ति दी जाय, इसे मैदानी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाय क्योंकि मैदानी क्षेत्र का आदमी वहां कार्य हेतु दुर्गम स्थानों पर नहीं जा सकता हैं । वहां के लिये होम डिस्ट्रिक्ट की बात की छूट दी जानी चाहिये ताकि वहां पर अधिकारी व कर्मचारियों की कमी न रह सके । आपने मुझे इस महत्वाकांक्षी बजट का जो हमारे योग्य राज्यमंत्री पर्वतीय विकास ने रखा, बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं । जयहिन्द ——जय भारत ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश——

मान्यवर, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में 3 पहाड़ी मुख्यमंत्री हो गये और चौथे एक और मुख्यमंत्री पहाड़ से जीते लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके का विकास नहीं हो पाया । मान्यवर, माननीय पंत जी, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, माननीय नारायन दत्त तिवारी जी और एक बार जब मुख्यमंत्री , चन्द्रभान गुप्त जी वह भी पहाड़ से लड़े थे । इस प्रकार करीब 40 सालों में से 20 साल पहाड़ के लोग ही मुख्य मंत्री होते रहे, इससे बड़ी भाग्य की बात और क्या है ? पूरे प्रदेश की आबादी का 4.5 फीसदी पहाड़ों में रहता है और उत्तर प्रदेश में औसत आमदनी जो कि 500 के आसपास है या साढ़े 500 के आसपास है और 1184 रुपया पहाड़ी इलाके में आमदनी है प्रति व्यक्ति । और आंकड़े मैं नहीं दूंगा । एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज हमको समझ में नहीं आई कि पर्वतीय विकास का मतलब क्या है ? आप पर्वतीय विकास का मतलब मान्यवर, केवल ठंडे पहाड़ों से ले रहे हैं, जिन पहाड़ों में बर्फ पड़ती है, जहां पर अंग्रेजों ने कोठियां बनायी थी, गर्मियों में जहां कोठियां बनती थीं । वहां को पर्वतीय विकास का मतलब ले लिया गया है । और उत्तर प्रदेश में पहाड़ है लेकिन गर्म जगह है, जहां बर्फ नहीं गिरती है क्या वहां पर्वतीय इलाके का विकास नहीं किया जायगा ? जहां कच्चे पहाड़ हैं बद्रीनाथ, केदार नाथ से चले नैनीताल तक, कुमायूं, गढ़वाल मण्डल का पूरा पूरा पर्वतीय विकास होना चाहिये । मैं इससे सहमत नही हूं लेकिन विंध्याचल मिर्जापुर के पर्वतीय इलाके ले लें वहां पर आमदनी शायद पूरे सूबे में कम है और वहां पर हालत यह है कि गोबर में से दाना निकाल कर लोग किसी तरह से अपना भोजन करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं वह पहाड़ी इलाका है दुद्धी, चोपन, राबर्टसगंज और आगे चले जाइये डालाकोट, रेणूकोट यह सब पहाड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाका है यहां अंग्रेजों ने कोठियां नही बनायी। तो मैं चाहता हूं कि यह सरकार जहां बर्फ पड़ती है उसे उसका क्षेत्राधिकार के अन्दर न लें बल्कि उन इलाकों को भी शामिल करें जहां बर्फ नहीं पड़ती है।

विध्यन पर्वतीय इलाका है केवल वर्फ नहीं पड़ती है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इन सारी चीजों के बावजूद एक बहुत बड़ा संकट आ गया है और वह कि इस समय में अगर हम अपने पर्वतों की रक्षा नहींकर पायेंगे, अगर नैसर्गिक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पायेंगे तो आने वाले 5–10 सालों के अन्दर जो हमारी जलवायु है, उसका पता नहीं चल पायेगा। अगर कोई गैर जिम्मेदार विभाग है, इस प्रदेश में तो वह मौसम विभाग है। आने वाले 3 महीनों में जो भविष्यवाणी की जायेगी ठीक उसकी उल्टी निकलेगी। उसका मामला यह है कि जो जलवायु को निर्धारित करवानें के प्राकृतिक तत्व थे वह विघटित होते जा रहे हैं। नदियां, पेड़, पहाड़ यह सारे के सारे तत्व प्राकृतिक मौसम पर प्रत्यक्ष असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि आज मंसूरी में पंखा चलाना पड़ रहा है देहरादून में जहां पहले लोग अप्रैल मई में स्वेटर पहनकर निकलते थे आज पंखा चलता है। यही कारण है कि पहाड़ से जो हवा चलती है और मैदानी इलाके तक आती है।

मान्यवर, आज प्रदेश के पूर्वान्चल के बारे में मौसम विभाग कोई जानकारी नहीं दे पाता है, प्रदेश की जो सरहद हैं, जो पहाड़ी अंचल हैं, अगर उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो प्रदेश की सीमा के जो पहाड़ी लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है, वह प्रतिकूल दिशा में चली जायगी। कुमायूं और शिवालिक के पहाड़ों के नाम से जो जाने जाते हैं, और जहां पर दूसरे पहाड़ों की अपेक्षा कच्चे पहाड़ हैं और जिनकी उम्र कम है वहां पर पहाड़ नंगे हो चुके हैं, अगर आप उनके कटान को नहीं रोक सकते हैं तो आप सेना की मदद लें और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का काम करें। मान्यवर, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो 10–15 साल में प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नहीं रह जायगा, वहां की प्रगति होनी चाहिये और पर्यावरण के नाम पर वहां की प्रगति को न रोका जाय। आप देहरादून को देख लीजिये, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, लेकिन जो चूने के पत्थर हैं, उनको काट कर वहां की जो प्राकृतिक सम्पदा है, उसको नष्ट होने से बचायें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुमूल्य जो सम्पदा है वह विघटित हो जायेगी। पहाड़ों के रहने वालों का जो जीवन है, उसको सुधारने का आप प्रयास करें और वहां की उन्नति करें जिनमें गर्म पहाड़ लोगों को सम्मिलत किया जाये, क्योंकि बिना उनको सम्मिलित किये, आपका कार्य अधूरा रह जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल––

श्रीमन्, माननीय पर्वतीय राज्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, निश्चय ही वे बधाई के पात्र हैं और जितने ज्यादा धन की व्यवस्था की गयी है, उसके लिये वह और भी बधाई के पात्र हैं। मैं मा0 डा0 नौटियाल जी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपना बड़ा विद्वतापूर्ण भाषण दिया है और इस बात पर उन्होंने सहमति प्रकट की है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं, मान्यवर, जो धन की व्यवस्था की है, यह हो सकता है कि कहीं पर व्यवस्था में कमी हो, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने भाषण में स्वीकार किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम देखें कि जो पहले धनराशि पर्वतीय विकास के लिये दी जाती थी, उसका सदुपयोग होता है, या नहीं जितना सदुपयोग होना चाहिये उतना सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर डाक्टरों की बात कही गयी है, डाक्टर नौटियाल साहब ने, मैं खुद डाक्टर हूं, इसलिये मैं डाक्टरों की समस्याओं को खूब जानता हूं और मैं डाक्टर नौटियाल साहब से कहूंगा कि वह इस पर शोध करें कि क्या कारण है कि डाक्टर 5–6 साल पढ़ने के बाद पर्वतों पर नहीं रहना चाहते हैं, पहाड़ों पर जाना पसन्द नहीं करते हैं। मुझे खुशी है कि चिकित्सा विभाग ने इस बात

को ध्यान में रखते हुए एक हिल कैडर की स्थापना की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो डाक्टर नियुक्त होंगे उनको 10 साल तक पहाड़ों पर रहना होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो डाक्टर पहाड़ के हैं वह भी पहाड़ों पर नहीं रहना चाहते हैं वह भी मैदानों में भागते हैं और जब किसी की पोस्टिंग मैदानी भाग में हो जाती है तो वह फिर वहां से जाना पसन्द नहीं करता है।

मान्यवर, आप देखें कि राजकीय विद्यालय पर्वतों पर जितने हैं, उतने विद्यालय मैदानों में नही हैं। लेकिन यही हालत शिक्षकों की भी है कि जो पहाड़ के लोग शिक्षक बन जाते हैं लेकिन वे पहाड़ों पर शिक्षण कार्य करना पसन्द नहीं करते हैं, मैदान में ही रहना पसन्द करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा व्यक्ति गत अनुभव भी है। इसलिये इस बात पर आज गौर करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ मैंने एक बात और देखी है। पिछले दिनों मुझे पहाड़ों पर जाने का इत्तिफाक हुआ है और वहां 10/15 दिन तक रहने का भी मौका मिला है। वहां पर जो इंजीनियर्स हैं चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 के हों या जल निगम के हों, जो वहां पर काम करते हैं उनमें बहुत से मैदान के भी थे। मैंने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि वे वहां पर बहुत सुखी है। बहुतों को तो पांच-पांच साल वहां पर काम करते हो गया। इसका क्या कारण है? इंजीनियर्स वहां रहना पसन्द करते हैं लेकिन शिक्षक और डाक्टर्स पहाड़ के होते हुये भी वे वहां पर रहना पसन्द नहीं करते। इस पर आप विचार करें।

माननीय डाक्टर नौटियाल ने जल निगम की बात कही। लाखों करोड़ों रुपया जल निगम के द्वारा वहां पर खर्च किया जा रहा है। कागजों पर मीलों पाइप लाइनें दिखा दी गई लेकिन मौके पर वहां कुछ नहीं है। मैंने इन इंजीनियर्स से इसके बारे में पूछा कि आप यहां पर रहना क्यों पसन्द करते हैं तो अनौपचारिक वार्ता में उन्होंने एक बात की कि अगर हम मैदान में रहेंगे तो उनके विभाग का हर अधिकारी निरीक्षण के लिये आ जाते हैं, मौका-मुआयना कर लेते हैं लेकिन पहाड़ों पर शायद ही कभी ऐसे उच्च अधिकारी, चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेडिन्ग इंजीनियर आते हैं। वहां कोई पहुंच ही नहीं पाता है। नतीजा यह होता है कि ये अधिकारी वहां पर स्वच्छन्द हो जाते हैं, स्वछन्दता से काम करते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है और उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। मैं समझता हूं कि इसीलिये वे वहां पर रहना ज्यादा पसन्द करते हैं और इसके लिये लालायित रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये आप एक मानीटारिंग सेल कायम कर दें हर विभाग के लिये। हो सकता है कोई ऐसा सेल आपका काम कर रहा हो। जब तक आप प्रत्येक विभाग की इस तरह से मानीटरिंग नहीं करेंगे और लखनऊ में बैठकर उसकी मानीटरिंग करेंगे तब तक वहां की समस्या हल नहीं हो सकती है। उसके लिये आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। चाहे वह अधिकारी पी0 डब्लू0 डी0 के हों, चाहे जल निगम के हों, वह मौके पर जाकर देखे कि वे लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। आपकी योजनायें केवल कागजों पर ही न रह जांय। यह हो जाय तो मैं समझता हूं कि आपकी मंशा पूरी हो सकेगी।

थोड़ा सा उद्योग के बारे में भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने देखा कि आपके यहां सेव और बहुत से फल पैदा होते हैं। आपके हार्टिको और ऐग्रो ने जो बहुत से फलों का दुरुपयोग किया है वह किसी से छिपा नहीं है। लाखों रुपये का सेव बम्बई के बन्दरगाह में सड़ गया। कुछ फल व सेव इस लायक हो गया कि उसका कोई आदमी इस्तेमाल न कर सका। इससे लाखों रुपये का घाटा हो गया और बदनामी भी अलग से उठानी पड़ी। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो चीज वहां पर पैदा होती है उसके आधार पर आप वहां पर उद्योग लगायें। इससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वे ज्यादा फल भी पैदाकर सकेंगे साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ सकेगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। बद्रीनाथ और केदार नाथ ऐसे तीर्थस्थान हैं

जहां न केवल इस देश के बल्कि जहां विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को कि उन्होंने बहुत ही सुन्दर रास्ते वहां के लिये बना दिये हैं लेकिन कभी-कभी वहां पर लैंड-स्लाइड भी होते रहते हैं। प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करे कि वहां के लिये हैलीकाप्टर की व्यवस्था हो जाय। चाहे दिल्ली से हो या देहरादून से हो जाय ताकि पर्यटक बद्रीनाथ केदारनाथ हैलीकाप्टर से आ जा सकें। मैं समझता हूं कि इससे हजारों पर्यटकों का ध्यान आकृष्ट होगा और आपकी भी इससे आमदनी बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि उनका यह बजट बहुत ही सुन्दर है, महत्वाकांक्षी है। मैं फिर कहना चाहूंगा उस क्षेत्र के विकास के लिये प्रत्येक विभाग में मानीटरिंग सेल आप बनवा दें। मैं पुनः इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य डा0 शिवानन्द नौटियाल ने रखा है उसका पारम्परिक रूप से समर्थन करने और सरकार द्वारा रखे बजट का विरोध मात्र करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, बल्कि मैं सैद्धांतिक रूप से इसे मानता हूं कि जो कटौती के प्रस्ताव में भावना व्यक्त की गयी है और जो बातें मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं वह सैद्धांतिक रूप-से सही हैं। जैसा आप जानते हैं व्यावहारिक रूप में सरकार कुछ का कुछ कर रही है। पर्वतीय विकास के नाम पर आज वहां कुछ लोग कहने लगे हैं कि पर्वतों का विनाश हो रहा है तो यह व्यावहारिक पक्ष है।

मैं उत्तराखंड क्रांति दल का, जो क्षेत्रीय दल है, एक मात्र सदस्य हूं, हमारे दल ने, पर्वतीय क्षेत्रों का समुचित और सर्वांगीण विकास हो, विनाश न हो, उसके लिये आह्वान किया है और उसके माध्यम से इस सरकार और केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी बातें रखी हैं और रखते रहे हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा स्वामीनाथन और शिवरमन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी उसने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये हिमालयन क्षेत्रों के विकास के लिये संस्तुतियां की हैं। तो उस से भी कहीं ज्यादा पहले हम इस बात को कह चुके हैं कि जब तक वहां के रहने वाले लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं होगा इस देश और प्रदेश की खुशहाली की कल्पना करना गलत होगा। इसी बात को मानते हुए इस सरकार ने भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये एक अलग दर्जा पर्वतीय विकास विभाग को दिया और उसके लिये अलग से बजट रखा है। आपको लगता है कि करोड़ों रुपया इसके लिये रखा गया है। 177 करोड़ रुपया सुनने में अच्छा लगता है हालांकि उसमें 108 करोड़ केन्द्र सरकार ने दिया है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि पहाड़ों के लिये बहुत पैसा जा रहा है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि वह पैसा केन्द्र सरकार ने दिया है और उस पैसे को प्रदेश सरकार ने किस प्रकार यूटिलाइज किया है इसको डा0 शिवानन्द नौटियाल ने बता दिया है।

आपको मालूम होगा केन्द्र सरकार ने, मिनिमम नाड्स रिवाइज्ड प्रोग्राम बनाया था जिस पर हमारे माननीय सदस्य ने सवाल भी किये थे जो प्रोग्राम बहुत पहले स्वीकृत हो चुका है उसे पहाड़ी क्षेत्रों में हमारा सरकार लागू नहीं कर पायी है। इस प्रकार के कई काम हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं हुये हैं।

मैं कुछ खास मुद्दों पर माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो इस समय इकोनामी है वह मनीआर्डर अर्थ व्यवस्था है। वहां के अधिकांश लोग फौज में नौकरी करते हैं या फिर दूसरी जगहों में नौकरी करते हैं और जब उनका-मनीआर्डर आता है तब वहां की इकोनामी चलती है। लेकिन आज पहाड़ों में नौकरी की जो हालत है वह बहुत खराब

है, वहां के नवयुवक बेरोजगार हैं। वहां की इकोनामी मनीआर्डर इकोनामी है और जो मनीआर्डर इकोनामी की परिकल्पना की थी वह आज समाप्त होती जा रही है। इसलिये आज सोचना पड़ेगा कि हमारी सस्टेनिंग इकोनामी क्या है? मान्यवर, कृषि हमारी मुख्य अर्थ व्यवस्था नहीं है केवल तराई की हो सकती है। बागवानी के लिये समुचित कदम नहीं उठाये गये हैं। उद्योगों में कारखाना के नाम पर थाने खोले गये हैं जैसे पिथौरागढ़ में बेरीनाग, झूलाघाट, जौलजीबी धारचुला आदिस्थानों में थाने खोले गये हैं। मा0 मंत्री जी कहे हैं कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस सरकार ने पहाड़ों में हिमालय का मंथन शुरु किया है और पुरानी कथा के अनुसार समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकाले गये लेकिन हमारी सरकार पहाड़ों का मंथन कर रही है और पहाड़ों को लूट रही है।

मान्यवर, यूकेलिप्टस का प्लांटेशन करके स्टार पेपर मिल को लकड़ी सप्लाई की जा रही है और पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जा रही है। दूसरी ओर वहीं पर पहाड़ों में कच्चे माल पर आधारित छोटे उद्योगों के हाथ काट दिये गये हैं जिसका उदाहरण है कि रानीखेत की एक फैक्टरी मेसर्स कालका बुड वर्क्स को लकड़ी का एलाटमेंट होना था किन्तु वह नहीं मिली। मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिसम्बर, 1982 में आदेश दिया और कहा कि एक हजार टन लीसा कालका बुड वर्क्स फैक्टरी को एलाटमेंट करेंगे किन्तु दर कमेटी के फारमूले के अन्तर्गत न आने के आधार पर वह एलाटमेंट रद्द कर दिया गया जबकि उसी फामूर्ल के अन्तर्गत न आने वाले 5 उद्योगों को उसी वर्ष लीसा आवंटित किया गया।

मान्यवर, बिजली एक बहुत मुख्य चीज है। हमारे यहां लोहिया हेड से हजारों मील लम्बा तार खींचकर बिजली पहुंचाई जाती है लेकिन कम खर्चे में निर्मित होने वाली और पर्याप्त बिजली दे सकने वाली माइक्रो हायडिल परियोजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। 1971 की केन्द्रीय सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि पहाड़ों में 500 करोड़ रुपये की पन बिजली के बराबर पानी बेकार जा रहा है लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक छोटे-छोटे माइक्रो हाइडिल का निर्माण भी आरम्भ नहीं किया है। माइक्रोहायडिल कारपोरेशन की स्थापना की गयी है जिसमें केवल 4 कर्मचारी यहां लखनऊ में रखे गये हैं और जहां माइक्रोहायडिल योजनायें बननी हैं उन स्थानों पर कोई भी, कार्य नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो सिविल माइक्रो हायडिल सर्किल्स नैनीताल देहरादून में खोले जाने थे उन्हें अभी तक नहीं खोलागया है। दूसरी ओर तीन सर्किलों को तोड़ा गया, वे हैं--

1--1978 में माइक्रो हायडिल सर्किल, नैनीताल,

2--1980में माइक्रो हायडिल सर्किल, देहरादून और

3--1983 में माइक्रो हायडिल डिवीजन, पिथौरागढ़।

मान्यवर, इस तरह आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय विकास के नाम पर जो उसका विनाश कर रहे हैं। उसको आप रोकें।

श्रीमती सरस्वती देवी--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैं इस समाजवादी, सर्वांगीण विकासोन्मुखी बजट के लिये मा0 पर्वतीय विकास मंत्री जी को बधाई देती हूं और मा0 मुख्य मंत्री जी को 177 करोड़ रुपये अलग से पर्वतीय विकास के लिये देने के लिये धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, इस सिलसिले में मैं अपनी प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरागांधी जी को नहीं भूल सकती जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग से धन का प्राविधान किया था। मान्यवर, यह बजट ग्रामीण विकास का बजट है क्योंकि इससे कृषि उत्पादनों को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि उत्पादनों की बिक्री कराना, अच्छे बीज और कृषि उपकरणों को अच्छे मूल्य पर

देना यह सबका प्राविधान है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के तरीके गांव गांव तक पहुंचानें का भी इसमें प्रबन्ध है। मंत्री जी ने कहा था कि वह कुछ सुझाव सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ अपने क्षेत्र के बारे में अब आपको सुझाव देती हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहती हूं कि रोजगार मूलक तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में एक महिला पालीटेकनिक भी खोल दिया जाए, जिसमें इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर साइन्स रेडियो, टी0 वी0 आदि की ट्रेनिंग की व्यवस्था हो।

आज प्रदेश में बिजली की काफी परेशानी हो रही है और पहाड़ों पर भी इसकी कड़ी परेशानी है, इसलिये इस समस्या को वहां पर दूर करने के लिये हमारे पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे बिजली-घर बना दिए जाएं। इसमें खर्चा भी कम लगेगा और बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। इसमें लोगों के विस्थापित होने का भी प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि नदियों और झरनों के किनारे आबादी नहीं होतीहै। जिस प्रकार से हिमांचल प्रदेश में नदियोंके पानीको एकत्र कर उसको कच्चे माल की संज्ञा दी गई है और अन्य प्रदेश उसकी रायल्टी देते हैं हमारे प्रदेश की नदियों के पानी का भी उसी प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने वहां पर जल संकट की बात कही है। वह बात भी अपनी जगह पर बहुत सच है, वहां पर जल संकट बहुत ज्यादा है। वहां पर महिलाओं को 10-10 और 15-15 किलो मीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। इसलिये मंत्री जी पर ज्यादा धन आबंटित करें और गांव-गांव में पानी की व्यवस्था करें, चाहे वह पानी ग्रेब्टी से आए या पम्प से आए। प्राकृतिक स्रोत नालों का सुधार किया जाय तथा उनके चारों ओर बाग, बुरास व वर्फ के पेड़ लगाये जांय।

मान्यवर, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था की स्थिति मैदानी क्षेत्र की अपक्षा बहुत अच्छी है। वहां इस मद पर शासन को बहुत कम खर्च करना पड़ता है, लेकिन जैसे-जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा शक्ति इधर उधर घूम रही है और बकारीकी दशा में उसके बहक जाने और उसके द्वारा शान्ति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिये इस युवा शक्ति का उपयोग करने के लिये हमारे पर्वतीय क्षेत्र में घड़ियों के कारखान, इलेक्ट्रानिक कारखाने और लकड़ी उद्योगों के कारखाने खोले जाएं, जिनकी वहां पर काफी गुंजायश है।

वन संरक्षण अधिनियम से हमारे यहां सड़क निर्माण कार्य में काफी व्यवधान पड़ रहा है। तो मैं निवेदन करूंगी कि इसमें कुछ शिथिलीकरण लाया जाए।

पर्यटन की महत्ता को देखते हुए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके लिये मेरा शासन से निवेदन हैकि वह पर्यटन स्थलों का चयन करे, वहां पर सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था करे। इसके बाद उद्योगपति अपने होटल और फैक्ट्रियां वहां पर स्थापित कर सकते हैं। पर्यटन स्थलों का चयन करने के बाद उनको प्रचारित करना भी बहुत जरूरी है। जब इसके बारे में देश-विदेश को मालूम होगा, तभी वहां पर पर्यटक आयेंगे और हमारे यहां की आमदनी बढ़ेगी।

सुन्दरता प्रकृति की देन है, और इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है और पर्यटक को बढ़ावा देते ही वहां की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया जा सकता है। पिछले साल बरसा कम होने के कारण पहाड़ में अकाल की सी स्थिति हो गयी हैं, इसलिये निवेदन करती हूं कि शासन वहां पर ज्यादा से ज्यादा सस्ते गल्ले की दुकानें खोले और वहां पर पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल पहुंचाया जाए। अन्त में, मैं अधिष्ठाता महोदय की आभारी हूं कि उन्होंन मुझे बोलने का मौका दिया। मैं विपक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीशजी'--

मान्यवर, मैं डा0 शिवानन्द नौटियाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी

ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की विशेषस्थिति के के कारण अलग से विभाग इसलिये बनाया गया है। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने पर्वतीय जिलों की विशेष स्थिति को स्वीकार किया है। लेकिन क्या कारण है कि इस समय पर्वतीय क्षेत्र में हर चीजों की कीमत मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा है। सच्चाई यह है कि वहां पर लगभग सभी उपभोक्ता हैं। अनाज तक वहां बाहर से खरीदना पड़ता है। जीवन की हर आवश्यक वस्तु उनको खरीदनी पड़ती है। माननीय मंत्री जी को स्वयं 2–2 दिन पैदल चलकर यहां आना पड़ता था। आज भी मैं समझता हूं कि अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहां आवागमन बड़ा कठिन है बरसात के दिनों में असंभव हो जाता है। तो फिर ट्रकें माल लेकर कैसे पहुंचती होंगी। सच्चाई यह है कि वर्षा के दिनों में सामान पहुंच नहीं पाता है। इसलिये चीजों के दाम बढ़ जाते है। मैं समझता हूं मंत्री जी का ध्यान इधर क्यों नहीं गया? इस समय पर्वतीय क्षेत्र में माल का अभाव है मूल्य बढ़ गये हैं और आम आदमी महंगाई के कारण त्रस्त है। मैं माननीय मंत्री जी को 1979 की इन्हीं दिनों की याद दिलाना चाहता हूं जब पर्वतीय क्षेत्र में मूल्य नहीं बढ़े। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में ब्लाक स्तर से लेकर, प्रमुख बाजारों, स्थानों की एक सूची बनायी जाय और विकास खंड केन्द्र से लेकर उसके नीचे 5–5 स्थानों पर भंडार गृह खोले जांय, शीतगृह खोले जांय। उन स्थानों पर वर्षा आरम्भ होने के पहले आगामी 4 महीनों तक के पूरे सामान का भंडारण किया जाय। अगर यह व्यवस्था कर दी जायगी तो उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुयें आसानी से प्राप्त हो सकेंगी और मूल्य का बढ़ना रुक जायगा। सन् 1979 में इस काम को हमने कराया था।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर आवश्यक कदम उठायें। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भी भारत का एक प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर 8 कि0 मी0 के अन्दर विशेष सुविधायें दी गयीं है तो क्यों नहीं पवतीय क्षेत्र के इन 8 जिलों जिनकी सीमा विदेशों से लगी है वहां पर विशष सुविधायें देने की बात आप नहीं सोचते हैं। इन जिलों को विशेष सुविधा देनी चाहिये। यहां के लोग देश भक्त हैं, सीमा के खतरों से निपटने के लिये, इनको ऐसा लगना चाहिये कि हमारी सरकार हमारे लिये कुछ कर रही है। इसलिये मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी कहा गया कि उत्तर प्रदेश का विकास का संतुलन बनाये रखने के लिये एक पर्वतीय विकास बोर्ड बना दिया गया है तो बुन्देलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड के लिये भी विकास बोर्ड बनाया जाय जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का संतुलन ठीक रखा जा सके। इन शब्दों के साथ कटौती क प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने पर्वतीय विकास के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं यह पर्वतीय विकास का जो अलग विभाग बनाया गया था इसका उद्देश्य हमारे माननीय राज्य मंत्री पर्वतीय विकास विभाग न विस्तृत रूप से माननीय सदन के समक्ष रखा है। मान्यवर, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीया श्रीमती इंदिरागांधी के सौजन्य से और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के सौजन्य से इस पर्वतीय विकासविभाग का गठन किया गया था। मान्यवर, माननीय नौटियाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह बहुत हास्यास्पद है और लगता है कि उनको पहाड़ों के विकास में रुचि नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह पर्वतीय विकासमंत्री रहे हैं और उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और जो बातें उन्होंने यहां पर मंत्रीजी के समक्ष रखी है, पहाड़ों की शिक्षा की, पहाड़ों के विकास की तत्समय जब वे पर्वतीय विकास मंत्री और उच्च शिक्षामंत्री थे, तो हमने उनसे भी निवेदन किया था कि टेहरी के डिग्री कालेज में एक एम0 एस-सी0 क्लासेज चलाये जायं। एक भी एम0 एस-सी0

विषय वहां पर नहीं मिला । अब मैं, पर्वतीय विकास मंत्री जी से इस हेतु निवेदन कर रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष द्वारा रखा गया कटौती प्रस्ताव बहुत ही हास्यास्पद है । जो पहाड़ों के विकास का बजट रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहाड़ों के संबंध में जो बजट रखा गया है, पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर अगर पर्यटन उद्योग का विकास किया जाय, तो इस देश के ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी जो पर्यटक पर्वतीय क्षेत्र में रमणीक तीर्थ स्थलों में, जो तीर्थ यात्रा की दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, उनको सुविधा प्रदान की जा सकती है तथा पर्यटन की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगार लोग धनोपार्जन भी कर सकते हैं । पर्वतीय क्षेत्र में हार्टिकल्चर के विकास की भी नितान्त आवश्यकता है । वहां पर कुछ फल पटिट्यां लगायी गयी हैं, जो लाभकारी सिद्ध हुई हैं । ऐसे ही दूसरे प्रत्येक क्षेत्र में भी फल पट्टियां लगा कर वहां पर सीड स्टोर एवं फलों के जूस निकालने की फैक्ट्री लगाई जाय और उसमें नये किस्म की खेती तथा पर्याप्त कर्मचारी रक्षा हेतु रखे जायं, तो पर्वतीय क्षेत्र का इस तरह से बहुत बड़ा विकास हो सकता है । अगर इस प्रकार से काम किया जाय, तो निस्संदेह पहाड़ों के कृषकों को एक ओर रोजगार मिलेगा और दूसरी ओर वहां के कृषकों को जो बाहर से अनाज मंगाना पड़ता है, वह उन्हें बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा यानी कि अपने पैरों पर वे खड़े हो जायेंगे । और वहां की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की वह रुक जायगी । पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश अधिकारीगण मैदानी क्षेत्र के हैं, तो उनका यह दृष्टिकोण होना चाहिये शासन की नीति के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जितने भी पद भरे जायं वह स्थानीय लोगों से ही भरे जाय । माननीय मंत्री जी इसके लिये सख्त निर्देश देने की कृपा करे, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्र में डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियर्स, डाक्टर्स भी बहुत सारे खाली पड़े हैं, उनको रोजगार देने की व्यवस्था शीघ्र की जाय, क्योंकि बड़ी गरीबी में मजदूरी करने के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें मुश्किल से पढ़ाया-लिखाया है और अब वह उन्हें बेरोजगारी की हालत में नहीं देख सकते । मेरा अनुरोध है कि प्रशासनिक सेवाओं को छोड़ कर पर्वतीय क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये गृह जनपद में कार्य करने की छूट दी जाय, क्योंकि वहां की भौगोलिक बनावट द्वारा उत्पन्न समस्याओं जैसे चढ़ने उतरने में वे ही सक्षम सिद्ध हुए हैं और हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कार्मिक विभागसे इसका शासनादेश निकालने की कृपा करें । पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालयों को मान्यता दिलाने एवं उच्चीकरण के मानक में शिथिलीकरण किया जाय तथा प्रान्तीयकृत विद्यालयों के अध्यापकों का विनियमितीकरण किया जाय तथा पर्वतीय क्षेत्र के पक्ष में निकाले गये सभी शासनादेशों को सख्ती से पालन कराया जाय 10 वर्षों की जिनकी सेवायें होगयी हैं उनका अभी तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है और न ही उनकी पदोन्नति हो रही है, इस तरह से अनेक लोगों का भविष्य अन्धकार में लटका हुआ है । मेरा निवेदन है कि वहां की बेरोजगारी की समस्या, भुखमरी की समस्या केसाथ-साथ गरीब लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहन कर अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनको वहां नौकरी नहीं मिलती है । मेरा निवेदन है कि वहां के लोगों को उचित नौकरियां दिलायें । अन्त में मैं जो अतिरिक्त बजट 1,16,22,89,00 रुपये का पेश किया गया है, मैं सदन से मांग करता हूं कि इसे स्वीकार करें ।

*श्री कमल किशन पाण्डेय---

मान्यवर, माननीय नौटियाल जी ने काफी साफ किया कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है । नौटियाल जी ने जो कहा शासन ने उसकी पुष्टि की है । जो आंकड़े दिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, पर्वतीय क्षेत्र में ग्रोथ रेट पूरे प्रदेश में सबसे कम है। आश्चर्य हमको भी हुआ। बहुत समय से पर्वतीय विकास की चर्चा है, केन्द्र की विशेष सहायता आ रही है लेकिन ग्रोथ रेट 81–82 में 70–71 को बेस ईयर मानकर पश्चिमी यू0पी0 1–8 मध्य यू0पी0 की 1–6, पूर्वी यू0पी0 की 1–9, बुन्देलखंड का 1–5 लेकिन पर्वतीय क्षेत्रका 0–6 है। इसी तरह देखिये जो, इनकम बढ़ी है, उसमें पश्चिमी यू0 पी0 में 2–5 मध्य यू0पी0 में 2–5, पूर्वांचल में 2–2 बुन्देलखंड में 1–9 औरपर्वतीय क्षेत्र में 1–1 है। इससे साफ जाहिर है, कि जो सेन्ट्रल की सहायता मिल रही है, जो और कोई सहायता मिल रही है, उससे पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। यह तब है जबकि पर्वतीय क्षेत्र में दो ऐसे क्षेत्र शामिल है, जो मेरे ख्याल में पूरे प्रान्त और पूरे देश से बहुत विकसित है। दून वैली, देहरादून घाटी और नैनीताल की तराई कृषि की दृष्टि से देखिये तो सम्पन्न है। उद्योग को दृष्टि से देखिये तो सम्पन्न है इसको साथ जोड़कर पर्वतीय क्षेत्र का ग्रोथ रेट, इनकम रेश्यों प्रान्त के अन्य भागों की भांति नहीं बढ़ पाया है।

माननीय मंत्री जी ने कहा पर्वतीय क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। इससे विकास नहीं हो सकता है। जब तक अर्थ व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक विकास नहीं होगा। इस समय कृषि में पर्वतीय क्षेत्र का हाल यह है, यह भी आपके आंकड़े है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें जो दबाव है, वह मैदानी क्षेत्र के मुकाबले चारगुना है। लेकिन इन्फ्रास्ट्रेक्चर, ट्रान्सपोर्ट में सिंचाई में जो है वह मैदानी इलाके का एक तिहाई है। दबाव चार गुना और इन्फ्रास्ट्रेक्चर 1/3 अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। स्कूल खोलने से, अस्पताल खोलने से विकास नहीं होगा यह आपको सोचना है। मेरा सुझाव है कि वहां की अर्थ व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिये। एक इकानामिक सर्वे आप पहाड़ों का करा लें औद्योगीकरण, फल उद्योग और दुग्ध, पशुधन को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और जब आप तुलना करते हैं हिमांचल से तो केवल खेती के नाते तुलना मत करिए। हिमांचल में ऊन का उत्पादन 13 लाख किलोग्राम है और आपने अपना लक्ष्य 1990 में 6 लाख रखा है। इस समय हिमांचल प्रदेश अपने क्षेत्र में काफ़ी विकसित है उनके पास एक हजार बसें हैं आपके पास कितनी बसें हैं। आप इस बात को देखिये। आप केवल हिमांचल से ही अपनी तुलना क्यों करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस वक्त एक देश ऐसा है जिसकी आर्थिक व्यवस्था हमसे सौगुना अच्छी है। हमसे बहुत ज्यादा उसका उत्पादन है वह है स्विट-जरलैंड और उसके पास सिवाय पानी के और कोई सुविधा नहीं है और आज वह 35 लाख मैट्रिक टन दूध पैदा कर रहा है और आपने 1990 में 3 लाखका लक्ष्य रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतनी बड़ी–बड़ी योजनायें बनाते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जरा इधर की तरफ़ भी देखें और पहाड़ों की आर्थिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास करें जिससे पहाड़ों का विकास हो सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल) ---

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पर्वतीय विकास विभाग इस उम्मीद और इस आशय से बनाया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्रों से कहीं भिन्न है और मैदानी क्षेत्रों की भांति पहाड़ों का भी समुचित विकास हो सके और इसी आशय से पर्वतीय विकास विभाग बनाया गया था लेकिन यह देखा गया है कि पर्वतीय विकास जिन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है वे सभी योजनायें, काफी समय तक वित्त विभाग में पड़ी रहती है जिससे प्रदेश की अन्य योजनाओं की गति में अवरोध पैदा होता है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके लिये वित्त विभाग में एक अलग व्यवस्था पर्वतीय विकास की योजनाओं को स्वीकृत प्रदान करने के लिये बनायी जाय। स्वास्थ्य के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उन अस्पतालों की ओर दिलाना चाहता हूं जहां दवाइयों की कमी है, डाक्टरों की कमी है और

यह कमी किस कारण से है। इस बारे में सोचना होगा। क्यों डाक्टर वहां नहीं जात। मान्यवर, दवाइयों और डाक्टरों की आज अपने प्रदेश में कमी नहीं है लेकिन चूंकि डाक्टरों को पर्वतीय क्षेत्र में असुविधा का सामना करना पड़ता है इसलिये वहां नहीं जाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टरों को आकर्षित करने के लिये उनके इंक्रीमेंट को बढ़ाने या 5 साल के बाद उनका ट्रान्सफ़र उनकी इच्छानुसार करने व उनको पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लिये अतिरिक्त भत्ता दिया जाना चाहिये, ताकि वे लोग वहां रुचि ले सकें और वहां के अस्पतालों में काम कर सकें।

एक और बात अस्पतालों के बारे में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में 97 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं जबकि मैदान में 377 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। किन्तु नये अस्पतालों के खोलने का मानक पर्वतीय क्षेत्र व मैदानी क्षेत्रों में एक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में 8 हजार 10 हजार अस्पताल और खोलने के आदेश पारित करने की कृपा करें। हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के आकर्षण के लिये हमेशा हमेशा से आकर्षण का स्थान रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और फूलों की घाटी ऐसे स्थान हैं, जो सभी लोगों को मालूम हैं, लेकिन ऐसे भी स्थान उपलब्ध हैं, जिनको आज तक हमारे सूचना विभाग ने या हम लोगों ने विकसित नहीं किया है। आपको उनके प्रचार, प्रसार की चेष्टा करनी होगी। मैं इस सन्दर्भ में ताड़केश्वर, जहीर खाल ब्लाक, दीवारेंज, नैनीडांडा ब्लाक, द्वारीखाल शिजोगी रिज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि इन स्थानों को विकसित किया जाय तोये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये महत्वपूर्ण स्थान बन सकते हैं। हरिद्वार एक धार्मिक स्थान है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहां आकर चाहते हैं कि पर्यटक के रूप में कार्बेट पार्क पहुंचा जाय। इसके लिये हरिद्वार से कोटद्वार, कालागढ़, ढिकाला तक का सड़क निर्माण किया जाय। यहां की सड़क पक्की नहीं है। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाय। ताकि यहां पर पर्यटक आसानी से आ सकें।

शिक्षा के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी बिडम्बना है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वहां बी0 टी0 सी0 के बहुत कम पद रह गये है। इसके कारण वहांपर अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उनका आकलन करा दें कि इस वर्ष कितने लोग रिटायर होंगे और वर्ष भर मकितने स्कूल खुले हैं। उसके अनुसार पदों का सृजन कराया जाय। ताकि बी0 टी0 सी0 में पढ़ाए गये लोगों के कारण प्राइमरी सेक्शन में पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न न हो। मान्यवर, सड़कों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वन अधिनियम की वजह से सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं। कर्णघाटी, पोखाल कौड़िया–किमसार, हरिद्वार से कोटद्वार, कोटद्वार–कालागढ़, ढिकाला, हल्दूखाल से मैदावन, खिमाखेत, किलवोखाल और खाल्यूडांडा में सड़कों का निर्माण कराया जाय। 1962 में जहां डांडा मण्डल की जनता बसों से यात्रा कर चुकी है किन्तु वन अधिनियम बन जाने से इन गांवों में आज पैदल जाना पड़ता है व 50 रु0 में 50 किलो0 सामान को ले जाया जाता है। यह सिर्फ वन अधिनियम की वजह से है। वहां सड़के अवरुद्ध पड़ी हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आर्षित करना चाहता हूं कि ये सड़कें बनाई जांय।

वहां पर गढ़वाल विकास निगम बनाया गया है। यह निगम इसलिये बनाया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन इस निगम ने सिर्फ उन व्यवसायों को छांटा है जो वहां के अधिकतर लोग करते हैं। वहां लोगों का ट्रान्सपोर्ट का बिजनेस है, निगम ने ट्रान्सपोर्ट खोल लिया। वहां पर रोजिन और टपन्टाइन फ़ैक्ट्रियां हैं, जो किसी को भी दी जा सकती हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर

लिया मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम को उन नयी योजनाओं को संचालित करना चाहिये जो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं की जा ही हैं। आप ने मुझे जो समय दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विपक्ष के द्वारा रखे गये डा० नौटियाल द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं धन्यवाद।

(5 बजकर 21 मिनट)

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, मैं इस हिल विकास बोर्ड के ऊपर कुछ सुझाव देना चाहता हू। इस बोर्ड को बने हुए कुछ वर्ष बीत चुके हैं। इस बोर्ड को क्या शक्ति है, इसके बारे में मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं। हिल बोर्ड का उद्देश्य था कि वह पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करें और उन तमाम चीजों को देखे जिससे पर्वतों का विकास हो सके। लेकिन आज इस बोर्ड का जो काम रह गया है वह तमाम डिपार्टमेन्ट्स के रिकार्ड्स को इकट्ठा करना। कोई परिषद् बनाने से या कोई निगम बनाने से या कोई दूसरी संस्था बनाने से विकास नहीं हो जाताहै जब तक कि उसके पास पावर नहीं होगी। यह बोर्ड जल निगम, जल संस्थान पी० डब्लू० डी० आदि डिपार्टमेन्ट्स के रिकार्ड्स ही इकट्ठे करने में लगा रहता है और अपनी एक किताब छाप देता हैकि हमने ये-ये प्रगति की है। इन सबके ऊपर वित्त विभाग है। यदि किसी निगम के बनाने से विकास हो जाता तो बहुत आसानी हो जाती। हम लोग भी उसमें शामिल हैं। कभी पूर्वांचल विकास निगम बना दिया गया और कभी बुन्देलखण्ड विकास निगम बना दिया गया। इनके बनाने से सिर्फ यह हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं डाक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, जो वहां जाना भी नहीं चाहते हैं, उनके दर्शन अवश्य होते हैं। डाक्टर्स यदि वहां जाता है तो वहां रहेगा कैसे। मैदानों में जो वी० एल० डब्लू० भी कार्यरत है देहातों में, वह भी शहरों में मकान बनाता है और शहरों में ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई करवाता है। डाक्टर्स कैसे अपने बच्चों को वहां पर पढ़ायेगा अब तो वह यह कहते हैं कि वहां के लोग तो इलाज करवाते ही नहीं हैं। वे तो झाड़-फूंक करवा कर अपना इलाज करवाते हैं, देवी-देवताओं की पूजा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में डाक्टर वहां क्या करेगा। आप कहते हैं कि हमने प्रगति की है। आपने क्या प्रगति की है। जब तक इस विकास बोर्ड को आप पूरी पावर नहीं देंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है।

सभी लोग ले-दे के यही कहते हैं कि वहां पर सेब होता है। ठीक है सेब होता है। क्या सेब से विकास हो गया? हिमांचल प्रदेश की पापुलेशन यहां से 2 लाख कम है और एरिया भी आपसे कम है लेकिन आज उसकी पर-कैपिटा इनकम और उसकी सेब की उपज आपसे ज्यादा है और वह आपसे ज्यादा खुशहाल है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने शिमला तक रेल की लाईन निकाल दी थी। यदि आपकी भी पहाड़ों पर विकास करने की मनशा होती तो नैनीताल व मंसूरी तक आपने रेल की लाईन क्यों नहीं निकाली। आप बोर्ड बनाये जा रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपनेबजट में जो एक अरब रुपया मांगा है क्या वह सब विकास के कार्यों पर ही खर्च होगा। इसमें से अधिकारियों व कर्मचारियों की तनख्वाह भी है और इसमें मेन्टीनेन्स का खर्च भी शामिल है। लेकिन मान्यवर इस एक अरब रुपये से होता क्या है। उधर के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, नये हैं, मैं उन्हें पहचानता नहीं, बड़े खुश थे। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद तो देना है। चाहे कटौती के प्रस्ताव से देना है, चाहे स्वीकार करके देना है। हम तो सहयोग कर रहे हैं कि पहाड़ का विकास होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस विकास परिषद् को अधिकार होना चाहिये कि वह इलाके का सर्वे कराये आप कहते हैं कि उद्योग लगे । बड़ी मशीनें आप पहाड़ पर ले नहीं जा सकते। तो, बड़े उद्योग लगने का सवाल नहीं होता है । कुटीर उद्योग की खपत नहीं है । अब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाय और वहां से यादगार के लिये कुछ खरीद कर ले आये । मान्यवर, कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बनती न हो हर जगह बड़ी मशीन से वहां कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आयेगा, मेहनत ज्यादा आयेगी । तो, क्या इन्टरेस्ट रह जायेगा । शो रूम में सजाने के लिये एक अच्छी चीज लगा लें, बस यही भावना हो सकती है । अभी आई0 टी0 आई0 की बात कही गयी, जब वहां कोई उद्योग है नहीं, तो उसका क्या उपयोग । बिजली की ट्रेनिंग की बात कही, बिजली के खंभे कहीं हैं तो कहीं नहीं । मान्यवर, मेन चीज इसके मूल में समझें । वहां उद्योग हो, लोग आई0 टी0आई0में ट्रेनिंग लें, मूल में उनको रोजगार मिले जिससे तरक्की हो । जब ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो विकास बोर्ड से बनाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

(लाल बत्ती जलने पर)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेश चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं ।

मान्यवर, जहां तक पर्वतीय विकास का मामला है, पर्वतीय क्षेत्र में बजट काफी जाता है लेकिन वहां केन्द्रीय वन अधिनियम के कारण आज पहाड़ में विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है । मैं चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये जब तक वन ऐक्ट में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक वहां का विकास कार्य अवरुद्ध रहेगा । करोड़ों रुपये सरकार मोटर मार्गों में खर्च करती है । लेकिन वन भूमि के कारण पथ निर्माण के कारण रुक जाता है । मान्यवर, मोरनाला–मझोला मोटर मार्ग 1974 में स्वीकृत हुआ था, 1980 के बाद वह रुक गया है । बीच में आधा बन चुका है आज उसकी कई गुना लागत बढ़ गयी है । उसका बजट काफी बढ़ गया है । वहां की जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है और न सरकार को रेवेन्यू मिल पा रही है ।

मैं पर्यटन के विषय में कहना चाहता हूं कि पर्यटन के संबंध में नैनीताल जिलेमें ऐसे-ऐसे स्थान है, जो बड़े रमणीक हैं। मेरे क्षेत्र में दो लेक हैं हरीशताल और लोहाखान ताल लेकिन, रास्ता न होने के कारण वहां का विकास नहीं हो पा रहा है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं जल्दी से जल्दी वहां का विकास हो । कार्बेट पार्क रामनगर में है, खटीमा में भी इस तरह का पार्क घोषित किया जाय जहां तक स्कूलों की बात है, स्कूल स्वीकृत हो जाते हैं, लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं दिये जाते हैं, वहां पर भवन का बजट लेट भेजा जाता है जिससे छात्र अध्ययन से वंचित रह जात हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य के मामले में, हास्पिटल खुल जाते हैं, लेकिन भवन निर्माण समय से नहीं हो पाता है । दवाइयां रखने के लिये जगह नहीं है । भवन किराये पर लेते हैं । पर्वतीय क्षेत्र में किराये की बिल्डिग कैसी हो सकती है ? इसलिये हमारे डाक्टर इन असुविधाओं को देख कर पहाड़ों पर जाना उचित नहीं समझते। पर्वतीय क्षेत्र में एक समस्या हमारी है बसों की । हर रोड पर एक-दो बसें चलती हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक बसें उपलब्ध करायें । जो भी सरकार काम कराये उन्हें फिक्स टाइप पर कराये तभी विकास हो सकता है । एक साल के काम में चार साल लग जायेगा तो बजट बढ़ जायगा और काम नहीं हो पायगा, समय की पाबन्दी होनी चाहिये ।

*श्री गौरी शंकर भइया--

मैं नौटियाल साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, बहुत सारी बातें इस सन्दर्भ में आ गई हैं। कम सुझाव मैं आप के माध्यम से देना चाहता हूं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा का पूरा मसूरी पहाड़ सरक रहा है। जब वहां के लोगों से बात की तो पता लगा कि इसका प्रमुख कारण है बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और चूना निकाला जा रहा है। हालां कि सेना के लोग बचाव का काम तेज़ी से कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से वह सरक कर जमीन पर आ रही है वैसा काम दिखाई नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि मसूरी की खूबसूरती बनी रहे तो पेड़ों को लगाने का काम होना चाहिये। पहाड़ की सबसे बड़ी चीज वह बासमती चावल है। श्रीमन्, मंत्री जी के इलाके में होता होगा, देहरादून हमारी एक कमेटी गई थी और घूम कर देखा। देहरादून के विकास के लिये आप देहरादून शहर का 5 कि0 मी0 का एरिया ले रहे हैं, भवन बनाने का काम करने वाले हैं। मास्टर प्लान है। और दुर्भाग्य यह है कि उस एरिया में बासमती चावल की खेती होती है, जिसकी महक की वजह से, देश में ही नहीं, दुनिया में मांग है, वहां आप बिल्डिग बना रहे हैं। अगर बिल्डिग बनाना जरुरी है तो पहाड़ पर भी बना सकते हैं, जिस जमीन पर धान की खेती होती है, उसको समाप्त कर देने की जो सरकार की साजिश है, उसकी ओर आप का ध्यान जाना चाहिये।

शतरुद्ध जी ने कहा कि सूखा पहाड़-पहाड़ है, बर्फ़ का पहाड़-पहाड़ है। तो निश्चित रूप से मिर्ज़ापुर का पहाड़ है जो पूरे प्रदेश में खनिज सम्पदा के लिये अगुआ बना हुआ है, उसको आपको अपनी इस स्कीम के अन्तर्गत लेना चाहिये। पहाड़ों पर पी0डब्लू0 डी0 विभाग जल निगम है, क्या हालत है, सड़कें, पानी, स्कूल, दवायें कहीं हैं, अस्पताल नहीं, तेज़ी से विकास करने की बात करते हैं, क्या कारण है कि हमारे अधिकारी, इंजीनियर, डाक्टर, ओवरसियर, आते हैं--साल भर व्यस्त रहते हैं, कभी समय पाते हैं तो इन पहाड़ों पर मौज मस्ती के लिये आते हैं लेकिन जब विकास के लिये जब पोस्टिंग की जाती है तो उसमें कोई दिलस्चपी नहीं रहती। इन कारणों की खोज किया जाना आवश्यक है। जब पहाड़ का आदमी ही उसके विकास की ओर ध्यान नहीं देगा तो बाकी लोगों ने क्या ठेका ले रखा है। उत्तर प्रदेश की बात होती है तो कहते हैं विकास इसलिए नहीं हुआ कि हमने ज्यादा प्रधान मंत्री दे दिये...पहाड़ का विकास इसलिये नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री आपने ज्यादा दे दिये। यह एक राजनीतिक कमी है, इसकी तरफ़ भी आपको ध्यान देना चाहिये। पहाड़ का विकास और पहाड़ के मुख्यमंत्री आपस में विरोधी होकर रह गये हैं। अगर आप विकास चाहते हैं तो मुख्यमंत्री छोड़ दीजिये और मुख्यमंत्री चाहते हैं तो विकास छोड़ दीजिये।

पर्यटन में आप सरकारी गाड़ियां चलाते हैं। पहाड़ के लोग जो गाड़ियां खरीदते हैं क्यों नहीं उन्हीं को परमिट देते हैं? निज़ी बस वाले अपनी बस चलायेंगे तो उनको रोजगार का अवसर मिलेगा।

नैनीताल, किच्छा मा0 मुख्य मंत्री जी के इलाके का क्षेत्र है, वहां की नदी से बालू निकालने का काम वहां के मजदूर किया करते थे, उस काम को अपने निगम के हाथ में सौंप दिया। इससे 20-25 हजार से ज्यादा मजदूर भुखमरी के शिकार हैं। बद्री आश्रम से लेकर नीचे तक जो नदियां हैं वहां के बालू निकालने का काम जो मजदूर करता था और रोटी पाता था, उसे आपने बन्द कर दिया। मेरा सुझाव है कि निगम के हाथ से यह काम लेकर मजदूरों को करने दें और इस प्रकार उन लोगों को काम दें। मैं यह सोचता था कि पहाड़ का विकास हो गया। 5-7 साल से सुन रहा था कि अमुक धनराशि दे दी अमुक धन दे दिया, किन्तु आज मा0 मुख्यमंत्री जी के भाषण और नौटियाल जी के कटौती प्रस्ताव से ऐसा लगा कि अधिकारी अपनी जेब में लेकर सारा पैसा

चले गये हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि जो निगम हैं, उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया है, पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस पर मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं टेहरी क्षेत्र से विधायक हूं और सभवत: सारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा बांध और एशिया का सबसे बड़ा बांध टेहरी में बन रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा छठा बांध है। इससे 110 गांव और टहरी का पूरा नगर डिस्टर्ब हो रहा है। 22 गांव पूरी तरह से डूब जायेंगे और 70 गांव आंशिक रूप से डूबेंग, टहरी का ऐतिहासिक नगर पूरा डूब जायगा और कुछ गांव जहां पर कालोनियां बन रही थी और कुछ दफ्तर बनेंगे, उसकी वजह से कुछ गांव हटेंगे। मेरा निवेदन है कि वहां से जो लोग हट रहे हैं, उनको मुआवजा आज के हिसाब से दिया जाय क्योंकि वह अपन घर को छोड़ रहे हैं, जमीन छोड़ रहे हैं, अपना रोजगार छोड़ रहे हैं, अपने जीवन का पर्यावरण है, वह छोड़ रहे हैं, जीवन का वसीला छोड़ रहे हैं। चूंकि इतना बड़ा विस्थापन हो रहा है वहां पर उनको समुचित सहायता मिलनी चाहिये। मैं उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों को बधाई देता हूं कि उनके पास पर्वत का इलाका है। पर्वत ही ऐसा इलाका है जहां से बड़ी-बड़ी नदियां निकलती हैं और जब भी वहां की नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं तो ये बर्फ के कारण बढ़ती हैं उनमें पानी बढ़ जाता है। टेहरी नगर में जो लोग नये-नये मकान बनाये हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाय, जो ऐसी भूमि पर बनाये हैं, जो स्वीकृत नहीं है, नजूल पट्टे देने बन्द हो गये ह लेकिन आदमी को आवश्यकता होती है रहने की। 12 वर्ष हो गये, शुरू में तो यह बांध 197 करोड़ रु0 का था आज वह बांध 1265 करोड़ रु0 से ऊपर चला गया है। आप अन्दाजा लगाइयें कि कैसे और किस हिसाब से आप उन लोगों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करेंगे? जो बच्चा उस समय 12 वर्ष का रहा होगा वह आज 24 वर्ष का नौजवान हो गया है और आज उसकी अपनी फेमिली होगी जो लड़के जो बालिक हो गये हैं उनका भी एक परिवार मान कर व्यवस्था की जाय।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सालों से गलत बीज आ गया है यूपेटोरियम ओडरिटम व प्रार्थी नियम व लतसा जिन्होंने वहां की बनस्पति को नष्ट कर दिया है, वहां की वनस्पति का इससे विनाश हो गया है। वहां जो करौंदा, तुगंला, किनगोड, बांस, बुरांस, हीसर यह सब बनस्पति समाप्त हो रही हैं। ये नये पौधे किसी काम के नहीं हैं, उनको न तो पशु खाते हैं और न यह जलाने के काम आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये अनुमति दी है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो डाक्टर नौटियाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं और उसका समर्थन करता हूं। मैं दो-तीन बातें ही कहना चाहूंगा जैसे कि मा0 सदस्य शतरुद्र प्रकाश ने और हरीशजी ने कहा कि ठंडे पर्वतों की तरफ़ हमारी सरकार का ध्यान बहुत है लेकिन जो गर्म पर्वत हैं उनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड जो कि पर्वतों से आच्छादित हैं वहां का एक जनपद ललितपुर भी पर्वतों से आच्छादित है, उसके संबंध में मैं मंत्री जी के सामने कुछ बातें रख रहा हूं।

सर्वप्रथम बुन्देलखण्ड की ललितपुर जनपद, जहां का जीवन खनिज सम्पदा और वन सम्पदा पर आधारित है उसका अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। अभी भी जनपद की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में और जंगलों के बीच में रहती है उन्हें आने-जाने की भी

सुविधा नहीं है। अपनी दवाई के लिये या अन्य आवश्यक सामग्री को क्रय करने के लिये वहां का मनुष्य मीलों की दूरी तय करके आता है, तब कहीं उसे उक्त सामान की उपलब्धि हो पाती है। उक्त जनपद में लखनजर पापड़ा, गोंठरा, बारई, सौराई, बाला बेहट पाली, धौरी सागर, धौरी, नीलकण्ठेश्वर, देवगढ़, पटना, पारोल तथा पाण्डवन मार्ग, इन सब स्थानों का मार्ग पूर्ण कराया जाये।

बुन्देलखण्ड में इमारती पत्थर सबसे ज्यादा उपलब्ध है जो कि मकान बनाने के काम में आता है। बुन्देलखण्ड का कोई भी मकान इसके बिना अधूरा रहता है। गत वर्ष में वन अधिनियम को बना कर वहां के खदान के कार्य को बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर यह पत्थर होता है वहां पर वन नहीं होता है। इसलिये इस पत्थर खनिज के क्षेत्र को जांच करके उसे लीज पर दिया जाय। जनपद ललितपुर में जो वन निगम काम कर रहा है वह अवैध कटान कराता है, इसकी रिपोर्ट आप वन विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वर्ष ही 60 हजार रु0 से ऊपर के मूल्य के पेड़ों का कटान हुआ है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसे रोक सके। निगम के जो लोग वहां आते हैं वे अवैध रूप से वनों का कटान कराते हैं, उनको इस कार्य के लिये रोका जाय। तीसरी चीज मान्यवर, यह उक्त कठिन कार्य माननीय मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर 30 वर्ष की अवधि तक पूर्णतः बन्द कर दें तो हमारे उक्त बुन्देलखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में वनों का विनाश होने से बच जायेगा। मान्यवर, चिकित्सा की सुविधा, वहां के क्षेत्र में 20-20 किलोमीटर तक कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के लिये माननीय चिकित्सा मंत्री जी से परामर्श करके वहां उपलब्ध करावें। कृषि की सुरक्षा के लिए मान्यवर वनों में वन्य जन्तुओं की वजह से किसी की सुरक्षा नहीं हो पाती है अतः इसके लिये बाड़ आदि लगवाये जायं। पेयजल की समस्या बहुत है इसलिये पाइप लाइन डालकर वहां की पेयजल की समस्या को दूर किया जाय। हमारे क्षेत्र के वनों की सुरक्षा की जाय। 2 बातें और कहना चाहता हूं, वनवासियों के लिये झोपड़ियां उपलब्ध करायी जायं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिए।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, एक मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आप शुरू में तेज चले होते तो जरूरत न पड़ती।

*श्री संन्तन बड़थ्वाल—

मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की देन है, मैं समझता हूं कि यह उनकी दूरदर्शिता थी, यह केवल 8 पर्वतीय जनपदों का विषय नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, यह सारे राष्ट्र की शान का विषय है। सीमान्त क्षेत्र के लोगों का मनोबल अगर बढ़ेगा तो देश की सुरक्षा बनी रहेगी यह उनकी दूरदर्शिता थी उसी की देन पर्वतीय विकास परिषद् है। मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा कि वहां की बेरोजगारी और वहां का जो कठिन जनजीवन है उसमें एक नयी चीज जब तक नहीं आयेगी तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। पर्वतीय विकास परिषद् एक पर्वतीय वित्त परिषद् रह गया है, केवल जल निगम को रुपया चाहिये, पी0 डब्लू0 डी0 को रुपया चाहिये सिंचाई विभाग को रुपया चाहिये।

हमारे क्षेत्र बद्री, केदार में बड़ी बड़ी योजनायें चल रही है और लाखों रुपये का घोटाला चल रहा है लेकिन पर्वतीय विकास को आज यह अधिकार नहीं है कि पूछ लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं चाहता हूं पर्वतीय विकास के जो सचिव है उसको ए0पी0सी0 कैडर का बनाया जाय जिससे सारे विभाग ए0पी0सी0 से सम्बद्ध रहे। वहां पर जो लोग जाते हैं आप देखेंगे कि तीन किस्म के लोग भेजे जाते हैं। एक तो वह जिनसे विभाग में लोग तंग आ जाते हैं। वह लोग भेजे जाते हैं। दूसरे वह लोग जो प्रमोशन लेकर जाते है और अब एक नयी परम्परा आबाद हो गयी है कि जब वह रिटायर होने लगते हैं तो आखिरी वक्त अपनी पेंशन की लालच में वहां चले जाते हैं, जब यह नीति होगी तो पहाड़ की क्या हालत होगी, उसका कैसे विकास होगा। यह ऐसा क्षेत्र है कि आखिर में सारा कर्म करने के बाद भगवान बद्री विशाल की तरफ इस तरफ के और उस तरफ के माननीय नेता जाते हैं तो मैं कहूंगा कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पहाड़ों की गरीबी, बेकारी को दूर करें। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको पर्वतों का विकास करना है तो आप उनकी समस्याओं की ओर सोचें और इस ओर भारत का प्लानिंग कमीशन नहीं सोचेगा तो कोई विकास नहीं होगा, इसलिये प्लानिंग कमीशन को चाहिये कि इस ओर विचार करें।

मान्यवर, पर्यावरण के नाम पर इधर और के और उधर के मा0 सदस्यों ने कहा, लेकिन विशेषज्ञों को यह बीमारी है कि पर्यावरण के नाम पर सारे विकास को अवरुद्ध कर दिया है और आज कोई वहां पर विकास नहीं हो रहा है। इस लिये आपको कोई विकल्प निकालना होगा। हम चाहते हैं कि पर्यावरण भी हो और उसके साथ ही साथ पहाड़ों की रक्षा भी हो, लेकिन पर्यावरण के नाम पर पहाड़ों का जो जनजीवन विषाक्त हो रहा है, तो ऐसा करना ठीक नहीं है इस पर आपको विचार करना होगा। मान्यवर, यह प्रदेश की सुरक्षा और अखण्डता का प्रश्न है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मैं डा0 नौटियाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा साहित्य हिमालय के दर्शन से परिपूर्ण रहा है। कालिदास का साहित्य आपने पढ़ा होगा तो आपको पूरा हिमालय का ज्ञान हो जायेगा। मैं मान्यवर, पिछले वर्ष वहां पर गया था तो वहां के लोगों की कुछ समस्यायें देखने को मिली और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं आज बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं यमुनोत्री जा रहा था, तो लंका चट्टी पर कुछ लोग मिले और उन लोगों ने समस्यायें रखीं उन्होंने कहा कि आपके यहां पर गेहूं 120 दिन में हो जाता है और हमारे यहां पर 180 दिन में होता है। तो मान्यवर, कृषि विभाग से अपेक्षा है कि पर्यावरण के नाम पर आप वहां के विकास को न रोकें। ऐसा करना ठीक नहीं है आप कोई इस तरह की योजना निकालें जिससे कि पर्यावरण भी रहे और वहां का विकास भी होता रहे, दोनों का सन्तुलन करें।

मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय में रानी चौरा कैम्पस है, जिसमें फलों और कृषि के विकास का कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है वहां पर सेबों के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण लोगों के सेब सड़ने लगते हैं। जिससे उनको आर्थिक हानि होती है, तो आप उस पर ध्यान दीजिये। चन्द्रमा पर लोग चले गये हैं लेकिन कृषि के सम्बन्ध में कोई खोज न करेंगे तो वहां का विकास न होगा। इसलिये आप जलवायु और खेती के सम्बन्ध में कोई खोज करें। मान्यवर, काठगोदाम से सामान ढोकर यमुनोत्री और गंगोत्री ले जाया जाता है।

मान्यवर, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि आप वहां पर पशुधन का विकास करें। गूजर लोगों को मैंने देखा है उनके जानवर सड़कों पर घूमते रहते हैं। हुकुम सिंह की पट्टेदारी हो सकती है। मैंने उनको जानवरों को दुहते हुये देखा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर आप दुग्ध उत्पादन के विकास की ओर सोचें तो उसका विकास हो सकता है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं एक तो मान्यवर, यह है कि कृषि में खोज करें और फल संरक्षण की व्यवस्था करें और दूसरे वहां पर आवागमन के साधनों का विकास करें। तीसरा पशुधन का आप वहां विकास करें जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। यह उनकी मनीआर्डर इकोनामी है। इसलिये इन तीनों सुझावों को माननीय मंत्री जी आप मान लें। हम मैदान के लोग जब बद्रीनाथ जाते हैं तो ऋषिकेश से ही धक्के खाने पड़ते हैं और गंगोत्री जाते हैं तो लंका के पास एक पुल बन रहा था जिसकी वजह से बड़ी परेशानी बच जायेगी। वह आर्थिक कठिनाइयों के के कारण नहीं बन पाया है....

श्री गुलाब सिंह--

वह बन गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

बहुत अच्छी बात है अगर बन गया है तो। उससे हम सीधे गंगोत्री चले जायेंगे। एक सुझाव मेरा अपना है और वह यह है कि वहां पर सब जगह तक परिवहन निगम की बसें चला दें। मंडल की बस न चलायें इसके लिये केदारनाथ जाने के रास्ते पर सर्वेक्षण भी हुआ था गौरीकुंड से। लेकिन धनाभाव के कारण वह रोक दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि वहां की सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिये जिससे यात्री वहां सुगमतया आ जा सकें।

श्री मोतीराम--

मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं पहाड़ी क्षेत्र के उन बेरोजगार युवकों जो कि पढ़ लिखकर बेकार पड़े हुए हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उनके लिये वहां पर पालीटेक्निक, आई0 टी0 आई0 की ब्रांचेज खोल दी जायं ताकि वे कहीं नौकरी पा सकें।

दूसरी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्र हमारे इतने पिछड़े हुए हैं कि वहां पर लोग आज भी माइग्रेट करते हैं। इनको रोकने के लिये मेरा सुझाव है कि कुमायूं यूनिवर्सिटी जो हमारी है उसकी एक विशेषज्ञों की टीम बनायी जाय जो उस क्षेत्र में जाकर इस बात का सर्वे करे कि वहां के लोगों को कैसे रोजगार मिल सकता है। आज भी वहां पर छोटे-छोटे घराटों से लोग बिजली प्राप्त करते हैं। विशेषज्ञों की टीम इस बात का सर्वे करे कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह से यदि वहां पर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लग जायें और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप अधिक से अधिक टूरिस्टों को आमंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिये आप सीधी रेलवे लाइन बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली से हमको दिलवायें ताकि वहां से सीधे टूरिस्ट पहुंच सकें और सारी सुख सुविधायें उनको मिल सकें।

एक निवेदन और करना चाहूंगा जैसे कि माननीय नौटियाल जी ने कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में अस्पताल बहुत हैं लेकिन वहां पर डाक्टर नहीं हैं। पिछले दिनों मैंने भी इसके बारे में निवेदन किया था। लखनऊ से लेकर गढ़वाल तक कोईभी कहीं पर एक भी मेडिकल कालेज नहीं है। मंत्री जी को खुद मालूम है कि भारत के उप-राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन नैनीताल आये थे तो पंतनगर में हमने उनसे निवेदन किया था कि वहां पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय। उन्होंने इसके लिये स्वीकृति भी दे दी थी और इस ओर मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट किया था। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वहां पर एक मेडिकल कालेज की अत्यन्त आवश्यकता है। आपने कहा था कि मैं दिल्ली जाकर इसके बारे में प्रयास करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया दो-दो मिनट का समय लें। मैं समस्त माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिये आभारी हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट---

मान्यवर, बजट के पक्ष में बोलने के लिये आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग का बजट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। यह केवल प्रदेश के 8 जिलों से संबंध नहीं रखता है बल्कि इसका प्रभाव पूरे प्रदेश व देश पर पड़ता है।

डा0 बंगाली सिंह---

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

कोरम की घंटी बजायी जाय।

(घंटी बजायी गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हीरा सिंह बिष्ट---

मान्यवर, पर्वतीय विकास का बजट भारत के गौरव सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक हिमालय और उससे संबद्ध पर्वतीय श्रृंखलाओं से संबंध रखता है और गंगा यमुना नदियां जिसको सभी धर्मों के लोग समानरूप से मानते हैं पूरे प्रदेश की खुशहाली से संबंध रखता है। आज पहाड़ों में लगभग 28 बड़ी परियोजनायें चल रही हैं जहां से हमारे देश और प्रदेश को बिजली और पानी मिलता है। लेकिन हमारे पहाड़ों की समस्या वहीं है जो पहले थी। इतना भारी बजट आपने रखा है लेकिन विकास के नाम पर उसका पता नहीं लगता है कि कहां गया। विकास के नाम पर पता नहीं लगता है कि कितना धन विकास कार्यों पर खर्च होता है और कितना प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और यातायात व्यय में खर्च होता है। यह सबसे बड़ा अहम प्रश्न है कि जो विकास के नाम पर बजट मिला वह उसका बड़ा भाग लखनऊ में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते में खर्च हो जाता है और विकास के नाम पर 15-20 प्रतिशत ही रह जाता है। पहाड़ों की मूल समस्यायें आज हल नहीं हो पा रही हैं और जो हमारे सर्वोच्च अधिकारी यहां बैठे हैं पर्वतीय विकास विभाग में बैठे हैं वह हिल कैडर को बनने नहीं देना चाहते हैं जिससे आज वहां के पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो वहां के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर वहां की सर्विसेज में लगाया जाय। आज क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री में लोग यहां से नौकरी पाने के लिये वहां चले जाते हैं लेकिन साल भर बाद ही मैदानी क्षेत्रों के लिये ट्रांसफ़र कराते हैं और उसी कारण से आज ट्रांसफ़र में इतनी अनियमितताएं हो रही हैं। वे सब इसी ट्रांसफ़र में लगे रहते हैं इसी कारण से प्रशासनिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त होती है।

हमारे पहाड़ों की विभिन्न समस्यायें हैं जल संस्थान और जल निगम में सामंजस्य न होने के कारण जितनी पानी की योजनायें बनी हैं उसमें से 70 फ़ीसदी योजनायें फ़र्ज़ी हैं और वहां पर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जल निगम और जल संस्थान में समन्वय न होने के कारण योजनायें चल नहीं रहीं हैं। आज वहां पानी का बड़ा संकट है। लखनऊ में बैठे एम0डी0 इन दोनों विभागों का कुमायूं और गढ़वाल मंडल में समन्वय नहीं कर सकते हैं। ये जब तक जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर समन्वय नहीं होगा तब तक वहां का विकास संभव नहीं है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से फ़लोद्यान का विकास हो सकता है। वहां फ़ल संरक्षण का काम, जो दूर-दराज के इलाके हैं जहां पर फ़ल अधिक होता है, सहकारिता के माध्यम से होना चाहिये तथा शीत गृह शीघ्र बनें।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट---

मुझे दो मिनट और दे दें। मैं महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से सोयाबीन 2.75 पैसा पर कि0ग्राम से लिया जाता है उसी प्रकार से वहां पैदा होने वाले फल सेव और सब्जियों के दाम भी निर्धारित हों और उनके संरक्षण का भी प्रबंध हो। पहाड़ों की जड़ी-बूटियों का लाभ हरिद्वार में बैठा हुआ एक व्यापारी उठा रहा है और करोड़ों रुपया उससे कमाता है इसलिए इस संबंध में अनुसंधान करके जड़ी-बूटियों के उपयोग के लिए कोई फ़ैक्ट्री वहां पर लगायी जाय।

पर्यटन व होटल व्यवस्था को अधिक सुविधायें दी जावें।

देहरादून के संबंध में मैं महत्वपूर्ण सुझाव आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। देहरादून पर्वतीय क्षेत्र के रेशम उद्योग कोआपरेटिव सेक्टर में होता है। वहां शहतूत व रेशम के कीड़े पालने के लिए समितियां काम कर रही हैं उसको संरक्षण दिया जाय। देहरादून म महायोजना चलायी गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ माननीय सदस्य बैठें।

श्री हीरासिंह विष्ट--

इसमें कृषि योग्य भूमि को लिया जा रहा है। यह आपत्तिजनक है। इसलिए इसका दुबारा सर्वेक्षण कराया जाय। इसको आबादी के लिए लिया जा रहा है। आवास विकास विभाग इस जमीन को ले रहा है और आजसे 10 साल पहले जाखन में जिन किसानों की जमीन ली गयी उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। विकास प्राधिकरण की विकास शुल्क की दर 10 रु0 प्रति वर्ग मीटर है जो बहुत अधिक है जिससे आम लोग मकान नहीं बना पा रहे हैं। पी0डब्लू0 डी0, विद्युत आवास विकास मुआवजा नहीं देते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें (श्री किशन सिंह तड़ागी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हीरा सिंह विष्ट--

पहाड़ों में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए वन अधिनियम में परिवर्तन कर उसे लचीला बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(6 बजकर 4 मिनट)

*श्री किशन सिंह तड़ागी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही, अपने मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा पहाड़ों में कृषि और नौकरी दो ही ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों की जीविका चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि वास्तव में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय है वहां के 90 परसेंट लोग खेती करते हैं। लेकिन खेती के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और अच्छे बीज जिसके कारण अच्छी खेती होती है उसकी ओर भी शासन का ध्यान नहीं गया है।

जब खेती के लिये पानी नहीं मिलेगा, अच्छा बीज नहीं मिलेगा तो वहां खेती होना असंभव है। इसलिये जैसा मंत्री जी ने कहा कि वहां के लोग केवल 6 महीने खेती पर गुजर करते हैं। हमारे सामने से नदियां बहती हैं लेकिन न पीने के लिये और न सिंचाई के लिये ही पानी मिल पाता है। इसलिये मा0 मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो वहां छोटे-छोटे झरने, नदियां और नाले बहते हैं उनसे छोटी-छोटी गूलें बनाकर हर खेत को सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। मान्यवर, अभी विरोध पक्ष के श्री शिवानन्द नौटियाल जी ने कहा था कि पर्वतों में अभी तक सड़कें नहीं बन पायी हैं, यह बात सही है कि केवल एक रोड बनी है, लिंक रोडस अभी तक नहीं बनी है जिसके कारण लोगों को 30-30 किलोमीटर तक पैदल आना जाना पड़ता है और सामान ले जाना पड़ता है। किसान यदि मंडी में सामान या सब्जी ले जाना चाहते हैं तो वह नहीं ले जा पाते हैं। इसलिये वहां सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिये।

मान्यवर, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर 15 कि0मी0 इधर और 15 कि0मी0 उधर सड़क बनी किन्तु बीच में पेड़ वन विभाग के आ गये हैं इसलिये दो कि0मी0 सड़क न बनने से लोगों को परेशानी होती है। अतः सरकार से निवेदन है कि वह भारत सरकार पर दबाव डाले और वन अधिनियम जो है उसमें संशोधन लाये ताकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कों के लिये जो पेड़ आ जाते हैं उसे काटने की व्यवस्था हो सके और पूरी सड़क बन सके।

मान्यवर, पर्वतों में भूस्खलन अधिक होता है, बरसात से जिससे आने जाने की व्यवस्था वहां नहीं रहती है और बाढ़ आ जाती है तो छोटे-छोटे नाले नैनीताल में जैसे कालाडूंगी से राम नगर के क्षेत्र का सर्वे कराया गया तो 27 नाले आ गये हैं। इसलिये निवेदन है कि इन नालों को बाढ़ से रोकने के लिये प्रबंध किया जाये वरना काश्तकारों की जमीन कट रही है और काश्तकार वहां से भागने पर मजबूर हो जायेंगे और तब सरकार के सामने उनको बसाने की समस्या हो जायेगी, इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे।

मान्यवर, नैनीताल में एक योजना बृहत नैनीताल की बन रही है। चूंकि नैनीताल में उतनी जगह नहीं है जितने कि पर्यटक जो आते हैं वह वहां रह सकें लिहाजा नैनीताल, भीमताल, नवकुचिया ताल, सात ताल, नलदमयन्ती ताल, खुरपा ताल, सड़ियाताल-सात ताल हैं, जो प्रकृति की देन है, वहां छोटी कुटियां और होटल बनाये जायं जिस तरह की स्विटजरलैंड के गांवों में होटल बनते हैं और गांव वाले उनको चलाते हैं, उसी तरह शासन यहां गांव वालों को सुविधा और सहायता देगी तो वह कुटिया और होटल चलायेंगे जहां बाहर से जो पर्यटक आयेंगे वह उनमें सस्ते दरों पर रह सकेंगे और इससेहमारे यहां के लोगों की आय बढ़ेगी।

मान्यवर, श्री शिवानन्द नौटियाल जी ने जो कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की कुछ तरक्की नहीं हुई है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहाड़ों में स्कूल और अस्पताल हैं, सड़कें, हैं, लिंक रोड जरूर नहीं हैं तो वह भी बन जायेंगी। अस्पताल बने हुए हैं लेकिन डाक्टर नहीं पहुंच रहे हैं तो इसके दो कारण हैं, एक तो भवन के साथ साथ डाक्टर के रहने के लिये मकान नहीं हैं तो वह बनने चाहिये। इसी तरह स्कूल जब बनाये जायें तो अध्यापकों को रहने के लिये मकान बनाये जायें। यदि ऐसी व्यवस्था सरकार कर देगी तो डाक्टर और अध्यापक वहां रह सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री किशोरी लाल—

माननीय अधिष्ठाता जी, पर्वतीय विकास मंत्री ने जो बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं केवल दो-एक बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, अभी 15 अगस्त को मैं मंसूरी गया था तो वहां मालूम हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकोंने वहां पर पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, भारत के अतीत की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हजारों की संख्या में औषधियां हैं। संजीवनी बूटी जैसी प्राणरक्षक जड़ी वहीं से प्राप्त हुई थी जड़ी बूटियों की प्रचुरता की वजह से वहां देहरादून के एक दो परिवार के लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है। यदि उस क्षेत्र से देहरादून की इस आमदनी को माइनस कर दिया जाए तो वहां पर बहुत कम आमदनी मिलेगी। वहां पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियां पैदा होती हैं उनका देहरादून में कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यापार होता है और बम्बई में विभिन्न जड़ी बूटियों पर अन्वेषण कार्य होता है। यहां पर देहरादून में आयुर्वेदिक औषधियों का एक अन्वेषणालय बनाया जाय, उससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा और बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

मैं एक बात और विनम्रतापूर्वक शब्दों में कहना चाहूंगा, पर्वतीय विकास मंत्री जी से, हमारे जिला देहरादून में और अन्य पर्वतीय अंचलों में एक पौष्टिक आहार योजना चल रही है, जिसमें पंजीरी के नाम से जो चीज बच्चों को खाने के लिये दी जाती है, वह ऐसी खराब होती है कि उसको पशु भी नहीं खाना चाहेंगे, अतः आप पौष्टिक आहार योजना को तो बिलकुल बन्द कर दें कृपा करके। और इस बचे हुए धन से, फण्ड से वहां पर स्कूलों के जो भवन ध्वस्त हो चुके हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है और जिनके कारण से बरसात में उन स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, उनके भवन बना दिए जायें। उस योजना का फण्ड स्कूल भवन निर्माण में दिया जाए, तो मैं आपका आभार

मानूंगा। इसके साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शिव नारायण मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। गढ़वाल और कुमायूं मंडल के कुछ स्थानों को मैंने देखा है और ऐसा एहसास किया कि यह क्षेत्र पर्यटन-क्षेत्र है, जहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और फूलों की घाटी से सुन्दर और प्रसिद्ध रमणीय स्थान हैं, उसके हिसाब से यहां की स्थिति—टेलीफोन, बिजली, खाद्य सामग्री, स्कूल आदि की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि वहां के लोगों की निष्ठा और कर्त्तव्य परायणता को तेजी से बढ़ाने के लिए उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति को ऊंचा उठाना है। साथ ही मैं विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्य, डाक्टर नौटियाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उस समय मैं उन्हें बहुत गौर से देख रहा था, उनकी भावनायें जो थीं, पर्वतीय विकास के बजट की ओर थीं, लेकिन विरोध पक्ष में होने के नाते, अपने दल से सम्बद्ध होकर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह सत्ता पक्ष के बजट का समर्थन करते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। यदि नहीं लेते हैं तो मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, आपने आमन्त्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो पर्वतीय विकास की दृष्टि से पर्वतों का विकास हो और रक्षा की दृष्टि से उनका विकास हो यह बात अपनी जगह सही है सीमा सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर आबादी हो और सर्वेक्षण होता रहे और यह भी ठीक है कि जिस तरह से आबादी का विकास कुछ स्थानों पर हो रहा है—देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश आदि में, उससे वहां की जो नैसर्गिक और प्राकृतिक सुन्दरता थी, वह मिटती चली जा रही है।

मान्यवर, मैंने यह जो दो बातें कही हैं तो पर्वतीय विकास विभाग के बजट में इनका जरूर प्राविधान रखें। आर्थिक विकास की बात की गयी है, वहां पर गेहूं, धान, जौ जिस तरह से मैदान में होता है उस तरह से खेती आप वहां करा नहीं सकते हैं क्योंकि जलवायु और स्थान के हिसाब से ही खेती और उद्योगों का विकास हो सकता है। तो चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों, यह बात कही गयी कि वहां पर औषधियों की खेती करायी जाय, औषधियां उगायी जायं। वहां पर आयुर्वेदिक कालेज है तो मैदानी क्षेत्र से लड़के वहां भेजे जायं और यह जो जड़ी बूटियां हैं उनका संरक्षण तथा संवर्धन किया जाय। इनकी सुरक्षा करायी जाय और इनकी खेती के लिये भूमि उपलब्ध करायी जाय।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुओं के तीर्थ पहाड़ों पर हैं लेकिन उनकी बड़ी दुर्गति है। तिरुपति बालाजी में जो व्यवस्था है उसको देखें और अपने यहां जो व्यवस्था है उसको देखकर रोना आता है। अगर तीर्थ स्थानों की तिरुपति बालाजी के आधार पर व्यवस्था अपने यहां करें तो तीर्थ यात्रियों की संख्या भी बढ़ जायगी। दूसरी बात आप वहां पर पर्यटक आवास गृह उपलब्ध कराइये। एक काम आप कम से कम और करा दीजिये कि रज्जु मार्ग, बिजली से तार पर चलने वाली गाड़ी जो है इसको वहां अगर उपलब्ध करा दें तो पहाड़ों पर तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ जायेगी, कई सौ गुनी बढ़ जायगी। आप प्रयास करें कि इन तीर्थ स्थानों का विकास हो। यह सौभाग्य की बात है कि पर्यटन भी आपके पास है। दूसरी बात यह है कि जो बजट पहाड़ों को मिलता है उसका सही अर्थों में सदुपयोग नहीं हो रहा है। सारा पैसा जेबों में चला जाता है और उसका शतांश भी विकास पर नहीं लगता है। तो बजट का सही ढंग से उपयोग हो इसकी आप व्यवस्था करें। पर्वतीय विकास का जो महत्व है उसको दूरगामी दृष्टि से जरूर देखना चाहिये। अगर वहां आबादी को बसाते

चले जायेंगे मैदानों की तरह तो जिन पहाड़ों को हम आराध्य मानते हैं वहां की नैसर्गिक सुन्दरता मिट जायेगी। इसलिये यह प्रयास होना चाहिए कि पहाड़ों की नैसर्गिक सुन्दरता न मिटने पाये, इसका ध्यान रखें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है इस बात से जैसा अभी एक बंधु कह रहे थे कि मैं गौर से देख रहा था तो मैं भी कहना चाहता हूं कि मैं भी उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं, चाहे वह इधर के हों या उधर के माननीय सदस्य हों वह सब मेरी ही बातों को कह रहे थे।तो मैं अपनी इस बात में बड़ी भारी सफलता समझता हूं कि लोगों ने मेरी ही बात को स्वीकार कर लिया। जल निगम ने जितनी योजनायें बनायीं हैं वह सूखी पड़ी हैं। पी0डब्लू0डी0 की जो सड़कें हैं उन पर आप जा नहीं सकते। मान्यवर, इधर से और उधर से जितनी बातें कही गयी हैं वह इस बात का प्रमाण हैं कि यदि आपने समय रहते हुए पर्वतीय विकास को सशक्त, ताकतवर नहीं बनाया और अन्य विभागों के ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो आप कितने ही बड़े धन का बजट लायें वह उसी तरह समाप्त हो जायगा जैसे मंसूरी की पहाड़ियां नीचे खिसकती हुई चली आ रही हैं।मैं आलोचना की दृष्टि से यह नहीं कह रहा हूं। आप आत्मालोचन कीजिये कि जिन-जिन सड़कों पर आप 5 साल पहले चलते थे आज आप उन्हीं उन्हीं स्थानों पर उतरते हैं। कहां विकास हुआ है। मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि हमारे आगरा के डा0 कौशल जी ने भी इसमें अपने सुझाव दिये। डाक्टर साहब हमारे सार्वजनिक विभाग पर आगरा का तो बड़ा अच्छा असर है। जिससे हमारे पहाड़ों में भी आगरा का असर पड़ गया। वह कैसे कोटद्वार से लेकर केदारनाथ तक अगर आप जायं, तो मेल स्टोन, के पत्थर आपको आगरे के ही मिलेंगे। पहाड़ों में पत्थर ही पत्थर हैं परन्तु आगरा से पत्थर लाकर उन्होंने पहाड़ के लोगों के साथ भी अन्याय किया है।

मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूं कि आगरा का असर तो है ही।पर्वतीय क्षेत्र में लोग पहाड़ में क्यों नहीं रहते? मैं आपके माध्यम से इस बात का जवाब इस प्रकार से देना चाहता हूं कि हमारे स्कूल और कालेज तो खुल गये, लेकिन विज्ञान के विषय वहां पर नहीं हैं। आज कल गाइड और कुंजियों का भला हो उनको पढ़कर बच्चे प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं। तो कौन ऐसा बाप और भाई होगा जहां पर साइंस का विषय ही न हो तो दिल्ली और देहरादून उसको क्यों नहीं ले जायगा। आपने कहा कि वहां की इकोनामी मनी आर्डर इकोनामी है। यहां से कमा कर हम भेजते हैं तो वहां का चूल्हा जलता है। पहाड़ का बच्चा-बच्चा इसके लिए तरस रहा है।वहां पर कोई नौकरी उनको नहीं मिल पाती है।मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यहां से लोग चतुर्थ श्रेणी में नौकरी के लिये जा रहे हैं लेकिन वहां के लोगों को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं वहां का आदमी नीचे आयेगा? आप डाक्टर के लिए कह रहे हैं। पी0डब्लू0डी0 इंजीनियर्स या और जल निगम विभाग के इंजीनियर्स हैं,जहां पर लूट है, खसोट है, उसके लिए वे पहाड़ जाना चाहते हैं। लेकिन जो अध्यापकों और डाक्टरों की नियुक्ति होती है, वह एक दिन के लिये भी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इन्जीनियर्स की तरह उन्हें लाभ नहीं होता। पर्वतीय अंचल का इस तरह से शोषण हो रहा है। वहां पर मार्च के महीने में भी अध्यापक नहीं रहे। माननीय शूरवीर सिंह कह रहे थे कि बड़ा हास्यास्पद है, इनकी बुद्धि कौशल का मैं जवाब दूं, आपको मालूम होना चाहिए कि टेहरी डिग्री कालेज यूनिवर्सिटी का संगठन कालेज है।यूनिवर्सिटी अपने मामले में स्वतन्त्र काम करती है। उसमें मंत्री कुछ नहीं कर सकता। जब मैं मंत्री था, तो चलते-चलते आपके चम्बा में मैंने डिग्री कालेज खोलदिया।

आप मांग कर रहे थे सब्जेक्ट की, आपने इसको कहने के बाद भी मेरी ही बातों को माना है। जिस हिल कैडर को मैंने बनाया था, उसमें पूरे पर्वतीय अंचल के 5023 लड़के 1979 में नौकरियों पर लगे थे। उसके बाद उस हिल कैडर के जी0ओ0तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री श्री चन्द्र मोहन सिंह ने बदल दिया। उसके बाद पहाड़ में नौकरी करने वाले हर व्यक्ति का हिल कैडर उन्होंने माना जिसके

कारण पहाड़ के लड़कों की नियुक्ति नहीं हो सकी। आप ही बतायें 1979 के बाद पहाड़ के कितने युवकों को नौकरी मिली है? पर्वतीय अंचल के लड़कों का भविष्य श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी ने खराब किया। जबकि युवक इस गल्ती को समझेंगे व श्री नेगी को हमेशा कोसेंगे।

मैंने तो मंत्री बनकर 6 डिग्री कालेज खुलवाये थे। क्या इस बजट में कोई कालिज है? नहीं है?

मान्यवर, बहुत से अन्य मित्रों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये, आयुर्वेदिक कालेज, जलनिगम की बात कही, पर्वतीय अंचल को पर्यटन क्षेत्र बनाने की बात कही। मान्यवर, बद्री केदार क्षेत्र में एक ही फूलों की घाटी को लोग जानते हैं, जब कि पर्वतीय अंचल के गढ़वाल में 28 फूलों की घाटियां हैं। जिनको लोग नहीं जानते हैं। पर्यटन की दिशा में हमारे यहां का क्षेत्र विकास की इंतजार की घड़ियों को देख रहा है कि कभी-न कभी विकास की किरण वहां पहुंचेगी। इसके साथ-साथ हमारे यहां उद्योग धंधे की बात की जा रही है। अभी यहां पर सुझाव आये हैं। हमारे यहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लिये उर्वरा भूमि है। इस दिशा में भी कार्य किया जा सकता है। मान्यवर, इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने जल निगम और जल संस्थान को एक करने की बात कही। जब तक यह दोनों बिभाग एक नहीं होंगे, उत्तरदायित्व एक पर नहीं डाला जा सकता है। वह कहेंगे हमने बनाकर, कागज पर दूसरे को दे दिया और इसका परिणाम वही होगा, जो हम देख रहे हैं मान्यवर, 8 डिवीजन हैं, वहां पर 8 अधिशासी अभियन्ता, 4 सहायक अभियन्ता, 16-16अवर अभियन्ता हैं। अगर एक डिवीजन के 21 लोग एक-एक जगह भी बैठ जाते तो कम से कम 21 जगह तो पानी मिलता। जल निगम पूरी तरह से असफल हो चुका है। एक जी0 ओ0 दोनों विभागों को एक करने का आ रहा था, पता नहीं उसका क्या हुआ। उस दिशा में पुनः सोचें यह मेरा सुझाव है कि दोनों विभागों का एक विभाग बना दें। या एक ही विभाग को पूरा उत्तरदायित्व दें।

मान्यवर, इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं, पी0 डब्लू0 डी0 और जल निगम के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण न किया गया तो दोनों डिपार्टमेंट हमको खा जायेंगे। हम आपके साथ हैं, विकास की दिशा में, इसमें कोई विरोध पक्ष की बात नहीं है। हम मिलकर सहयोग देना चाहते हैं। आप हमारा सहयोग लीजिये और जो कुप्रशासन, कुव्यवस्था है, उसको समाप्त कीजिये। तभी पर्वतीय अंचल का सुधार हो सकता है। तभी पर्वतीय अंचल का विकास हो सकता है।

मान्यवर, पर्वतीय विकास को सशक्त बनाने के लिये, नियंत्रण और निरीक्षण होना आवश्यक है। मेरे कई साथी माननीय सदस्यों ने पर्वतीय विकास की समस्या के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने यह कहा कि नियोजन विभाग पर्वतीय विकास के लिये अलग है और नियोजन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य पर्वतीय विकास का देखा जाता है। मान्यवर, पर्वतीय विकास का नियोजन विभाग सिर्फ इतना काम करता है कि जो रुपया दिया जाता है, उसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में योजना बनावें। इतना रुपया दिया गया है इसी में योजना बनानी होती है। मान्यवर, फिर वित्त विभाग अंकुश क्यों लगातार है। इसको हटा दीजिये और जिस प्रकार से पर्वतीय विकास के लिये नियोजन सेल का गठन किया है, पर्वतीय विकास को द्रुत गति देने के लिये, उसी प्रकार से वित्त विभाग का भी सेल बनाने की कृपा करें। मान्यवर, मैं एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आपको भलीभांति मालूम है। पहले पर्वतीय विकास के कार्यों के निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षा तथा उसकी समालोचना करने के लिये विधायकों की कमेटियां हुआ करती थीं उससे इतना होता था कि विधायक अलग-अलग विभाग की कमेटी में जाकर जो काम पर्वतीय अंचलों में होते थे उनका निरीक्षण करते थे और अपनी रिपोर्ट देते थे। उससे विभागीय कर्मचारियों के ऊपर अंकुश रहता था। माननीय मंत्री जी श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी ने उन कमेटियों को भी खत्म कर दिया था। मेरा विनम्र निवेदन है कि पर्वतीय अंचल की जो 6–7 कमेटियां हुआ करती थीं उन्हें पुनः बना दिया जाय। यह

कमेटियां निरीक्षण और परीक्षण का कार्य देख सकती हैं।

यह मेरा ऐसा सुझाव है जिनके कारण हम पर्वतीय अंचल के विकास को एक गति दे सकते हैं और उसमें पूरी तरह से कार्य कर सकते हैं। मान्यवर, आपको मालूम है पहले जैसा यहां पर कहा गया है पर्वतीय विकास परिषद् को आप भलीभांति जानते हैं कि जो योजनायें जिलों से आती थीं, उसके ऊपर चर्चा हुआ करती थी। माननीय विधायक उसमें सुझाव देते थे, सारी बातों से अवगत कराते थे और जो योजनायें स्वीकार होती थीं हम उनको स्वीकार करते थे। मुझे इतना कहते हुए भी अत्यंत खेद है कि पर्वतीय विकास परिषद् की बात सोचना और सुनना भी हमारे लिए स्वप्न हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये अगर हम सब लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो हम कैसे बता सकेंगे कि उसमें हमारा क्या योगदान है और जब हमारा कोई योगदान नहीं होगा तो जैसा कि कहा जाता है केवल फाइलों और कागजों का काम कागजों में ही रहेगा और वह धरती पर नहीं आ सकेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुनः पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग बुलाई जाय और उसमें विधान सभा के माननीय सदस्यों को आमंत्रित करके ठोस योजनायें बनायी जायं जैसा पहले होता था।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि विकास निगमों की बात आई। आपको मान्यवर, अच्छी तरह से मालूम है और आदरणीय आर्या जी को भी मालूम है कि इन निगमों का गठन इसलिए हुआ था कि पर्वतीय अंचल में जो काम नहीं हो रहा है, जो उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं उन्हें गति देने के लिये निगम बने थे पर वह एक उद्देश्य था और वह असफल हो गया। अभी जैसा कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो गाड़ी चलाने का काम था उसको निगम ने ले लिया है और कहा गया कि हमको लाभ हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि माना सीजन में भी लाभ नहीं होगा तो कब होगा। अन्य किस क्षेत्र में इन्हें लाभ हुआ है, क्या यह बता सकते हैं? मान्यवर, हमारे यहां आलू 5 रु0 क्विंटल तक भी नहीं बिक रहा है। जोशीमठ में लोगों ने आलू बोना ही बन्द कर दिया है। वहां पर 4 आने किलो के हिसाब से सेब भी नहीं उठ रहा है। आप कह रहे थे कि उद्योग और कृषि में लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मान्यवर, लोग निरुत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि आपने मार्केटिंग की व्यवस्था पूरी नहीं की है। जब तक यह काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकेगा। मार्केटिंग के संबंध में उपाय की बात सामने आयी है। सन् 1976 में उपाय नाम की संस्था एक विकास परिषद् के माध्यम से चलाई गई थी। उद्देश्य था कि मार्केटिंग का मुख्य कार्य किया जाय, लेकिन 76 से 85 हो गया, इसके लिये कोई कार्य नहीं हुआ है। मैंने बड़ी विनम्रता से दो पहले के सचिवों के बारे में बताया जो पहले तो केलरीज होटल, दिल्ली में बताया कि क्याकर रहे थे और दूसरे के बारे में बताया कि देश और विदेशों का भ्रमण किया है, लेकिन जो वर्तमान सचिव हैं उनका पर्वतीय क्षेत्र से पूरा संबंध रहा है और हमें विश्वास है कि हमारे जो नये सचिव महोदय हैं, वे उपाय, जैसी संस्था का कार्य करेंगे। उनका जो पिछला इस प्रकार का कार्य रहा है, उसको हमने देखा है और उनकी कार्य क्षमता की प्रशंसा करते हैं। वह पर्वतीय क्षेत्र के लिये काम करते हैं।

मान्यवर, एक बात और कहूंगा कि इन निगमों में पहले माननीय विधायक रहते थे। आपको भी मालूम है। माननीय विधायक इन निगमों के डायरेक्टर होते थे। उसका परिणाम यह होता था कि जो यहां पर नीति निर्धारित होती थी, उसके बाद वे उन निगमों में जाकर वहां डायरेक्टर की हैसियत से उनका कार्यान्वयन कराते थे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार में उस समय तत्कालीन मंत्री श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी ने जितने भी सदस्य थे, उनको डायरेक्टर के पद से हटा दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो डायरेक्टर बने हैं, वह अयोग्य हैं लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि क्षेत्रीय समस्याओं से जूझने वाला, उनके बीच रहने वाला विधायक, क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत होता है और इन निगमों में अपनी निहित धारणा के साथ अपने इलाके में होने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी राय देता है।

मान्यवर, जिनको डायरेक्टर बनाया गया है, मैं नहीं कहता कि अयोग्य हैं, हो सकता है कि योग्य हों, लेकिन क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप उस क्षेत्र के विधायक अपना योगदान इन कार्यों में अधिक दे सकते हैं, दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं। आपसे अपील है कि इस पर आप पुनः विचार करें। किसी को भी बनावें, उनको इन निगमों का डायरेक्टर पहले की परम्परा के अनुसार विधायकों में से बनावें बाहर के लोगों में केवल उनको ही डायरेक्टर बनावें जो पर्वतीय विषयों में पारंगत हों। केवल संख्या बढ़ाने से पर्वतीय अंचल का विकास नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे यहां अगर हिल कैडर से अध्यापक नहीं जा पाते तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 15 दिन अनुपस्थित रहने के बाद जो अध्यापक नहीं जा सकते हैं, उनकी जगह डी0 डी0आर0, पौड़ी और नैनीताल हैं, को आदेश दें। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश कर दें कि 15 दिन के भीतर अध्यापक स्कूल में नहीं पहुंचते, तो उनकी जगह स्थानीय युवकों को नियुक्त कर दिया जाय। इस प्रकार के प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली आदेश पर्वतीय अंचल के युवकों की स्थिति को देखते हुए आदेश भेज देने की कृपा करें। प्राइमरी स्कूलों के संबंध में यहां के मैदान से जाने वाले अध्यापक न तो खुद उनकी भाषा समझते हैं और बहुत अन्तराल में समझते भी हैं तो न गढ़वाल में अंतर समझते हैं और न कुमाऊंनी में। वे छोटे बच्चों को अल्फाबेट का जो पहला स्वरूप है, उसे पढ़ा नहीं सकते। आपसे यह भी आग्रह करूंगा बेकार इंटरमीडियेट पास, हमारे यहां तो बी0एड0 करने वाले भी प्राइमरी में जाना चाहते हैं, उनको आप प्राथमिकता के आधार पर कम से कम प्राइमरी में ही वहां के युवकों को पूरा मौका देने की कृपा करें।

प्राविधिक शिक्षा में मान्यवर, मेरिट सिस्टम है जब वहां अध्यापक ही पूरी तरह से नहीं हैं, लड़के पास ही नहीं होते अच्छे नम्बरों से तो मेरिट में कहां आयेंगे। चाहे वह नैनीताल हो पिथौरागढ़ हो या चमोली हो। बाहर के लोग मेरिट में आ जाते हैं, जिस कारण वहां के लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है। जिस कारण वहां आई0 टी0 आई0 खोलने का महत्व नहीं है।

इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कृषि और नौकरी पर ध्यान दे रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूं कृषि के लिये, भूमि की उपयुक्तता के आधार पर वहां की खेती के लिये नये ढंग से सिलसिलेवार कार्य किया जाय। वहां केवल सेब ही नहीं है, साइट्स और संतरा भी है। अलखनन्दा वेली में जापान की एक टीम गयी थी, उसने अलखनन्दा वेली के पास के इलाके को संतरे के लिये उपयुक्त बताया था। फल-उपयोग संबंधी कोई कार्य करना है तो यह देखना होगा किस घाटी में कौन सा फल उगेगा। मान्यवर, इस प्रकार के कार्य किये जायं तब ही फलों के मामले में सफल हो सकते हैं अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए यह अनुरोध करता हूं आपसे कि इनके बजट में कटौती कर दी जाय ताकि यह भविष्य में सबके ऊपर अंकुश रखें।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पर्वतीय विकास के इस महत्वपूर्ण बजट पर अपने सुझाव दिये। डाक्टर साहब ने बहुत बातें कहीं। उनकी दृष्टि में शायद यह गलतफहमी है कि हमारे विभाग के लोग कार्य नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जिसमें उन्होंने सुधार की बात कही, मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय विकास परिषद् का गठन किया जाय और जल्दी उसकी मीटिंग बुलायी जाय ताकि उसके माध्यम से जो सुझाव आयें और उस पर हमारा विभाग कार्य त्वरित गति से करें और उस पर नियंत्रण भी हो सके। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सितम्बर के महीने में पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग बुलायी जायेगी। उन्होंने सदस्यों की कमेटी की बात कही। जब परिषद् का गठन हो जायेगा तो गठन होने के बाद वह कमेटियां अपने आप बन जायेंगी। इस तरह से उन्होंने जो बात कही है, अपने आप पूरी हो जायेगी।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कमेटी बनाने की प्रक्रिया खत्म कर दी गयी, उसको पुनः किया जाय।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं वही बात कह रहा हूं। निगमों में डाइरेक्टर की बात कही गई इस पर बिचार कर लिया जायेगा। मारकेटिंग की बात आपने कही। आपने यह खुद ही कहा कि पर्वतीय सचिव आने वाले वक्तों में अच्छा काम करेंगे। आपने साइट्रेस फलों की बात कही। इस पर इस समय गढ़वाल विकास निगम द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। जहां तक इसे अधिक अच्छा करने की बात है, हमारे जितने संसाधन होंगे, हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। मान्यवर, शिक्षकों की बात कही गई। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में यह मामला है। ज्योंही वहां से निस्तारित हो जायेगा, तुरन्त ही अध्यापकों की नियुक्त कर दी जायेगी। जल निगम और अस्पतालों की समस्या है। डाक्टर साहब ने कहा कि पहाड़ों पर रहने वाले डाक्टर भी नीचे ही रहना क्यों चाहते हैं? इसका कारण यह है कि हर आदमी आर्थिक दृष्टि से सबल होना चाहता है।

मान्यवर, निरीक्षण की बात कही गई, यह सही है। समितियों के माध्यम से आप इसे करेंगे और परिषद् में भी इसका मूल्यांकन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं 8 जनपदों का भ्रमण करूंगा और जिस जनपद में जाऊंगा वहांके विधायकों को निरीक्षण के समय अपने साथ ले जाऊंगा कि जो पैसा दिया गया है वह सही जगह पर खर्च हो रहा है कि नहीं। हमारा प्रयास रहेगा कि जो पैसा दिया गयाहै वह जनता के हित में खर्च हो।

मान्यवर, श्री माहरा जी ने वन अधिनियम के सरलीकरण की बात कही और यह भी कहा कि पहाड़ी जिले के लोगों को वही रहने दिया जाय। आपने यह भी कहा कि पहाड़ पर जितने भी विभाग हैं, छोटे-छोटे कर्मचारियों को वहीं पर रहने देने के शासन के आदेश भी है। इसे भीदेखलिया जायेगा औरविचार भीकरलिया जायेगा। जहां तक वन अधिनियम की बात है, आने वाले वक्त में इसमें सरलीकरण हो जायेगा। यह नहीं है कि इस अधिनियम से सारी स्कीमें बन्द हो गयी है। जो स्कीमें वहां के लिये बनाई गयी है, उन्हें पूरा किया जायेगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। अब मान्यवर, आपने पहले भी 15 प्रतिशत की बात कही थी, आज फिर दोहराया, आपजानते है कि जो 15 प्रतिशत दिया जाता है, जिनमें सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है उनको छोड़ कर,मिलता है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

सीमान्त के रूप में तो माना है।

श्री गुलाब सिंह—

कुछ मापदण्ड ऐसे है जिनमें ऐसा करना सम्भव नहीं हैक्योंकि भारत सरकार करती है, आप समझते हैं। जब हमारे संसाधन होंगे, सभी नेयह माना है कि पहाड़ों की दशा अच्छी नहीं है, तो हम 15 ही क्यों 20 प्रतिशत देने के लिये भी तैयार है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें थोड़ी कठिनाई है, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें क्या हो सकता है। सरस्वती जी ने पालीटेक्निक की बात की है। हम पालीटेक्निक रुरल में खोलने जा रहे है। एक गढ़वाल मण्डल में और दूसरा कुमायूं मण्डल में। अभी स्थान का चयन नहीं हुआ है, बहुत जल्द खोलने जा रहे है। शिक्षकों की बात डा0 साहब ने कही और हेलीकाप्टर की बात कही। इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि गढ़वाल विकास निगम इस बात का प्रयास कर रहा है। टूरिस्टों के लिये हेलीकाप्टर की व्यवस्था हो जाये बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिये। अगर संसाधन ठीक रहे तो गढ़वाल विकास निगम इस संबंध में विचार करेगा और जल्दीकार्य करेगा।हमारे माननीय मित्र वाराणसी का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वतीय विकास में न रक्खा जाये जो मैदानी क्षेत्र के है,वहां के पहाड़ भी उसमें रखे जायें। वैसे यह बात ठीक है कि सब पहाड़ों का समन्वय कर लिया जाय। लेकिन आप जानते है कि प्रदेश की, हमारी सरकार की जो नीति है उसके आधार पर यह शायद अभी सम्भव नहीं है। आने वाले समय में

अलग से जो निगम बनेंगे, उसके माध्यम से इसकी सेवा करना चाहेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ों की दूरी को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि एक मील/कि0 मी0 पर जूनियर हाई स्कूल खोलने का शासन का विचार है।

श्री अधिष्ठाता--

बाद में स्पष्टीकरण कर लीजियेगा अगर कोई हों, नोट कर लें।

श्री गुलाब सिंह--

डाक्टर साहब से कहूंगा कि आपने सुझाव दिया.....

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

गूजरों के लिये तो ख्याल करिये।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठें।

श्री गुलाब सिंह--

अभी पाण्डे जी ने कहा था गूजरों के लिये, उनको स्थापित करने के लिये शासनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है और मेरे ख्याल मे देहरादून और सहारनपुर के बीच में जो स्थान है, उसमें गूजरों को स्थापित करने के लिये शासन विचार कर रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी सुझाव मा0 सदस्यों ने दिये है उनपरविचारकर लिया जायगा और जो भी सुझाव शासन को पहुंचे है, उस पर विचार करने के बाद उस पर काम किया जायगा? मैं आश्वासन देता हूं कि जहां पर कोई भी चीज शिकायतकी हैवहां पर छानबीन की जायगी और सुझावों पर कार्य किया जायगा। इन शब्दों के साथ डाक्टर साहब से कहूंगा कि पर्वतीयविकासके लियेधन की आवश्यकता है, कटौती की आवश्यकता नहीं है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल--

मा0 मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही प्राइमरी विद्यालय के बारे में। पहाड़ में शाखा विद्यालय बहुत है। नियमतः प्राइमरी विद्यालय डेढ़ किलोमीटर पर है शाखा विद्यालय को पूर्ण विद्यालय बनाने का भी आदेश कर दें। आपसे आग्रह है कि शाखा विद्यालयों को भी पूर्ण प्राइमरी विद्यालयों की मान्यता दिला दें। इसके साथ ही कटौती तो मैंने इसीलिये की है कि आप कुछ करके दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--पूर्वतीय बिकास बिभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्तिके लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,16,22,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

एटा जनपद में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री बिद्या स्वरूप के तीन पुत्रों की सामूहिक हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजीत सक्सेना पुत्र श्री राधेश्याम सक्सेना, निवासी ग्राम नगरिया खनू, थाना दातागंज, जिला बदायूं से दिनांक 23-7-85 को प्रात: लगभग 03-30 पर थाना पटियाली, जिला एटा पर इस आशय की प्रथम सूचना अंकित कराई गई कि वह दिनांक 21-7-85 को अपने बहनोई श्री विजेन्द्र स्वरूप उर्फ महेश, निवासी ग्राम हायल के पास आया हुआ था। दिनांक 22-23-7-85 की रात लगभग 12-00 बजे कुछ बदमाश दीवाल फांद कर अन्दर घुस आये। छत पर सोये नगेन्द्र स्वरूप उर्फ नरेश व उसकी पत्नी श्रीमती मुकेशकुमारी की चिल्लाने की आवाज सुनकर विजेन्द्र स्वरूप लाइसेंसी रायफल लेकर व जितेन्द्र स्वरूप लाठी लेकर छत पर चढ़ने लगे। बदमाशों ने रास्ते में सीढ़ी पर विजेन्द्र स्वरूप व जितेन्द्र स्वरूप को पकड़ लिया तथा इनके पास से रायफल छीन ली। इसके पश्चात बदमाश छत पर ही विजेन्द्र स्वरूप, जितेन्द्र स्वरूप नगेन्द्र स्वरूप तथा श्रीमती मुकेश कुमारी को बन्दूक व रायफल की गोलियों से घायल करके घर के अन्दर आ गये और फिर लूट-पाट की। शोरगुल व फायरिंग की आवाज सुनकर आस-पास के लोग एकत्र हो गये जिसपर बदमाश दरवाजे से निकल कर बाहर जाने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने दो-तीन फायर किये जिसके छर्रे रामचन्द्र, झण्डी प्यारे लाल व चन्द्रपाल को लगे। बदमाश 17-18 की संख्या में थे। वापस आने पर देखा कि विजेन्द्र स्वरूप व नगेन्द्र स्वरूप छत पर पड़े हुये छप्पर के नीचे मरे पड़े थे। जितेन्द्र स्वरूप व श्रीमती मुकेश कुमारी घायल अवस्था में थी।

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 108 धारा 396 भा0 दं0 वि0, थाना पटियाली पर पंजीकृत करके कार्यवाही की गई। घटना की सूचना पाकर थाना पटियाली व पुलिस चौकी दरिया गंज से पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची तथा वायरलेस से मुख्यालय पर सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे।

घटना के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि स्वर्गीय श्री विद्यास्वरूप सक्सेना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पांच पुत्र सर्वश्री राजेन्द्र स्वरूप, देवेन्द्र स्वरूप, नगेन्द्र स्वरूप, विजेन्द्र स्वरूप व जितेन्द्र स्वरूप थे जिनमें से सबसे बड़े भाई राजेन्द्र स्वरूप न्यौली सुगर फैक्ट्री सोरों, एटा में टाइमकीपर हैं व देवेन्द्र स्वरूप कोआपरेटिव बैंक, गंज डुंडवारा, एटा में मैनेजर हैं। ये दोनों भाई जनपद एटा में स्थित कस्बा सोरों व गंजडुंडवारा में रहते हैं। इसके अतिरिक्त नगेन्द्र स्वरूप घर पर रह कर खेती का कार्य करते थे, विजेन्द्र स्वरूप अलीगंज तहसील में वकालत करते थे तथा जितेन्द्र स्वरूप गांव के पास ही स्थित दरियावगंज कस्बे में आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाते थे। ये तीनों भाई ग्राम हायल पर निवास करते थे। इस घटना में दो भाई नगेन्द्र स्वरूप व विजेन्द्र स्वरूप डकैतों की गोली लगने से मौके पर ही मारे गये तथा तीसरा भाई जितेन्द्र स्वरूप गंभीर रूप से घायल हुआ जिसकी दिनांक 1-8-85 को हरिश्चन्द्र नर्सिंग होम, हरीपर्वत, आगरा में मृत्यु हो गई। श्रीमती मुकेश कुमारी (जो गर्भवती भी थीं) अपने पति नगेन्द्र स्वरूप को बचाने के प्रयास में घायल हुई जिससे उनके दाहिने पैर तथा दाहिने हाथ में आग्नेयास्त्र की चोटें लगी। श्रीमती मुकेश कुमारी को सिविल अस्पताल, एटा में भर्ती किया गया जहां से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त इस परिवार के किसी अन्य सदस्य को चोट नहीं पहुंचाई गई।

घटना स्थल ग्राम हायल, पुलिस चौकी दरियावगंज व वहां पर स्थित पी0 ए0 सी0 कैम्प से लगभग 4 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है। यह सही है कि दिनांक 22-7-85 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 4-00 बजे अपराह्न थाना अलीगंज पर अलीगंज क्षेत्र के थानाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई थी और यह मीटिंग शाम 6.00 बजे के लगभग

नोट-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाप्त हो गई, जबकि डकैती की घटना अर्द्धरात्रि की है ।

बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग से गांव के सर्वश्री झग्गड़ी, प्यारे लाल, रामचन्द्र व चन्द्रपाल को साधारण किस्म की चोटें आई । इस प्रकार इस घटना में कुल तीन व्यक्ति मारेगये व 5 व्यक्ति घायल हुये। डकैत, मृतक जितेन्द्र स्वरूप के कमरे में रखी लोहे की एक आलमारी को तोड़ कर उसमें रखा हुआ जेवर व नगद रूपये तथा मृतक के परिवार की एक लाइसेंसी रायफल भी ले गये हैं। वादी पक्ष द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लूटीगई सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग एक लाख रुपया है ।

इस घटना की विवेचना में अब तक 10 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये हैं, जिनमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके नाम हैं--रामदस पुत्र जोखा राम; निवासी नगला, मलखान थाना पटियाली, राम प्रकाश पुत्र इन्द्रपाल,निवासी थाना जयथरा, जलालुद्दीन पुत्र सुबराती, निवासी थानाजयथरा और मुन्ना पुत्र हबीब निवासी नगला, मुल्लू, थाना पटियाली । अन्य 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास तत्परता से किया जा रहा है। अभियुक्त मुन्ना से डकैती में लूटा गया कुछ सामान भी बरामद हुआ है इस घटना की पृष्ठभूमि में-यह बात भी प्रकाश में आई कि बदमाशों का उद्देश्य हत्या करना भी था । वादी एवं मृतक के परिवार के लोगों नेस्थानीय पुलिस की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है। गांवमें सुरक्षा की भावना बनाये रखने के लिये मृतक के घरपर पी0ए0सी की नियुक्ति कर दी गई है ।]

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्टलिखा है किपजिन लोगों ने जानमारी है वे जान मारने के उद्देश्य से ही आये थे, लेकिन इस वक्तव्य में उसका विवरण नहीं दिया गया है कि वे कौन लोग थे और उनकी जान से मारने की क्यों नीयत थी ? मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण थे, जिसके कारण जान से मारने की नीयत से ही वे आये थे ? जिन अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उनको पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुम सिंह--

जांच के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि उनका इरादा डकैती डालने के साथ ही साथ जान से मारने का भी था । यह बात भी प्रकाश में आयी कि एक अभियुक्त का मृतक के परिवार की जमीन पर मुकदमा चल चुका था । अभियुक्त की तो निशानदेही हो चुकी है इसलिये ऐसा ही लगता है कि डकैतीके साथ ही उनका इरादा जानसे मारने का भी था ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्,यह तो भयंकर मामला है,जिस दिन मैंने यहमामला यहां उठाया था तो इसघटना को छोड़ कर इसके बाद से वहां 20 हत्याएं और हो चुकी है । इसलिये इसे हलके ढंग से न लिया जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी एटा में जहां-जहां गये है और मीटिंग किये है वहीं-वही सामूहिक हत्याएं हुई है । वे कासगंज गये जहां पर चार हत्याएं हुई, सोरों गये वहां भी 4 हत्याएं हुई, अलीगंज गये वहां पर 5 हत्याएं हुई हैं । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि उनके जाने के बाद से वहां जो हत्याएं हुई हैं तो यह आतंकवाद क्या माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिये किया जा रहा है या फिर यह हत्याएं उनके ही इशारे पर की गयी है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह तो वक्तव्य का अंश नहीं है, आप दूसरा प्रश्न करिये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

घटना स्थल के एक किलो मीटरके अन्दर एक प्रभावशाली व्यक्ति का नौकर पकड़ा गया, तो उसने क्या बताया और फिर क्यों उसको छोड़ दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर,जो सूचना कहिये है मैं तो सबके नाम बतलाये देता हूं।

श्री रमेश चन्द्र--

सबके नाम नहीं, आप यह बतलाइये कि उस नौकर को किसने कहने पर छोड़ा गया ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, एटा आप कृपया बैठें, अभी मंत्री जी खड़े है और उत्तर दे रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अभी तक 17-18 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आये है जिनमें से 4 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके है और 6 को गिरफ्तार करने के प्रयास चल रहे है।

श्री रमेश चन्द्र--

एक प्रभावशाली आदमी का एक नौकर पकड़ा गया था, बाद में वह छोड़ दिया गया। उसके बाद दरोगा का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि दरोगा को मालूम पड़ गया था कि मर्डर किसने कराया है। जब उनसे रिपोर्ट मांगी जायेगी तो वे अपने बचाव पक्ष में जो बात होगी उसे ही कहेंगे। आये दिन 10 आदमी इस तरह के काण्ड में पकड़े जाते है। कुछ सामान भी बरामद हुआ है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, राईफिल किसके पास है वह अभी तक नहीं मिली है। पी0ए0सी0 वहां पड़ी हुई है। नौकर क्यों पकड़ा गया और उसके बाद क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री अधिष्ठाता--

वह नौकर क्यों छोड़ा गया, यह माननीय मंत्री जी कृपया बतायें ?

श्री हुकुम सिंह--

किस नौकर की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं ? मान्यवर, यह गम्भीर घटना है। 3 व्यक्ति मारे गये, जख्मी हुय, एक लाख रुपये के करीब का सामान गया लेकिन कोई नामजद रिपोर्ट इसमें नहीं थी। तफतीश के दौरानकुछ आदमी जरूर बुलाये गये होंगे, पूछताछ की गयी होगी। अगर माननीय सदस्य हमारी कुछ सहायता करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम दे. दें जो पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। इस संबंध में जानकारी भी करायेंगे कि क्यों पकड़ा गया और क्यों छोड़ा दिया गया तो मैं चाहता हूं कि इसकी जानकारी करा देंगे ताकि मैं इसके आगे कोई जानकारी करा सकूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य ने जो कहा कि जिला एटा में जहां-जहां मुख्य मंत्री गये वहां हत्या हुई, ऐसी चीज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कोई स्पष्टीकरण और चाहते है तो पूछ लें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं सिर्फ यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घटना के बाद पटियाली थाने की पुलिस ने बड़ी तत्परता से बड़ी ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है जिस थानाध्यक्ष ने इस कार्यवाही को किया है वह रूटीन-वे में ट्रांसफर हुआ ह। माननीय मंत्री जी इस तफतीश को यदि आवश्यक समझें तो उसी से क्योंकि उसकी जानकारी में यह आ गया था, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, 22-23 की रात की घटना है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 22-23 की रात के बाद आज तक किस दरोगा का ट्रांसफर हुआ है और उसके क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मैं यह सूचना कि किस दरोगा का ट्रांसफर कहां हुआ, इसके साथ नत्थी होना चाहिये। त्रिलोक चन्द्र जी अगर चाहते है जो एटा जिले के सभी थानों की सूचना उनको मैं मंगाकर दे दूंगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, जवाब नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता--

आपने यह प्रश्न किया कि इस घटना के बाद किसी दरोगा का ट्रांसफर हुआ वहां से किसी जनपद को ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, उसी थाने को पूछा है, उनको जानकारी होनी चाहिये। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि उस दरोगा का वहां से ट्रांसफर हुआ इस केस में जो तफतीश कर रहा था और हमारा यकीन है कि वह दारोगा ठीक तरह से तफ़तीश कर रहा था और जानबूझ कर उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको सुझाव मानकर दुबारा सूचना प्रस्तुत करेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, किस सूचना की बात कर रहे है डकैती हुई कि नहीं हुई, सामान गया कि नहीं गया, डकैती के बाद इसमें 18 मुलजिम नहीं है, घटना किस समय हुई, उस बारे में ही, किस सूचना को आप कह रहे है, आप बता दें मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय सत्तापक्ष के विधायक, जो एटा के है, उन्होंने भी कहा इस सवाल को जबकि मंत्री जी के जवाब में जो दरोगा पटियाली में था, इस घटना के टाइम पर, वह एक अच्छा आदमी था और इसकी तफतीश कर रहा था और उनको जानकारी भी पता चल गयी थी कि किसने यह घटना की तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हीं दरोगा से इसकी तफतीश करायेंगे क्योंकि उन्हें सारे तथ्य मालूम हो गये थे ? उन्हीं से इस तफतीश को करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आशंका व्यक्त की गयी है, मैं माननीय सदस्य को खुद जानकारी देना चाहता हूं कि जब सारा प्रकरण मेरे सामने आया और मैं उसका अध्ययन कर रहा था, आज सुबह तक यह जानकारी नहीं थी कि कौन गिरफ्तार हुए हैं। इतना बड़ा अपराध हो गया है, तीन आदमियों की जानें चली गयीं और आज तक कोई गिरफ्तारी न हो, तो मुझे संशय हुआ और मैंने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की और वहां के एस0पी0 से जानकारी प्राप्त की, तो यह मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले गिरफ्तारियां की गयी हैं, यह अब जानकारी दी गयी। मान्यवर, यह 23 अगस्त की घटना है और जो गिरफ्तारियां हुई वह 10 से 12 अगस्त के बीच में हुई।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जिस दरोगा का ट्रान्सफर हो गया है, क्या सारे तथ्यों को देखते हुए उसी दरोगा से जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

अगर वह दरोगा सक्षम होता तो 10 तारीख के पहले ही गिरफ्तारियां कर लेता, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आप कहते हैं कि वह सक्षम था तो 10 तारीख के पहले गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, किरनपाल सिंह जी आप शांति से इस पर सोचें और बता दें।

(व्यवधान)

सर्वजीत का पुत्र अभियुक्त है, उसका नाम प्रकाश में आ गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिये प्रयास किया जा रहा है तथ्यों की जानकारी हो जाये जो आपको शंका होगी उसको मैं दूर कर दूंगा।

जनपद बांदा में पत्रकारों तथा अभियन्ताओं के मध्य उत्पन्न हुए विवाद पर होने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(मद संख्या 8 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप करण संख्या 218 को देखें। मान्यवर, नियम 56 में मैंने यह सवाल उठाया था कि बांदा जनपद में पत्रकारों तथा अभियन्ताओं के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है और जिसमें पत्रकारों ने अभियन्ताओं को मारा। जिन मुद्दों पर मैंने सवाल उठाया था उनमें से किसी एक का भी उत्तर इस वक्तव्य में नहीं आया है। जिन बातों की ओर मैंने ध्यान आकृष्ट किया था, एक भी बात का जिक्र इस वक्तव्य

में नहीं किया गया है । यह एक पक्षीय तथ्यहीन ब [illegible] दिया गया है, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको स्थगित कर दें और किसी दूसरे दिन बयान के लिये रख दें । मेरे पास उस दिन की कार्यवाही है, उसको आप देख लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप करण 218 को देखें । इसमें प्रक्रिया इस तरह की नहीं है । आप लिखित में दे दें । वक्तव्य आने दीजिये ।

श्री विजय सिह राणा--

मान्यवर, मैंने भी नियम 56 में प्रश्न उठाया था और माननीय सदस्य ने भी उठाया था । जो वक्तव्य आया है उसमें लिखा हुआ है श्री देव कुमार यादव . .

श्री अधिष्ठाता--

आप करण 218 देख लें । जो वर्मा जी ने उठाया था, (व्यवधान) ।

श्री विजय सिह राणा--

वक्तव्य में जो छपा है उसमें मेरा नाम भी होना चाहिये । इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो नियम 56 में दिया था. (व्यवधान) मेरा अलग कार्यस्थगन का प्रस्ताव था । अगर वक्तव्य एक ही ईश्यू पर होता तब तो अलग बात थी, मेरा ईश्यू दूसरा था । उस पर वक्तव्य आना चाहिये था । इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो वक्तव्य आया है वह देव कुमार यादव के कार्यस्थगन पर आया है ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य तो आया । इसको हम देख लेंगे । आप प्रश्न कर लें । आपको अधिकार है ।

श्री विजय सिह राणा--

क्या मेरे कार्यस्थगन पर अलग से वक्तव्य आयेगा? दो अलग-अलग बयान हैं । मेरा वक्तव्य तो यहां पर आया नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

इसको ठीक कर दिया जायेगा। आपका नाम कार्य सूची में है। आप ठीक कह रहे हैं । आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं । विषय तो अलग नहीं है ।

श्री विजय सिह राणा--

मैं कहना चाहता हूं कि क्यों मेरा नाम वक्तव्य में नहीं आया । मैंने कार्यस्थगन रखा था और इसमें मेरा नाम नहीं है । कब आप उस पर वक्तव्य दिलायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

इस पर विचार कर लेंगे । जो वक्तव्य आया है, उस पर आप प्रश्न कर लें। इसको आने दें ।

जनपद बांदा में पत्रकारों तथा अभियन्ताओं के मध्य उत्पन्न विवाद की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्री हुकुम सिह द्वारा वक्तव्य पढ़ना शुरू किये जाने पर ।)

एक सदस्य--

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिह)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-7-85 को श्री मो0 उमर दुर्रानी, सचिव, उ0प्र0 जर्नलिस्ट संघ, बांदा ने थाना कोतवाली बांदा में श्री बी0 एम0 लाल, अधिशासी अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग तथा 2-3 अन्य के विरुद्ध अपराध सं0 1049/85 के अन्तर्गत धारा 147/323/504/506 भा0 दं0वि0 दर्ज कराया जिसमें विपक्षियों पर दुर्व्यवहार/आक्रमण करने और सा0नि0 विभाग के डाक बंगले में कमरा बुक न करने के आरोप लगाये गये । इसी दिन श्री बी0 एम0

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाल अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग ने पत्रकार सर्वश्री मिथिलेश कुमार करवरिया, राकेश जैन, राजू मिश्र, अमर सिंह राठौर, मो0 उमर दुर्रानी व 3--4 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट आदि की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली, बांदा में दर्ज करायी जिस पर सं0 1049-ए/85 धारा 395 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम हुआ। इस घटना का तात्कालिक कारण यह बताया जाता है कि पत्रकार नेशनल यूनियन आफ जर्नालिस्ट के सचिव के बांदा आगमन पर सा0 नि0 विभाग के निरीक्षण भवन में कक्ष आरक्षित कराना चाहते थे परन्तु अधिशासी अभियन्ता, श्री वी0 एम0 लाल द्वारा यह कह कर मना कर दिया गया कि कोई अन्य कक्ष खाली नहीं है तथा कक्ष नं0 4 में मरम्मत का कार्य चल रहा है। पत्रकारों का यह कहना है कि दिनांक 28-7-85 को उक्त कक्ष में मरम्मत नहीं हो रही थी तथा वह पूर्णतया सुसज्जित था।

दिनांक 1-8-85 को तकनीकी महासंघ के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पकड़ कर मारने पीटने एवं कुछ रुपये छीनने के आरोप में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध सं0106 4/85 धारा 395 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया। उसी रात्रि को सर्वश्री अमर सिंह राठौर, सीताराम गौतम, मो0 उमर दुर्रानी पत्रकार गिरफ्तार किये गये। दिनांक 3-8-85 को दो अन्य पत्रकार श्री अभितेन्द्र नाथ अमित व श्री सतीदीन गुप्ता को भी उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया। अपराध संख्या 1064/85 अन्तर्गत धारा 395 भा0 दं0 वि0 को अब धारा 147/323/504/506 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 2-8-85 को श्री चुनवाद, स्टेशन रोड, बांदा द्वारा दिनांक 28/29 जुलाई, 1985 को सर्वश्री अभितेन्द्र नाथ अमित, राजू मिश्र, मिथिलेश करवरिया पत्रकार व 9-10 अन्य लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली बांदा में एक मु0 अ0सं0 1070/85 धारा 147/323/504/506 भा0 दं0 वि0 कायम कराया गया जिसमें जबरदस्ती होटल में खाने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया।

पत्रकारों तथा अभियन्ताओं के मध्य उत्पन्न इस विवाद की गम्भीरता को देखते हुए शासन ने तत्काल इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच प्रारम्भ कर दीगयी है। यह कहना सही नहीं है कि इस विवाद को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया है एवं जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। यह कहना भी सही नहीं है कि इस घटना से पूरे वातावरण में तनाव व्याप्त हो गया है।]

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि .....

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, इससे पहले आपने मुझे निर्देश दिया था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य आ गया है, वह पढ़ा हुआ मान लिया गया है। उसके बाद माननीय राणा जी और अन्य समस्त विधायक साथी अपना कोई स्पष्टीकरण करना चाहें तो वे करें। उसके बाद कोई बात आयेगी .....

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

आपने पहले मुझे निर्देश दिया था।

श्री अधिष्ठाता--

आप करण 218 पढ़े। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, आप माननीय सदस्य की सहायता करें। उसमें लिखा है कि जब तक आप साक्ष्य न दे दें, उसके लिये दो हफ्ते का समय न दे दें। आप ऊपर से नीचे तक उसे पूरा पढ़ें। (व्यवधान)। कृपया बैठें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं। जो पत्रकारों का झगड़ा था वह पी0 डब्लू0 डी 0 के डाक बंगले के आवंटन के प्रश्न पर था। आपने अपनी रिपोर्ट में यह कुछ नहीं कहा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि पत्रकारों का कहना

है कि डाक बंगले का आवंटन जिलाधिकारी द्वारा किया गया था ? तो क्या यह सही है कि उस डाक बंगले का आवंटन जिलाधिकारी द्वारा किया गया था या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रिपोर्ट लिखाई है उसमें यह अंकित किया गया है कि पहली बार जब पत्रकार आये उस वक्त केवल मौखिक रूप से आवंटन के लिये उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कक्ष खाली नहीं है। इस प्रकार जो कमरा है जिसकी रिपेयर चल रही थी उसकी चाबी छीन लिये और फिर जिलाधिकारी से आवंटन-पत्र लेकर आये। उस पर अभियंता ने यह लिख कर दिया कि यहां पर कोई कक्ष उपलब्ध नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

जब अभियन्ता ने यह लिखा कि कक्ष उपलब्ध नहीं है तो उस समय जो कक्ष आवंटित थे वह किन-किन के नाम आवंटित थे और जिनके नाम आवंटित थे क्या वे उसके लिये सक्षम अधिकारी थे और कहां के थे ?

श्री हुकुम सिंह--

जिन तीन अधिकारियों के नाम आवंटित थे उसमें एक एस0 इ0 ट्यूबवेल, डी0 आई0 जी0 रेलवे और तीसरे चीफ़ इंजीनियर ट्यूबवेल यह तीनों सक्षम हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पत्रकार और अभियंता कांड में कितने ऐसे पत्रकार हैं जिन पर अपराधिक मामलों में अलग-अलग जनपदों में विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज है क्या उसका विवरण देंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

यह जो बात कह रहे हैं इसमें 3, 4 रिपोर्ट हुई है और मैंने उसका विवरण दिया है पत्रकारों के नाम भी दिये हैं। लेकिन किसी और थाने में मुकदमा चल रहा है या नहीं इसका विवरण मेरे पास नहीं है।

श्री राम सजीवन--

जिन तीन चार घटनाओं का उल्लेख किया है जो पत्रकार नामजद हैं क्या उन मे से किसी पत्रकारों के खिलाफ़ गुण्डा एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है, या कोई ठेकेदारी में ब्लैक लिस्टेड है। इस तरह से इनमें से कितने लोग हिस्ट्री शीटर हैं जो इसमें शामिल हैं।

श्री हुकुम सिंह--

जैसा अभी वर्मा जी के उत्तर में बताया जो नामजद हैं उनके नाम इसमें दिये हैं। आपने जो पूछा कोई हिस्ट्री शीटर हैं या नहीं तो आप नाम बता दें तो हम मालूम कर सकते हैं हिस्ट्री शीटर है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

नाम बता दें।

श्री हुकुम सिंह--

एक घटना 28/29 जुलाई की है जिसमें अमितेन्द्र नाथ, अमित, राजू मिश्र, मिथिलेश करवरिया पत्रकार व 9, 10 अन्य लोगों के विरुद्ध है। दूसरी घटना 28-7-85 की 8 बजे की है जिसमें अमर सिंह राठौर, सीताराम गौतम, मोहम्मद अमर दुर्रानी, राकेश जैन और 3, 4 और व्यक्ति हैं। मान्यवर, इसमें नामजद किये गये हैं श्री विक्रमादित्य सिंह, मो0 उमर दुर्रानी, पत्रकार इस तरह 9-10 आदमी हैं।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि दिनांक 1-8-85 को धारा 395 में मुकदमा कायम किया गया। अपराधी की गिरफ्तारी हुई तो धारा को परिवर्तित कर दिया गया। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धारा को परिवर्तित करने का क्या कारण था। झूठा मुकदमा जिसने लिखाया तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, दो घटनायें ऐसी हैं जिसमें मुकदमा धारा 395 का दर्ज होता। पहली बात यह है कि झगड़ा में धारा 395 का मुकदमा और दूसरी घटना गिरफ्तारी हुई

[श्री हुकुम सिंह]—
तो धारा 395 में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद यह सारा मामला अपराध अनुसंधान शाखा को दे दिया गया है। इसमें जांच चल रही है और जो जांच में तथ्य आयेंगे, जिसने गलत रिपोर्ट लिखाया है उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आप वकील हैं यदि कोई झूठी रिपोर्ट लिखाता है तो 182 धारा की कार्यवाही होती है। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, जो मैंने पहले पूछा था कि तीन आदमियों के नाम आवंटन था और चार कमरे हैं। तो चौथे के लिये कहा गया कि मरम्मत चल रही है। पहले कहा गया कि बिना जिलाधिकारी के पत्र के वह लोग गये और दुबारा जिलाधिकारी के आवंटन-पत्र को दिया। जब तीन कमरों में आदमी रह रहे थे और चौथे की मरम्मत हो रही थी तो अधिशासी अभियंता ने इसकी सूचना डी0 एम0 को क्यों नहीं दी कि चौथे कमरे का एलाटमेन्ट न किया जाये। दूसरी बात जो अधिकारी वहां रह रहे थे उनमें से कौन अधिकारी ऐसे थे जो बाहर के थे। मुझे मालूम है कि एक अधिकारी वहीं का था और वह कमरा खाली था किन्तु बाद में रजिस्टर में लिख दिया गया कि आ गये तो यह किसके आदेश से किया गया। जो पहले रह रहे थे उनके पास एलाटमेन्ट पत्र था कि नहीं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, पहले जैसा कहा कि एक कक्ष एस0 ई0 ट्यूबवेल, दूसरा कक्ष चीफ़ इंजीनियर, ट्यूबवेल और तीसरा कक्ष डी0 आई0 जी0 के पास था। यह तीन आदमी ऐसे थे जिनका मुख्यालय बांदा से बाहर है और वहां नहीं रहते हैं। आवंटन किसने किया तो उसके लिये अधिशासी अभियंता भी स्वयं सक्षम हैं यदि कक्ष उपलब्ध हों।

श्री शिरोमणि भाई—

मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि इस विवाद को लेकर अधिकारियों में मतभेद हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या कोई ज्ञापन शासन को मिला है, यदि हां, तो उसमें क्या क्या मांगें हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो उसमें मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया था और यह मांग की गयी थी कि जो तथाकथित पत्रकारों ने आकर अभियंता के खिलाफ़ मारपीट की उसमें कार्यवाही की जाये और सुरक्षा की व्यवस्था उनकी की जाये।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभितेन्द नाथ अमित झांसी के पत्रकार हैं, दैनिक जागरण झांसी के। उन्होंने एक फर्जी इंकाउन्टर कोतवाली, बांदा के विरुद्ध छापा था जिसमें मुकदमा भी कायम किया गया और गिरफ्तारी के बाद क्या अमित का मेडिकल बांदा में कराया गया है ?

श्री हुकुम सिंह—

इसमें जो मेडिकल हुए हैं, वे केवल तीन पत्रकारों के हुए हैं, राजू मिश्रा, अमर सिंह राठौर और मोहम्मद उमर दुर्रानी के हुए हैं। जिनका नाम आपने लिया है, उनका कोई मेडिकल नहीं हुआ है।

श्री विजय सिंह राणा—

घटना के दिन दोनों तरफ़ से रिपोर्ट की गई और करीब एक ही प्रकार की घटनायें थीं, तो मान्यवर, यह कैसे सम्भव है कि एक पक्ष की रिपोर्ट पर पत्रकारों को बन्द कर दिया गया और उन्हीं धाराओं में दूसरे पक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर उन्हें छोड़ दिया गया।

श्री हुकुम सिंह—

मैं बताना चाहता हूं, जो पहली घटना हुई है, इसमें दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज हुई है (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

पहली किसे आप मानेंगे ? जो घटना पहले हुई है या जिसकी पहले रिपोर्ट लिखाई गई, उसे मानेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

आप स्टेटमेंट की तीसरी-चौथी लाइन को पढ़ लीजिये, स्थिति साफ़ हो जायगी। एक अपराध संख्या 1049/85 की है जो धारा 147/323/504 व 506 में है और दूसरी की संख्या 1049ए/85 है, जिस पर (व्यवधान) धारा 395 का मुकदमा दर्ज हुआ इस (व्यवधान) इस मुकदमें के अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, धारा 395 होने के बावजूद भी। इस मुकदमें को अगले दिन ही 323/147 में तब्दील कर दिया गया है। फ़िर आगे देखें अपराध संख्या 1049ए/85, धारा इसमें भी 395 है (व्यवधान) मैं सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि वह सारे पत्रकार छूट भी गये हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

जो इनकी आपराधिक सूचियां हैं कथित पत्रकारों के खिलाफ़, क्या उसको आप सी0 आई0 डी0 जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

जांच घटना की होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। यदि आप निश्चित सूचना किसी घटना की या किसी के विरुद्ध देंगे तो मैं निश्चित तौर पर जांच करा दूंगा।

श्री शिरोमणि भाई--

इसमें बड़ी प्रशासनिक अड़चनें हैं और जनपद में इसको लेकर जो ज्ञापन शासन को दिया गया है उसमें अभियन्ता संघ ने कहा है कि किसी प्रशासनिक पत्र का जवाब नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

यह इससे सम्बन्धित नहीं है। आप कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

श्री राम सजीवन--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 3-8-85 को बांदा के बहुसंख्यक पत्रकारों ने अपनी एक बैठक जैन धर्मशाला में करके इन तथा कथित पत्रकारों की भर्त्सना की है?

श्री हुकुम सिंह--

इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन शासन को मिला है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

प्रदेश के रासायनिक कारखानों से जहरीली गैस के रिसाव होने तथा यूनियन कार्बाइड कम्पनी ऐशबाग, लखनऊ से खतरा होने के संबंध में वक्तव्य

*वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, यूनियन कार्बाइड....

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय। (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

ओम प्रकाश रिछारिया--

[(इंडिया) लि0 का एक डिवीजन मे0 एवरेडी फ्लैश लाइट कम्पनी, ऐशबाग लखनऊ में स्थित है। उद्योग से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा ब्रास, अल्युमीनियम, स्टील व प्लास्टिक तथा रसायनों आदि का प्रयोग कर फ्लैश लाइट टार्चों का उत्पादन 6 से 7 लाख नगप्रति माह की दरसे किया जाता है। धातुओं, प्लास्टिक केमिकल्स प्लेटिंग आदि का प्रयोग कर जिंक प्लेटिंग, एनोनडाइजिंग निकिल व क्रोमियम प्लेटिंग आदि औद्योगिक प्रक्रिया की जाती है इस उद्योग में कास्टिक सोडा, सल्फयूरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, सोडियम साइनाइडस आदि घातक (हैजारडस) रसायनों का प्रयोग होता है। उद्योग में लगभग 1100 कि0 ली0 प्रतिदिन को दर से औद्योगिक उत्प्रवाह उत्पन्न होती है, जिसके शुद्धिकरण की व्यवस्था के रूप में उद्योग के पास न्यूट्रालाईजेशन टैंक, प्राइमरी सैटलर, सैकेन्ड्री सैटलर तथा स्लेज ड्राइंग बैंडस की व्यवस्था है। शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण गाजिउद्दीन हैदर कैनाल में किया जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :---[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उद्योग के शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या (विवरण संलग्न†) के अनुसार शुद्धिकरण व्यवस्था सामान्यत: संतोषजनक पाई गई है। उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु दिसम्बर, 1985 तक के लिये सहमति बोर्ड के पत्र दिनांक 21-5-1985 द्वारा इस निर्देश के साथ प्रदान की गई है कि उद्योग वर्तमान शुद्धिकरण व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाते हुए उत्प्रवाह को बोर्ड के मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारण करें तथा स्लेज ड्राइंग बेड्स से उत्पन्न होने वाले स्लैज का निस्तारण भी सुरक्षित रूप से किया जाय।

वायु प्रदूषण की दृष्टि से मै0 एवरेडी फ्लैश लाइट कं0 में ईंधन की खपत बहुत कम है जिसके फलस्वरूप धूम्र उत्सर्जन की मात्रा अधिक नहीं है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत उद्योग ने बोर्ड की सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

इस कारखाने के उत्पादन में किसी गैस का उपयोग नहीं किया जाता। यह एक इन्जीनियरिंग उद्योग का कारखाना है, जिसमें टार्च बनाये जातें हैं। इस कारखानें में भोपाल जैसी दुर्घटना होने की कोई सम्भावना नहीं है। इस कारखाने में कोई ऐसा विषाक्त वातावरण भी नहीं है जिससे श्रमिकों में टी0 बी0 अथवा पागलपन होने की सम्भावना हों।

सर्वश्री गोपाल सिंह, सुरेन्द्र कुमार अवस्थी, फूलचन्द्र, वेद प्रकाश तिवारी, मुन्ना लाल और छोटे लाल के पागल होने की कोई पुष्टि नहीं हो सकी। इन कर्मचारियों में से श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी को छोड़ कर अन्य सभी कर्मचारी कारखाने में कार्यरत है। श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी ने अपना त्यागपत्र 18-2-1985 को दे दिया था, जो कि प्रबन्धकों द्वारा जून, 1985 में स्वीकार कर लिया गया और देय धन का भुगतान भी कर दिया गया था।

जहां तक हाल ही में टी0बी0 से श्रमिकों की मृत्यु होने का प्रश्न है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। यद्यपि इस वर्ष दो श्रमिक श्री छोटे लाल की अप्रैल, 1985 और श्री राम सागर शर्मा की जून, 1985 में अपने निवास-स्थानों पर मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। कारखाने के जिन श्रमिकों का कुल मासिक धन देय 1600 रु0 तक है वह कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते है। और उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अपने सभी उपचारों हेतु सुविधा उपलब्ध है।

नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना में सन्दर्भित 39 (उन्तालिस) रासायनिक कारखानों के सम्बन्ध में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह कौन-कौन से 39 कारखाने है, जहां भोपाल जैसे घटना होने की आशंका हो और नहीं विशेषज्ञों के विषय में कोई सन्दर्भ दिया गया है, किन्तु 28 संवेदनशील खतरनाक कारखानों का निरीक्षण एक संयुक्त सर्वेक्षण दल ने वर्ष 1984-85 में किया है। इनमें से 11 कारखाने शासन द्वारा गठित विशेषज्ञों की उत्तर प्रदेश औद्योगिक सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण समिति द्वारा जन-जीवन के लिये खतरनाक बतलाये गये हैं। इन ग्यारह कारखानों में एवरेडी फ्लैश लाइट कम्पनी नहीं है। इन विशेषज्ञों द्वारा इनमें से किसी भी कारखाने से खतरनाक गैस का आकस्मिक रिसाव कभी भी हो सकता है। ऐसी आशंका व्यक्त नहीं की है। वास्तविकता यह है कि इन ग्यारह जन-जीवन के लिये खतरनाक कारखानों को उनसे सम्भावित खतरों से बचाव के तौर पर निर्देश दिये गये हैं कि वह कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश व जिला प्रशासन की सलाह से अपने-अपने कारखाने हेतु एक आकस्मिकता योजना तैयार कर लें।]

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, यह वक्तव्य सत्य से परे है। जिस दिन मैंने नियम 56 में इसे उठाया था उस दिन बहुत से माननीय सदस्य इस पर

† छापी नहीं गयी।

बोलना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि श्री राम शंकर शर्मा की मृत्यु जहरीली गैस से हुयी, उनको टी0 बी0 हुयी और उनकी मृत्यु हो गयी।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, श्री शर्मा अपने रायबरेली जिले में जो गांव है वहां मकान में रहते थे। वहां पर उनकी नेचुरल डेथ हुयी है।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, इस वक्तव्य के अन्तिम पैराग्राफ में दिया है कि 11 कारखाने शासन द्वारा गठित विशेषज्ञों की उत्तर प्रदेश औद्योगिक सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण समिति द्वारा जन जीवन के लिये खतरनाक बतलाये गये है। इसी वक्तव्य में आगे कहा गया है कि वास्तविकता यह है कि इन ग्यारह जन जीवन के लिये खतरनाक कारखानों को उनसे संभावित खतरों से बचाव के तौर पर निर्देश दिये गये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जो 11 कारखाने चल रहे है क्या अब तक उन्होंने ऐसे उपाय बचाव के लिये किये थे यदि नहीं किये थे तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जब भोपाल का गैस कांड हुआ तो यह सोचा गया कि उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के कारखाने है जिनमें हानिकारक गैस, केमिकल्स का उत्प्रवाह किया जाता है उनका एक सर्वे कराया जाय। तो श्रम विभाग की ओर से शासन की ओर से औद्योगिक सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण समिति का गठन किया गया था और उसने 28 ऐसे उद्योगों को देखा था और उनमें से 11 उद्योग ऐसे थे जिनमें अगर किसी प्रकार की लीकेज हो जाय तो खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन उनसे आज खतरा नहीं है जैसे मथुरा की रिफानरी है, वहां क्रूड आयल जो बाम्बे हाई से निकाला जारहा है वह आता है तो अगर वहां पर मीथेन गैस लीक कर जाय एटमासफियर में तो खतरा फैल सकता है। यह जो सारी फर्में है वहां लीकेज होता इसके लिये वह व्यवस्था किये हुये है व हां कम्प्यूटराइज्ड कंट्रोल रूम व कंट्रोल रूमहै अगर कोई भी लीकेज होती है तो एलार्मिंग होती है। तो यह जो इंडस्ट्रीज है उनमें इसकी व्यवस्था है यह इंडस्ट्रीज अच्छी स्थिति में है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह जो फर्म है, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981के तहत इसने बोर्ड के पास सहमति के लिये आवेदन पत्र दिया था तो उस पर बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है और यह सहमति किस चीज के लिये थी? दूसरा प्रश्न यह है कि जल प्रदूषण नियंत्रण निवारक बोर्ड ने 19 दिसम्बर, 85 को जो अनुपयुक्त वहिस्रावी है उनके संबंध में कुछ शर्तों के साथ सहमति प्रदान की है जो संलग्न में मानक दिये हुये है वह जनवरी, 85 के है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जनवरी, 85 से अगस्त, 85 के बीच में कोई सर्वेक्षण किया गया और यदि किया गया तो उसकी रिपोर्ट क्या है क्या वह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप खरी उतरती है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जैसा कि श्रीमन् मैंने, पहले बताया कि जब यह भोपाल काण्ड हुआ, तो 28फर्मों का सर्वेक्षण करवाया गया था। उन 28 में यह जो लखनऊ की कारबाइड फैक्ट्री है, इसका सबसे पहले सर्वेक्षण हुआ था। उस सर्वेक्षण में यह है कि विशेषज्ञों ने मेसर्स एवर रेडीफ्लैशलाइट लखनऊ सबसे पहले नम्बर पर है। जो आपने डेट दी, उसके बाद सर्वेक्षण करवाया गया। दूसरे प्रश्न के बारे में मूलप्रश्न के उत्तर में ही कहा गया है। उनको कुछ ठीक करने के लिए कहा गया था। एयर पाल्यूशन जो है उसमें यह है कि पाल्यूशन वालों ने सहमति पत्र दे दिया जा रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

उत्तर में साफ लिखा है कि आवेदन पर कार्यवाही की जा रही है। मैं यह पूछ रहा हूं कि बोर्ड ने क्या कार्यवाही की दिसम्बर, 85तक के लिये शर्त के साथ सहमति दिया कि वर्तमान शुद्धिकरण व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिये प्रवाह को बोर्ड के मानकों के अनुरुप शुद्धिकृत कर उसका निस्तारण करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि तब से लेकर अगस्त, 85 तक के बीच में बोर्ड ने सर्वेक्षण

कराया, और उस मानक के आधार पर वह खरा उतर रहा है मान्यवर, वह जनवरी 85 के बाद की घटना है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जब सहमति पत्र के लिये कोई फर्म अप्लाई करती है, तो उसके बाद ही सर्वेक्षण किया जाता है, तब उसको सहमति-पत्र दिया जाता है। जैसे ही आवेदन-पत्र आया, उसके बाद ही तुरन्त कार्यवाही की गयी।

श्री अध्यक्षता--

अब हम उठते हैं और दिनांक 19 अगस्त, 1985 को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सांयकाल 7 बजकर 41 मिनटपर सोमवार, 19 अगस्त, 1985 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
17 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

पी0 एस0 यू0 पी0-ए0 पी0 63 विधान सभा- 30-1-86-(3452) 1986 -813 (मैग0)।